भारत का विधान

मंत्री हिन्दुस्तानी कलचर सोसाइटी
48, बाई का बाग़ इलाहाबाद

पहली बार 3000] सन् 1950 ई० [क़ीमत सात रुपए आठ आने

पहली बात

छब्बीस नवम्बर सन् 1949 को विधान सभा ने भारत के विधान को अपना कर भारत की दफ़तरी भाशा के सवाल का फ़ैसला कर दिया और देश भर ने शान्ति का सांस लिया. भारत की दफ़तरी भाशा (official language) का नाम हिन्दी रखा गया. वह हिन्दी क्या होगी इसकी तफ़सील दफ़ा 343 और 351 में खोल कर कर दी गई. वह दोनों दफ़ा यह हैं :—

"343—(1)यूनियन की दफ़तरी भाशा देवनागरी लिखावट में हिन्दी होगी.

"यूनियन के दफ़तरी मतलबों के लिये हिन्दसों का जो रूप काम में लाया जायगा वह हिन्दुस्तानी हिन्दसों का अन्तरक़ौमी रूप होगा.

× × × × ×"

"351—यूनियन का फ़र्ज़ होगा कि हिन्दी भाशा के फैलाव को बढ़ाए, और उसका इस तरह विकास करे कि वह भारत की मिली जुली कलचर के सब अंगों को ज़ाहिर करने का साधन बन सके, और, उसकी आत्मा को छेड़े बिना, जो जो रूप, जो शैली और जो मुहाविरे हिन्दुस्तानी में और आठवीं पट्टी में दर्ज भारत की दूसरी भाशाओं में काम में आते हैं उनको उसमें रचा पचा कर, और, जहां कहीं ज़रूरी या चाहनी हो, उसकी शब्दावली के लिये पहले संस्कृत से और फिर दूसरी भाशाओं से शब्द लेकर, उसे माला-माल करे."

आठवीं पट्टी में दर्ज भाशाएं यह हैं:—1. आसामी, 2. बंगला, 3. गुजराती, 4. हिन्दी, 5. कन्नड़, 6. कश्मीरी, 7. मलयालम, 8. मराठी, 9. उड़िया, 10. पंजाबी, 11. संस्कृत, 12. तामिल, 13. तेलगू, 14. उर्दू.

इस तरह जिस हिन्दी की विधान में व्याख्या की गई है उसमें और उस भाशा में कोई फ़रक नहीं रह जाता जो भारत के बहुत बड़े भाग की

जनबोली है, जो पेशावर से आसाम तक और हिमालय से रासकुमारी तक बोली या समझी जाती है, और जिसे देसी और बिदेसी दोनों ने सैकड़ों बरस पहले हिन्दुस्तान की बोली जानकर हिन्दुस्तानी नाम दिया था. यही एक ऐसी भाशा रही है जो सच्चे मानी में भारत की मिलीजुली कलचर के सब अंगों को ज़ाहिर करती है और अपनी आत्मा को नुक़सान पहुँचाए बिना भारत की दूसरी भाशाओं के ही नहीं बाहर की भाशाओं के भी शब्द, शैलियाँ और मुहाविरों को अपने अन्दर समा कर अपने आपको मालामाल करने की सकत रखती है. हमारे देश की इसी भाशा को विधान ने हिन्दी नाम दिया है. जिन लोगों को भारत की इस मिलीजुली कलचर से प्रेम है और जो भारत को एक शक्तिशाली और गठा हुआ देश बनाना चाहते हैं उन्होंने विधान की इस दफ़ा का खुले दिल से स्वागत किया. पर विधान का जो हिन्दी अनुवाद सरकार की तरफ़ से निकला है वह न तो विधान की ऊपर लिखी दफ़ाओं को निभाता मालूम होता है और न बहुत से पत्रकारों और समझदारों की नजर चढ़ पाया है. जनता को उसके समझ में न आने की शिकायत तो है ही. उस अनुवाद की आत्मा हिन्दी है यह कहना कठिन है. फिर हिन्दुस्तानी या किसी दूसरी देसी भाशा के रूप, शैली और मुहाविरे उसमें कैसे निभते. गुजराती, कन्नड़, उर्दू वग़ैरा में से किसी एक दो के इक्का दुक्का शब्द लेकर विधान की दफ़ा के अक्षर भले ही निभाए गए हों रूह नहीं निभाई गई. अनुवाद करने वालों ने संस्कृत का इतना अधिक सहारा लिया है कि बेचारी हिन्दी तो दब कर रह गई.

संसार की भाशाओं के इतिहास से पता चलता है कि जब तक कोई भाशा किसी प्राचीन भाशा की शब्दावली के बोझ से दबी रहती है तब तक वह कभी तरक्क़ी नहीं कर पाती. मिसाल के लिये जब तक अंगरेज़ी भाशा लातीनी, यूनानी जैसी पुरानी भाशाओं के बोझ से दबी रही, वह तरक्क़ी न कर सकी. जब शेक्सपियर और उसके साथियों ने उस पर से इन भाशाओं का जुआ उतार फेंका उसके बाद ही अंगरेजी भाशा ऐसी फली फूली कि आज संसार की भाशाओं में उसका नाम सबसे आगे लिया जाता है. अब अगर अंगरेजी

भाशा के सब चालू शब्दों को निकाल कर उनकी जगह लातीनी और यूनानी के शब्द भर दिये जांय और उनके रूप भी लातीनी और यूनानी के व्याकरन के अनुसार बनाए जांय तो अंगरेजी भाशा का क्या हाल होगा यह हम सहज ही में समझ सकते हैं. सरकार की ओर से निकले हिन्दी अनुवाद की भाशा कुछ ऐसी ही हो गई है. 'मिलावट' की जगह 'अपमिश्रण', 'गोद लेना' की जगह 'दत्तकग्रहण,' 'कम करना' की जगह 'अल्पीकरण', 'दिवाला' (Insolvency) की जगह 'शोधाक्षमता', 'इकहरे बदलते वोट' (Single transferable vote) की जगह 'एकल संक्रमणीय मत', 'परची' (Ballot) की जगह 'शलाका', 'बुढ़ापा पेनशन' (Old age pension) की जगह 'वार्धक्य निवृत्ति वेतन', 'साख' (Credit) की जगह 'आकलन', 'बेवसीयती' (Intestacy) की जगह 'इच्छापत्रहीनत्व', 'उधार लेना' की जगह 'उद्धारग्रहण', 'किया माना गया' की जगह 'कर्तुमभिप्रेत', 'जुआ' की जगह 'द्यूत', 'तखमीना' (Estimate) की जगह 'प्राक्कलन', 'इस काम से' की जगह 'एतद्द्वारा', 'मिलीजुली कलचर' (Composite culture) की जगह 'सामाजिक (?) संस्कृति', इसी तरह के सैकड़ों नहीं हजारों शब्द इस अनुवाद में भरे पड़े हैं.

इससे हिन्दी की हमें कोई भलाई होती दिखाई नहीं देती. इस तरह की भाशा भारत की मिली जुली कलचर को तो किसी भी तरह जाहिर नहीं करती. वह न कहीं बोली जाती है और न देश के किसी भाग की भाशा है. उसे समझने में तो क्या पढ़ने में भी कश्ट होता है. फिर उसमें हिन्दी हिन्दुस्तानी की रवानी और उसके मुहाविरे आ ही कैसे सकते हैं.

अंगरेजी मूल को ही देखिये कि उसे शुरू से आखिर तक पढ़ जाइये और शायद एक बार भी आपको किसी शब्द के माने समझने के लिये कोश का सहारा नहीं लेना पड़ेगा और इस अनुवाद को देखिये कि बिना अंगरेजी मूल को देखे और पग पग पर उसकी शब्दावली का सहारा लिये इसका समझना लगभग असम्भव है.

जनता की जरूरत और इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए हिन्दुस्तानी कलचर सोसाइटी ने यह मुनासिब समझा कि हमारे

विधान का एक ऐसा अनुवाद तैयार किया जाय जिसकी भाशा वही हो जो विधान की दफा 343 और 351 में बताई गई है, जिसमें अंगरेजी मूल का अर्थ ज्यों का त्यों आ जाय और जिसे देश की जनता पढ़ सके और समझ सके.

हमारे अनुवाद करने वालों ने भाशा की सरलता और मुहाविरे का तो ध्यान रखा ही है उनकी यह भी कोशिश रही है कि अंगरेजी मूल का हर शब्द और हर वाक्य जिन मानों मे आया है ठीक वही माने अनुवाद में भी आ जांय. इसके लिये यह जरूरी नहीं कि एक अंगरेजी शब्द के लिये हर जगह एक ही हिन्दी का शब्द रखा जाय. शब्दों के ठीक ठीक माने प्रसंग से ही जाने जाते हैं. अंगरेजी मूल में कई जगह एक एक शब्द कई कई अर्थों में आया है. हिन्दी में उसका एक ही शब्द से अर्थ करने में अर्थ का अनर्थ हो सकता था. इसलिये अनुवाद करने वालों ने कहीं कहीं एक अंगरेजी शब्द के लिये, जहां जैसा जंचा, एक से अधिक हिन्दी शब्द रखे हैं, जैसे—'public service' में पबलिक का अर्थ 'सरकारी' है तो 'public welfare' में पबलिक का अर्थ 'जनता की', 'civil court' में 'civil' का अर्थ 'दीवानी' है तो 'civil service' में 'civil' का अर्थ 'नागरी' है, 'adopt' का अर्थ कहीं 'गोद लेना' है तो कहीं 'अपनाना', 'constitution' का अर्थ कहीं 'विधान' है तो कहीं 'बनावट'. फिर भी अनुवादकों ने यह कोशिश की है कि जहां तक हो सके एक अंगरेजी शब्द के लिये एक ही हिन्दी शब्द आवे .

इंडिया का अनुवाद 'भारत' और 'हिन्द' दोनों किया गया है. इस विधान के आरंभ होने से पहले वाले 'इंडिया' को अनुवादकों ने 'हिन्द' कहा है, और जहां कहीं इंडिया का मतलब उस पूरे देश से है जिसमें भारत और पाकिस्तान दोनों शामिल थे वहां भी इंडिया का अर्थ 'हिन्द' किया गया है. और सब जगह 'भारत' अर्थ किया गया है.

गवरनर शब्द का अर्थ 'रियासतपति' किया गया है, पर विधान के आरंभ होने से पहले के सूबों के गवरनरों को गवरनर ही कहा गया है.

विधान के भाग पांच और भाग छै की बहुत सी दफ़ाएँ मिलती जुलती हैं. अनुवाद में इन दोनों भागों की जवाबी दफ़ाओं का जहां तक ठीक समझा गया एक सा अनुवाद किया गया, पर भाग छै की कुछ दफ़ाओं के अनुवाद की वाक्य रचना में कहीं कहीं अन्तर भी है क्योंकि शुरू के फ़ार्म छप जाने के बाद अनुवादकों को बाद की वाक्य रचना ज्यादा अच्छी मालूम हुई. इससे मतलब में ज़रा भी फ़रक़ नहीं पड़ा है. इसी तरह की एक दो मिसालें और भी हैं.

जहां तक हो सका अनुवाद करने वालों ने उन शब्दों से काम लिया है जो उत्तर भारत में आम तौर पर बोले और समझे जाते हैं. दूसरी प्रांतीय भाशाओं के भी चालू शब्द जहां तहां लिये गए हैं. यूनानी, अंगरेज़ी, फ़रांसीसी, पुर्तगाली, तुर्की, फ़ारसी, अरबी जैसी भाशाओं के जो शब्द हिन्दी में चल पड़े हैं और देश के कोने कोने में समझे जाते हैं, उनसे भी इस अनुवाद में काम लिया गया है.

आज अंगरेज़ी भाशा संसार की सब भाशाओं से आगे है. उसका मूल कारन यही है कि अंगरेज़ी लेखक संसार की लगभग सभी भाशाओं से शब्द लेकर अपने शब्द भंडार को बढ़ाने में कभी नहीं हिचके. अंगरेज़ी भाशा का मूल आधार पुरानी जर्मैनिक भाशा का एक अंग पुरानी सेक्सन भाशा है, पर आजकल की अंगरेज़ी के तीन चौथाई से भी अधिक शब्द दूसरी भाशाओं से लिये हुए हैं, जिनमें अरबी, तुर्की, चीनी, जापानी, हिन्दुस्तानी और अफ़्रीकी भाशाएँ भी शामिल हैं. अंगरेज़ी में हिन्दुस्तानी से लिये शब्दों की गिनती अब हज़ारों में होती है और इन शब्दों को सिर्फ़ आम बोल चाल की भाशा में ही नहीं क़ानूनी भाशा तक में जगह मिल गई है. इन शब्दों को अंगरेज़ी ने अपने अन्दर पूरी तरह पचा लिया है. हिन्दी में भी यह पाचन शक्ति हमेशा से थी और है. आज हमें इस पाचन शक्ति को क़ायम रखना और बढ़ाना है. पड़ौसी प्रान्तों की भाशाओं से तो बहुत कुछ हिन्दी ने लिया ही है इसे दक्खिन की भाशाओं से भी अभी बहुत कुछ लेना है. और जैसे जैसे नए भारत का संसार के दूसरे देशों से मेल जोल

बढ़ता जायगा वैसे वैसे चीनी, जापानी, बर्मी, श्यामी, हिन्दचीनी, इन्डोनेशी आदि भाशाओं के शब्द भंडार भी हिन्दी के लिये खुल जांयगे और हिन्दी के लेखकों को जहां तक भी हो सके उनसे लाभ उठाने की कोशिश करनी होगी. हिन्दी का जो विशाल भवन तैयार हो रहा है उसके दरवाज़े हमें बन्द नहीं खोल कर रखने होंगे जिससे उसमें हमेशा ताज़ा हवा आती रहे.

शब्दों के चुनने में अनुवाद करने वालों ने एक और सिद्धान्त का भी ध्यान रखा है. एक ही माने रखने वाले अलग अलग मूल के दो शब्द कभी कभी अलग अलग मानो में इस्तेमाल होने लगते हैं. इससे भाशा की शक्ति बढ़ती है. हिन्दी में भी एक ही अर्थ रखने वाले अलग अलग मूल के अनेक शब्द हैं. उन्हें विशेश मानों में लगाना अब हमारा काम है. अनुवाद करने वालों ने इस तरह के कुछ शब्दों को अलग अलग मानी में बरता है, जैसे :— Rule—नियम; Regulation—क़ायदा; Article—दफ़ा; Clause—धारा; Minister—वज़ीर; Secretary—मंत्री; Road—सड़क; Way—मार्ग.

हिन्दी का धातु भंडार अथाह है. पर शब्द भंडार अभी इतना बड़ा नहीं है कि आजकल के सब विचारों और पदार्थों के लिये काफ़ी हो. इसलिये नए शब्द बनाना भी ज़रूरी हो जाता है. इसके लिये संस्कृत, अरबी, लातीनी, यूनानी जैसी प्राचीन भाशाओं से तत्सम शब्द ले लेना या उनके व्याकरन की मदद से बना लेना सहल है पर यह वही मार्ग है जिसे हम 'कन्ने काटना' (escapism) कहते हैं. किसी भी जीती जागती भाशा के लिये यह विनाश का मार्ग है. जहां ज़रूरत हो वहां हम संस्कृत से और दूसरी भाशाओं से भी शब्द ले सकते हैं पर जो शब्द हम बनाएँ वह हमारे मुहाविरे और हमारे व्याकरन के अनुकूल होने चाहिएं. अनुवाद करने वालों ने इसी सिद्धान्त पर कुछ नए शब्द बनाए हैं, जैसे:—Adjustment—बैठबिठाव; Successor—पदगाही; International—अन्तरक़ौमी; Corporation—एकतनी; Entry—अन्तरी; Contingency—जोगाजोग; Import—आयासी; Export—निकासी; Appointment—नियोजन.

कुछ पुरानी ध्वनियां जैसे ञ, ण, ष ब्रजभाशा आदि में और खड़ी बोली में क्रम से अनुस्वार, नकार और 'श', 'स' या 'ख' की ध्वनियों में बदल गई हैं और बदलती जा रही हैं. जब हिन्दी की खड़ी बोली में संस्कृत तत्सम शब्दों की बाढ़ आई तभी से यह ध्वनियां संस्कृत तत्सम शब्दों के रास्ते हिन्दी में फिर रख दी गईं, पर अब भी हम इनको आम बोल चाल में नहीं बोलते. 'कञ्चन' को 'कंचन', 'कारण' को 'कारन', रोष को 'रोश', 'विष' को 'बिस' और 'वर्षा' को 'बरखा' कहते ही हैं. इसीलिये अनुवादकों ने इन ध्वनियों को नहीं रखा. उन्होंने इनका चालू रूप अपनाया है. इससे शब्दों के बोलने में मदद मिलती है और लिखावट भी काफ़ी सरल हो जाती है.

हमारी पहल बात कुछ लम्बी हो गई पर यह सब इसलिये लिखा गया है कि भाशा के संबंध में तरह तरह के विचार लोगों में फैल रहे हैं. हिन्दी एक भाशा है और उन सबकी है जो उसे बोलते हैं. इस भाशा को ऐसा रूप नहीं देना चाहिये कि फिर वह इने गिने आदमियों की ही चीज रह जाय. यह भाशा सैकड़ों बरस से भारत के बड़े भाग की भाशा रही है और अब यह सारे देश की अन्तर-रियासती भाशा है या होने जा रही है. विधान की दफ़ा 351 में इस भाशा के सम्बन्ध में हमें वह बीज नज़र आते हैं जिनको अगर सचाई से और ठीक ठीक पानी मिलता रहा तो भारत की सूबाई और फ़िरक़ावारी गुटबन्दी मिट कर भारत के लोग सच्चे मानों में एक 'नेशन' का रूप ले सकेंगे. बोली जिस तरह आदमी आदमी को पास लाती है उसी तरह आदमी आदमी को दूर भी कर सकती है. जाने अनजाने मुद्दतों से जगह जगह यह रीत चली आई है कि हुकूमत और पंडित लोग कुछ और बोली बोलते हैं और जनता कुछ और. इस तरह बोली के दो रूप हो जाते हैं. हुकूमत और पंडित तो जनता की बोली समझते हैं पर जनता उनकी बहुत कम बात समझ पाती हैं. हो सकता है यह ढंग उस समय काम देता हो जब देशों की बागडोर राजाओं और रईसों के हाथ में हुआ करती थी और विद्या पर पंडितों का इजारा था. अब

जब कि हुकूमत की बागडोर क़ानूनी रूप से जनता के हाथ में मान ली गई है तब सरकार और जनता की दो अलग अलग बोलियों का होना बेजा और बड़ी ख़तरनाक बात है. जनता की बोली में ही हमारा अधिक से अधिक काम होना चाहिये. जनता का दिया विधान भी जनता की बोली में ही होना चाहिये. सरकार का सारा काम भी जहां तक हो सके उसी बोली में किया जाना चाहिये. विधान की दफ़ा 351 इसी सचाई को ध्यान में रख कर बनाई गई है.

अगर हिन्दी को सचमुच केवल दफ़्तरी भाशा से बढ़ते बढ़ते क़ौमी और अन्तरक़ौमी भाशा बनना है और फलना फूलना है और संसार की बड़ी बड़ी भाशाओं में अपना स्थान लेना है तो इसको खुली हवा में पनपना होगा, दूसरी देशी और विदेशी भाशाओं के साथ अपना मेलजोल बढ़ाना होगा और बिना हिचक नये शब्द, नए वाक्य और नए मुहाविरे अपने ढंग पर ढाल कर अपने अन्दर समाने होंगे. यही इसकी तरक्क़ी का रास्ता है, यही कल्यान का मार्ग.

हम मानते हैं कि हमारे इस अनुवाद में भी सुधार की गुंजाइश है. भाशा के संबंध में विधान सभा ने विधान के अन्दर जो कुछ तय किया है उसके अनुसार हिन्दी को अभी बढ़ना और रूप लेना है. उसके दरवाज़े अभी पूरी तरह खुले रखे गए हैं. अभी उसकी न कोई शैली आख़िरी शैली है और न कोई शब्दावली आख़िरी शब्दावली है. आगे के लिये यही एक उम्मीद का रास्ता है. इसीलिये हम विधान के इस अनुवाद को सरकार और जनता के सामने रख रहे हैं ताकि इसे पढ़कर देश के बहुत से लोग अपने विधान को समझ सकें और हमारे अनुवाद करनेवालों की यह छोटी सी कोशिश हिन्दी को क़ानूनी और क़ौमी रूप देने और बढ़ाने में सरकार और जनता दोनों को थोड़ी बहुत मदद दे सके.

सुंदरलाल
मंत्री हिन्दुस्तानी कल्चर सोसाइटी

40-A, हनुमान रोड,
नई दिल्ली.
15 अगस्त, 1950.

पढ़ने वालों से

सफ़ा 34, दफ़ा 78 में "बड़े वज़ीर" की जगह "प्रधान वज़ीर" पढ़िये. सफा 52, दफ़ा 112 (3) (सी) में "बट्टे खाते का खर्च" की जगह "क़रज़ा चुकाई कोश खर्च" पढ़िये. सक़त भर देखभाल के बाद भी अगर कहीं छापे आदि की भूलें रह गई हों तो सुधार लेने की कृपा करें.

भारत का विधान

ब्योरा

भाग तीन

मूल अधिकार

आम

भाग चार

राज की नीति के निर्देशक सिद्धान्त

भाग पाँच

यूनियन

खंड एक—काजकारी

राजपति और उप-राजपति

खंड पांच—भारत का दाब अफसर और सर पड़तालिया

दफ़ा		सफ़ा

खंड तीन—रियासत की क़ानून सभा

आम

रियासत की क़ानून सभा के अफ़सर

भाग नौ

पहली पट्टी के भाग (डी) के भूभाग और वह दूसरे भूभाग जो उस पट्टी में दर्ज नहीं हैं

भाग दस

पट्टी-दर्ज छेत्र और क़बायली छेत्र

भाग ग्यारह

यूनियन और रियासतों के बीच सम्बन्ध

खंड एक—क़ानूनकारी सम्बन्ध

क़ानूनकारी शक्तियों का बटवारा

दफ़ा सफ़ा

भाग बारह

माल, जायदाद, ठेके और नालिशें

खंड एक—माल

आम

भाग तेरह

भारत के भूभाग के अन्दर व्योपार, तिजारत और अन्तर-व्योहार

भाग चौदह

यूनियन और रियासतों के अधीन नौकरियां

खंड एक—नौकरियां

भाग सोलह

कुछ जमातों से संबंध रखने वाले ख़ास बन्धान

भाग सतरह

दफ़्तरी भाशा

खंड एक—यूनियन की भाशा

खंड दो

इलाक़ा भाशाएं

खंड तीन—आला अदालत, हाईकोर्टों वग़ैरा की भाशा

खंड चार—ख़ास निर्देश

भाग अठारह

अचानकी बन्धान

भाग उन्नीस

फुटकर

भाग बीस

विधान में सुधार

भाग इक्कीस

आरज़ी और बिचवक्ती बन्धान

भाग बाईस

छोटा सरनामा, आरंभ, और रद्द

पट्टियां

भारत का विधान

भारत का विधान

हम भारत के लोग गम्भीरता के साथ निश्चय करके कि भारत को ख़ुद-मालिक लोकशाही जनराज बनाया जाय, और उसके सब नागरों के साथ :

सरलेख

इनसाफ़ हो, समाजी, धन-दौलती, और राजकाजी;

सबको

आज़ादी हो, विचारों की, उन्हें ज़ाहिर करने की, विश्वास, धर्म और पूजा बंदगी की;

सबको

बराबरी का दरजा और बराबरी के मौक़े मिलें; और

सबमें

भाईचारा बढ़े, जिससे हर आदमी का मान और क़ौम की एकता बनी रहे;

अपनी विधान सभा में, नवम्बर उन्नीस सौ उनंचास के इस छब्बीसवें दिन, आज की इस कारवाई से, इस विधान को अपनाते हैं, क़ानून बनाते हैं, और ख़ुद अपने को देते हैं.

भाग एक

यूनियन और उसका भूभाग

यूनियन का नाम और भूभाग

1—(1) इंडिया यानी भारत रियासतों का एक यूनियन होगा.

(2) रियासतें और उनके भूभाग वह रियासतें और उनके भूभाग होंगे जो पहली पट्टी के भाग (ए), (बी) और (सी) में दर्ज हैं.

(3) भारत के भूभाग में—

(ए) रियासतों के भूभाग,

(बी) वह भूभाग जो पहली पट्टी के भाग (डी) में दर्ज हैं, और

(सी) दूसरे ऐसे भूभाग जिन्हें हासिल कर लिया जाय,

शामिल होंगे.

नई रियासतों को दाखिल करना या क़ायम करना

2—राजपंचायत, क़ानून बनाकर, जिन बन्धनों और शर्तों पर ठीक समझे, नई रियासतों को यूनियन में दाखिल कर सकती है या नई रियासतें क़ायम कर सकती है.

नई रियासतों का बनाना और मौजूदा रियासतों के छेत्रों, सीमाओं या नामों को बदलना

3—राजपंचायत क़ानून बनाकर—

(ए) किसी रियासत का कोई भूभाग उससे अलग करके, या दो या दो से अधिक रियासतों को या उनके भागों को मिलाकर, या किसी भूभाग को किसी रियासत के किसी भाग से मिलाकर, एक नई रियासत बना सकती है;

(बी) किसी रियासत का छेत्र बढ़ा सकती है;

(सी) किसी रियासत का छेत्र घटा सकती है;

(डी) किसी रियासत की सीमाएँ बदल सकती है;

(ई) किसी रियासत का नाम बदल सकती है :

शर्तें कि इस मतलब के लिये कोई बिल राजपंचायत के किसी सदन में नहीं रखा जायगा जब तक कि राजपति उसकी सिफ़ारिश न करे और जब तक कि, जहां उस बिल में आए हुए सुझाव से पहली पट्टी के भाग (ए) या भाग (बी) में दर्ज किसी रियासत या रियासतों की सीमाओं पर या नाम या नामों पर असर पड़ता है

वहां, राजपति ने उस बिल को रखने के सुझाव और बिल के बन्धानों दोनों के बारे में उस रियासत की या, जैसी सूरत हो, उनमें से हर रियासत की क़ानून सभा का मत मालूम न कर लिया हो.

दफ़ा 2 और 3 के अधीन बने क़ानूनों में पहली और चौथी पट्टी के सुधार के लिये और पूरक, प्रसंगी और परिनामी मामलों के लिये बंधान

4—(1) हर ऐसे क़ानून में जिसकी चरचा दफ़ा (2) या दफ़ा (3) में की गई है पहली पट्टी और चौथी पट्टी में सुधार करने के लिये ऐसे बंधान रहेंगे जो उस क़ानून के बंधानों पर अमल कराने के लिये जरूरी हों, और उसमें ऐसे पूरक, प्रसंगी या परिनामी बंधान भी रह सकेंगे जिन्हें राजपंचायत जरूरी समझे (राजपंचायत के या उस रियासत या उन रियासतों की क़ानून सभा या क़ानून सभाओं के प्रतिनिधान संबंधी बन्धानों समेत जिस रियासत या रियासतों पर उस क़ानून का असर पड़ता हो).

(2) ऊपर कहे किसी क़ानून को दफ़ा 368 के मतलबों के लिये इस विधान का सुधार नहीं समझा जायगा.

भाग दो

नम्मरता

विधान के आरम्भ होने पर नागरता

5—इस विधान के आरंभ होने पर हर वह आदमी जिसका भारत के भूभाग में निवास है और—

(ए) जो भारत के भूभाग में पैदा हुआ था; या

(बी) जिसके माँ बाप में से कोई भारत के भूभाग में पैदा हुआ था, या

(सी) जो विधान के आरम्भ से ठीक पहले कम से कम पांच बरस तक आम तौर पर भारत के भूभाग में रहता रहा है,

भारत का नागर होगा.

कुछ ऐसे लोगों के नागरता के अधिकार जो पाकिस्तान से भारत में आ बसे हैं

6—दफ़ा 5 में किसी बात के रहते भी, हर वह आदमी, जो उस भूभाग से जो इस समय पाकिस्तान में शामिल है भारत के भूभाग में आ बसा है, इस विधान के आरंभ होने पर भारत का नागर समझा जायगा, अगर—

(ए) वह या उसके माँ बाप में से या उसके दादा दादी या नाना नानी में से कोई उस हिन्द में पैदा हुआ था, जिसकी परिभाषा हिन्द सरकार एक्ट, 1935, में (जैसा वह एक्ट शुरू में बना था) की गई है; और

(बी) (एक) उस सूरत में जब कि वह आदमी जुलाई 1948 के उन्नीसवें दिन से पहले इस तरह आ बसा है, अपने आ बसने की तारीख से वह आम तौर पर भारत के भूभाग में रहता रहा है, या

(दो) उस सूरत में जब कि वह आदमी जुलाई 1948 के उन्नीसवें दिन या उसके बाद इस तरह आ बसा है, उसने, इस विधान के आरंभ होने से पहले, उस रूप में और उस ढंग से जो हिन्द डोमिनियन की सरकार ने तय कर दिया हो, एक अरजी हिन्द का नागर होने के

लिये उस अफ़सर को दी हो, जिसे हिन्द डोमिनियन की सरकार ने इस काम के लिये नियोजा हो, और उस अफ़सर ने उसे हिन्द का नागर रजिस्टर कर लिया हो :

शर्ते कि किसी आदमी की इस तरह रजिस्टरी नहीं की जायगी जब तक कि वह अपनी अरज़ी की तारीख से ठीक पहले कम से कम छै महीने तक भारत के भूभाग में न रह चुका हो.

पाकिस्तान में जा बसने वाले कुछ लोगों के नागरता के अधिकार

7—दफ़ा 5 और 6 मे किसी बात के रहते भी, कोई आदमी जो मार्च 1947 के पहले दिन के बाद भारत के भूभाग से उस भूभाग में जा बसा है जो इस समय पाकिस्तान में शामिल है, भारत का नागर नहीं समझा जायगा :

शर्ते कि इस दफ़ा की कोई बात उस आदमी पर लागू नहीं होगी, जो उस भूभाग में जो इस समय पाकिस्तान में शामिल है इस तरह जा बसने के बाद, एक ऐसे परमिट के अधीन भारत के भूभाग में लौट आया है, जो फिर बसने या पक्की वापिसी के लिये किसी क़ानून के अधिकार से या उसके अधीन जारी किया गया हो, और दफ़ा 6 की धारा (बी) के मतलबों के लिये यह समझा जायगा कि हर ऐसा आदमी जुलाई 1948 के उन्नीसवें दिन के बाद भारत के भूभाग में आ बसा है.

भारत के बाहर बसने वाले हिन्दी निकास के कुछ लोगों के नागरता के अधिकार

8—दफ़ा 5 में किसी बात के रहते भी, हर वह आदमी जो खुद या जिसके मां बाप में से या दादा दादी या नाना नानी में से कोई उस हिन्द में पैदा हुआ था, जिसकी परिभाशा हिन्द सरकार एक्ट, 1935, में (जैसा वह एक्ट शुरू में बना था) की गई है, और जो, आमतौर पर, इस तरह बताए हिन्द के बाहर किसी देश में रहता हो, भारत का नागर समझा जायगा अगर उसने, इस विधान के आरंभ से पहले या उसके बाद में एक अरज़ी उस रूप में और उस ढंग से जो हिन्द डोमिनियन की सरकार ने या भारत सरकार ने इस मतलब के लिये तय कर दिया हो, जिस देश में वह उस समय रह रहा हो, वहाँ पर भारत के राजदूती या बनिजदूती प्रतिनिधि को, भारत का नागर बनने के लिये दी हो, और उस राजदूती या बनिजदूती प्रतिनिधि ने उसे भारत का नागर रजिस्टर कर लिया हो.

अपनी मरज़ी से किसी विदेशी राज की नागरता हासिल करने वाले लोगों का नागर न होना

9—दफ़ा 5 की रू से कोई आदमी भारत का नागर नहीं होगा, न दफ़ा 6 या दफ़ा 8 की रू से भारत का नागर समझा जायगा, अगर उसने अपने मरजी से किसी विदेशी राज की नागरता हासिल कर ली है.

नागरता के अधिकारों का जारी रहना

10—हर वह आदमी, जो इस भाग में ऊपर-लिखे बंधानों में से किसी के अधीन भारत का नागर है या समझा जाता है, भारत का नागर बना रहेगा, पर यह बात ऐसे हर क़ानून के बंधानों का ध्यान रखते हुए होगी जो राजपंचायत बनाए.

राजपंचायत का क़ानून बनाकर नागरता के अधिकार की क़ायदाबन्दी करना

11—इस भाग में ऊपर-लिखे बंधानों की कोई बात राजपंचायत की इस शक्ति को कम नहीं करेगी कि वह नागरता हासिल करने, नागरता खतम होने और नागरता संबंधी दूसरे सब मामलों के बारे में कोई भी बंधान करे.

भाग तीन

मूल अधिकार

आम

परिभाषा

12—जब तक प्रसंग से कुछ और दरकार न हो, इस भाग में "राज" शब्द के अन्दर, भारत की सरकार और भारत की राज-पंचायत, हर रियासत की सरकार और वहाँ की क़ानून सभा, और भारत के भूभाग के अन्दर या भारत सरकार के दबान में सब मुक़ामी या दूसरे अधिकारी, शामिल हैं.

मूल अधिकारों से मेल न खाने वाले या उनको कम करने वाले क़ानून

13—(1) इस विधान के आरम्भ से ठीक पहले जितने क़ानून भारत के भूभाग में अमल में थे वह सब जहाँ तक इस भाग के बंधानों से बेमेल हैं उस बेमेल होने की हद तक रद्द हो जायँगे.

(2) राज कोई ऐसा क़ानून नहीं बनायगा जिससे लोगों के वह अधिकार छिन जायं या उनमें कमी आ जाय जो इस भाग में दिये गए हैं, और जो भी क़ानून इस धारा के खिलाफ़ बनेगा वह, उस खिलाफ़ होने की हद तक रद्द होगा.

(3) इस दफ़ा में जब तक प्रसंग से कुछ और दरकार न हो,—

(ए) "क़ानून" शब्द के अन्दर वह सब राज हुकुम, हुकुम, छुट क़ानून, नियम, क़ायदे, नोटिस, रीत या रिवाज शामिल हैं जो भारत के भूभाग में क़ानून का असर रखते हैं.

(बी) "अमल में क़ानून" के अन्दर वह क़ानून शामिल हैं, जो इस विधान के आरम्भ से पहले भारत के भूभाग के अन्दर किसी क़ानून सभा या किसी दूसरे हक़दार अधिकारी ने पास किये हों या बनाए हों, और जो इससे पहले रद्द न कर दिये गए हों, भले ही ऐसा कोई क़ानून या उसका कोई भाग उस समय बिलकुल या किन्हीं खास छेत्रों में अमल में न हो.

बराबरी का अधिकार

क़ानून के सामने

14—राज, भारत के भूभाग के अन्दर किसी आदमी को, क़ानून

बराबरी

के सामने बराबरी, या क़ानूनों के ज़रिये बराबर की रक्षा, देने से इनकार नहीं करेगा.

धर्म, नसल, जात, जिन्स या जन्म-स्थान की बिना पर भेदभाव की मनाही

15—(1) राज केवल धर्म, नसल, जात, जिन्स, जन्म-स्थान या इनमें से किसी की बिना पर किसी नागर से भेद भाव नहीं करेगा.

(2) कोई नागर केवल धर्म, नसल, जात, जिन्स, जन्म-स्थान या इन में से किसी की बिना पर नीचे लिखी बातों के बारे में किसी तरह की असकत, देनदारी, रुकावट या शर्त के अधीन न होगा :—

(ए) दुकानों, आम जलपान घरों, होटलों और आम मनोरंजन की जगहों में जासकना; या

(बी) ऐसे कुओं, तलाबों, नहानघाटों, सड़कों और आम लोगों के आने जाने की जगहों का इस्तेमाल करना जिनका कुल या कुछ खर्च राज के रुपए से चलता हो या जो आम जनता के इस्तेमाल से लिये दे दी गई हों.

(3) इस दफ़ा की कोई बात राज को औरतों और बच्चों के लिये कोई खास बंधान करने से नहीं रोकेगी.

सरकारी कामगारी के मामलों में बराबरी के मौक़े

16—(1) राज के अधीन कामगारी से या किसी पद पर नियोजन से संबंध रखनेवाले मामलों में सब नागरों को बराबर के मौक़े मिलेंगे.

(2) कोई नागर केवल धर्म, नसल, जात, जिन्स, वंश, जन्मस्थान, रिहाइश या इनमें से किसी की बिना पर राज के अधीन किसी कामगारी या पद के लिये अपात्र नहीं होगा न उससे भेदभाव किया जायगा.

(3) इस दफ़ा की कोई बात राजपंचायत को कोई ऐसा क़ानून बनाने से नहीं रोकेगी जिससे पहली पट्टी में दर्ज किसी रियासत के अधीन, या उस रियासत के भूभाग के अन्दर किसी मुकामी या दूसरे अधिकारी के अधीन, किसी क़िस्म या क़िस्मों की कामगारी के, या किसी पद पर नियोजन के, संबंध में, काम मिलने या नियोजन होने से पहले, उस रियासत के अन्दर रिहाइश की कोई शर्त हो.

(4) इस दफ़ा की कोई बात राज को नागरों की किसी ऐसी पिछड़ी हुई जमात के लिये नियोजनों या जगहों को अलग रखने का कोई बन्धान करने से नहीं रोकेगी जिसके, राज की राय में, राज के अधीन नौकरियों में काफ़ी प्रतिनिधि नहीं हैं.

(5) इस दफ़ा की किसी बात का किसी ऐसे क़ानून के अमल पर कोई असर नहीं होगा जो यह बन्धान करता है कि किसी धार्मिक या फ़िरक़ेवाराना संस्था के मामलों से संबंध रखने वाले किसी पद पर जो आदमी हों या उस संस्था की प्रबंध कमेटी का जो मेम्बर हो वह एक विशेश धर्म का माननेवाला या विशेश फ़िरक़े का ही हो.

अछूतपन का अन्त

17—'अछूतपन'' का अन्त किया जाता है, और किसी रूप में भी अछूतपन बरतने की मनाही की जाती है. अछूतपन की बिना पर किसी को ज़बरदस्ती किसी असकत के अधीन रखना जुर्म होगा जिसकी सज़ा क़ानून के अनुसार दी जा सकेगी.

ख़िताबों का अन्त

18—(1) फ़ौजी या तालीमी संस्थाओं संबंधी उपाधियों को छोड़कर राज कोई ख़िताब नहीं देगा.

(2) भारत का कोई नागर किसी विदेशी राज से कोई ख़िताब स्वीकार नहीं करेगा.

(3) कोई आदमी जो भारत का नागर नहीं है, जब तक वह राज के अधीन किसी लाभ या भरोसे के पद पर है, राजपति की अनुमति बिना, किसी विदेशी राज से कोई ख़िताब स्वीकार नहीं करेगा.

(4) कोई आदमी जो राज के अधीन किसी लाभ या भरोसे के पद पर है, राजपति की अनुमति बिना किसी विदेशी राज से या उसके अधीन कोई भेंट, वेतन, या किसी तरह का पद स्वीकार नहीं करेगा.

आज़ादी का अधिकार

बोलने वग़ैरा की आज़ादी के बारे में कुछ अधिकारों की रक्षा

19—(1) सब नागरों को नीचे लिखे अधिकार होंगे :

(ए) बोलने और विचार ज़ाहिर करने की आज़ादी का;
(बी) शांति से और बिना हथियार इकट्ठे होने का;
(सी) सभाएँ या यूनियनें बनाने का;
(डी) भारत के सारे भूभाग में आज़ादी से आने जाने का;
(ई) भारत के भूभाग के किसी हिस्से में बसने और बस जाने का;

(एफ़) जायदाद हासिल करने, रखने और दे देने का; और
(जी) कोई पेशा अपनाने, या कोई धंधा, व्योपार या कारबार करने का.

(2) धारा (1) की उप-धारा (ए) की किसी बात का किसी मौजूदा क़ानून के अमल पर वहाँ तक कोई असर नहीं होगा जहाँ तक कि उस क़ानून का संबंध अपमान-लेख, अपमान-वचन, मान-हानि, अदालत की तौहीन या ऐसे किसी मामले से है जो भलमंसी या सदाचार के खिलाफ़ है या जो राज की सुरक्षा की जड़ खोखली करता है, या जिसका झुकाव राज को उलट देने की तरफ़ है, और न उस उप-धारा की किसी बात से राज को कोई ऐसा क़ानून बनाने से रोका जा सकेगा जिसका संबंध इन में से किसी से हो.

(3) उस धारा की उप-धारा (बी) की किसी बात का किसी मौजूदा क़ानून के अमल पर वहाँ तक कोई असर नहीं होगा जहां तक वह क़ानून जन-व्यवस्था के हितों में उस अधिकार से काम लेने पर उचित रुकावटें लगाता है जो उस उप-धारा में दियागया है, और न उस उप-धारा की किसी बात से राज को कोई ऐसा क़ानून बनाने से रोका जा सकेगा.

(4) उस धारा की उप-धारा (सी) की किसी बात का किसी मौजूदा क़ानून के अमल पर वहाँ तक कोई असर नहीं होगा जहां तक वह क़ानून जन-व्यवस्था या सदाचार के हितों में उस अधिकार से काम लेने पर उचित रुकावटें लगाता है जो उस उप-धारा में दिया गया है, और न उस उप-धारा की किसी बात से राज को कोई ऐसा क़ानून बनाने से रोका जा सकेगा.

(5) उस धारा की उप-धारा (डी), (ई), और (एफ़) की किसी बात का किसी मौजूदा क़ानून के अमल पर वहाँ तक कोई असर नहीं होगा जहां तक वह क़ानून आम जनता के हितों में या किसी पछी-दर्जे क़बीले के हितों की रक्षा के लिये उन अधिकारों में से किसी से भी काम लेने पर उचित रुकावटें लगाता है जो उन उप धाराओं में दिये गए हैं, और न उन उप-धाराओं की किसी बात से राज को कोई ऐसा क़ानून बनाने से रोका जा सकेगा.

(6) उस धारा की उप-धारा (जी) की किसी बात का

किसी मौजूदा क़ानून के अमल पर वहाँ तक कोई असर नहीं होगा जहाँ तक वह क़ानून आम जनता के हितों में उस अधिकार से काम लेने पर उचित रुकावटें लगाता है जो उस उप-धारा में दिया गया है, और न उस उप-धारा की किसी बात से राज को कोई ऐसा क़ानून बनाने से रोका जा सकेगा; और, विशेश कर, इस उप-धारा की किसी बात का किसी मौजूदा क़ानून के अमल पर वहाँ तक कोई असर नहीं होगा जहाँ तक वह क़ानून ऐसी पेशे-संबंधी या तकनीकी जोगताएँ तय करता है या किसी अधिकारी को उनके तय करने की शक्ति देता है जो किसी पेशे को अपनाने या कोई धन्धा, ब्योपार या कारबार करने के लिये ज़रूरी हों, और न उस उप-धारा की किसी बात से राज को कोई ऐसा क़ानून बनाने से रोका जा सकेगा.

जुर्मों का दोशी ठहराए जाने के बारे में रक्षा

20—(1) कोई आदमी किसी जुर्म का दोशी नहीं ठहराया जायगा, जब तक कि वह किसी ऐसे क़ानून को न तोड़े जो जुर्म बताए जाने वाले काम के करने के समय अमल में था, और न उसे उससे अधिक दंड दिया जा सकेगा जो उस जुर्म के करने के समय अमल में रहने वाले क़ानून के अधीन दिया जा सकता था.

(2) किसी आदमी पर एक ही जुर्म के लिये एक बार से अधिक न मुक़दमा चलाया जायगा न एक बार से अधिक सज़ा दी जायगी.

(3) किसी आदमी को, जिस पर कोई जुर्म लगाया गया हो, अपने खिलाफ़ गवाही देने पर मजबूर नहीं किया जायगा.

जान और निजी स्वतंत्रता की रक्षा

21—न किसी आदमी की जान ली जायगी और न किसी की निजी स्वतंत्रता छीनी जायगी सिवाय जब कि क़ानून के क़ायम किये हुए दस्तूर के अनुसार ऐसा किया जाय.

कुछ सूरतों में गिरफ़्तारी और नज़रबन्दी से रक्षा

22—(1) किसी ऐसे आदमी को जो गिरफ़्तार किया जाय, जितनी जल्दी हो सके, उसकी गिरफ़्तारी की बिना बताए बग़ैर, न हिरासत में रखा जायगा और न अपनी पसंद के वकील से सलाह करने और अपनी सफ़ाई दिलाने के उसके अधिकार से इनकार किया जायगा.

(2) हर आदमी को जिसे गिरफ़्तार किया जाय और हिरासत में रखा जाय, उसकी गिरफ़्तारी से चौबीस घंटे के अन्दर अन्दर पास से पास वाले मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जायगा.

इस चौबीस घंटे में गिरफ्तारी की जगह से मजिस्ट्रेट की अदालत तक सफ़र के लिये जो समय जरूरी होगा वह नहीं गिना जायगा, और मजिस्ट्रेट के हुकुम के बिना किसी ऐसे आदमी को इस अरसे के बाद हिरासत में नहीं रखा जायगा.

(3) धारा (1) और (2) की कोई बात नीचे लिखे आदमियों पर लागू नहीं होगी :

(ए) किसी ऐसे आदमी पर जो उस समय शत्रु और विदेशी हो; या

(बी) किसी ऐसे आदमी पर जो रोकथामी नजरबन्दी के लिये बन्धान करने वाले किसी क़ानून के अधीन गिरफ़्तार या नजरबन्द हो.

(4) रोकथामी नजरबन्दी का बन्धान करने वाला कोई क़ानून किसी आदमी के तीन महीने से अधिक अरसे के लिये नजरबन्द रखने का किसी को अधिकार नहीं देगा, जब तक कि—

(ए) एक सलाहकार बोर्ड ने, जिसमें ऐसे आदमी हों जो किसी हाईकोर्ट के जज हैं या रह चुके हैं या नियोजे जाने के जोग हैं, तीन महीने के इस अरसे के बीत जाने से पहले, यह रिपोर्ट न दे दी हो कि उस बोर्ड की राय में ऐसी नजरबन्दी के लिये काफ़ी कारन है :

शर्तेकि इस उप-धारा की कोई बात धारा (7) की उप-धारा (बी) के अधीन राजपंचायत के बनाए किसी क़ानून में जो अधिक से अधिक अरसा बताया गया हो उससे अधिक किसी आदमी को नजरबन्द रखने का किसी को अधिकार नहीं देगी; या

(बी) उस आदमी को धारा (7) की उप-धारा (ए) और (बी) के अधीन राजपंचायत के बनाए किसी क़ानून के बन्धानों के अनुसार नजरबन्द न किया गया हो.

(5) जब किसी आदमी को रोकथामी नजरबन्दी का बन्धान करने वाले किसी क़ानून के अधीन दिये हुए किसी हुकुम की तामील में नजरबन्द किया जाय तो हुकुम देने वाला अधिकारी, जितनी जल्दी भी हो सकेगा, उस आदमी को

सूचना देगा कि वह हुकुम किन बिनाओं पर दिया गया है, और उसको उस हुकुम के खिलाफ़ अरज़ी पत्र देने का जल्दी से जल्दी मौक़ा देगा.

(6) धारा (5) की किसी बात से यह दरकार नहीं होगा कि उस धारा में जिस हुकुम की चरचा की गई है उसे देनेवाला अधिकारी ऐसी बातों को प्रगट करे जिनको प्रगट करना वह जन-हित के खिलाफ़ समझता है.

(7) राजपंचायत क़ानून बनाकर तय कर सकती है कि—

(ए) किन हालतों में, और किस तरह की या किस किस तरह की सूरतों में किसी आदमी को धारा (4) की उप-धारा (ए) के बन्धानों के अनुसार सलाहकार बोर्ड की राय लिये बिना, रोकथामी नज़रबन्दी का बन्धान करनेवाले किसी क़ानून के अधीन, किसी आदमी को तीन महीने से अधिक अरसे के लिये नज़रबन्द रखा जा सकता है;

(बी) रोकथामी नज़रबन्दी का बन्धान करनेवाले किसी क़ानून के अधीन, किस तरह की या किस किस तरह की सूरतों में, किसी आदमी को अधिक से अधिक कितने अरसे के लिये नज़रबन्द रखा जा सकता है; और

(सी) धारा (4) की उप-धारा (ए) के अधीन पूछताछ करने में सलाहकार बोर्ड को किस दस्तूर पर चलना होगा.

शोशन के खिलाफ़ अधिकार

इनसानों के व्यापार और जबरी मज़दूरी की मनाही.

23—(1) इनसानों के व्यापार, और बेगार, और जबरी मज़दूरी के इसी तरह के दूसरे रूपों, की मनाही की जाती है, और इस बन्धान को किसी तरह भी तोड़ना जुर्म होगा जिसकी सज़ा क़ानून के अनुसार दी जा सकेगी.

(2) इस दफ़ा की कोई बात राज को सरकारी कामों के लिये जबरी सेवा लागू करने से नहीं रोकेगी और ऐसी सेवा लागू करने में केवल धर्म, नसल, जात या जमात या इनमें से किसी की बिना पर राज कोई भेदभाव नहीं करेगा.

फ़ैक्टरियों वग़ैरा में बच्चों को काम पर लगाने को मनाही

24—चौदह बरस से कम उमर के किसी बालक को किसी फ़ैक्टरी या खदान में काम पर नहीं लगाया जायगा और न किसी और जोखम के काम पर लगाया जायगा.

धार्मिक आज़ादी का अधिकार

अन्तरात्मा की आज़ादी और किसी धर्म को मानने, उस पर अमल करने और उसका प्रचार करने की आज़ादी

25—(1) जन-व्यवस्था, सदाचार, और तनदुरुस्ती का ध्यान रखते हुए, और इस भाग के दूसरे बन्धानों का ध्यान रखते हुए, सब लोग अन्तरात्मा की अज़ादी के, और अज़ादी के साथ अपने धर्म को मानने, उस पर अमल करने और उसका प्रचार करने के अधिकार के, बराबर के हक़दार हैं.

(2) इस दफ़ा की किसी बात का किसी ऐसे मौजूदा क़ानून के अमल पर असर न होगा, न वह राज को कोई ऐसा क़ानून बनाने से रोकेगी, जो—

(ए) किन्हीं आर्थिक, माली, राजकाजी या दूसरे ऐसे दुनियावी कामों की क़ायदाबन्दी करता है या उन पर रुकावट लगाता है जिनका संबंध किसी धर्म पर अमल करने से है;

(बी) समाज की भलाई और समाज सुधार का, या हिन्दुओं की ऐसी धार्मिक संस्थाओं को जो जनता के लिये हों हिन्दुओं की सब जमातों और सब टुकड़ियों के लिये खोलने का, बन्धान करता है.

समझाव (1)—किरपान रखना और लेकर चलना सिख धर्म को मानने में शामिल समझा जायगा.

समझाव (2)—धारा (2) की उप-धारा (बी) में हिन्दुओं की चरचा में सिख, जैन या बौद्ध धर्म के मानने वालों की चरचा शामिल समझी जायगी, और हिन्दू धार्मिक संस्थाओं की चरचा को भी इसी तरह समझा जायगा.

धार्मिक मामलों का प्रबन्ध करने की आज़ादी

26—जन-व्यवस्था, सदाचार और तन्दुरुस्ती का ध्यान रखते हुए, हर धार्मिक फ़िरक़े या उसकी हर टुकड़ी को अधिकार होगा कि—

(ए) धर्म और खैरात के मतलबों के लिये संस्थाएं क़ायम करे और चलाए;

(बी) धर्म के मामलों में अपने कामों का आप प्रबन्ध करे;

(सी) चल और अचल जायदाद की मालिक हो और इस तरह की जायदाद हासिल करे; और

(डी) क़ानून के अनुसार इस तरह की जायदाद का प्रबन्ध करे.

किसी विशेश धर्म को बढ़ाने के लिये टैक्स देने के बारे में आज़ादी

27—किसी आदमी को कोई ऐसे टैक्स देने के लिये मजबूर नहीं किया जायगा जिसकी वसूली की बाबत यह तय है कि वह किसी विशेश धर्म या धार्मिक फ़िरक़े को बढ़ाने या बनाए रखने के खर्च की मद में डाली जाय.

कुछ तालीमी संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा या धार्मिक पूजा बंदगी में हाज़िरी के बारे में आज़ादी

28—(1) किसी ऐसी तालीमी संस्था में जिसका कुल खर्च राज के रुपए से चलता हो किसी धार्मिक शिक्षा का प्रबन्ध नहीं किया जायगा.

(2) धारा (1)की कोई बात किसी ऐसी तालीमी संस्था पर लागू न होगी जिसका प्रबन्ध राज करता है पर जो किसी ऐसे देन या ट्रस्ट के अधीन क़ायम की गई हो, जिसके अनुसार उस संस्था में धार्मिक शिक्षा देना दरकार हो.

(3) किसी भी आदमी के लिये जो किसी ऐसी तालीमी संस्था में जाता हो जो राज की तरफ़ से मानी हुई है या जिसे राज के रुपए से सहायता मिलती है यह दरकार नहीं होगा कि वह किसी ऐसी धार्मिक शिक्षा में भाग ले जो उस संस्था में दी जाती हो, या किसी ऐसी धार्मिक पूजा बंदगी में हाज़िर हो जो उस संस्था में या उससे संबंध रखने वाली किसी जगह पर की जाती हो, जब तक कि उस आदमी ने या अगर वह नाबालिग़ है तो उसके संरक्षक ने इसके लिये अपनी अनुमति न दे दी हो.

कलचरी और तालीमी अधिकार

कमीयतों के हितों की रक्षा

29—(1) भारत के भूभाग में या उसके किसी भाग में बसने वाले नागरों की किसी ऐसी टुकड़ी को जिसकी अपनी अलग भाशा, लिखावट या कलचर है, उन्हें बनाए रखने का अधिकार होगा.

(2) राज से चलाई जाने वाली या राज के रुपए से सहायता पाने वाली किसी तालीमी संस्था में किसी भी नागर को केवल धर्म, नसल, जात, भाशा या इनमें से किसी की बिना पर दाखिल करने से इनकार नहीं किया जायगा.

कमीयतों को तालीमी संस्थाएँ क़ायम करने और उनके प्रबन्ध करने का अधिकार

30—(1) सब कमीयतों को, चाहे वह धर्म के आधार पर हों चाहे भाशा के, अपनी पसन्द की तालीमी संस्थाएँ क़ायम करने और उनका प्रबन्ध करने का अधिकार होगा.

(2) तालीमी संस्थाओं के लिये सहायता मंजूर करने में राज

किसी तालीमी संस्था से इस बिना पर भेदभाव नहीं बरतेगा कि वह संस्था किसी कमीयत के प्रबन्ध में है, चाहे वह कमीयत धर्म के आधार पर हो और चाहे भाशा के.

जायदाद का अधिकार

जायदाद का जबरन हासिल करना

31—(1) किसी आदमी को उसकी जायदाद से बेदखल नहीं किया जायगा जबतक क़ानून इसका अधिकार न दे.

(2) किसी जायदाद पर चाहे वह चल हो या अचल, और चाहे वह किसी तिजारती या उद्योगी कारबार में किसी तरह के हित के रूप में हो, या किसी ऐसी कम्पनी में किसी तरह के हित के रूप में हो जो किसी तिजारती या उद्योगी कारबार की मालिक है, किसी ऐसे क़ानून के अधीन जो इस तरह की जायदाद पर सरकारी कामों के लिये क़ब्ज़ा करने या उसे हासिल करने का अधिकार देता है, तब तक क़ब्ज़ा नहीं किया जायगा, न उसे हासिल किया जायगा जब तक कि उस क़ानून में जायदाद पर इस तरह क़ब्ज़ा करने या उसे हासिल करने की नुक़सान-भरपाई देने का बन्धान न हो, और या तो इस नुक़सान-भरपाई की रक़म तय कर दी गई हो या वह सिद्धान्त और वह ढंग बता दिये गए हों जिनसे नुक़सान - भरपाई की रक़म तय की जानी है और दी जानी है.

(3) धारा (2) में किसी रियासत की क़ानूनसभा के बनाए जिस क़ानून की चरचा की गई है उसका तब तक कोई असर नहीं होगा जब तक कि उसे राजपति के विचार के लिये अलग रखे जाने के बाद राजपति की मंजूरी न मिल गई हो.

(4) अगर कोई बिल इस विधान के आरम्भ होने पर किसी रियासत की क़ानून सभा में पेश था और वह उस क़ानून सभा में पास हो गया हो और उसके बाद राजपति के विचार के लिये अलग रखा गया हो और राजपति ने उस पर अपनी मंजूरी दे दी हो तो इस विधान में किसी बात के रहते भी, इस तरह मंजूर हुए क़ानून पर किसी अदालत में इस बिना पर कोई सवाल नहीं उठाया जायगा कि वह धारा (2) के बन्धानों के खिलाफ़ पड़ता है.

(5) धारा (2) की किसी बात का—

(ए) धारा (6) के बन्धान जिस क़ानून पर लागू होते हैं उसको छोड़कर किसी मौजूदा क़ानून के बन्धानों पर, या—

(बी) किसी ऐसे क़ानून के बन्धानों पर, जो राज आगे चलकर-

(1) कोई टैक्स या दंड लगाने के मतलब के लिये बनाए, या

(2) जन-तन्दुरुस्ती को बढ़ाने या जान या माल को खतरे से बचाने के लिये बनाए, या

(3) किसी ऐसी जायदाद के बारे में जिसे क़ानून ने घरछुट जायदाद ठहरा दिया हो, हिन्द डोमिनियन की सरकार या भारत सरकार और किसी दूसरे देश की सरकार के बीच किसी समझौते की तामील में या किसी दूसरी तरह बनाए,

असर नहीं होगा.

(6) राज का कोई क़ानून जो इस विधान के आरंभ होने से पहले, अठारह महीने के अन्दर अन्दर बनाया गया हो, विधान के आरंभ होने के बाद तीन महीने के अन्दर राजपति के सामने उसकी सनद के लिये रखा जा सकता है; और इस पर अगर राजपति आम नोटिस निकालकर सनद कर दे तो उस क़ानून पर किसी अदालत में इस बिना पर कोई सवाल नहीं उठाया जायगा कि वह इस दफ़ा की धारा (2) के बन्धानों के खिलाफ़ पड़ता है या कि वह हिन्द सरकार एक्ट, 1935, दफ़ा 299 की उपदफ़ा (2) के बन्धानों के खिलाफ़ है.

विधानी उपायों का अधिकार

इस भाग में दिये अधिकारों पर अमल कराने के लिये उपाय

32—(1) इस भाग में दिये अधिकारों पर अमल कराने के लिये आला अदालत में मुनासिब कारवाइयों से फ़रियाद करने के अधिकार की गारंटी की जाती है.

(2) इस भाग में दिये अधिकारों में से किसी पर अमल कराने के लिये आला अदालत को शक्ति होगी कि ऐसे आदेश या हुक्म या परवाने, जिनमें परवाना तनतलबी, परवाना हुक्म, परवाना मनाही, परवाना अधिकार-बताई और परवाना मिसल-मंगाई जैसे परवाने शामिल हैं, जो भी मुनासिब हो, जारी करे.

(3) धारा (1) और (2) से आला अदालत को जो शक्तियां दी गई हैं उन्हें कम किये बिना, राजपंचायत क़ानून बनाकर किसी दूसरी अदालत को उसकी अमलदारी की मुकामी सीमाओं के अन्दर उन सब शक्तियों या उनमें से किसी शक्ति से काम लेने का अधिकार दे सकती है, जिनसे आला अदालत धारा(2) के अधीन काम ले सकती है.

(4) इस दफ़ा से गारंटी किया हुआ अधिकार मुअत्तल नहीं किया जायगा सिवाय इसके कि इस विधान में किसी दूसरी तरह का बन्धान कर दिया गया हो.

इस भाग में दिये अधिकारों के फ़ौजों के लिये लागू होने पर उनमें अदल बदल करने की राजपंचायत की शक्ति

33—राजपंचायत कानून बनाकर यह तय कर सकती है कि इस भाग में दिये अधिकारों में से किसी को, हथियारबन्द फ़ौजों या उन फ़ौजों के लोगों के लिये जिनपर जन-व्यवस्था बनाए रखने का भार है लागू होने पर, कहां तक कम किया जा सकता है या रद्द किया जा सकता है, जिससे इस बात का पक्का भरोसा हो जाए कि फ़ौजें अपने फ़र्ज़ों का उचित पालन कर सकें और उनमें क़ायदादारी बनी रहे.

जब किसी छेत्र में फ़ौजी क़ानून लागू हो तो इस भाग में दिये अधिकारों पर रुकावट

34—इस भाग में ऊपर लिखे बन्धानों में किसी बात के रहते भी, राजपंचायत क़ानून बनाकर किसी आदमी को जो यूनियन की या किसी रियासत की नौकरी में है या किसी दूसरे आदमी को किसी ऐसे काम के बारे में बरीयत दे सकती है जो उसने भारत के भूभाग में किसी ऐसे छेत्र के अन्दर जहाँ फ़ौजी क़ानून लागू था व्यवस्था बनाए रखने या फिर से व्यवस्था क़ायम करने के सम्बन्ध में किया हो, या उस छेत्र में फ़ौजी क़ानून के अधीन अगर कोई सज़ा का हुकुम दिया गया हो, या सज़ा दी गई हो, या ज़ब्ती का हुकुम दिया गया हो, या और कोई काम किया गया हो तो उसे सरदुरुस्त ठहरा सकती है.

इस भाग के बन्धानों को अमल में लाने के लिये क़ानून बनाना

35—इस विधान में किसी बात के रहते भी—

(ए) राजपंचायत को यह शक्ति होगी, और किसी रियासत की कानूनसभा को नहीं होगी, कि—

(एक) जिन मामलों के लिये दफ़ा 16 की धारा (3), दफ़ा 32 की धारा (3), और दफ़ा 33 और 34 के

अधीन राजपंचायत क़ानून बना सकती है, उनमें से किसी के लिये; और

(दो) इस भाग में जिन कामों को जुर्म ठहराया गया है उनकी सज़ा तय करने के लिये;

क़ानून बनाए,

और राजपंचायत इस विधान के आरंभ होने के बाद जितनी जल्दी हो सके उन कामों के लिये जिनकी उपधारा (दो में चरचा की गई है, सज़ा तय करने के लिये क़ानून बनाएगी.

(बी) धारा (ए) की उपधारा (एक) में जिन मामलों की चरचा की गई है उनमें से किसी के बारे में, या उस धारा की उपधारा (दो) में जिस किसी काम की चरचा की गई है उसके लिये सज़ा का बन्धान करने वाला, कोई क़ानून जो भारत के भूभाग में इस विधान के आरम्भ होने से ठीक पहले लागू था, अपनी शर्तों के अधीन और उन अनुकूलनों या अदल बदल के अधीन जो दफ़ा 372 के अधीन उस कानून में किये जायँ, तब तक लागू रहेगा जब तक कि राजपचायत उसे बदल न दे, या रद्द न कर दे, या उसमें सुधार न कर दे.

समझाव :—इस दफ़ा में "लागू कानून" शब्दों के वही मानी हैं जो दफ़ा 372 में हैं.

भाग चार

राज की नीति के निर्देशक सिद्धान्त

परिभाषा

36—अगर प्रसंग से कुछ और दरकार न हो तो इस भाग में "राज" के वही मानी हैं जो भाग तीन में.

इस भाग में आए सिद्धान्तों को लागू करना

37—इस भाग में आए बन्धानों पर किसी अदालत के जरिये अमल नहीं कराया जा सकेगा, पर फिर भी इनमें बताए सिद्धान्त देश की हुकूमत की नींव हैं और क़ानून बनाने में इन सिद्धान्तों को लागू करना राज का फ़रज़ होगा.

लोगों की खुशहाली बढ़ाने के लिये राज का एक समाजी व्यवस्था को पक्का करना

38—राज की कोशिश होगी कि जितने भी असरदार ढंग से हो सके एक ऐसी समाजी व्यवस्था को पक्का करके और उसकी रक्षा करके, जिसमें समाजी, आर्थिक और राजकाजी इन्साफ़ क़ौमी जीवन की सब संस्थाओं में समाया हुआ हो, लोगों की खुशहाली को बढ़ाए.

नीति के कुछ सिद्धान्त जिनपर राज चलेगा

39—राज खास कर अपनी नीति को ऐसे चलायगा कि :—

(ए) सब नागरों को, नर और नारी को एक बराबर, रोजी के काफी साधन मिलने का अधिकार हो;

(बी) समाज के माद्दी साधनों की मिलकियत और उनपर दबान इस तरह बँटे हों कि जिससे सबका बहुत से बहुत भला हो ;

(सी) अर्थ-व्यवस्था के चलने का यह नतीजा न हो कि धन और पैदावार के साधन इस तरह कील दिये जाएँ जिससे आम लोग घाटे में रहें;

(डी) नर और नारी दोनों को बराबर काम के लिये बराबर का वेतन मिले;

(ई) नर नारी कामगारों की तन्दुरुस्ती और शक्ति और बालकों की कच्ची उमर का बुरा उपयोग न हो, और आर्थिक जरूरतों से मजबूर होकर नागरों को ऐसे रोजगारों में न जाना पड़े जो उनकी उमर या शक्ति के अनुकूल न हों;

(एफ़) शोशन से और नैतिक आवारगी और बेघरबारगी से बच्चों और नौजवानों को बचाया जाय.

40—राज गांव-पंचायतों का संगठन करने के लिये क़दम उठायगा और उनको ऐसी शक्तियां और अधिकार देगा जो उन्हें स्वराज की इकाइयों के रूप में काम करने के जोग बनाने के लिये जरूरी हों.

गांव पंचायतों का संगठन

41—राज, अपनी आर्थिक सकत और विकास की सीमाओं के अन्दर रहते हुए, सबको काम पाने, तालीम पाने, और बेकारी, बुढ़ापा, बीमारी, अंगभंग हो जाने, और दूसरी अनकरी जरूरतों में सरकारी मदद पाने का अधिकार दिलाने का असरदार प्रबन्ध करेगा.

काम, तालीम और कुछ सूरतों में सरकारी मदद पाने का अधिकार

42—राज काम की हालतों में न्याय और इनसानियत का और औरतों को जापा-मदद दिलाने का प्रबन्ध करेगा.

काम को हालतों में न्याय और इनसानियत का और जापामदद का प्रबन्ध

43—राज उचित क़ानून बनाकर या आर्थिक संगठन करके या और जिस तरह हो जतन करेगा कि खेतिहरों, मिल-मजदूरों और दूसरे सब कामगारों को काम और पेटभर मजदूरी मिले, और वह ऐसी हालतों में काम करें जिनसे यह भरोसा हो जाय कि उनके रहन सहन का ढंग भले लोगों का सा है, और वे फ़ुरसत के समय से, और समाजी और कलचरी अवसरों से पूरा लाभ उठा सकें, और खास कर राज देहातों में घरेलू उद्योगों को निजी या सहकारी आधार पर बढ़ाने का जतन करेगा.

कामगारों के लिये पेटभर मजदूरी वगैरा

44—राज इस बात का जतन करेगा कि भारत के सारे भूभाग में नागरों के लिये एक सी दीवानी पद्धत हो.

नागरों के लिये एकसी दीवानी पद्धत

45—राज इस विधान के आरम्भ होने से दस बरस के अरसे के अन्दर सब बच्चों को उनके चौदह बरस की उमर पूरी करने तक मुफ़्त और जबरी तालीम देने का जतन करेगा.

बच्चों के लिये मुफ़्त और जबरी तालीम का प्रबन्ध

46—राज जनता की निबल टुकड़ियों के, और खास कर पट्टी-दर्ज जातियों और पट्टी दर्ज कबीलों के तालीमी और आर्थिक हितों को खास सावधानी से बढ़ायगा और समाजी अन्याय और सब तरह के शोशन से उनकी रक्षा करेगा.

पट्टी-दर्ज जातियों, पट्टी-दर्ज क़बीलों और दूसरी निबल टुकड़ियों के तालीमी और आर्थिक हितों को बढ़ाना

तनपालन तल और जीवनस्तर को ऊँचा करना और जन-तन्दुरुस्ती को सुधारना राज का फ़रज़

47—राज अपने लोगों की खुराक में तनपालन-तल और उनके जीवन-स्तर को ऊँचा उठाना और जन-तन्दुरुस्ती का सुधारना अपने सबसे पहले फ़रज़ों में से मानेगा, और खास कर नशीले पानों और तन्दुरुस्ती बिगाड़नेवाली जड़ी-बूटियों की, सिवाय दवा के मतलबों के लिये, खपत बन्द कराने का जतन करेगा.

खेतीबाड़ी और पशुपालन का सगठन

48—राज खेतीबाड़ी और पशुपालन को नई और साइंसी रीतियों के अनुसार संगठन करने का जतन करेगा, और खास कर गायों और बछड़ों और दूसरे दुधारी और भारवाही ढोरों की नस्लों को बनाए रखने और सुधारने के लिये और उनके बध को रोकने के लिये क़दम उठायगा.

क़ौमी महत्व की यादगारों और जगहों और चीज़ों की रक्षा

49—राज के लिये लाज़मी होगा कि हर ऐसी यादगार या जगह या चीज़ को, जो कला या इतिहास की निगाह से दिलचस्प हो, और जिसे राजपंचायत ने क़ानून बनाकर क़ौमी महत्व का ठहरा दिया हो, लूट खसोट, रूप बिगाड़, बरबादी, हटाए जाने, दे डाले जाने या देश से बाहर भेजे जाने से, जैसी सूरत हो, बचावे.

काजकारी से न्यायकारी का अलग करना

50—राज अपनी सरकारी नौकरियों मे न्यायकारी को काजकारी से अलग करने के लिये क़दम उठायगा.

अन्तर-क़ौमी शान्ति और सुरक्षा को बढ़ाना

51—राज,

(ए) अन्तर-क़ौमी शान्ति और सुरक्षा को बढ़ाने का;

(बी) क़ौमों के बीच न्यायी और सम्मानी रिश्तों को बनाए रखने का;

(सी) संगठित क़ौमों के एक दूसरे से बरताव में अन्तर-क़ौमी क़ानून और सन्धि-बन्धनों के लिये आदर बढ़ाने का; और

(डी) अन्तर-क़ौमी झगड़ों को पंचफ़ैसले से निपटाने के लिये बढ़ावा देने का,

जतन करेगा.

भाग पाँच

यूनियन

खंड एक—काजकारी

राजपति और उपराजपति

52—भारत का एक राजपति होगा. — भारत का राजपति

53—(1) यूनियन की काजकारी शक्ति राजपति को हासिल होगी और वह उससे खुद या अपने अधीन अफ़सरों के जरिये इस विधान के अनुसार काम लेगा. — यूनियन की काजकारी शक्ति

(2) ऊपर बताए बन्धान की आमियत में कमी किये बिना यूनियन की बचाव फ़ौजों की आला कमान राजपति को हासिल होगी और उस कमान से काम लेने की क़ायदाबन्दी कानून से की जायगी.

(3) इस दफ़ा की किसी बात से—

(ए) जो काम किसी मौजूदा क़ानून ने किसी रियासत की सरकार या दूसरे अधिकारी को सौंपे हैं वह काम राजपति को तबदीले नहीं समझे जायंगे; या

(बी) राजपति को छोड़ दूसरे अधिकारियों को क़ानून बनाकर काम सौंपने से राजपचायत को नही रोका जायगा.

54—राजपति को एक चुनाव मंडल के मेम्बर चुनेंगे जिसमें— — राजपति का चुनाव

(ए) राजपचायत के दोनों सदनों के चुने हुए मेम्बर; और

(बी) रियासतों के आम सदनों के चुने हुए मेम्बर,

होंगे.

55—(1) जहाँ तक बन पड़ेगा राजपति के चुनाव में अलग अलग रियासतों के प्रतिनिधान के पैमाने में एकरूपता होगी. — राजपति के चुनाव का ढंग

(2) रियासतों के बीच आपस में ऐसी एकरूपता लाने के लिये, और कुल रियासतों और यूनियम के बीच बराबरी रखने के लिये, राजपंचायत का और हर रियासत के आमसदन का हर चुना हुआ मेम्बर चुनाव में जितने वोट देने का हक़दार होगा उनकी तादाद नीचे लिखे ढंग से तय की जायगी :—

(ए) किसी रियासत के आमसदन के हर चुने हुए मेम्बर के उतने वोट होंगे जितने कि एक हजार के गुने उस

भागफल में हों जो रियासत की आबादी को आम-सदन के चुने हुए मेम्बरों की कुल गिनती से भाग देने से आए.

(बी) ऊपर बताए एक हज़ार के गुनों को लेने के बाद अगर बाक़ी पांच सौ से कम न हो तो हर उस मेम्बर का जिसकी चरचा उपधारा (ए) में की गई है, एक वोट और बढ़ जायगा.

(सी) राजपंचायत के दोनों सदनों के हर चुने हुए मेम्बर के वोटों की गिनती वही होगी जो उपधारा (ए) और (बी) के अधीन रियासतों के आम सदनों के मेम्बरों को दिए हुए वोटों की कुल गिनती को राजपंचायत के दोनों सदनों के चुने हुए मेम्बरों की कुल गिनती से भाग देने से आए, जिसमें आधे से अधिक टूक को एक गिना जायगा और बाकी टूकों को नहीं गिना जायगा.

(3) राजपति का चुनाव निसबती प्रतिनिधान के ढंग के अनुसार इकहरे बदलते वोट से होगा और ऐसे चुनाव में वोट बन्द परचियों से लिये जायंगे.

समझाव :—इस दफ़ा में "आबादी" शब्द के मानी वह आबादी है जो उस पिछले आखिरी गिनावे में मालूम की गई है जिसके संगत आंकड़े निकल चुके हैं.

राजपति की पद-मियाद

56—(1) राजपति अपना पद संभालने की तारीख़ से पांच बरस की मियाद तक पद पर रहेगा :

शर्तें कि—

(ए) राजपति उप-राजपति के नाम अपनी दसखती लिखत भेज कर अपने पद से इस्तीफ़ा दे सकता है.

(बी) विधान तोड़ने पर राजपति उस ढंग से दोश लगाकर पद से हटाया जा सकता है जिसका बंधान दफ़ा 61 में किया गया है.

(सी) राजपति अपनी मियाद पूरी हो जाने पर भी अपने पदगाही के पद संभालने तक पद पर रहेगा.

(2) धारा (1) की शर्त की धारा (ए) के अधीन उप-राजपति के नाम इस्तीफ़े की सूचना उप-राजपति तुरन्त लोकसदन के सभामुख को देगा.

फिर चुनाव के लिए पात्रता

57—कोई आदमी जो राजपति के पद पर है या रह चुका है इस विधान के दूसरे बंधानों का ध्यान रखते हुए उस पद के लिये फिर चुने जाने का पात्र होगा.

राजपति चुने जाने के लिए जोगताएँ

58—(1) कोई आदमी राजपति चुने जाने का पात्र नहीं होगा जब तक कि वह—

(ए) भारत का नागर न हो,

(बी) अपनी उमर का पैंतीसवाँ बरस पूरा न कर चुका हो, और

(सी) लोकसदन का मेम्बर चुने जाने की जोगता न रखता हो.

(2) कोई आदमी जो भारत सरकार के या किसी रियासत की सरकार के अधीन या इन सरकारों में से किसी के दबाव में किसी मुकामी या दूसरे अधिकारी के अधीन किसी लाभ के पद पर है, राजपति चुने जाने का पात्र नहीं होगा.

समझाव :—इस दफ़ा के मतलबों के लिये कोई आदमी केवल इसी कारन किसी लाभ के पद पर नहीं समझा जायगा कि वह यूनियन का राजपति या उप-राजपति या किसी रियासत का रियासत-पति या राजप्रमुख या उप-राजप्रमुख है या यूनियन का या किसी रियासत का वज़ीर है.

राजपति के पद की शर्तें

59—(1) राजपति न तो राजपंचायत के किसी सदन का मेम्बर होगा और न किसी रियासत की क़ानूनसभा का मेम्बर होगा, और अगर राजपंचायत के किसी सदन का या किसी रियासत की क़ानून सभा के किसी सदन का कोई मेम्बर राजपति चुना जाय तो यह समझा जायगा कि उसने उस सदन की अपनी जगह उस तारीख से सूनी कर दी है जिस दिन उसने राजपति का पद संभाला.

(2) राजपति किसी दूसरे लाभ के पद पर नहीं रहेगा.

(3) राजपति को अपने सरकारी मकानों को बिना किराया दिये इस्तेमाल करने का अधिकार होगा, और वह उस वेतन, भत्तों

और निजनियमों को पाने का हक़दार होगा जो राजपंचायत क़ानून बनाकर तय करे, और जब तक इसके लिये इस तरह प्रबन्ध न हो तब तक वह उस वेतन, भत्तों और निजनियमों को पाने का हक़दार होगा जो दूसरी पट्टी में दर्ज हैं.

(4) राजपति का वेतन और भत्ते उसकी पद-मियाद के दौरान में घटाए नहीं जायंगे.

राजपति का हलफ़ उठाना या वचन भरना

60—हर राजपति और हर आदमी जो राजपति की जगह काम करेगा या उसके काम निभारेगा, अपना पद संभालने से पहले, भारत के सरजज या उसके मौजूद न होने पर आला अदालत के उस बड़े से बड़े जज के सामने जो मिल सके, नीचे दिये रूप में हलफ़ उठायगा या वचन भरेगा और उस पर दसख़त करेगा, यानी यह कि—

"मैं......(नाम)...... ईश्वर के नाम पर शपथ लेता हूँ / गम्भीरता से वचन भरता हूँ कि मैं भारत के राजपति के पद पर रह कर वफ़ादारी से काम करूंगा (या भारत के राजपति के काम वफ़ादारी से निभारूंगा) और अपनी पूरी जोगता से विधान और कानून को बनाए रखूंगा, उनकी रक्षा और उनका बचाव करूंगा, और मैं भारत के लोगों की सेवा और उनकी भलाई में तन मन से लगा रहूंगा."

राजपति पर दोश-लगाने का दस्तूर

61—(1) जब किसी राजपति पर विधान तोड़ने का दोश लगाना हो तो राजपंचायत का कोई एक सदन दोश-लेखा पेश करेगा.

(2) ऐसा कोई दोश-लेखा पेश नहीं किया जायगा जब तक कि—

(ए) दोश-लेखा पेश करने का सुझाव एक ऐसे ठहराव में न रखा गया हो जिसे पेश करने के इरादे का लिखा नोटिस उस सदन के मेम्बरों की कुल गिनती के कम से कम एक चौथाई के दसखत से कम से कम चौदह दिन पहले न दिया जा चुका हो, और उसके बाद वह ठहराव पेश न किया गया हो; और

(बी) उस सदन के कुल मेम्बरों की कम से कम दो तिहाई

(3) जब राजपंचायत का कोई सदन इस तरह दोश-लेखा पेश कर दे तो दूसरा सदन उस दोश-लेखे की जांच करेगा या जांच करायगा, और इस तरह की जांच में आने और अपना प्रतिनिधि भेजने का राजपति को अधिकार होगा.

(4) अगर जांच का नतीजा यह हो कि जिस सदन ने दोश-लेखे की जांच की थी या कराई थी उसके कुल मेम्बरों की कम से कम दो तिहाई बड़ीयत यह ठहराव पास कर दे कि जो दोश-लेखा राजपति के खिलाफ़ पेश किया गया था वह ठीक साबित हो गया है, तो उस ठहराव का यह असर होगा कि ठहराव के इस तरह पास होने की तारीख से राजपति अपने पद से हट जायगा.

राजपति के पद की सूनी को भरने के लिये चुनाव का समय और औसरी सूनी भरने के लिये चुने आदमी की पद मियाद

62—(1) राजपति की पद-मियाद पूरी हो जाने से पैदा हुई सूनी को भरने के लिये चुनाव मियाद पूरी होने से पहले ही पूरा कर लिया जायगा.

(2) राजपति की मौत हो जाने, उसके इस्तीफ़ा देने या हटाए जाने या किसी दूसरे कारन से उसका पद सूना हो जाने पर उस सूनी को भरने के लिये चुनाव सूनी होने की तारीख के बाद जितनी जल्दी हो सकेगा और हर सूरत में उस तारीख से छै महीने के अन्दर किया जायगा, और सूनी को भरने के लिये जो आदमी चुना जाय वह, दफ़ा 56 के बन्धानों का ध्यान रखते हुए, अपने पद संभालने की तारीख से लेकर पांच बरस की पूरी मियाद तक पद पर रहने का हक़दार होगा.

भारत का उप-राजपति

63—भारत का एक उप-राजपति होगा.

उप-राजपति पदनाते रियासत सदन का मसनदी होगा

64—उप-राजपति पदनाते रियासत सदन का मसनदी होगा और दूसरे किसी लाभ के पद पर नहीं रहेगा :

शर्ते कि जब जितने अरसे तक उप-राजपति राजपति की जगह काम करेगा या दफ़ा 65 के अधीन राजपति के काम निभारेगा तब उस अरसे तक वह रियासत-सदन के मसनदी के पद के फ़रज़ अदा नहीं करेगा, और दफ़ा 97 के अधीन रियासत सदन के मसनदी को मिलने वाली किसी तनखा या भत्ते का हक़दार न होगा.

राजपति की नामौजूदगीमें याउसके पद की औसरी सूनियों के समय उप-राजपति का राजपतिकी जगह काम करना या उसके पद के काम निभारना

65—(1) राजपति की मौत हो जाने, उसके इस्तीफ़ा देने या हटाए जाने या किसी दूसरे कारन से उसका पद सूना होने की सूरत में उप-राजपति उस तारीख़ तक राजपति की जगह काम करेगा जब तक कि उस सूनी को भरने के लिये इस खंड के बन्धानों के अनुसार चुना हुआ नया राजपति अपना पद न संभाल ले.

(2) नामौजूदगी, बीमारी या दूसरे किसी कारन से जब राजपति अपने काम निभारने के अजोग हो तब उप-राजपति उसके काम उस तारीख़ तक निभारेगा जिस तारीख़ को राजपति फिर से अपने फ़रज़ संभाल ले.

(3) उप-राजपति को उस अरसे में और उसके बारे में जब वह इस तरह राजपति की जगह काम कर रहा हो या उसके कामों को निभार रहा हो, राजपति की सब शक्तियां और बरीयतें होंगी, और वह उस वेतन, भत्तों और निजनियमों को पाने का हक़दार होगा जो राजपंचायत क़ानून बनाकर तय कर दे, और जब तक इसके लिये इस तरह बन्धान नहीं किया जाता तब तक वह उस वेतन, भत्तों और निजनियमों का हक़दार होगा जो दूसरी पट्टी में दर्ज हैं.

उप-राजपति का चुनाव

66—(1) उप-राजपति राजपंचायत के दोनों सदनों के मेम्बरों की मिलीजुली मिलनी में निसबती प्रतिनिधान के ढंग के अनुसार इकहरे बदलते वोट से चुना जायगा और ऐसे चुनाव में वोट बन्द परचियों से लिये जायंगे.

(2) उप-राजपति राजपंचायत के किसी सदन या किसी रियासत की क़ानूनसभा के किसी सदन का मेम्बर नहीं होगा, और अगर राजपंचायत के किसी सदन या किसी रियासत की क़ानूनसभा के किसी सदन का कोई मेम्बर उप-राजपति चुना जाय तो यह समझा जायगा कि उसने उस सदन की अपनी जगह उस तारीख़ को सूनी कर दी जिस तारीख़ को उसने उप-राजपति का पद संभाला.

(3) कोई आदमी उप-राजपति चुने जाने का पात्र न होगा जब तक कि वह—

(प) भारत का नागर न हो ;

(बी) अपनी उमर का पैंतीसवां बरस पूरा न कर चुका हो; और

(सी) रियासत सदन का मेम्बर चुने जाने की जोगता न रखता हो.

(4) कोई आदमी जो भारत सरकार के या किसी रियासत की सरकार के अधीन या उन सरकारों में से किसी के दबान में किसी मुक़ामी या दूसरे अधिकारी के अधीन किसी लाभ के पद पर है, उप-राजपति चुना जाने का पात्र न होगा.

समझाव:—इस दफ़ा के मतलबों के लिये कोई आदमी केवल इसी लिये किसी लाभ के पद पर नहीं समझा जायगा कि वह यूनियन का राजपति या उप-राजपति है या किसी रियासत का रियासतपति या राजप्रमुख या उप-राजप्रमुख है या यूनियन या किसी रियासत का वज़ीर है.

उप-राजपति की पद-मियाद

67—उप-राजपति अपने पद संभालने की तारीख से पांच बरस की मियाद तक पद पर रहेगा:

शर्तें कि—

(ए) उप-राजपति राजपति के नाम अपनी दसखती लिखत भेज कर अपने पद से इस्तीफ़ा दे सकता है;

(बी) उप-राजपति रियासत सदन के ऐसे ठहराव से अपने पद से हटाया जा सकता है जिसे रियासतसदन के उस समय के सब मेम्बरों की बढ़ीयत ने पास किया हो और जिसे लोकसभा ने मान लिया हो; पर इस धारा के मतलब के लिये कोई ठहराव पेश न किया जायगा जबतक कि उस ठहराव को पेश करने के इरादे का कम से कम चौदह दिन का नोटिस न दे दिया गया हो;

(सी) उप-राजपति अपनी मियाद पूरी हो जाने पर भी अपने पदगाही के पद संभालने तक पद पर बना रहेगा।

उप-राजपति के पद की सूनी को भरने के लिये चुनाव का समय और औसरी सूनी भरने के लिये चुने

68—(1) उप-राजपति की पद-मियाद के पूरा हो जाने से पैदा हुई सूनी को भरने के लिये चुनाव मियाद पूरी होने से पहले ही पूरा कर लिया जायगा.

(2) उप-राजपति की मौत हो जाने, उसके इस्तीफ़ा देने या हटाए जाने, या किसी दूसरे कारन से उसका पद सूना हो जाने पर उस

आदमी की पद-मियाद

सूनी को भरने के लिये चुनाव, सूनी होने के बाद जितनी जल्दी हो सकेगा, किया जायगा, और सूनी को भरने के लिये जो आदमी चुना जाय वह दफ़ा 67 के बन्धानों का ध्यान रखते हुए अपना पद संभालने की तारीख से लेकर पाँच बरस की पूरी मियाद तक पद पर रहने का हक़दार होगा.

उप-राजपति का हलफ़ उठाना या वचन भरना

69—हर उप-राजपति अपना पद संभालने से पहले राजपति के सामने या किसी आदमी के सामने जिसे राजपति इस काम के लिए नियोजे नीचे लिखे रूप में हलफ़ उठायगा या वचन भरेगा, यानी कि—

"मैं……(नाम)…… ईश्वर के नाम पर शपथ लेता हूँ / गम्भीरता से वचन भरता हूँ कि मैं भारत के उस विधान का जो क़ानून से क़ायम हुआ है सचाई से वफ़ादार और भक्त रहूँगा और जो फ़रज़ मैं अब संभालने वाला हूँ उसे वफ़ादारी के साथ निभारूंगा."

दूसरे जोगाजोगों में राजपति के कामों को निभारना

70—किसी ऐसे जोगाजोग में जिसका इस खंड में बन्धान नहीं किया गया है, राजपति के काम निभारने के लिये राजपंचायत जैसा उचित समझे बन्धान कर सकती है.

राजपति या उप-राजपति के चुनाव के बारे में या उससे सम्बन्ध रखने वाले मामले

71—(1) राजपति या उप-राजपति के चुनाव से पैदा होने वाले या उसके बारे में सब संदेहों और झगड़ों की पूछताछ और उनका फ़ैसला आला अदालत करेगी, और उसका फ़ैसला आखिरी होगा.

(2) अगर किसी आदमी का राजपति या उप-राजपति चुना जाना आला अदालत रद्द ऐलान कर दे, तो राजपति के या उप-राजपति के, जैसी सूरत हो, अपने पद की शक्तियों से काम लेने और अपने फ़रज़ पूरा करने के दौरान में उसने, आला अदालत के फ़ैसले की तारीख पर या उससे पहले, जो काम किये हों वह उस ऐलान के कारन ना-दुरुस्त नहीं माने जायंगे.

(3) इस विधान के बन्धानों के अधीन रहते हुए राजपति या उप-राजपति के चुनाव के संबंध में या उसकी बाबत किसी मामले की क़ायदाबन्दी राजपंचायत क़ानून बनाकर कर सकती है.

72—(1) किसी आदमी को जिसे किसी जुर्म का दोशी ठहराया गया हो माफ़ कर देने, उसकी सज़ा मुलतवी कर देने, उसे मुहलत देने या बाकी सज़ा माफ़ कर देने या उसकी सज़ा के हुकुम को रोक देने, सज़ा के बाकी हुकुम को रद्द कर देने, या सज़ा का रूप बदल देने की शक्ति राजपति को उन सब सूरतों में होगी—

कुछ सूरतों में माफ़ी वगैरा देने और सज़ाओं के हुकुम को रोके रखने या कम करने या बदलने की राजपति को शक्ति

(ए) जिनमें किसी फ़ौजी अदालत ने सज़ा दी हो या सज़ा का हुकुम दिया हो ;

(बी) जिनमें सज़ा या सज़ा का हुकुम किसी ऐसे क़ानून के अधीन जुर्म के लिये दिया गया हो जिस क़ानून का संबंध किसी ऐसे मामले से है जिस तक यूनियन की काजकारी शक्ति का फैलाव है ;

(सी) जिनमें हुकुम मौत की सज़ा का हुकुम है.

(2) धारा (1) की उपधारा (ए) की किसी बात का उस शक्ति पर कोई असर नहीं होगा जो यूनियन की हथियारबन्द फ़ौजों के किसी अफ़सर को किसी फ़ौजी अदालत के दिये हुए सज़ा के हुकुम को रोक देने, कम कर देने या बदल देने के लिये क़ानून से दी गई हो.

(3) धारा (1) की उपधारा (सी) की किसी बात का उस शक्ति पर कोई असर नहीं होगा जिससे उस समय लागू किसी क़ानून के अधीन किसी रियासत का रियासतपति या राजप्रमुख मौत की सज़ा को रोक देने, माफ़ कर देने या दूसरी सज़ा में बदल देने के लिये काम ले सकता हो.

73—(1) इस विधान के बंधानों के अधीन रहते हुए यूनियन की काजकारी शक्ति का फैलाव—

यूनियन की काजकारी शक्ति का फैलाव

(ए) उन मामलों तक होगा जिनके बारे में राजपंचायत को क़ानून बनाने की शक्ति है ;

भाग (ए) या भाग (बी) में दर्ज किसी रियासत में ऐसे मामलों तक न होगा जिनके बारे में रियासत की क़ानूनसभा को भी क़ानून बनाने की शक्ति है, सिवाय जब कि इस विधान में या राजपंचायत के बनाए किसी क़ानून में इसका साफ़ तौर पर बन्धान कर दिया गया हो.

(2) जबतक राजपंचायत कुछ और बन्धान न करे, तबतक इस दफ़ा में किसी बात के रहते भी, कोई रियासत और किसी रियासत का कोई अफ़सर या अधिकारी उन मामलों में जिनके बारे में राजपंचायत को उस रियासत के लिये क़ानून बनाने की शक्ति है, ऐसी काजकारी शक्ति से काम ले सकता है या ऐसे काम कर सकता है जिससे कि वह रियासत या उसके अफ़सर या अधिकारी इस विधान के आरंभ से ठीक पहले काम ले सकते थे या काम कर सकते थे.

वज़ीर मंडल

राजपति को सहायता और सलाह देने के लिये वज़ीर मंडल

74—(1) राजपति को उसके काम पूरा करने में सहायता और सलाह देने के लिये एक वज़ीर मंडल होगा जिसका सरमुख प्रधान वज़ीर होगा.

(2) किसी अदालत में इस बात की पूछताछ नहीं की जा सकेगी कि वज़ीरों ने राजपति को कोई सलाह दी या नहीं और अगर दी तो क्या दी.

वज़ीरों के बारे में दूसरे बन्धान

75—(1) प्रधान वज़ीर का नियोजन राजपति करेगा, और दूसरे वज़ीरों का नियोजन राजपति प्रधान वज़ीर की सलाह से करेगा.

(2) वज़ीर अपने पद पर राजपति के इच्छाकाल तक रहेंगे.

(3) वज़ीरमंडल के वज़ीर सबके सब मिलकर लोकसदन को जिम्मेदार होंगे.

(4) किसी वज़ीर के अपना पद संभालने से पहले राजपति उससे तीसरी पट्टी में इस मतलब के लिये दिये हुए रूपों के अनुसार पद और राज़दारी के हलफ़ उठवायगा.

(3) राजपति भारत सरकार के काम को अधिक आसानी से चलाने के लिये और उस काम को वज़ीरों में बांटने के लिये नियम बनायगा.

राजपति को सूचना देने वगैरा के बारे में बड़े वज़ीर के फ़रज़

78—बड़े वज़ीर का फ़रज़ होगा कि—

(ए) यूनियन के मामलों के शासन सम्बन्धी वज़ीर मंडल के सारे फ़ैसले और क़ानून बनाने के सब सुझाव राजपति को पहुँचावे;

(बी) यूनियन के मामलों के शासन सम्बन्धी और क़ानून बनाने के सुझाव सम्बन्धी जो बातें राजपति पूछे उसको बताए; और

(सी) राजपति के चाहने पर किसी ऐसे मामले को, जिस पर किसी एक वज़ीर ने फ़ैसला कर दिया है पर वज़ीर मंडल ने विचार नहीं किया है, वज़ीरमंडल के सामने विचार के लिये रखे.

खंड दो—राजपंचायत

आम

राजपंचायत की बनावट

79—यूनियन की एक राजपंचायत होगी जिसमें राजपति और दो सदन होंगे, जो अलग अलग रियासत सदन और लोक सदन कहलायंगे.

रियासत सदन की रचना

80—(1) रियासत सदन में—

(ए) बारह मेम्बर ऐसे होंगे जिनको धारा (3) के बन्धानों के अनुसार राजपति नामज़द करेगा; और

(बी) रियासतों के प्रतिनिधि होंगे जो दो सौ अड़तीस से अधिक नहीं होंगे.

(2) रियासत सदन में रियासतों के प्रतिनिधियों से भरी जाने वाली सीटों का बंटवारा उन बंधानों के अनुसार किया जायगा जो इस काम के लिये चौथी पट्टी में दिये हैं.

(3) धारा (1) की उपधारा (ए) के अधीन राजपति जिन मेम्बरों को नामज़द करेगा वे ऐसे आदमी होंगे जिन्हें इस तरह के मामलों के बारे में जैसे नीचे दिये गए हैं खास जानकारी या अमली तजरबा हो, यानी :—

अदब-साहित्य, साइन्स, कला और समाजसेवा.

(4) रियासत सदन में पहली पट्टी के भाग (ए) या भाग (बी) में दर्ज हर रियासत के प्रतिनिधियों को उस रियासत के आम सदन के चुने हुए मेम्बर निसबती प्रतिनिधान के ढंग पर इकहरे बदलते वोट से चुनेंगे.

(5) रियासत सदन में पहली पट्टी के भाग (सी) में दर्ज रियासतों के प्रतिनिधि उस ढंग से चुने जायंगे जो राजपंचायत क़ानून बनाकर बतादे.

लोकसदन की रचना

81—(1), (ए) धारा (2) के और दफ़ा 82 और दफ़ा 331 के बन्धानों के अधीन रहते हुए, लोकसदन के मेम्बर पांच सौ से अधिक नहीं होंगे और उन्हें रियासतों के वोटर सीधे चुनेंगे.

(बी) उपधारा (ए) के मतलब के लिये एक रियासत में कई, या कई रियासतों का एक, या एक रियासत का एक, इस तरह रियासतों के भूभागी चुनाव-हलक़े बनाए जायंगे, और ऐसे हर चुनाव-हलक़े को मिलने वाले मेम्बरों की तादाद इस तरह तय की जायगी जिससे कि यह पक्का हो जाय कि आबादी के हर सात लाख पचास हज़ार आदमियों पीछे एक से कम मेम्बर नहीं होगा, और हर पांच लाख पीछे एक से अधिक मेम्बर नहीं होगा.

(सी) हर भूभागी चुनाव-हलक़े को जो मेम्बर दिये जायंगे उनकी गिनती, और उस हलक़े की आबादी की वह गिनती जो उस पिछले आखरी गिनावे में मालूम की जा चुकी है, जिसके संगत आंकड़े निकल चुके हैं, इन दोनों में जहां तक हो सकेगा भारत के सारे भूभाग में एक ही अनुपात होगा.

(2) लोक सदन में उन भूभागों का प्रतिनिधान, जो भारत के भूभाग में शामिल हैं लेकिन किसी रियासत में शामिल नहीं हैं, वह होगा जो राजपंचायत क़ानून बनाकर तय कर दे.

(3) हर गिनावे के पूरा हो जाने पर, लोकसदन में अलग अलग भूभागी चुनाव-हलक़ों के प्रतिनिधान में वह अधिकारी उस ढंग से और उस तारीख़ से लागू होने के लिये घटत बढ़त करेगा जसे राजपंचायत क़ानून बनाकर तय करदे:

शर्त कि इस तरह की घटत बढ़त का लोकसदन के प्रतिनिधान पर तबतक कोई असर नहीं पड़ेगा जबतक कि उस समय का सदन भंग न हो जाय.

भाग (सी) की रियासतों के और रियासतों को छोड़कर दूसरे भूभागों के प्रतिनिधान के बारे में खास बन्धान

82—दफ़ा 81 की धारा (1) में किसी बात के रहते भी, राज पंचायत क़ानून बनाकर, लोकसदन में, पहली पट्टी के भाग (सी) में दर्ज किसी रियासत के, या किसी ऐसे भूभागों के जो भारत के भूभाग में शामिल हैं पर किसी रियासत में शामिल नहीं हैं, उस धारा में जो बन्धान किया गया है उसको छोड़कर किसी दूसरे आधार पर या किसी दूसरे ढंग से प्रतिनिधान का बन्धान कर सकती है.

राज पचायन के सदनों की मुद्दत

83—(1) रियासत सदन को भंग न किया जा सकेगा, पर हर दूसरे बरस के बीत जाने पर जितनी जल्दी हो सकेगा सदन के मेम्बरों में से क़रीब से क़रीब एक तिहाई, उन बन्धानों के अनुसार जो राजपंचायत क़ानून के ज़रिये इस काम के लिये बनादे, अलग हो जाया करेंगे.

(2) लोकसदन अगर पहले ही भंग न कर दिया गया हो तो जो तारीख़ उसकी पहली मिलनी के लिये तय की गई थी उससे पांच बरस तक चलेगा, और अधिक नहीं, और इस पांच बरस के अरसे के बीत जाने से ही लोकसदन भंग माना जायगा:

शर्त कि किसी ऐसे समय में जब कोई अचानकी का ऐलान अमल में हो, राजपंचायत क़ानून बनाकर इस अरसे को एक और अरसे के लिये बढ़ा सकती है जो एक बार में एक बरस से अधिक न होगा, और जो किसी भी सूरत में ऐलान का अमल खतम होने [illegible] अधिक न चलेगा.

84—कोई आदमी राजपंचायत में कोई सीट भरने के लिये चुने जाने के जोग नहीं होगा जब तक कि वह —

राजपंचायत की मेम्बरी के लिये जोगता

(ए) भारत का नागर न हो;

(बी) रियासत सदन की सीट के लिये कम से कम तीस बरस की और लोकसदन की सीट के लिये कम से कम पच्चीस बरस की उमर का न हो; और

(सी) ऐसी और जोगताएँ न रखता हो जो इस काम के लिये राजपंचायत के बनाए हुए किसी क़ानून में या उसके अधीन बताई जायं.

85—(1) राज पंचायत के सदनों को हर बरस में कम से कम दो बार मिलने के लिये बुलाया जायगा और एक इजलास मे उनकी आखरी बैठक और अगले इजलास में पहली बैठक की जो तारीख ठहराई गई हो उनके बीच छै महीने नहीं बीतने पायंगे.

राजपंचायत के इजलास, उसे बरखास्त करना और भंग करना

(2) धारा (1) के बन्धानों के अधीन रहते हुए, राजपति समय समय पर—

(ए) राजपंचायत के सदनों को या किसी एक सदन को मिलने के लिये जिस समय और जिस जगह ठीक समझे बुला सकता है;

(बी) सदनों को बरखास्त कर सकता है;

(सी) लोकसदन को भंग कर सकता है.

86—(1) राजपति राजपंचायत के किसी भी सदन में या दोनों सदनों की मिलीजुली बैठक में सर-बचन दे सकता है और इस मतलब के लिये मेम्बरों की हाजरी तलब कर सकता है.

राजपति को सदनों में सर-बचन देने और संदेसे भेजने का अधिकार

(2) राजपति राजपंचायत के किसी भी सदन को किसी ऐसे बिल के बारे में जो उस समय राजपंचायत के सामने हो या किसी और मतलब के लिये संदेसे भेज सकता है, और जिस-सदन को इस तरह का कोई संदेसा भेजा जाय वह जितनी जल्दी सुभीते के साथ कर सकेगा उस मामले पर सोच विचार करेगा जिस पर सोच विचार करने को उस संदेसे में कहा गया हो.

हर इजलास के आरंभ में राजपति का खास सर-बचन

87—(1) हर इजलास के आरंभ में राजपति राजपंचायत के दोनों सदनों को इकट्ठा करके सर-बचन देगा और राजपंचायत को उसके बुलाए जाने के कारन बतायगा.

(2) हर सदन के दस्तूर की क़ायदाबन्दी करने वाले नियमों में इस बात का बन्धान किया जायगा कि इस तरह के सर-बचन में जिन मामलों की चरचा की गई हो उनपर बहस करने के लिये समय रखा जाय और यह बहस सदन के और कामों से पहले हो.

सदनों के बारे में वज़ीरों और सर मुख़तार के अधिकार

88—हर वज़ीर को और भारत के सरमुख़तार को यह अधिकार होगा कि वह किसी भी सदन में या सदनों की किसी भी मिलीजुली बैठक में और राजपंचायत की किसी भी ऐसी कमेटी में, जिसके मेम्बरों में उसका नाम हो, बोले और दूसरी तरह कारवाई में हिस्सा ले, मगर वोट देने का हक़दार वह इस दफ़ा की रू से नहीं होगा.

राजपंचायत के अफ़सर

रियासतसदन का मसनदी और उप-मसनदी

89—(1) भारत का उप-राजपति पद-नाते रियासत सदन का मसनदी होगा.

(2) रियासत सदन जितनी जल्दी हो सकेगा, सदन के किसी मेम्बर को उसका उप-मसनदी चुन लेगा और जब जब उप-मसनदी का पद सूना होगा, सदन किसी दूसरे मेम्बर को अपना उप-मसनदी चुन लेगा.

उप-मसनदी का पद सूना होना, उसका इस्तीफ़ा देना और पद से हटाया जाना

90. कोई मेम्बर जो रियासत सदन के उप-मसनदी के पद पर हो—

(ए) अगर सदन का मेम्बर न रहे तो अपना पद सूना कर देगा;

(बी) किसी समय भी मसनदी के नाम अपनी दसख़ती लिखत भेजकर अपने पद से इस्तीफ़ा दे सकता है; और

(सी) सदन के एक ऐसे ठहराव से अपने पद से हटाया

जा सकता है जिसे सदन के उस समय के कुल मेम्बरों की बड़ीयत ने पास किया हो:

शर्तें कि धारा (सी) के मतलब के लिये कोई ठहराव पेश नहीं किया जायगा जब तक कि उस ठहराव को पेश करने के इरादे का कम से कम चौदह दिन का नोटिस न दिया गया हो.

उप-मसनदी को या किसी दूसरे आदमी को मसनदी के पद के फ़रज़ पूरे करने या मसनदी की जगह काम करने की शक्ति

91—(1) जब कभी मसनदी का पद सूना हो, या उस अरसे में जब उप-राजपति राजपति की जगह काम कर रहा हो या उसके काम निभार रहा हो, मसनदी के पद के फ़रज़ उप मसनदी पूरे करेगा, या अगर उप-मसनदी का पद भी सूना हो तो रियासत सदन का वह मेम्बर करेगा जिसको राजपति इस मतलब के लिये नियोजे.

(2) रियासत सदन की किसी बैठक में मसनदी के मौजूद न रहने पर उप-मसनदी, या अगर वह भी मौजूद नहीं है तो कोई ऐसा आदमी, जिसे सदन के दस्तूर के नियम तय करें, या अगर ऐसा कोई आदमी मौजूद नहीं है तो कोई ऐसा दूसरा आदमी जिसे सदन तय करे, मसनदी की जगह काम करेगा.

मसनदी या उप-मसनदी उस समय सदारत नहीं करेगा जबकि उसको पद से हटाने के लिये किसी ठहराव पर विचार किया जा रहा हो

92—(1) रियासत सदन की किसी बैठक में जब कि उप-राजपति को उसके पद से हटाने के लिये किसी ठहराव पर विचार हो रहा हो तो मसनदी, या जब उप-मसनदी को उसके पद से हटाने के लिये किसी ठहराव पर विचार हो रहा हो तो उप-मसनदी, मौजूद होने पर भी सदारत नहीं करेगा, और दफ़ा 91 की धारा (2) के बंधान इस तरह की हर बैठक के बारे में उसी तरह लागू होंगे जिस तरह किसी उस बैठक के बारे में लागू होते जिसमें, मसनदी या उप-मसनदी, जैसी सूरत हो, मौजूद न होता.

(2) जब रियासत सदन में उप-राजपति को उसके पद से हटाने के लिये किसी ठहराव पर विचार हो रहा हो तो मसनदी को सदन में बोलने और दूसरी तरह कारवाई में भाग लेने का अधिकार होगा, पर दफ़ा 100 में किसी बात के रहते भी उस ठहराव

पर या ऐसी कारवाइयों के दौरान में किसी और मामले पर वह वोट देने का बिलकुल हक़दार नहीं होगा.

लोकसदन का सभामुख और उप-सभामुख

93—लोक सदन जितनी जल्दी हो सकेगा सदन के दो मेम्बरों को अलग अलग सदनका सभामुख और उप-सभामुख चुनेगा और जब जब सभामुख या उप-सभामुख का पद सूना होगा, सदन किसी और मेम्बर को सभामुख या उप-सभामुख, जैसी सूरत हो, चुन लेगा.

सभामुख और उप-सभामुख का पद सूना होना, उनका इस्तीफ़ा देना और पद से हटाया जाना

94—कोई मेम्बर जो लोक सदन के सभामुख या उप-सभामुख के पद पर है—

(ए) अगर लोक सदन का मेम्बर न रहे तो अपना पद सूना कर देगा;

(बी) अगर वह मेम्बर सभामुख है तो उप-सभामुख के नाम और अगर वह मेम्बर उप-सभामुख है तो सभामुख के नाम किसी समय भी अपनी दसखती लिखत भेजकर अपने पद से इस्तीफ़ा दे सकता है; और

(सी) लोक सदन के एक ऐसे ठहराव से अपने पद से हटाया जा सकता है जिसे सदन के उस समय के कुल मेम्बरों की बड़ीयत पास कर दे:

शर्ते कि धारा (सी) के मतलब के लिये कोई ठहराव पेश नहीं किया जायगा जबतक कि उस ठहराव को पेश करने के इरादे का कम से कम चौदह दिन का नोटिस न दिया जा चुका हो:

और शर्ते कि जब कभी लोक सदन को भंग किया जाय तो, सदन के भंग होने के बाद अगले लोक सदन की पहली मिलनी के ठीक पहले तक सभामुख अपना पद सूना नहीं करेगा.

उप-सभामुख या किसी दूसरे आदमी को सभामुख के पद के फ़रज़ पूरा करने या सभामुख की जगह काम करने की शक्ति

95—(1) जब कभी सभामुख का पद सूना होगा, उसके पद के फ़रज़ उप-सभामुख पूरे करेगा, या अगर उप-सभामुख का पद भी सूना हो तो लोकसदन का कोई ऐसा मेम्बर करेगा जिसका राजपति इस मतलब के लिये नियोजन कर दे.

(2) लोकसदन की किसी बैठक में सभामुख के मौजूद न रहने पर उप-सभामुख या अगर वह भी मौजूद नहीं है तो कोई ऐसा आदमी जिसे सदन के दस्तूर के नियम तय करें, या अगर ऐसा

कोई आदमी भी मौजूद नहीं है, तो कोई और ऐसा आदमी जिसे सदन तय करे, सभामुख की जगह काम करेगा.

सभामुख या उप-सभामुख सदारत नहीं करेगा जब कि उसको पद से हटाने के लिये किसी ठहराव पर विचार किया जा रहा हो

96—(1) लोक सदन की किसी बैठक में जब कि सभामुख को उसके पद से हटाने के लिये किसी ठहराव पर विचार हो रहा हो तो सभामुख, या जब कि उप-सभामुख को उसके पद से हटाने के लिये किसी ठहराव पर विचार हो रहा हो तो उप-सभामुख, मौजूद होने पर भी, सदारत नहीं करेगा, और दफ़ा 95 की धारा (2) के बन्धान हर ऐसी बैठक के बारे में उसी तरह लागू होंगे जिस तरह किसी ऐसी बैठक के बारे में लागू होते जिसमें सभामुख या उप-सभामुख, जैसी सूरत हो, मौजूद न होता.

(2) लोक सदन में सभामुख को उसके पद से हटाने के लिये जब किसी ठहराव पर विचार हो रहा हो तो सभामुख को उस सदन में बोलने और दूसरी तरह कारवाई में भाग लेने का अधिकार होगा, और दफ़ा 100 में किसी बात के रहते भी वह पहली बार तो उस ठहराव पर या उस कारवाई के दौरान में किसी भी दूसरे मामले पर वोट देने का हक़दार होगा पर बराबर के वोट आने की हालत में नहीं होगा.

मसनदी और उप-मसनदी और सभामुख और उप-सभामुख को तनखाहें और भत्ते

97—रियासत सदन के मसनदी और उप-मसनदी को और लोक सदन के सभामुख और उप-सभामुख को वह तनखाहें और भत्ते मिलेंगे जो राजपंचायत क़ानून बनाकर अलग अलग तय कर दे और जब तक इसके लिये इस तरह का कोई बन्धान नहीं होता तब तक उनको वह तनखाहें और भत्ते मिलेंगे जो दूसरी पट्टी में दर्ज हैं.

राजपंचायत की मन्त्रायत

98—(1) राजपंचायत के हर सदन का अलग अलग मंत्रायती अमला होगा:

शर्तें कि इस धारा की किसी बात से यह मतलब नहीं लिया जायगा कि वह राजपंचायत के दोनों सदनों के लिये शामलाती जगहें बनाए जाने को रोकती है.

(2) राजपंचायत क़ानून बनाकर अपने किसी सदन के मंत्रायती अमले में नियोजे जाने के लिये लोगों की भरती और उनकी नौकरी की शर्तों की क़ायदाबन्दी कर सकती है.

(3) जब तक धारा (2) के अधीन राजपंचायत कोई बन्धान नहीं करती तब तक राजपति लोकसदन के सभामुख से या रियासत सदन के मसनदी से, जैसी सूरत हो, सलाह करने के बाद लोकसदन के या रियासत सदन के मंत्रायती अमले में नियोजे जाने वाले लोगों की भरती और उनकी नौकरी की शर्तों की क़ायदाबन्दी करनेवाले नियम बना सकता है, और जो नियम इस तरह बनाए जायंगे उनका असर उस धारा के अधीन बने हुए क़ानून के बन्धानों के अधीन होगा.

काम का संचालन

मेम्बरों का हलफ़ उठाना या वचन भरना

99. राजपंचायत के हर सदन का हर मेम्बर अपनी सीट लेने से पहले राजपति के सामने या इस काम के लिये राजपति के नियोजे हुए किसी आदमी के सामने, उस रूप के अनुसार हलफ़ उठायगा या वचन भरेगा और उस पर दसखत करेगा जो रूप इस मतलब के लिये तीसरी पट्टी में दिया हुआ है.

सदनों में वोट लेना, सूनियां होने पर भी सदनों को काम करने की शक्ति, और कोरम

100—(1) सिवाय जबकि इस विधान में कुछ और बन्धान किया गया हो, किसी भी सदन की किसी बैठक में या दोनों सदनों की मिली जुली बैठक में सब सवाल, सभामुख को या उस आदमी को जो मसनदी या सभामुख की जगह काम कर रहा हो छोड़कर, उस समय मौजूद और वोट देने वाले सब मेम्बरों के वोटों की बड़ीयत से तय किये जायंगे.

मसनदी या सभामुख या वह आदमी जो उनकी जगह काम कर रहा हो पहले तो वोट नहीं देगा, मगर बराबर वोट आने की सूरत में उसको जिताऊ वोट देने का अधिकार होगा और वह उससे काम लेगा.

(2) राजपंचायत के हर सदन को शक्ति होगी कि उस सदन के मेम्बरों की कुछ सीटें सूनी होने पर भी काम करे, और राजपंचायत की हर कारवाई सरदुरुस्त होगी, भले ही बाद में यह पता चले कि कोई ऐसा आदमी सदन में बैठा, उसने वोट दिया या और किसी तरह कारवाई में भाग लिया जो ऐसा करने का हक़दार नहीं था.

(3) जब तक राजपंचायत क़ानून बनाकर कोई दूसरा बन्धान नहीं करती तब तक राजपंचायत के हरसदन की मिलनी के लिये कोरम उस सदन के कुल मेम्बरों की गिनती का एक दसवाँ होगा.

(4) अगर किसी सदन की किसी मिलनी के दौरान में किसी समय कोरम न रहे तो मसनदी का या सभामुख का या उस आदमी का जो उनकी जगह काम कर रहा हो, फ़र्ज़ होगा कि या तो सदन को मुलतवी कर दे या उस मिलनी को कोरम पूरा हो जाने तक के लिये रोक दे.

मेम्बरों की अजोगताएं

सीटों का सूना होना

101—(1) कोई आदमी राजपंचायत के दोनों सदनों का मेम्बर नहीं होगा, और राजपंचायत क़ानून बनाकर इस बात का बन्धान करेगी कि अगर कोई आदमी दोनों सदनों का मेम्बर चुना जाय तो वह दोनों में से किसी एक सदन में अपनी सीट सूनी कर दे.

(2) कोई आदमी राजपंचायत और पहली पट्टी के भाग (ए) या भाग (बी) में दर्ज किसी रियासत की क़ानून सभा, दोनों का मेम्बर नहीं होगा, और अगर कोई आदमी राजपंचायत और ऐसी किसी रियासत की क़ानूनसभा, दोनों का मेम्बर चुना जाय, तो उस अरसे के पूरा होने पर जो राजपति के बनाए नियमों में दिया हो, राजपंचायत में उस आदमी की सीट सूनी हो जायगी, जब तक कि उसने इससे पहले ही रियासत की क़ानून सभा में अपनी सीट से इस्तीफ़ा न दे दिया हो.

(3) अगर राजपंचायत के किसी सदन का कोई मेम्बर—

(ए) दफ़ा 102 की धारा (1) में बताई किसी अजोगता के अधीन हो जाए; या

(बी) मसनदी या सभामुख के नाम, जैसी सूरत हो, अपनी दसखती लिखत भेजकर अपनी सीट से इस्तीफ़ा दे दे, तो इस पर उसकी सीट सूनी हो जायगी.

(4) अगर राजपंचायत के किसी सदन का कोई मेम्बर साठ दिन के अरसे तक सदन की इजाज़त बिना सदन की सब मिलनियों में नामौजूद रहे तो सदन उसकी सीट को सूनी ठहरा सकता है.

शर्त्त कि साठ दिन के इस अरसे के गिनने में वह अरसा नहीं गिना जायगा जब कि सदन बरखास्त रहा हो या लगातार चार दिन से अधिक के लिये मुलतवी कर दिया गया हो.

मेम्बरी के लिये अजोगताएँ

102—(1) वह आदमी राजपंचायत के किसी सदन का मेम्बर चुने जाने या मेम्बर होने के अजोग होगा—

(ए) जो भारत सरकार के अधीन या किसी रियासत की सरकार के अधीन किसी लाभ के पद पर हो, सिवाय किसी ऐसे पद के जिसे राजपंचायत ने क़ानून बनाकर यह ठहरा दिया हो कि उस पद पर रहने से कोई आदमी अजोग नहीं समझा जायगा;

(बी) जिसका दिमाग़ ठीक नहीं है और जिसे किसी अधिकारी अदालत ने ना-ठीक दिमाग़ का ठहरा दिया है;

(सी) जो ऐसा दिवालिया है जिसे अभी तक बरी नहीं किया गया है;

(डी) जो भारत का नागर नहीं है, या जो अपनी इच्छा से किसी विदेशी राज का नागर बन गया है, या जो किसी विदेशी राज की भक्ति या उससे लगाव मान चुका है;

(ई) जो राजपंचायत के बनाए किसी क़ानून से या उसके अधीन इसके लिये अजोग ठहराया गया है.

(2) इस दफ़ा के मतलबों के लिये कोई आदमी भारत सरकार या किसी रियासत की सरकार के अधीन केवल इसी कारन किसी लाभ के पद पर नहीं समझा जायगा कि वह यूनियन का या उस रियासत का वज़ीर है.

मेम्बरों की अजोगताओं के बारे में सवालों पर फ़ैसला

103—(1) अगर कोई ऐसा सवाल उठे कि राजपंचायत के किसी सदन का कोई मेम्बर दफ़ा 102 की धारा (1) में बताई किसी अजोगता के अन्दर आ गया है या नहीं तो इस सवाल को राजपति के फ़ैसले के लिये भेजा जायगा और उसका फ़ैसला आखरी होगा.

(2) ऐसे किसी सवाल पर कोई फ़ैसला देने से पहले, राजपति चुनाव कमीशन की राय लेगा और उस राय के अनुसार काम

104—अगर कोई आदमी दफ़ा 99 की जरूरतों को पूरा करने से पहले, या जब वह यह जानता हो कि वह राजपंचायत के किसी सदन की मेम्बरी के जोग नहीं है, या उसे उसके अजोग ठहराया गया है, या राजपंचायत के बनाए किसी क़ानून के बन्धानों से उसको मेम्बर की तरह बैठने या वोट देने की मनाही की गई है, राजपंचायत के उस सदन में मेम्बर की तरह बैठेगा या वोट देगा तो जितने दिन वह इस तरह बैठेगा या वोट देगा, उस पर हर दिन के लिये पाँच सौ रुपए दंड लगाया जा सकेगा जो उससे यूनियन के क़रज़े के रूप में वसूल किया जायगा.

दफ़ा 99 के अधीन हलफ उठाने या वचन भरने से पहले या जोग न होने या अजोग ठहराए जाने पर बैठने और वोट देने पर दंड

राजपंचायत और उसके मेम्बरों की शक्तियां, उनके निज-नियम और उनकी बरीयतें

105—(1) इस विधान के बन्धानों और राजपंचायत के दस्तूर की क़ायदाबन्दी करने वाले नियमों और क़ायमी हुकुमों के अधीन रहते हुए, राजपंचायत में बोलने की आज़ादी होगी.

राजपचायत के सदनों की और उनके मेम्बरों और कमेटियों की शक्तियां, निज-नियम वगैरा

(2) राजपंचायत के किसी मेम्बर ने जो कुछ राजपंचायत में या उसकी किसी कमेटी में कहा हो या जिस तरह वोट दिया हो उसके बारे में उस मेम्बर के ख़िलाफ़ किसी भी अदालत में कोई कारवाई नहीं की जा सकेगी, और राजपंचायत के किसी सदन की तरफ़ से या उसके हुकुम से जो कोई रिपोर्ट कागज़, वोट या कारवाई निकाली जाय उसके बारे में किसी आदमी के खिलाफ़ इस तरह की कोई कारवाई नहीं की जा सकेगी.

(3) और बातों में राजपंचायत के हर सदन की और हर सदन के मेम्बरों और कमेटियों की शक्तियां, निजनियम और बरीयतें वह होंगी, जो राजपंचायत समय समय पर क़ानून बनाकर तय करदे, और जब तक इस तरह न तय करदी जाएं तब तक वह होंगी जो इस विधान के आरम्भ के समय यूनाइटिड किंगडम (इंगलिस्तान) की पार्लिमेंट के हाउस आफ़ कामन्स को और उसके मेम्बरों और कमेटियों को हासिल हों.

(4) धारा (1), (2) और (3) के बन्धान जिस तरह राजपंचायत के मेम्बरों के सम्बन्ध में लागू होते हैं उसी तरह उन

लोगों के सम्बन्ध में लागू होंगे जिनको इस विधान की रू से राज-पंचायत के किसी सदन में या उसकी किसी कमेटी में बोलने का या किसी और तरह कारवाई में भाग लेने का अधिकार है.

मेम्बरों की तनखाहें और भत्ते

106—राजपंचायत के हर सदन के मेम्बर वह तनखाहें और भत्ते पाने के हक़दार होंगे जो राजपंचायत समय समय पर क़ानून बनाकर तय करे, और जब तक इस बारे में इस तरह का बन्धान न किया जाय तब तक उनको उसी दर से और उन्हीं शर्तों पर भत्ते मिलेंगे जिनपर इस विधान के आरम्भ से ठीक पहले हिन्द डोमिनियन की विधान सभा के मेम्बरों को मिलते थे.

क़ानूनकारी दस्तूर

बिल रखने और पास करने के बारे में बन्धान

107—(1) नक़दी बिलों और दूसरे माली बिलों के बारे में दफ़ा 109 और दफ़ा 117 के बन्धानों के अधीन रहते हुए, किसी भी बिल की पहल राजपंचायत के किसी भी सदन में की जा सकती है.

(2) दफ़ा 108 और 109 के बन्धानों के अधीन रहते हुए, कोई बिल राजपंचायत के सदनों से पास हुआ उस समय तक नहीं समझा जायगा जब तक कि दोनों सदनों ने, या तो बिना सुधार या केवल ऐसे सुधारों के साथ जिन्हें दोनों सदनों ने मान लिया हो, उस बिल को मान न लिया हो.

(3) कोई बिल जो राजपंचायत के सामने पेश है सदनों के बरख़ास्त हो जाने के कारन गिर नहीं जायगा.

(4) कोई बिल जो रियासत सदन के सामने पेश है और जिसे लोकसदन ने पास नहीं किया है लोकसदन के भंग होने पर गिर नहीं जायगा.

(5) अगर कोई बिल लोकसदन में पेश है या लोकसदन से पास होकर रियासत सदन में पेश है, तो वह दफ़ा 108 के बन्धानों का ध्यान रखते हुए लोकसदन के भंग होने पर गिर जायगा.

कुछ सूरतों में दोनों सदनों की मिली जुली बैठक.

108—(1) अगर किसी बिल के एक सदन से पास होकर दूसरे सदन को भेज दिये जाने के बाद—

(ए) दूसरे सदन ने बिल को नामंज़ूर कर दिया है; या

(बी) बिल में जो सुधार करने हों, उनके बारे में सदनों की राय आख़ीर में मिली न हो; या

(सी) दूसरे सदन में बिल के आने की तारीख़ से छै महीने से अधिक बीत गए हों और उस सदन ने उसे तब तक पास न किया हो,

तो राजपति, जबतक कि वह बिल लोकसदन के भंग होने के कारन गिर न गया हो, अगर सदनों की बैठकें हो रही हों तो संदेसा भेज कर या अगर उनकी बैठकें नहीं हो रही हैं तो आम नोटिस निकाल कर दोनों सदनों को इत्तला दे सकता है कि वह उस बिल पर सोच विचार करने और वोट देने के लिये सदनों की एक मिली जुली बैठक बुलाने का इरादा रखता है.

शर्त कि इस धारा की कोई बात किसी नक़दी बिल पर नहीं लगेगी.

(2) धारा (1) में जिस छै महीने के अरसे की चरचा की गई है उसका हिसाब लगाने में वह समय नहीं गिना जायगा जब उस धारा की उप-धारा (सी) में जिस सदन की चरचा की गई है वह बरखास्त रहा हो या लगातार चार दिन से अधिक के लिये मुलतवी कर दिया गया हो.

(3) जब राजपति ने धारा (1) के अधीन दोनों सदनों की मिली जुली बैठक बुलाने के इरादे का नोटिस दे दिया हो, तो कोई सदन बिल पर आगे कारवाई नहीं करेगा, पर राजपति नोटिस की तारीख़ के बाद किसी समय भी, जो मतलब नोटिस में बताया गया है उसके लिये सदनों की मिली जुली बैठक बुला सकता है, और अगर वह ऐसा करे तो जिस तरह वह बताए उस तरह सदनों की बैठक होगी.

(4) अगर दोनों सदनों की मिली जुली बैठक में ऐसे सुधारों के साथ (अगर कोई ऐसे सुधार हैं तो) जिन्हें मिली जुली बैठक ने मान लिया है, वह बिल दोनों सदनों के मौजूद और वोट देने वाले कुल मेम्बरों की बड़ीयत से पास हो जाय, तो इस विधान के मतलबों के लिये यह समझा जाएगा कि बिल को दोनों सदनों ने पास कर दिया है.

शर्तें कि मिली जुली बैठक में—

(ए) अगर वह बिल एक सदन से पास हो कर दूसरे सदन में सुधारों के साथ पास नहीं होता और जिस सदन में बिल की पहल की गई थी उसको लौटा दिया जाता है तो उस बिल में सिवाय ऐसे सुधारों के (अगर कोई ऐसे सुधार हों तो) जो बिल के पास होने में देर हो जाने के कारन जरूरी हो गए हों, कोई और सुधार नहीं रखा जायगा.

(बी) अगर बिल इस तरह पास करके लौटा दिया गया है तो बिल में केवल ऊपर बताए सुधार और ऐसे दूसरे सुधार हो रखे जा सकेंगे जो उन मामलों से संगत हों जिनके बारे में सदनों की एक राय नहीं है;

और सदारत करने वाले आदमी का यह फ़ैसला कि इस धारा के अधीन कौन से सुधार लिये जा सकते हैं, आखरी होगा.

(5) इस दफ़ा के अधीन मिली जुली बैठक हो सकती है, और उसमें बिल पास किया जा सकता है, भले ही राजपति के सदनों की बैठक बुलाने के इरादे का नोटिस दिये जाने के बाद लोक सदन भंग कर दिया गया हो.

नक़दी बिलों के बारे में खास दस्तूर

109—(1) कोई नक़दी बिल पहले रियासत सदन में नहीं रखा जायगा.

(2) नक़दी बिल लोक सदन से पास होकर रियासत सदन को उसकी सिफ़ारिशों के लिये भेजा जायगा और रियासत सदन बिल के आने की तारीख़ से चौदह दिन के अरसे के अन्दर अन्दर अपनी सिफ़ारिशों के साथ बिल लोक सदन को लौटा देगा, इस पर लोक सदन चाहे तो रियासत सदन की सारी सिफ़ारिशें या कोई सी सिफ़ारिश मान ले या न माने.

को, उन सुधारों के साथ जिनकी रियासत सदन ने सिफ़ारिश की है और जिन्हें लोकसदन ने मान लिया है, दोनों सदनों ने पास कर दिया है.

(4) अगर लोक सदन रियासत सदन की सिफ़ारिशों में से किसी को भी नहीं मानता तो यह समझा जायगा कि नक़दी बिल को, बिना उन सुधारों में से किसी के जिनकी सिफ़ारिश रियासत सदन ने की है, उसी रूप में जिसमें लोक सदन ने उसे पास किया था, दोनों सदनों ने पास कर दिया है.

(5) अगर कोई नक़दी बिल लोक सदन से पास होकर सिफ़ारिशों के लिये रियासत सदन को भेजा गया हो और ऊपर कहे चौदह दिन के अरसे के अन्दर लोक सदन को न लौटाया गया हो, तो यह समझा जायगा कि इस अरसे के बीत जाने पर उस बिल को, उसी रूप में जिसमें लोकसदन ने उसे पास किया था, दोनों सदनों ने पास कर दिया है.

"नक़दी बिल" की परिभाषा

110—(1) इस खंड के मतलबों के लिये वह बिल 'नक़दी बिल' समझा जायगा जिसमें केवल वही बन्धान हों जिनका नीचे लिखे सब मामलों से या इनमें से किसी मामले से सम्बन्ध है, यानी—

(ए) किसी टैक्स का लगाना, अन्त करना, उसमें छूट देना, उसे बदलना या उसकी क़ायदाबन्दी करना;

(बी) रुपया उधार लेने की क़ायदाबन्दी करना, या भारत सरकार का कोई गारन्टी देना, या किसी ऐसी माली जिम्मेदारियों के बारे में, जो भारत सरकार ने ले रखी हों या जिन्हें वह लेने वाली हो, क़ानून में कोई सुधार करना;

(सी) भारत के मूठकोश या जोगाजोग कोश की रखवाली, ऐसे किसी कोश में रुपया जमा करना, या उसमें से रुपया निकालना;

(डी) भारत के मूठकोश में से रुपए को खर्चे की मदों में डालना;

(ई) किसी खर्च को भारत के मूठकोश में से किये जाने

वाला खर्च ठहराना, या इस तरह के किसी खर्च की रकम को बढ़ाना;

(एफ़) भारत के मूठकोश के हिसाब में या भारत के सरकारी हिसाब में रुपया वसूल करना या ऐसे रुपए की रखवाली करना या उसका निकास करना, या यूनियन या किसी रियासत के हिसाब किताब को पड़तालना; या

(जी) (ए) से (एफ़) तक की उपधाराओं में दर्ज मामलों में से किसी के साथ प्रसंग से आया हुआ कोई और मामला.

(2) किसी बिल को केवल इसी कारन नक़दी बिल नहीं समझा जायगा कि वह जुरमाने करने, या रुपए पैसे का कोई दूसरा दंड देने, या लाईसेंसों के लिये या जो कोई सेवाएँ की गई हों उनके लिये फ़ीस मांगने या फ़ीस देने, का बन्धान करता है, या इस कारन कि वह मुक़ामी मतलबों के लिये किसी मुकामी अधिकारी या संस्था के कोई टैक्स लगाने, अन्त करने, उसमें छूट देने, उसको बदलने या उसकी क़ायदाबन्दी करने का बन्धान करता है.

(3) अगर ऐसा कोई सवाल उठे कि कोई बिल नक़दी बिल है या नहीं, तो इस पर लोकसदन के सभामुख का फ़ैसला आख़री होगा.

(4) जब कोई नक़दी बिल दफ़ा 109 के अधीन रियासत सदन को भेजा जाय और जब कोई नक़दी बिल दफ़ा 111 के अधीन मंजूरी के लिये राजपति के सामने रखा जाय, तो हर ऐसे बिल पर लोक सदन के सभामुख की दसख़ती सनद होगी कि वह बिल नक़दी बिल है.

बिलों पर मंज़ूरी

111—जब कोई बिल राजपंचायत के सदनों से पास हो जाय तो उसे राजपति के सामने रखा जायगा, और राजपति ऐलान करेगा कि वह उस बिल पर मंज़ूरी देता है या उससे अपनी मंज़ूरी रोक लेता है.

शर्तें कि किसी बिल के राजपति के सामने मंजूरी के लिये रखे जाने के बाद जितनी जल्दी हो सके राजपति उस बिल को, अगर वह नक़दी बिल नहीं है, तो एक ऐसे संदेसे के साथ सदनों को लौटा सकता है जिसमें यह प्रार्थना की गई हो कि वह बिल पर या उसके किन्हीं बताए हुए बन्धानों पर फिर से सोच विचार करें और ख़ास कर इस बात को सोचें कि अगर राजपति ने अपने संदेसे में किन्हीं सुधारों की सिफ़ारिश की है तो ऐसे किन्हीं सुधारों को ले लेना चाहिये या नहीं, और जब कोई बिल इस तरह वापिस किया जायगा तो उस संदेसे के अनुसार दोनों सदन बिल पर फिर से सोच विचार करेंगे, और अगर दोनों सदन बिल को फिर बिना सुधार या सुधारों के साथ पास कर देते हैं, और वह मंजूरी के लिये राजपति के सामने रखा जाता है, तो राजपति उससे अपनी मंजूरी नहीं रोकेगा.

माली मामलों में दस्तूर

सालाना माली ब्यौरा

112—(1) राजपति हर माली साल के बारे में राजपंचायत के दोनों सदनों के सामने उस साल के लिये भारत सरकार की आमदनी और खर्च के तख़मीने का एक ब्योरा रखवाएगा जिसकी चरचा इस भाग में "सालाना माली ब्योरा" कह कर की गई है.

(2) सालाना माली ब्यौरे के अन्दर खर्च के जो तख़मीने रहेंगे उनमें यह रक़में अलग अलग दिखाई जाएंगी—

(ए) वह रक़में जो उस खर्च के लिये दरकार होंगी जिसे इस विधान में भारत के मूठकोश के खाते में पड़ने वाला खर्च बताया गया है; और

(बी) वह रक़में जो उन दूसरे खर्चों के लिये दरकार होंगी जिनके बारे में यह सुझाव है कि वह भारत के मूठकोश में से किये जाएँ,

और उसमें मालगुज़ारी खाते खर्च और दूसरे खर्चों में फ़रक़ किया जायगा.

(3) नीचे लिखे खर्च वह खर्च होंगे जो भारत के मूठकोश के खाते में पड़ेंगे—

(ए) राजपति का वेतन और भत्ते और उसके पद

सम्बन्धी दूसरे खर्च;

(बी) रियासत सदन के मसनदी और उप-मसनदी और लोकसदन के सभामुख और उप-सभामुख की तनखाहें और भत्ते;

(सी) क़रज़ा खर्च जिसके लिये भारत सरकार देनदार है, जिसमें सूद-ब्याज, बट्टे खाते का खर्च और भुगतान खर्च, और उधार लेने, क़रज़ा जारी रखने और क़रज़ा चुकाने के सम्बन्ध में दूसरे खर्च शामिल होंगे;

(डी) (एक) वह तनखाहें, भत्ते और पेनशनें जो आला अदालत के जजों को या उनके बारे में दी जानी हों;

(दो) वह पेनशनें जो संघ अदालत के जजों को या उनके बारे में दी जानी हों ;

(तीन) वह पेनशनें जो किसी ऐसी हाईकोर्ट के जजों को या उनके बारे में दी जानी हों जिसकी अमलदारी किसी ऐसे छेत्र में है जो भारत के भूभाग में शामिल है या जिसकी अमलदारी इस विधान के आरंभ से पहले किसी समय भी किसी ऐसे छेत्र में थी जो पहली पट्टी के भाग (ए) में दर्ज किसी रियासत के जवाबी सूबे में शामिल था.

(ई) भारत के दाब अफ़सर और सर पड़तालिया को या उसके बारे में दी जाने वाली तनखाह, भत्ते और पेनशन;

(एफ़) वह रक़में जो किसी अदालत या पंचायती अदालत के किसी फ़ैसले, डिगरी या पंच फ़ैसले को चुकाने के लिये दरकार हों;

(जी) कोई दूसरा खर्च जिसे यह विधान या राजपंचायत क़ानून बनाकर ऐसा खर्च ठहरा दे..

तखमीनों के बारे में राजपंचायत का दस्तूर

113—(1) उतने तख़मीने जितनों का सम्बन्ध भारत के मूठकोश के खाते में पड़नेवाले खर्च से है राजपंचायत के सामने वोट के लिये नहीं रखे जायँगे, पर इस धारा की किसी बात का यह मतलब नहीं लिया जाएगा कि वह राजपंचायत के किसी सदन में उन तखमीनों में से किसी पर बहस होने को रोकती है.

(2) उतने तखमीने जितनों का सम्बन्ध दूसरे खर्च से है देनगी की मांगों के रूप में लोक सदन के सामने रखे जायंगे, और लोक सदन को यह शक्ति होगी कि वह किसी मांग को मंजूर कर ले या मंजूर करने से इनकार कर दे, या किसी मांग को उस मांग की दर्ज रक़म में कुछ कमी करके मंजूर कर ले.

(3) राजपति की सिफ़ारिश के बिना किसी देनगी की मांग नहीं की जायगी.

मद्-बटवारा बिल

114—(1) दफ़ा 113 के अधीन लोक सदन के देनगियां पास कर देने के बाद जितनी जल्दी हो सकेगा, एक बिल रखा जाएगा जिस में भारत के मूठकोश में से नीचे लिखे खर्चों के लिये दरकार रुपयों को खर्च के मदों में डालने का बन्धान किया जाएगा—

(ए) जो देनगियां लोकसदन ने इस तरह पास कर दी हों; और

(बी) भारत के मूठकोश के खाते में पड़नेवाले खर्च, पर जो किसी सूरत में भी राजपंचायत के सामने पहले से रखे हुए ब्योरे में दिखाई रक़म से अधिक न होंगे.

(2) ऐसे किसी बिल में राजपंचायत के किसी सदन में सुधार का कोई सुझाव नहीं रखा जाएगा जिससे इस तरह पास की हुई किसी देनगी की रक़म घटाई बढ़ाई जा सके या उसके देन स्थान को बदल दिया जाए, या भारत के मूठकोश के खाते में पड़ने वाले किसी खर्च की रक़म बदल दी जाए, और सदारत करने वाले आदमी का यह फ़ैसला कि इस धारा के अधीन कोई सुधार लिया जा सकता है या नहीं आख़री होगा.

(3) दफ़ा 115 और 116 के बन्धानों के अधीन रहते हुए, भारत के मूठकोश में से कोई रुपया नहीं निकाला जाएगा सिवाय जब कि इस दफ़ा के बन्धानों के अनुसार क़ानून पास कर के उसके ज़रिये बनी हुई ख़र्चे की मदों के अधीन ऐसा किया जाए.

पूरक, सहायक या अधिक देनगियां

115—(1), (ए) अगर दफ़ा 114 के बन्धानों के अनुसार बने किसी क़ानून से किसी ख़ास सेवा पर चालू माली साल के लिये ख़र्च किये जाने को अधिकारी हुई रक़म उस बरस के मतलबों के लिये नाकाफ़ी पाई जाय, या जब किसी चालू माली साल में किसी ऐसी नई सेवा के पूरक या सहायक ख़र्चे की ज़रूरत पैदा हो गई हो जिसका विचार उस साल के सालाना माली ब्योरे में नहीं किया गया था, या

(बी) अगर किसी माली साल की बाबत किसी सेवा के लिये मंज़ूर रक़म से अधिक कोई रुपया उस सेवा पर उस साल ख़र्च हो गया है,

तो राजपति राजपंचायत के दोनों सदनों के सामने उस ख़र्च के तख़मीने की रक़म को दिखाने वाला दूसरा ब्योरा रखवाएगा या लोकसदन के सामने ऐसे अधिक ख़र्च की मांगें पेश कराएगा, जैसी सूरत हो.

(2) ऐसे किसी ब्यौरे और ख़र्च या मांग के सम्बन्ध में, और ऐसी मांग के बारे में उस देनगी या ख़र्चे को पूरा करने के लिये भारत के मूठकोश में से रुपए को ख़र्चे की मदों में डालने का अधिकार देने के लिये बनाए जानेवाले किसी क़ानून के सम्बन्ध में, दफ़ा 112, 113 और 114 के बन्धानों का वही असर होगा जो उनका सालाना माली ब्योरे और उसमें बताए ख़र्च या किसी देनगी की मांग, और उस ख़र्च या देनगी को पूरा करने के लिये भारत के मूठकोश में से रुपए को ख़र्चे की मदों में डालने का अधिकार देने के लिये बनाए जाने वाले किसी क़ानून के सम्बन्ध में होता है.

हिसाब पर वोट, साख की वोट और अलग देनगियां

116—(1) इस खंड के ऊपर लिखे बन्धानों में किसी बात के रहते भी, लोकसदन को यह शक्ति होगी कि—

(ए) किसी देनगी पर वोट लेने के लिये दफ़ा 113 में जो दस्तूर बताया गया है उसके पूरा होने से पहले, और उस खर्च के बारे में दफ़ा 114 के बन्धानों के अनुसार क़ानून पास होने से पहले, किसी माली साल के किसी भाग के लिये खर्च के तखमीने की बाबत पहले से कोई देनगी मंज़ूर कर दे ;

(बी) भारत के साधनों पर किसी अचानक मांग को पूरा करने के लिये, उस सूरत में जब कि उस सेवा के फैलाव या अनिश्चित रूप के कारन वह मांग उन तफ़सीलों के साथ बयान नहीं की जा सकती जो आम तौर पर सालाना माली ब्योरे में दी जाती हैं, देनगी मंज़ूर कर दे ;

(सी) कोई ऐसी अलग देनगी जो किसी माली साल की किसी चालू सेवा का कोई भाग नहीं है, मंज़ूर कर दे ;

और राजपंचायत को शक्ति होगी कि क़ानून बनाकर, वह देनगियाँ जिन मतलबों के लिये मंज़ूर की गई हैं उनके लिये भारत के मूठकोश में से रुपए निकालने का अधिकार दे दे.

(2) धारा (1) के अधीन कोई देनगी मंज़ूर करने के सम्बन्ध में, और उस धारा के अधीन बनाए जाने वाले किसी क़ानून के सम्बन्ध में, दफ़ा 113 और 114 के बन्धानों का वैसा ही असर होगा जैसा कि सालाना माली ब्योरे में बताए किसी खर्च के बारे में कोई देनगी मंज़ूर करने के सम्बन्ध में, और ऐसे खर्च को पूरा करने के लिये भारत के मूठकोश में से रुपए को खर्चे की मदों में डालने का अधिकार देने के लिये बनाए जाने वाले क़ानून के सम्बन्ध में, होता है.

माली बिलों के बारे में खास बन्धान

117—(1) दफ़ा 110 की धारा (1) की (ए) से (एफ़) तक की उप-धाराओं में जो मामले दर्ज हैं उनमें से किसी के लिये बन्धान करने वाला कोई बिल या सुधार नहीं रखा जा सकेगा, न पेश किया जा सकेगा, जब तक कि राजपति उसकी सिफ़ारिश न करे, और इस तरह का बन्धान करनेवाला कोई बिल पहले रियासत सदन में नहीं रखा जायगा:

शर्तें कि किसी ऐसे सुधार को पेश करने के लिये जो किसी टैक्स को कम करने या उसका अंत करने का बन्धान करता हो, इस धारा के अधीन कोई सिफ़ारिश दरकार न होगी.

(2) कोई बिल या सुधार केवल इसी कारन ऊपर बताए किसी मामले के लिये, बन्धान करने वाला नहीं समझा जाएगा कि वह जुरमाने करने या रुपए पैसे का कोई दूसरा दंड देने या लाइसेंसों के लिये या जो कोई सेवाएँ की गई हों उनके लिये फ़ीस मांगने या फ़ीस देने का बन्धान करता है, या इस कारन कि वह मुक़ामी मतलबों के लिये किसी मुक़ामी अधिकारी या संस्था के कोई टैक्स लगाने, अन्त करने, उसमें छूट देने, उसको बदलने या उसकी क़ायदाबन्दी करने का बन्धान करता है.

(3) अगर किसी बिल के क़ानून बन जाने और उस पर अमल होने से भारत के मूठकोश में से खर्च करना पड़े, तो उस बिल को राजपंचायत का कोई सदन पास नहीं करेगा जबतक कि राजपति ने उस बिल पर सोच विचार करने की उस सदन से सिफ़ारिश न की हो.

आम दस्तूर

दस्तूर के नियम

118—(1) इस विधान की शर्तों के अधीन रहते हुए राजपंचायत का हर सदन अपने दस्तूर और काम के संचालन की क़ायदाबन्दी करने के लिये नियम बना सकता है.

(2) जबतक धारा (1) के अधीन नियम नहीं बनते तब तक दस्तूर के जो नियम और जो क़ायमी हुकुम इस विधान के जारी होने से ठीक पहले हिन्द डोमिनियन की कानून सभा के बारे में

सदन का मसनदी या लोकसदन का सभामुख, जैसी सूरत हो, उनमें अदल बदल और अनुकूलन कर सकता है.

(3) राजपति, रियासत सदन के मसनदी और लोक सदन के सभामुख से सलाह करके, दोनों सदनों की मिली जुली बैठकों के बारे में और उनके बीच आवा जाई के बारे में दस्तूर के नियम बना सकता है.

(4) दोनों सदनों की मिली जुली बैठक में लोक सदन का सभामुख या जब वह मौजूद न हो तो कोई ऐसा आदमी जिसे धारा (3) के अधीन बने दस्तूर के नियम तय करें बैठक का सदर होगा.

माली काम के सम्बन्ध में राजपंचायत के दस्तूर की कानून से क़ायदाबन्दी

119—माली काम को समय के अन्दर पूरा करने के मतलब के लिये, राजपंचायत, क़ानून बना कर, किसी माली मामले के सम्बन्ध में या भारत के मूठकोश में से रुपए को खर्चे की मदों में डालने वाले किसी बिल के सम्बन्ध में, राजपंचायत के हर सदन के दस्तूर की और काम के संचालन की क़ायदाबन्दी कर सकती है, और अगर इस तरह बने किसी क़ानून का कोई बन्धान दफ़ा 118 की धारा (1) के अधीन राजपंचायत के किसी सदन के बनाए किसी नियम से या किसी ऐसे नियम या क़ायमी हुकुम से जो उस दफ़ा की धारा (2) के अधीन राजपंचायत के सम्बन्ध में असर रखता हो मेल नहीं खाता, तो उस मेल न खाने की हद तक वह बन्धान ही चलेगा.

राजपंचायतमें काम में आनेवाली भाशा

120—(1) भाग सत्रह में किसी बात के रहते भी, पर दफ़ा 348 के बन्धानों के अधीन रहते हुए, राजपंचायत का काम हिन्दी में या अंगरेज़ी में किया जायगा:

शर्तें कि रियासत सदन का मसनदी या लोकसदन का सभामुख या उनकी जगह काम करने वाला कोई आदमी, जैसी सूरत हो, किसी ऐसे मेम्बर को जो हिन्दी में या अंगरेज़ी में अपने आपको पूरी तरह अदा न कर सकता हो, सदन में अपनी मातृ भाशा में बोलने की इजाज़त दे सकता है.'

(2) जब तक राजपंचायत क़ानून बनाकर कुछ और बन्धान न करे, तब तक इस दफ़ा का, इस विधान के आरम्भ से

पन्द्रह बरस का अरसा बीत जाने के बाद, वही असर होगा मानो "या अंगरेज़ी में" ये शब्द इस दफ़ा में से निकाल दिये गए हों.

राज पंचायत में बहस पर रुकावट

121—आला अदालत के या किसी हाईकोर्ट के किसी जज ने अपने फ़रज़ निभारने में जो कुछ किया हो उसके बारे में राजपंचायत में कोई बहस नहीं की जायगी, सिवाय उस समय जब कि राजपति को इस तरह की एक निवेदनी देने के लिये सुझाव पेश हो जिसमें, जैसा कि आगे चल कर बन्धान किया गया है, उस जज को हटाने के लिये प्रार्थना की गई हो.

राजपंचायत की कारवाई के बारे में अदालतें पूछ-ताछ नहीं करेंगी

122—(1) राजपंचायत की किसी कारवाई की सरदुरुस्ती के बारे में इस बिना पर कोई सवाल नहीं उठाया जायगा कि उसमें दस्तूर की कोई बेक़ायदगी बताई गई है.

(2) राजपंचायत का कोई अफ़सर या मेम्बर, जिसको इस विधान से या इसके अधीन, राजपंचायत के दस्तूर की या काम के संचालन की क़ायदाबन्दी करने के लिये, या राजपंचायत में व्यवस्था बनाए रखने के लिये, शक्तियाँ हासिल हैं, उन शक्तियों से काम लेने के बारे में किसी अदालत की अमलदारी के अधीन न होगा.

खंड तीन—राजपति की कानूनकारी शक्तियाँ

राजपंचायत की छुट्टी के दिनों में राजपति को राजहुकुम जारी करने की शक्ति

123—(1) अगर किसी समय, सिवाय जब कि राजपंचायत के दोनों सदनों का इजलास हो रहा हो, राजपति को यह भरोसा हो जाय कि सूरतें ऐसी हैं जिनमें उसे तुरन्त कारवाई करने की ज़रूरत है तो राजपति ऐसे राजहुकुम जारी कर सकता है जो उन सूरतों में उसे ज़रूरी मालूम हों.

(2) इस दफ़ा के अधीन जो राजहुकुम जारी किया जायगा उसका वही बल और असर होगा जो राजपंचायत के किसी ऐक्ट का, पर हर ऐसे राजहुकुम को—

(ए) राजपंचायत के दोनों सदनों के सामने रखा जायगा, और राजपंचायत के फिर मिलने से छै हफ़्ते बीत जाने पर या अगर इस अरसे के बीत चुकने से पहले ही दोनों सदनों ने उस राजहुकुम को नापसन्द करने के ठहराव पास कर दिये हैं तो

इनमें से दूसरे ठहराव के पास होने पर, वह राज-
हुकुम आगे अमल में नहीं रहेगा; और

(बी) राजपति कभी भी वापस ले सकता है.

समझाव—जब राजपंचायत के सदनों को फिर से मिलने के लिये अलग अलग तारीखों पर बुलाया गया हो, तो इस धारा के मतलबों के लिये छै हफ़्ते का अरसा उन तारीखों में से पिछली तारीख से गिना जायगा.

(3) अगर और जहाँ तक, इस दफ़ा के अधीन कोई राज-हुकुम कोई ऐसा बन्धान करता है जिसे राजपंचायत को इस बिधान के अधीन क़ानून का रूप देने का अधिकार नहीं है, वहाँ तक वह राजहुकुम रद्द होगा.

खंड चार—यूनियन की न्यायकारी

124—(1) भारत की एक आला अदालत होगी जिसमें भारत का सरजज होगा और, जब तक राजपंचायत क़ानून बनाकर कोई अधिक गिनती न तय करे तब तक सात से अधिक दूसरे जज नहीं होंगे.

आला अदालत का क़ायम होना और उसकी बनावट

(2) आला अदालत के हर जज का नियोजन राजपति, आला अदालत के और रियासतों की हाईकोर्टों के उन जजों से सलाह करके, जिन्हें राजपति इस मतलब के लिये जरूरी समझे, एक हुकुमनामे से करेगा जिस पर उसके दसखत होंगे और मुहर होगी, और वह जज पैंसठ बरस की उमर पूरी करने तक अपने पद पर रहेगा:

शर्ते कि सरजज को छोड़कर और किसी जज का नियोजन करने में भारत के सरजज की सलाह हमेशा ली जायगी:

और शर्ते कि—

(ए) कोई जज राजपति के नाम अपनी दसखती लिखत भेजकर अपने पद से इस्तीफ़ा दे सकता है;

(बी) धारा (4) में बताए ढंग से किसी भी जज को उसके पद से हटाया जा सकता है.

(3) कोई आदमी आला अदालत का जज नियोजे जाने

के जोग नहीं होगा जब तक वह भारत का नागर न हो, और

(ए) कम से कम पांच बरस तक किसी हाईकोर्ट का या लगातार दो या अधिक हाईकोर्टों का जज न रह चुका हो ; या

(बी) कम से कम दस बरस तक किसी हाईकोर्ट में या लगातार दो या अधिक हाईकोर्टों में वकील न रह चुका हो.

(सी) राजपति की राय में नामी क़ानून शास्त्री न हो.

समझाव (1)—इस धारा में "हाईकोर्ट" का अर्थ है वह हाईकोर्ट जिसकी अमलदारी भारत के भूभाग के किसी भाग में है या इस विधान के आरम्भ से पहले किसी समय थी.

समझाव (2)—इस धारा के मतलब के लिये उस अरसे को गिनने में जिसमें कोई आदमी वकील रहा है वह अरसा भी शामिल कर लिया जायगा जब वकील बनने के बाद उसने किसी ऐसे जजी के पद पर काम किया हो जो ज़िला जज के पद से नीचा न हो.

(4) आला अदालत का कोई जज अपने पद से हटाया नहीं जायगा, सिवाय जब कि राजपंचायत के हर सदन ने एक ही इजलास में किसी जज के इस बिना पर हटाए जाने के लिये एक निवेदनी राजपति के सामने रखी हो, कि उस जज का बदव्योहार या उसकी नाक़ाबलियत साबित हो चुकी है, और उस निवेदनी का सदन के कुल मेम्बरों की बड़ीयत ने और सदन में उस समय मौजूद और वोट देने वाले मेम्बरों में से कम से कम दो तिहाई की बड़ीयत ने समर्थन किया हो, और इसके बाद राजपति एक हुकुम जारी करके उस जज को हटाए.

(5) धारा (4) के अधीन निवेदनी रखे जाने के लिये और किसी जज के बदव्योहार या नाक़ाबलियत की जांच और सबूत के लिये जो दस्तूर होगा उसकी क़ायदाबन्दी राजपंचायत क़ानून बना कर कर सकती है.

(6) हर वह आदमी जो आला अदालत का जज नियोजा जाए अपना पद संभालने से पहले राजपति के सामने या किसी

दूसरे आदमी के सामने, जिसे राजपति ने इस काम के लिये नियोजा हो, उस रूप में हलफ़ उठायगा या वचन भरेगा जो इस मतलब के लिये तीसरी पट्टी में दिया गया है और उस पर दसखत करेगा.

(7) कोई आदमी जो आला अदालत के जज के पद पर रह चुका है, भारत के भूभाग के अन्दर किसी अदालत में या किसी अधिकारी के सामने वकालत नहीं करेगा, न काम करेगा.

जजों को तनखाहें वगैरा

125—(1) आला अदालत के जजों को वह तनखाहें दी जायंगी जो दूसरी पट्टी में दर्ज हैं.

(2) हर जज वह निजनियम और भत्ते पाने का हक़दार होगा और छुट्टी और पेनशन के बारे में उसके वह अधिकार होंगे जो समय समय पर राजपंचायत के बनाए कानून में या उसके अधीन तय कर दिये जायँ, और जब तक इस तरह तय नहीं किये जाते तब तक उसको वह निजनियम, भत्ते और अधिकार मिलेंगे जो दूसरी पट्टी में बताए गए हैं:

शर्त कि किसी जज के नियोजन के बाद उसके निजनियमों या भत्तों में या छुट्टी या पेनशन के बारे में उसके अधिकारों में कोई ऐसी अदल बदल नहीं की जायगी जिससे वह घाटे में रहे.

कारकर सर जज का नियोजन

126—जब भारत के सरजज का पद सूना हो या जब नामौजूदगी या किसी और कारन से सरजज अपने पद के फ़रज़ पूरे न कर सके तो उसके पद के फ़रज़ उस अदालत के दूसरे जजों में से कोई एक ऐसा जज पूरा करेगा जिसका राजपति इस मतलब के लिये नियोजन करे.

ज़रूरती जजों का नियोजन

127—(1) अगर किसी समय आला अदालत के इजलास करने या जारी रखने के लिये अदालत के जजों का कोरम पूरा न हो, तो भारत का सर जज, पहले से राजपति की अनुमति लेकर, किसी हाईकोर्ट के किसी ऐसे जज से, जो क़ायदे से आला अदालत के जज नियोजे जाने के जोग हो, और जिसे भारत का सरजज उस पद पर नामज़द कर सके, उस हाईकोर्ट के सरजज से सलाह कर के, जितने अरसे के लिये ज़रूरी हो, आला अदालत की बैठकों

में ज़रूरती जज की हैसियत से आने के लिये लिख कर प्रार्थना कर सकता है.

(2) जिस जज को इस तरह नामज़द किया गया हो उसका यह फ़रज़ होगा कि वह, अपने पद के और फ़रज़ों को पूरा करने से पहले, जिस समय और जितने अरसे के लिये उसकी हाज़री दरकार हो, आला अदालत की बैठकों में आए, और जब तक वह इस तरह आता रहेगा उसको आला अदालत के जज की पूरी अमलदारी, शक्तियां और निजनियम मिलेंगे और वह जज के फ़रज़ निभारेगा.

आला अदालत की बैठकों में सेवामुक्त जजों का आना।

128—इस खंड में किसी बात के रहते भी, भारत का सरजज किसी समय भी, राजपति की पहले से अनुमति लेकर, किसी ऐसे आदमी से जो कभी आला अदालत के या संघ अदालत के जज के पद पर रह चुका है, प्रार्थना कर सकता है कि वह आला अदालत के जज की हैसियत से बैठे और काम करे, और हर वह आदमी जिससे इस तरह की प्रार्थना की गई हो, जब तक वह इस तरह बैठेगा और काम करेगा उन भत्तों का हक़दार होगा जो राजपति हुकम देकर तय कर दे और उसे आला अदालत के जज की सारी अमलदारी, शक्तियाँ और निजनियम मिलेंगे, मगर वह किसी और तरह उस अदालत का जज नहीं समझा जायगा:

शर्त्त कि इस दफ़ा की किसी बात से यह नहीं समझा जायगा कि किसी ऐसे आदमी को जिसकी चरचा ऊपर की गई है आला अदालत का जज बन कर बैठना और काम करना होगा जब तक कि वह ऐसा करने को राज़ी न हो जाय.

आला अदालत एक नज़ीरी अदालत होगी

129—आला अदालत एक नज़ीरी अदालत होगी और उसे अपनी तौहीन के लिये सज़ा देने की शक्ति समेत नज़ीरी अदालत की सब शक्तियाँ होंगी.

आला अदालत के बैठने की जगह

130—आला अदालत देहली में या किसी और ऐसी जगह या जगहों में बैठेगी जो भारत का सर जज, राजपति की रज़ामन्दी से,

131—इस विधान के बन्धानों के अधीन रहते हुए, नीचे लिखे मामलों में पहली सुनवाई का अधिकार आला अदालत को होगा और किसी दूसरी अदालत को नहीं होगा—

आला अदालत को पहली सुनवाई का अधिकार

(ए) भारत सरकार और एक या अधिक रियासतों के बीच कोई झगड़ा; या

(बी) कोई ऐसा झगड़ा जिसमें भारत सरकार और एक या अधिक रियासतें एक तरफ़ हों और एक या अधिक रियासतें दूसरी तरफ़ हों; या

(सी) दो या अधिक रियासतों के बीच कोई झगड़ा.

यह अधिकार उस सूरत में और उस हद तक ही होगा जिस हद तक उस झगड़े में कोई ऐसा (क़ानूनी या वाक़याती) सवाल उठता हो जिस पर किसी क़ानूनी अधिकार का होना या उसका फैलाव निर्भर हो:

शर्तें कि सुनवाई का यह अधिकार उस झगड़े में नहीं होगा—

(एक) जिसमें एक फ़रीक़ पहली पट्टी के भाग (बी) में दर्ज कोई रियासत है, अगर वह झगड़ा किसी ऐसे संधिनामे, समझौते, मुआहिदे, इक़रारनामे, सनद या ऐसे ही किसी और पट्टे की किसी शर्त से उठा है जो इस विधान के आरंभ से पहले किया गया था या लिखा गया था और जो विधान के आरंभ के बाद अमल में रहा है या रखा गया है;

(दो) जिसमें एक फ़रीक़ कोई रियासत है, अगर वह झगड़ा किसी ऐसे संधिनामे, समझौते, मुआहदे, इक़रारनामे, सनद या ऐसे ही किसी और पट्टे की किसी शर्त से उठा है जिसमें यह बन्धान कर दिया गया है कि इस अमलदारी का फैलाव उस तरह के झगड़े तक नहीं होगा.

132—(1) अगर भारत के भूभाग में कोई हाईकोर्ट यह सनद दे दे कि उसकी किसी दीवानी, फ़ौजदारी या दूसरी कारवाई में इस विधान के अर्थ करने के बारे में क़ानून का कोई ठोस सवाल उठता है तो उस कारवाई में उस हाईकोर्ट के किसी फ़ैसले, डिगरी या आख़री हुकुम की अपील आला अदालत में की जा सकेगी.

कुछ सूरतों में आला अदालत को हाईकोर्टों की अपीलें सुनने की अपीली अमलदारी

(2) जहाँ हाईकोर्ट ने उस तरह की सनद देने से इनकार कर दिया हो, वहां अगर आला अदालत को भरोसा हो जाए कि उस मुकदमे में विधान के अर्थ करने के बारे में क़ानून का कोई ठोस सवाल उठता है तो आला अदालत इस तरह के फ़ैसले, डिगरी या आखरी हुकुम की अपील करने के लिये खास इजाज़त दे सकती है.

(3) जहां इस तरह की सनद दे दी गई हो, या इस तरह इजाज़त दे दी गई हो, वहां उस मुकदमें का कोई फ़रीक़ इस बिना पर कि किसी ऐसे सवाल का फ़ैसला जिसकी चरचा ऊपर की गई है ग़लत दिया गया है, और आला अदालत की इजाज़त से किसी दूसरी बिना पर भी, अपील कर सकता है.

समझाव—इस दफ़ा के मतलबों के लिये "आखरी हुकुम" शब्दों में वह हुकुम शामिल है जो किसी ऐसे उठावे का फ़ैसला करता हो जिसका फ़ैसला अगर अपील करने वाले के हक़ में हो जाए तो वह मुकदमे को निबटाने के लिये काफ़ी हो.

दीवानी मामलों के बारे में हाईकोर्टों की अपीलें सुनने की आला अदालत की अपीली अमलदारी

133—(1) भारत के भूभाग में हर हाईकोर्ट की किसी दीवानी कारवाई के अन्दर किसी फ़ैसले, डिगरी या आखरी हुकुम की अपील आला अदालत में की जा सकेगी, अगर हाईकोर्ट यह सनद दे दे कि—

(ए) सबसे पहली अदालत में जिस चीज़ पर झगड़ा था और जिस पर अपील के समय तक झगड़ा चल रहा है, उसकी रक़म या मालियत बीस हज़ार रुपए से कम नहीं थी और न है, या उस रक़म से कम नहीं है जो राजपंचायत क़ानून बनाकर इस काम के लिये तय करदे; या

(बी) उस फ़ैसले, डिगरी या आखरी हुकुम में सीधे या ना सीधे उतनी ही रक़म या मालियत की जायदाद के सम्बन्ध में कोई दावा या सवाल आ जाता है या

(सी) मुक़दमा आला अदालत में अपील के क़ाबिल है;

और अगर उपधारा (सी) में जिस मुक़द्दमे की चरचा की गई है उसको छोड़कर किसी और मुक़द्दमे में, उस फ़ैसले, डिगरी या आख़री हुकुम में जिसकी अपील की गई है, ठीक निचली अदालत के फ़ैसले को ही पक्का किया गया हो, तो हाईकोर्ट यह भी सनद दे कि अपील में क़ानून का कोई ठोस सवाल आ जाता है.

(2) दफ़ा 132 में किसी बात के रहते भी, कोई फ़रीक़ जो धारा (1) के अधीन आला अदालत में अपील करे वह इस तरह के अपील की एक बिना यह भी रख सकता है कि मुक़द्दमे में, इस विधान के अर्थ करने के सम्बन्ध में, क़ानून के किसी ठोस सवाल का फ़ैसला ग़लत दिया गया है.

(3) इस दफ़ा में किसी बात के रहते भी, किसी हाईकोर्ट के किसी एक जज के किसी फ़ैसले, डिगरी या आख़री हुकुम के ख़िलाफ़ आला अदालत में कोई अपील नहीं की जा सकेगी, जबतक कि राजपंचायत क़ानून बना कर कोई और बन्धान न कर दे.

फ़ौजदारी मामलों के बारे में आला अदालत की अपीली अमलदारी

134—(1) आला अदालत को भारत के भूभाग में किसी हाईकोर्ट की किसी फ़ौजदारी कारवाई में किसी फ़ैसले, आख़री हुकुम या सज़ा के हुकुम की अपील सुनने का अधिकार होगा अगर हाईकोर्ट ने—

(ए) अपील में किसी मुलज़िम की बेगुनाही के हुकुम को उलट दिया हो, और उसको मौत की सज़ा दे दी हो ; या

(बी) कोई मुक़द्दमा अपने अधिकार के मातहत किसी अदालत से हटाकर जाँच के लिये अपने पास मंगवा लिया हो, और उसमें मुलज़िम को दोशी ठहराया हो और मौत की सज़ा दी हो; या

(सी) यह सनद दी हो कि मुक़द्दमा आला अदालत में अपील के क़ाबिल है:

शर्तें कि उपधारा (सी) के अधीन अपील उन बन्धानों के अधीन रहते हुए ही की जा सकेगी जो दफ़ा 145 की धारा (1) के अधीन

इस बारे में बनाए जायँ और उन शर्तों के अधीन होगी जो हाईकोर्ट क़ायम कर दे या चाहे.

(2) राजपंचायत, क़ानून बना कर, उन शर्तों और सीमाओं के अधीन रहते हुए जो उस क़ानून में बताई गई हों, आला अदालत को भारत के भूभाग में किसी हाईकोर्ट की किसी फ़ौजदारी कारवाई में किसी फ़ैसले, आख़री हुकुम या सज़ा के हुकुम की अपील लेने और सुनने की और अधिक शक्तियाँ दे सकती है.

मौजूदा क़ानून के अधीन संघ अदालत की अमलदारी और शक्तियों से आला अदालत का काम ले सकना

135—जब तक राज पंचायत क़ानून बना कर कुछ और बन्धान न कर दे, तब तक आला अदालत की अमलदारी और शक्तियाँ किसी ऐसे मामले के बारे में भी होंगी जिस पर दफ़ा 133 या दफ़ा 134 के बन्धान लागू नहीं होते, अगर उस मामले के सम्बन्ध में उस अमलदारी और उन शक्तियों से किसी मौजूदा क़ानून के अधीन इस विधान के आरंभ से ठीक पहले संघ अदालत काम ले सकती थी.

आला अदालत का अपील की खास इजाज़त देना

136—(1) इस खंड में किसी बात के रहते भी, आला अदालत, अपनी समझ से, किसी मुक़दमे या मामले में, भारत के भूभाग के अन्दर की किसी अदालत या पंचायती अदालत के किसी फ़ैसले, डिगरी, निबटारे, सज़ा के हुकुम या दूसरे हुकुम की अपील करने की खास इजाज़त दे सकती है.

(2) धारा (1) की कोई बात किसी ऐसे फ़ैसले, निबटारे, सज़ा के हुकुम या दूसरे हुकुम पर लागू नहीं होगी जो किसी ऐसी अदालत या पंच अदालत ने दिया हो जो अदालत या पंच अदालत हथियार बन्द फ़ौजों से सम्बन्ध रखनेवाले किसी क़ानून से या उसके अधीन बनाई गई हो.

आला अदालत के फ़ैसलों या हुकुमों पर नज़रसानी

137—राजपंचायत के बनाए किसी क़ानून के बन्धानों का या दफ़ा 145 के अधीन बने किन्हीं नियमों का ध्यान रखते हुए, आला अदालत को हर फ़ैसले पर जो उसने सुनाया हो या हर हुकुम पर जो उसने दिया हो नज़रसानी करने की शक्ति होगी.

आला अदालत को अमलदारी को

138—(1) आला अदालत को, यूनियन तालिका में दर्ज किसी भी मामले के बारे में, वह अमलदारी और शक्तियां भी होंगी जो

(2) आला अदालत को किसी भी मामले के बारे में वह अमलदारी और शक्तियां भी होंगी जो भारत सरकार और किसी रियासत की सरकार आपस में ख़ास समझौता करके उसे सौंप दें, अगर राजपंचायत क़ानून बना कर इस बात का बन्धान कर दे कि आला अदालत उस अमलदारी और उन शक्तियों से काम ले सकती है.

आला अदालत को कुछ परवाने जारी करने की शक्तियां सौंपना

139—राजपंचायत, क़ानून बनाकर, दफ़ा 32 की धारा (2) में बताए मतलबों को छोड़ कर किसी और मतलब के लिये, निर्देश, हुकुम, या परवाने जारी करने की शक्ति आला अदालत को सौंप सकती है; इन परवानों में परवाना तन-तलबी, परवाना हुकुम, परवाना मनाही, परवाना अधिकार-बताई और परवाना मिसल-मंगाई जैसे या इनमें से कोई परवाने भी हो सकते हैं.

आला अदालत की सहायक शक्तियां

140—राजपंचायत, क़ानून बना कर, आला अदालत को ऐसी पूरक शक्तियां सौंपने का बन्धान कर सकती है जो इस विधान के किसी बन्धान से बेमेल न हों और जिनको राजपंचायत इस मतलब के लिये जरूरी या चहीती समझे कि आला अदालत उस अमलदारी से अधिक असरदार ढंग से काम ले सके जो इस विधान में या इसके अधीन उस अदालत को दी गई हैं.

आला अदालत जो क़ानून ठहरा दे उससे सब अदालत बंधी होंगी

141—आला अदालत जो क़ानून ठहरा देगी उससे भारत के भूभाग के अन्दर की सब अदालतें बँधी होंगी.

आला अदालत की डिगरियों और हुकुमों पर अमल, और खोज वगैरा के बारे में हुकुम

142—(1) अपनी अमलदारी से काम लेने में आला अदालत कोई ऐसी डिगरी जारी कर सकती है या कोई ऐसा हुकुम दे सकती है जो किसी ऐसे मुक़द्दमे या मामले में, जो उसके सामने पेश हो, पूरा इन्साफ़ करने के लिये जरूरी हो, और उस डिगरी या उस हुकुम पर भारत के सारे भूभाग में उस ढंग से अमल कराया जा सकेगा जो राजपंचायत के बनाए किसी क़ानून में या उसके अधीन बताया गया हो, और जबतक इस काम के लिये इस तरह बन्धान न किया जाय तब तक उस ढंग से अमल कराया जायगा जो राजपति हुकुम देकर बताए.

(2) राज पंचायत के बनाए किसी ऐसे क़ानून के बन्धानों के अधीन रहते हुए जो इस काम के लिये बना हो, आला अदालत को भारत के सारे भूभाग में पूरी और हर तरह की शक्ति होगी कि वह किसी आदमी को हाज़िर कराने, किन्हीं कागज़ पत्रों को खोज निकलवाने या पेश कराने, या ख़ुद अपनी किसी तौहीन की जाँच कराने या उसकी सज़ा दिलाने के लिये कोई हुकुम जारी करे.

राजपति को आला अदालत से राय लेने की शक्ति

143—(1) अगर किसी समय राजपति को मालूम हो कि कोई ऐसा क़ानूनी या वाक़याती सवाल उठा है या उठ सकता है जो इस तरह का और इतने लोक महत्व का है कि उस पर आला अदालत की राय लेना समयोचित होगा, तो वह उस सवाल को सोच विचार के लिये आला अदालत के पास भेज सकता है, और आला अदालत, ऐसी सुनवाई के बाद जो वह ठीक समझे, उस सवाल पर अपनी राय की रिपोर्ट राजपति को भेज सकती है.

(2) दफ़ा 131 की शर्त की धारा (1) में किसी बात के रहते भी, राजपति, उस धारा में जिस तरह के झगड़े का ज़िक्र आया है, उसे राय के लिये आला अदालत के पास भेज सकता है, और आला अदालत, ऐसी सुनवाई के बाद जिसे वह ठीक समझे, उस झगड़े पर अपनी राय की रिपोर्ट राजपति को देगी.

दीवानी और न्यायकारी अधिकारियों का आला अदालत की मदद के लिये काम करना

144—भारत के भूभाग के सब दीवानी और न्यायकारी अधिकारी आला अदालत की मदद के लिये काम करेंगे.

अदालत के नियम वगैरा

145—(1) किसी भी ऐसे क़ानून के बन्धानों के अधीन रहते हुए जो राजपंचायत बनाए, आला अदालत, समय समय पर, राजपति की रज़ामन्दी से, अपने काम और दस्तूर की आम क़ायदाबन्दी के लिये, नियम बना सकती है, जिनमें नीचे लिखे नियम भी हो सकते हैं—

(ए) उस अदालत के सामने वकालत करने वाले लोगों के बारे में नियम ;

(बी) अपीलें सुनने के दस्तूर के और अपीलों से सम्बन्ध रखनेवाले दूसरे मामलों के बारे में नियम, जिनमें यह भी आजायगा कि कितने समय के अन्दर अदालत में अपीलें दाखिल हो जानी चाहियें;

(सी) भाग (तीन) के जरिये दिये हुए अधिकारों में से किसी पर अमल कराने के लिये उस अदालत में कारवाई के नियम ;

(डी) दफ़ा 134 की धारा (1) की उपधारा (सी) के अधीन अपीलें लेने के बारे में नियम ;

(ई) उन शर्तों के बारे में नियम जिनके अधीन उस अदालत के सुनाए हुए किसी फ़ैसले या उसके किसी हुकुम पर नजरसानी की जा सके, और इस तरह की नजरसानी के लिये दस्तूर संबंधी नियम जिनमें यह भी आजायगा कि कितने समय के अंदर इस तरह की नजरसानी के लिये अदालत में दरखास्तें दाखिल की जा सकती हैं ;

(एफ़) उस अदालत के अन्दर किसी कारवाई के खर्चों और उस कारवाई के प्रसंगी खर्चों के बारे में, और उस अदालत की कारवाई के सम्बन्ध में ली जाने वाली फ़ीसों के बारे में नियम ;

(जी) जमानत की मंजूरी के बारे में नियम ;

(एच) कारवाई रोक दिये जाने के बारे में नियम ;

(आइ) किसी ऐसी अपील को झटपट निबटा देने के लिये बन्धान करनेवाले नियम जो अपील अदालत की निगाह में लचर हो या तंग करने के लिये या देर लगाने के लिये की गई हो ;

(जे) दफ़ा 317 की धारा (1) में जिस पूछताछ की चरचा की गई है उसके दस्तूर के नियम.

(2) धारा (3) के बन्धानों के अधीन रहते हुए, जो नियम इस दफ़ा के अधीन बनाए जायँ उनमें यह तय किया जा सकता है

कि किसी मतलब के लिये कम से कम कितने जज बैठेंगे, और उनमें इस बात का बन्धान भी किया जा सकता है कि अकेले जजों और डिविज़न अदालतों की क्या क्या शक्तियाँ होंगी.

(3) किसी ऐसे मुक़द्मे का फ़ैसला करने के लिये जिसमें इस विधान के अर्थ करने के सम्बन्ध में क़ानून का कोई ठोस सवाल उठता हो, या दफ़ा 143 के अधीन राय लेने के लिये आए हुए किसी मामले को सुनने के लिये, जो जज बैठेंगे उनकी गिनती कम से कम पाँच होगी:

शर्त कि जहाँ दफ़ा 132 को छोड़कर इस खंड के किसी और बन्धान के अधीन अपील सुननेवाली किसी अदालत में पाँच से कम जज हैं, और अपील सुनने के दौरान में अदालत को भरोसा हो जाय कि अपील में, इस विधान के अर्थ करने के संबन्ध में, क़ानून का कोई ठोस सवाल उठता है, जिसका तय करना अपील के फ़ैसले के लिये ज़रूरी है, तो वह अदालत ऐसे सवाल को राय के लिये किसी ऐसी अदालत के पास भेज देगी जो इस धारा के अनुसार ऐसे किसी मुक़द्मे का फ़ैसला करने के लिये, जिसमें इस तरह का सवाल आता है, बनाई गई हो, और उस अदालत की राय आने पर उस राय के मुताबिक़ उस अपील का फ़ैसला कर देगी.

(4) आला अदालत सिवाय खुले इजलास के अपना कोई फ़ैसला नहीं देगी, और दफ़ा 143 के अधीन कोई रिपोर्ट नहीं करेगी जब तक कि वह रिपोर्ट ऐसी राय के मुताबिक़ न हो जो खुले इजलास में दी गई है.

(5) आला अदालत कोई फ़ैसला और ऐसी कोई राय नहीं देगी जबतक कि मुक़द्मे की सुनवाई के समय मौजूद जजों की बड़ीयत उससे सहमत न हो, पर इस धारा की किसी बात से यह न समझा जायगा कि वह किसी जज को जो सहमत नहीं है अपना अनमिल फ़ैसला या अनमिल राय देने से रोकती है.

आला अदालत के अफ़सर और नौकर

146—(1) आला अदालत के अफ़सरों और नौकरों का नियोजन भारत का सरजज या अदालत का वह दूसरा जज या अफ़सर करेगा

से नियोजेगा, और वह अपने पद से केवल उसी ढंग से और उन्हीं बिनाओं पर हटाया जा सकेगा जिन पर आला अदालत का कोई जज हटाया जा सकता है.

(2) हर आदमी जो भारत का दाव अफ़सर और सर पड़तालिया नियोजा जाए, अपना पद संभालने से पहले, राजपति के या किसी ऐसे आदमी के सामने जिसको राजपति इस काम के लिये नियोजे, तीसरी पट्टी में इस मतलब के लिये दर्ज रूप के अनुसार, हलफ़ उठायगा या वचन भरेगा और उस पर दसखत करेगा.

(3) दाव अफ़सर और सर पड़तालिया की तनखाह और नौकरी की दूसरी शर्तें वह होंगी जो राजपंचायत क़ानून बना कर तय करे, और जब तक इस तरह तय न हों तब तक वह होंगी जो दूसरी पट्टी में दर्ज हैं :

शर्तें कि दावअफ़सर और सर पड़तालिया की तनखाह में, और छुट्टी या पेनशन के बारे में या सेवामुक्त होने की उमर के बारे में उसके अधिकारों में, उसके नियोजन के बाद, कोई ऐसी अदल बदल नहीं की जायगी जिससे वह घाटे में रहे.

(4) अपने पद से हट जाने के बाद दाव अफ़सर और सर पड़तालिया भारत सरकार के अधीन या किसी रियासत की सरकार के अधीन और कोई पद लेने का पात्र न होगा.

(5) इस विधान के बन्धानों के और राजपंचायत के बनाए किसी क़ानून के अधीन रहते हुए, भारत पड़ताल और हिसाब महकमें में नौकरी करने वाले लोगों की नौकरी की शर्तें और दाव अफ़सर और सरपड़तालिया की शासनी शक्तियां वह होंगी जो कि, दाव अफ़सर और सर पड़तालिया से सलाह करने के बाद, राजपति नियम बनाकर तय करदे.

(6) दाव अफ़सर और सर पड़तालिया के दफ़्तर के शासनी खर्च, जिसमें उस दफ़्तर में नौकरी करने वाले लोगों को या उनके बारे में दी जाने वाली सब तनख़ाहें, भत्ते और पेनशनें भी शामिल होंगी, भारत के मूठकोश के खाते में पड़ेंगे.

149. दाब अफ़सर और सर पड़तालिया यूनियन के, और रियासतों के और किसी दूसरे अधिकारी या संस्था के हिसाब किताब संबंधी ऐसे फ़रज़ों को पूरा करेगा और ऐसी शक्तियों से काम लेगा जो राजपंचायत के बनाए किसी क़ानून में या उसके अधीन बताई जायं, और जब तक इस काम के लिये इस तरह बन्धान नहीं किया जाता तब तक वह यूनियन और रियासतों के हिसाब किताब के संबंध में ऐसे फ़रज़ पूरा करेगा और उन शक्तियों से काम लेगा जो हिन्द डोमिनियन और सूबों के हिसाब किताब के संबंध में अलग अलग इस विधान के आरंभ से ठीक पहले हिन्द के सर पड़तालिया को सौंपी गई थी या जिनसे वह काम ले सकता था.

दाब अफ़सर और सर पड़तालिया के फ़रज़ और शक्तियाँ

150—यूनियन के और रियासतों के हिसाब किताब उस रूप में रखे जायंगे जो भारत का दाब अफ़सर और सर पड़तालिया, राजपति की रज़ामन्दी से, तय कर दे.

दाबअफ़सर और सरपड़तालिया को हिसाब किताब के संबंध में निर्देश देने की शक्ति

151—(1) यूनियन के हिसाब किताब के संबंध में भारत के दाब अफ़सर और सर पड़तालिया की रिपोर्टें राजपति को दी जायंगी, और राजपति उन्हें राजपंचायत के हर सदन के सामने रखवायगा.

पड़ताल की रिपोर्टें

(2) किसी रियासत के हिसाब किताब के संबंध में भारत के दाब अफ़सर और सर पड़तालिया की रिपोर्टें उस रियासत के रियासतपति या राजप्रमुख को दी जायंगी और रियासतपति या राजप्रमुख उनको उस रियासत की क़ानून सभा के सामने रखवायगा.

भाग छै

पहली पट्टी के भाग (ए) की रियासतें

खंड एक—आम

परिभाषा

152—इस भाग में, अगर प्रसंग से कुछ और दरकार न हो, "रियासत" शब्द के मानी हैं पहली पट्टी के भाग (ए) में दर्ज कोई रियासत.

खंड दो—काजकारी

रियासतपति

रियासतों के रियासतपति

153—हर रियासत का एक रियासतपति होगा.

रियासत की काजकारी शक्ति

154—(1) रियासत की काजकारी शक्ति रियासतपति को हासिल होगी और वह उससे खुद या अपने अधीन अफ़सरों के ज़रिये इस विधान के अनुसार काम लेगा.

(2) इस दफ़ा की किसी बात से—

(ए) जो काम किसी मौजूदा क़ानून ने किसी दूसरे अधिकारी को सौंपे हैं वह काम रियासतपति को तबदील नहीं समझे जायंगे; या

(बी) राजपंचायत को या रियासत की क़ानून सभा को इस बात से नहीं रोका जा सकेगा कि वह क़ानून बनाकर कोई काम रियासतपति के अधीन किसी अधिकारी को सौंपे.

रियासतपति का नियोजन

155—हर रियासत के रियासतपति को राजपति अपने दसखती और मोहर लगे हुकुमनामे से नियोजेगा.

रियासतपति की पद-मियाद

156—(1) राजपति के इच्छाकाल तक रियासतपति पद पर रहेगा.

(2) राजपति के नाम अपनी दसखती लिखत भेजकर

(3) इस दफ़ा में ऊपर के बन्धानों के अधीन रहते हुए रियासतपति पद संभालने की तारीख से पाँच बरस की मियाद तक पद पर रहेगा:

शर्ते कि रियासतपति अपनी मियाद पूरी हो जाने पर भी अपने पदगाही के पद सँभालने तक पद पर रहेगा.

रियासतपति नियोजे जाने के लिये जोगताएं

157—कोई आदमी रियासतपति नियोजे जाने का पात्र न होगा जबतक कि वह भारत का नागर न हो और अपनी उमर का पैंतीसवाँ बरस पूरा न कर चुका हो.

रियासतपति के पद की शर्तें

158—(1) रियासतपति राजपंचायत के किसी सदन का या पहली पट्टी में दर्ज किसी रियासत की क़ानून सभा के किसी सदन का मेम्बर नहीं होगा, और अगर राजपंचायत के किसी सदन का या किसी ऐसी रियासत की क़ानून सभा के किसी सदन का कोई मेम्बर रियासतपति नियोजा जाए, तो यह समझा जाएगा कि उसने उस सदन की अपनी सीट रियासतपति का पद संभालने की तारीख को सूनी कर दी है.

(2) रियासतपति किसी दूसरे लाभ के पद पर नहीं रहेगा.

(3) रियासतपति बिना किराया दिये अपने सरकारी मकानों के इस्तेमाल करने का हक़दार होगा और वह उन वेतनों, भत्तों और निजनियमों का भी हक़दार होगा जो राजपंचायत क़ानून बना कर तय कर दे, और जबतक इस के लिये इस तरह बन्धान न हो तब तक वह उन वेतनों, भत्तों और निजनियमों का हक़दार होगा जो दूसरी पट्टी में दर्ज हैं.

(4) रियासतपति के वेतन और भत्ते उसकी पद-मियाद के दौरान में घटाए नहीं जायंगे.

रियासतपति का हलफ उठाना या वचन भरना

159—हर रियासतपति और रियासतपति के काम निभारने वाला हर आदमी अपना पद संभालने से पहले उस रियासत के संबंध में अमलदारी रखनेवाली हाईकोर्ट के सरजज या उसके मौजूद न होने पर उस अदालत के उस बड़े से बड़े जज के सामने जो मिल

सके नीचे दिये रूप में हलफ़ उठाएगा या वचन भरेगा और उस पर दसखत करेगा, यानी यह कि—

"मैं.....(नाम)..... ईश्वर के नाम पर शपथ लेता हूँ / गम्भीरता से वचन भरता हूँ कि मैं ....(रियासत का नाम) के रियासतपति के पद पर रहकर वफ़ादारी से काम करूँगा (या रियासतपति के काम वफ़ादारी से निभारूँगा) और अपनी पूरी जोगता से विधान और क़ानून को बनाए रखूँगा, और उनकी रक्षा और उनका बचाव करूँगा, और मैं..................(रियासत का नाम) के लोगों की सेवा और उनकी भलाई में तन मन से लगा रहूंगा."

कुछ जोगाजोगों में रियासतपति के काम निभारना

160—किसी ऐसे जोगाजोग में जिसका इस खंड में बन्धान नहीं किया गया है, किसी रियासत के रियासतपति के काम निभारने के लिये राजपति जैसा उचित समझे बन्धान कर सकता है.

रियासतपति को कुछ सूरतों में माफ़ी वगैरा देने और सज़ा के हुकुमों को रोके रखने, बाक़ी हुकुम रद्द कर देने या सज़ा का रूप बदल देने की शक्ति

161—हर रियासत के रियासतपति को यह शक्ति होगी कि वह किसी ऐसे आदमी को माफ़ कर दे, उसकी सजा मुलतवी कर दे, उसे मुहलत दे दे, या बाक़ी सज़ा माफ़ कर दे, या उसकी सज़ा के हुकुम को रोके रखे या सज़ा के बाक़ी हुकुम को रद्द कर दे, या सज़ा का रूप बदल दे, जिसको किसी ऐसे क़ानून के ख़िलाफ़ जुर्म का दोशी ठहराया गया है जो किसी ऐसे मामले की बाबत है जिस तक रियासत की काजकारी शक्ति का फैलाव है.

रियासत की काजकारी शक्ति का फैलाव

162—इस विधान के बंधानों के अधीन रहते हुए, हर रियासत की काजकारी शक्ति का फैलाव उन मामलों तक होगा जिनके बारे में उस रियासत की क़ानून सभा को क़ानून बनाने की शक्ति है:

शर्ते कि ऐसे किसी मामले में जिसके बारे में किसी रियासत की क़ानून सभा और राजपंचायत दोनों को क़ानून बनाने की शक्ति है, रियासत की काजकारी शक्ति उस काजकारी शक्ति के अधीन और उससे हदियाई हुई होगी जो इस विधान से या राजपंचायत के बनाए किसी क़ानून से खुले तौर पर यूनियन को या उसके अधि-

वज़ीर मंडल

रियासपति को सहायता और सलाह देने के लिये वज़ीर मंडल

163—(1) जिस हद तक कि इस विधान में या इसके अधीन रियासतपति को अपने काम या अपना कोई काम अपनी समझ से करने को कहा गया है, उसे छोड़ कर बाक़ी सब कामों के करने में रियासतपति को सहायता और सलाह देने के लिये एक वज़ीर मंडल होगा जिसका सरमुख बड़ा वज़ीर होगा.

(2) अगर यह सवाल उठे कि कोई मामला ऐसा मामला है या नहीं जिसके बारे में इस विधान के अनुसार या इसके अधीन रियासतपति को अपनी समझ से काम करना चाहिये तो इस सवाल पर रियासतपति अपनी समझ से जो फ़ैसला दे वह आख़िरी होगा, और रियासतपति जो कुछ करे उसकी सरदुरुस्ती पर इस बिना पर कोई सवाल नहीं उठाया जायगा कि उसे अपनी समझ से काम करना चाहिये था या नहीं.

(3) वज़ीरों ने रियासतपति को कोई सलाह दी या नहीं और अगर दी तो क्या दी इस सवाल की पूछताछ किसी अदालत में नहीं की जायगी.

वज़ीरों के बारे में दूसरे बन्धान

164—(1) बड़े वज़ीर का नियोजन रियासतपति करेगा और दूसरे वज़ीरों का नियोजन रियासतपति बड़े वज़ीर की सलाह से करेगा, और वज़ीर अपने पद पर रियासतपति के इच्छाकाल तक रहेंगे.

शर्ते कि बिहार, मध्यप्रदेश और उड़ीसा की रियासतों में एक एक वज़ीर ऐसा होगा जिसके ज़िम्मे क़बाइली लोगों की भलाई का काम होगा, और इसके साथ साथ जिसके ज़िम्मे पट्टी-दर्ज जातियों और पिछड़ी हुई जमातों की भलाई का काम या कोई दूसरा काम भी हो सकता है.

(2) वज़ीरमंडल के वज़ीर सबके सब मिलकर रियासत के आम सदन को ज़िम्मेदार होंगे.

(3) किसी वज़ीर के अपना पद संभालने से पहले रियासतपति उससे तीसरी पट्टी में इस मतलब के लिये दिये हुए रूपों के अनुसार पद और राज़दारी के हलफ़ उठवायगा.

(4) कोई वज़ीर जो लगातार छै महीने के किसी अरसे तक उस रियासत की क़ानून सभा का मेम्बर न रहे, उस अरसे के बीत जाने पर, वज़ीर नहीं रहेगा.

(5) वज़ीरों की तनख़ाहें और भत्ते वह होंगे जो उस रियासत की क़ानून सभा समय समय पर क़ानून बनाकर तय करे, और जब तक रियासत की क़ानून सभा इस तरह तय न करे तबतक वह होंगे जो दूसरी पट्टी में दर्ज हैं.

रियासत का सर वकील

रियासत का सरवकील

165—(1) हर रियासत का रियासतपति किसी ऐसे आदमी को उस रियासत का सरवकील नियोजेगा जो हाईकोर्ट का जज नियोजे जाने की जोगता रखता हो.

(2) सरवकील का फ़रज़ होगा कि वह रियासत की सरकार को ऐसे क़ानूनी मामलों पर सलाह दे और ऐसे क़ानूनी ढंग के दूसरे फ़रज़ पूरा करे जो रियासतपति उसे समय समय पर भेजे या सौंपे, और उन कामों को निभारे, जो इस विधान से या उस समय लागू किसी दूसरे क़ानून से या इनके अधीन उसे दिये गए हों.

(3 सरवकील रियासतपति के इच्छाकाल तक अपने पद पर रहेगा और उसको वह मेहनताना मिलेगा जो रियासतपति तय करे.

सरकारी काम का संचालन

किसी रियासत की सरकार के काम का संचालन

166—(1) हर रियासत की सरकार का सारा काजकारी काम रियासतपति के नाम से किया हुआ कहा जायगा.

(2) रियासतपति के नाम से दिये हुए हुकुमों और उसके नाम से किये हुए दूसरे पट्टों का सहीकरन उस ढंग से किया जायगा जो रियासतपति के बनाए हुए नियमों में बताया जाय और इस तरह सही किये हुए हुकुम या पट्टे की सरदुरुस्ती पर इस बिना पर कोई सवाल नहीं उठाया जाएगा कि वह हुकुम रियासतपति ने नहीं दिया या वह पट्टा रियासतपति ने नहीं किया.

(3) रियासतपति रियासत की सरकार के काम को अधिक सुभीते से चलाने के लिये और उस काम को वज़ीरों में बाँटने के

में इस विधान के अनुसार या इसके अधीन रियासतपति को अपनी समझ से काम करना चाहिये.

167—हर रियासत के बड़े वज़ीर का फ़रज़ होगा कि—

रियासतपति को सूचना देने वगैरा के बारे में बड़े वज़ीर के फ़रज़

(ए) वज़ीरमंडल के सारे फ़ैसले जिनका सम्बन्ध उस रियासत के मामलों के शासन से और क़ानून बनाने के सुझावों से है रियासतपति को पहुँचाए;

(बी) रियासत के मामलों के शासन सम्बन्धी और क़ानून बनाने के सुझावों सम्बन्धी जो बातें रियासतपति पूछे उसको बताए; और

(सी) राजपति के चाहने पर किसी ऐसे मामले को, जिस पर किसी एक वज़ीर ने कुछ फ़ैसला कर लिया है पर वज़ीर मंडल ने विचार नहीं किया है, वज़ीर मंडल के सामने विचार के लिए रखे.

खंड तीन—रियासत की कानून सभा :

आम

168—(1) हर रियासत की एक क़ानून सभा होगी जिसमें एक रियासतपति होगा, और जिसमें,

रियासतों की क़ानून सभाओं की बनावट

(ए) बिहार, बम्बई, मदरास, पंजाब, उत्तर प्रदेश और पच्छिम बंगाल की रियासतों में, दो दो सदन होंगे; और

(बी) दूसरी रियासतों में, एक सदन होगा.

(2) जहाँ रियासत की क़ानून सभा में दो सदन होंगे वहाँ एक 'खाससदन' कहलायगा और दूसरा 'आमसदन', और जहाँ केवल एक ही सदन होगा वहाँ वह 'आमसदन' कहलायगा.

169—(1) दफ़ा 168 में किसी बात के रहते भी, राजपंचायत क़ानून बनाकर किसी रियासत में जहाँ खास सदन है उसका अन्त करने के लिये या किसी रियासत में जहाँ खास सदन नहीं है उसको बनाने के लिये बन्धान कर सकती है, अगर रियासत का आम सदन अपने कुल मेम्बरों की बड़ीयत से और उस समय मौजूद और वोट देने वाले सदन के कम से कम दो तिहाई मेम्बरों की बड़ीयत से इस बात के लिये एक ठहराव पास कर दे.

रियासतों में खास सदनों का अन्त करना या बनाना

(2) धारा (1) में जिस क़ानून की चरचा की गई है उसमें इस विधान में सुधार करने के लिये ऐसे बन्धान रहेंगे जो उस क़ानून के बन्धानों को अमल में लाने के लिये ज़रूरी हों, और ऐसे पूरक, प्रसंगी और परिनामी बन्धान भी रहेंगे जिन्हें राजपंचायत ज़रूरी समझे.

(3) ऊपर बताया कोई क़ानून दफ़ा 368 के मतलबों के लिये इस विधान का सुधार नहीं समझा जायगा.

आम सदनों की रचना

170—(1) दफ़ा 333 के बन्धानों के अधीन रहते हुए, हर रियासत के आम सदन में वे मेम्बर होंगे जो सीधे चुनाव से चुने गए हों.

(2) किसी भी रियासत के आम सदन में हर भूभागी चुनाव हलक़े का प्रतिनिधान, पिछले आखरी गिनावे के अनुसार जिसके संगत आंकड़े निकल चुके हैं, उस चुनाव हलक़े की आबादी के आधार पर होगा, और आसाम के स्वाधीन ज़िलों और शिलांग की नगरायत और छावनी के चुनाव हलक़े को छोड़कर, आबादी के हर पिछत्तर हज़ार आदमियों पीछे एक से अधिक मेम्बर नहीं होगा:

शर्त्त कि किसी सूरत में भी किसी रियासत के आम सदन के मेम्बरों की कुल गिनती न पांच सौ से अधिक होगी और न साठ से कम.

(3) हर रियासत के हर भूभागी चुनाव हलक़े को जो मेम्बर दिये जायंगे उनकी गिनती और उस चुनाव हलक़े की आबादी की वह गिनती जो उस पिछले आखरी गिनावे में मालूम की जा चुकी है जिसके संगत आंकड़े निकल चुके हैं, इन दोनों में जहाँ तक हो सकेगा सारी रियासत में एक ही अनुपात होगा.

(4) हर गिनावे के पूरा हो जाने पर, हर रियासत के आम सदन में अलग अलग भूभागी चुनाव हलक़ों के प्रतिनिधान में वह अधिकारी उस ढंग से और उस तारीख से लागू होने के लिये घटत बढ़त करेगा जिसे राजपंचायत क़ानून बनाकर तय कर दे :

शर्त्त कि इस तरह घटत बढ़त का आम सदन के प्रतिनिधान पर तब तक कोई असर नहीं पड़ेगा जब तक कि उस समय का आम सदन भंग न हो जाय.

171—(1) जिस रियासत में खास सदन है, वहाँ उस सदन के मेम्बरों की कुल गिनती उस रियासत के आम सदन के मेम्बरों की कुल गिनती की एक चौथाई से अधिक नहीं होगी:

खास सदनों की रचना

शर्तें कि किसी रियासत के खास सदन के कुल मेम्बरों की गिनती किसी भी सूरत में चालीस से कम न होगी.

(2) जब तक राजपंचायत क़ानून बनाकर कुछ और बन्धान न करे तब तक किसी रियासत के खास सदन की रचना उस तरह होगी जिस तरह धारा (3) में बन्धान किया गया है.

(3) किसी रियासत के खास सदन के मेम्बरों की कुल गिनती में से—

(ए) एक तिहाई के जितने क़रीब हो सके उतनों का चुनाव वे चुनायतें करेंगी जिनमें उस रियासत के अन्दर की नगरायतों, ज़िला बोर्डों और ऐसी दूसरी मुक़ामी संस्थाओं के मेम्बर होंगे जो राजपंचायत क़ानून बना कर तय कर दे;

(बी) एक बारहवें के जितने क़रीब हो सके उतनों का चुनाव वे चुनायतें करेंगी जिनमें उस रियासत में बसनेवाले वे लोग होंगे जो कम से कम तीन बरस पहले से भारत के भूभाग की किसी विद्यापीठ के सनातक रह चुके हैं, या कम से कम तीन बरस से उनमें वे जोगताएँ रही हैं जो राजपंचायत के बनाए किसी क़ानून में या उसके अधीन ऐसी किसी विद्यापीठ के सनातक की जोगताओं के बराबर ठहरा दी गई हैं;

(सी) एक बारहवें के जितने क़रीब हो सके उतनों का चुनाव वे चुनायतें करेंगी जिनमें ऐसे आदमी होंगे जो कम से कम तीन बरस तक रियासत के अन्दर ऐसी तालीमी संस्थाओं में पढ़ाते रहे हैं जिनका दर्जा किसी दुसरकी स्कूल के दर्जे से कम नहीं है और जिनको राजपंचायत के बनाए किसी क़ानून में या उसके अधीन तय कर दिया गया है.

(डी) एक तिहाई के जितने क़रीब हो सके उतनों का चुनाव उस रियासत के आम सदन के मेम्बर उन लोगों में से करेंगे जो उस सदन के मेम्बर नहीं हैं;

(ई) बाक़ी को रियासतपति धारा (5) के बन्धानों के अनुसार नामज़द करेगा.

(4) धारा (3) की उप-धारा (ए), (बी) और (सी) के अधीन जो मेम्बर चुने जायंगे उनको ऐसे भूभागी चुनाव हलक़ों में से लिया जायगा जो राजपंचायत के बनाए किसी क़ानून में या उसके अधीन तय कर दिया गया हो, और उन उप-धाराओं के अधीन और उस धारा की उप-धारा (डी) के अधीन जो चुनाव होंगे वह निसबती प्रतिनिधान के ढंग पर इकहरे बदलते वोट से किये जायंगे.

(5) धारा (3) की उप-धारा (ई) के अधीन रियासतपति जिन मेम्बरों को नामज़द करेगा वे ऐसे आदमी होंगे जिन्हें इस तरह के मामलों के बारे में जैसे नीचे दिये गए हैं ख़ास जानकारी या अमली तजरबा हो, यानी :—

अदब-साहित्य, साइन्स, कला, सहकारी आन्दोलन और समाज सेवा.

रियासतं की क़ानून समाओं की मुद्दत

172—(1) हर रियासत का हर आम सदन, अगर पहले ही भंग न कर दिया गया हो, तो जो तारीख़ उसकी पहली मिलनी के लिये तय की गई थी, उससे पांच बरस तक चलेगा और अधिक नहीं, और इस पांच बरस के अरसे के बीत जाने से ही आम सदन भंग माना जाएगा:

शर्ते कि किसी ऐसे समय में जब कोई अचानकी का ऐलान अमल में हो, राजपंचायत क़ानून बना कर इस अरसे को एक और अरसे के लिये बढ़ा सकती है जो एक बार में एक बरस से अधिक न होगा, और जो किसी भी सूरत में ऐलान का अमल खतम होने के बाद छै महीने के अरसे से अधिक न चलेगा.

(2) किसी रियासत के ख़ास सदन को भंग नहीं किया जा सकेगा, पर हर दूसरे बरस के बीत जाने पर जितनी जल्दी

हो सकेगा खास सदन के मेम्बरों में से क़रीब से क़रीब एक तिहाई, उन बन्धानों के अनुसार जो राजपंचायत क़ानून के ज़रिये इस काम के लिये बना दे, अलग हो जाया करेंगे.

173—कोई आदमी किसी रियासत की क़ानून सभा में कोई सीट भरने के लिये चुने जाने के जोग नहीं होगा, जब तक कि वह—

रियासत की क़ानून सभा की मेम्बरी के लिये जोगता

(ए) भारत का नागर न हो;

(बी) आम सदन की सीट के लिये कम से कम पच्चीस बरस की और खास सदन की सीट के लिये कम से कम तीस बरस की उमर का न हो; और

(सी) ऐसी और जोगताएँ न रखता हो जो इस काम के लिये राजपंचायत के बनाए हुए किसी क़ानून में या उसके अधीन बताई जायं.

174—(1) हर रियासत की क़ानून सभा के सदन या सदनों को हर बरस में कम से कम दो बार मिलने के लिये बुलाया जायगा और एक इजलास में उनकी आखरी बैठक और अगले इजलास में पहली बैठक की जो तारीख़ ठहराई गई हो उन के बीच छै महीने नहीं बीतने पाएंगे.

रियासत की क़ानून सभा के इजलास, उनका बरखास्त करना और भंग करना

(2) धारा (1) के बंधानों के अधीन रहते हुए, रियासत-पति समय समय पर—

(ए) सदन को या दोनों में से किसी एक सदन को मिलने के लिये जिस समय और जिस जगह ठीक समझे बुला सकता है;

(बी) सदन को या सदनों को बरख़ास्त कर सकता है;

(सी) आम सदन को भंग कर सकता है.

175—(1) रियासतपति आम सदन में, या जहाँ रियासत में ख़ास सदन भी है वहाँ उस रियासत की क़ानून सभा के किसी भी सदन में, या दोनों सदनों को इकट्ठा करके, सर-बचन दे सकता है, और इस मतलब के लिये मेम्बरों की हाज़री तलब कर सकता है.

रियासतपति को सदन या सदनों में सर-बचन देने या संदेसे भेजने का अधिकार

(2) रियासतपति रियासत की क़ानून सभा के सदन या

सदनों को किसी ऐसे बिल के बारे में जो उस समय क़ानून सभा के सामने हो, या किसी और मतलब के लिये, संदेसे भेज सकता है, और जिस सदन को इस तरह कोई संदेसा भेजा जाय वह जितनी जल्दी सुभीते के साथ कर सकेगा उस मामले पर सोच विचार करेगा जिस पर सोच विचार करने को उस संदेसे में कहा गया हो.

हर इजलास के आरंभ में रियासत-पति का खास सर-बचन

176—(1) हर इजलास के आरंभ में, रियासतपति आम सदन को, या जहाँ किसी रियासत में खास सदन भी है वहाँ दोनों सदनों को इकट्ठा करके, सर-बचन देगा, और क़ानून सभा को उसके बुलाए जाने के कारन बताएगा.

(2) सदन के या दोनों सदनों के दस्तूर की क़ायदाबन्दी करने वाले नियमों में इस बात का बन्धान किया जायगा कि इस तरह के सर-बचन में जिन मामलों की चरचा की गई है उन पर बहस करने के लिये समय रखा जाए, और यह बहस सदन के और कामों से पहले हो.

सदनों के बारे में वज़ीरों और सर-वकील के अधिकार

177—हर वज़ीर को और रियासत के सर वकील को यह अधिकार होगा कि वह रियासत के आम सदन में या जहाँ रियासत में खास सदन भी है वहाँ दोनों सदनों में बोले और दूसरी तरह कारवाई में हिस्सा ले और क़ानून सभा की किसी भी ऐसी कमेटी में जिस के मेम्बरों में उसका नाम हो बोले और दूसरी तरह कारवाई में हिस्सा ले, मगर वोट देने का हक़दार वह इस दफ़ा की रू से नहीं होगा.

रियासत की क़ानूनसभा के अफ़सर

आम सदन का सभामुख और उप-सभामुख

178—हर रियासत का आम सदन जितनी जल्दी हो सकेगा उस सदन के दो मेम्बरों को अलग अलग उसका सभामुख और उप-सभामुख चुन लेगा, और जब जब सभामुख या उप-सभामुख का पद सूना होगा आम सदन किसी दूसरे मेम्बर को सभामुख या उप-सभामुख, जैसी सूरत हो, चुन लेगा.

179—कोई मेम्बर जो किसी आम सदन के सभामुख या उप-सभामुख के पद पर हो—

सभामुख और उप-सभामुख का पद सूना होना, उनका इस्तीफा देना और पद से हटाया जाना

(ए) अगर वह आम सदन का मेम्बर न रहे तो अपना पद सूना कर देगा;

(बी) किसी समय भी अगर वह मेम्बर सभामुख है तो उप-सभामुख के नाम और अगर वह मेम्बर उप-सभामुख है तो सभामुख के नाम, अपनी दसखती लिखत भेज कर अपने पद से इस्तीफ़ा दे सकता है; और

(सी) आम सदन के एक ऐसे ठहराव से अपने पद से हटाया जा सकता है जिसे आम सदन के उस समय के कुल मेम्बरों की बड़ीयत ने पास किया हो:

शर्ते कि धारा (सी) के मतलब के लिये कोई ठहराव पेश नहीं किया जाएगा जबतक कि उस ठहराव को पेश करने के इरादे का कम से कम चौदह दिन का नोटिस न दिया गया हो :

और शर्ते कि जब कभी आम सदन को भंग किया जाए तो भंग होने के बाद अगले आम सदन की पहली मिलनी के ठीक पहले तक सभामुख अपना पद सूना नहीं करेगा.

180—(1) जब कभी सभामुख का पद सूना होगा, उसके पद के फ़रज़ उप-सभामुख पूरे करेगा, या अगर उप-सभामुख का पद भी सूना हो तो आम सदन का कोई ऐसा मेम्बर करेगा जिसका रियासतपति इस मतलब के लिये नियोजन करदे.

उप-सभामुख को या किसी दूसरे आदमी को सभामुख के पद के फ़रज़ पूरा करने या सभामुख की जगह काम करने की शक्ति

(2) आम सदन की किसी बैठक में सभामुख के मौजूद न रहने पर उप-सभामुख, या अगर वह भी मौजूद नहीं है तो कोई ऐसा आदमी जिसे आम सदन के दस्तूर के नियम तय करें, या अगर ऐसा कोई आदमी भी मौजूद नहीं है तो कोई और ऐसा आदमी जिसे आम सदन तय करे, सभामुख की जगह काम करेगा.

181—(1) आमसदन की किसी बैठक में जब कि सभामुख को उसके पद से हटाने के लिये किसी ठहराव पर विचार हो रहा हो तो सभामुख, या जब कि उप-सभामुख को उसके पद से हटाने के लिये

जब उस को पद से हटाने के लिये किसी ठहराव पर विचार किया जा रहा हो

तब सभामुख या उप-सभामुख सदारत नहीं करेगा

किसी ठहराव पर विचार हो रहा हो तो उप-सभामुख, मौजूद होने पर भी, सदारत नहीं करेगा, और दफ़ा 180 की धारा (2) के बन्धान हर ऐसी बैठक के बारे में उसी तरह लागू होंगे जिस तरह किसी ऐसी बैठक के बारे में लागू होते, जिसमें सभामुख या उप-सभामुख, जैसी सूरत हो, मौजूद न होता.

(2) आम सदन में सभामुख को उसके पद से हटाने के लिये जब किसी ठहराव पर विचार हो रहा हो तो सभामुख को उस सदन में बोलने और दूसरी तरह कारवाई में भाग लेने का अधिकार होगा, और दफ़ा 189 में किसी बात के रहते भी, केवल पहली बार उस ठहराव पर या ऐसी कारवाई के दौरान में किसी भी दूसरे मामले पर वह वोट देने का हक़दार होगा, मगर बराबर के वोट आने की हालत में नहीं होगा.

खास सदन का मसनदी और उप-मसनदी

182—हर उस रियासत में जिसमें खास सदन है वह सदन जितनी जल्दी हो सकेगा सदन के दो मेम्बरों को अलग अलग खास सदन का मसनदी और उप-मसनदी चुनेगा, और जब जब मसनदी या उप-मसनदी का पद सूना होगा, सदन किसी दूसरे मेम्बर को मसनदी या उप-मसनदी, जैसी सूरत हो, चुन लेगा.

मसनदी और उप-मसनदी का पद सूना होना, उनका इस्तीफ़ा देना और पद से हटाया जाना

183—कोई मेम्बर जो किसी खास सदन के मसनदी या उप-मसनदी के पद पर है—

(ए) अगर वह खास सदन का मेम्बर न रहे तो अपना पद सूना कर देगा;

(बी) किसी समय भी अगर वह मेम्बर मसनदी है तो उप-मसनदी के नाम और अगर वह मेम्बर उप-मसनदी है तो मसनदी के नाम अपनी दसखती लिखत भेजकर अपने पद से इस्तीफ़ा दे सकता है; और

(सी) खास सदन के एक ऐसे ठहराव से अपने पद से हटाया जा सकता है जिसे खास सदन के उस समय के कुल मेम्बरों की बड़ीयत ने पास किया हो :

शर्त्त कि धारा (सी) के मतलब के लिये कोई ठहराव पेश नहीं

किया जाएगा जब तक कि उस ठहराव को पेश करने के इरादे का कम से कम चौदह दिन का नोटिस न दिया गया हो.

184—(1) जब कभी मसनदी का पद सूना होगा, उसके पद के फ़रज़ उप-मसनदी पूरे करेगा, या अगर उप-मसनदी का पद भी सूना हो तो ख़ास सदन का कोई ऐसा मेम्बर करेगा जिसका रियासतपति इस मतलब के लिये नियोजन कर दे.

उप-मसनदी या किसी दूसरे आदमी को मसनदी के पद के फ़रज़ पूरा करने या मसनदी की जगह काम करने की शक्ति

(2) ख़ास सदन की किसी बैठक में मसनदी के मौजूद न रहने पर उप-मसनदी, या अगर वह भी मौजूद नहीं है तो कोई ऐसा आदमी जिसे ख़ास सदन के दस्तूर के नियम तय करें, या अगर ऐसा कोई आदमी भी मौजूद नहीं है, तो कोई और ऐसा आदमी जिसे ख़ास सदन तय करे, मसनदी की जगह काम करेगा.

185—(1) खास सदन की किसी बैठक में जब कि मसनदी को उसके पद से हटाने के लिये किसी ठहराव पर विचार हो रहा हो तो मसनदी, या जबकि उप-मसनदी को उसके पद से हटाने के लिये किसी ठहराव पर विचार हो रहा हो तो उप-मसनदी, मौजूद होने पर भी सदारत नहीं करेगा, और दफ़ा 184 की धारा (2) के बन्धान इर ऐसी बैठक के बारे में उसी तरह लागू होंगे जिस तरह किसी ऐसी बैठक के बारे में लागू होते जिसमें मसनदी या उप-मसनदी, जैसी सूरत हो, मौजूद न होता.

जब उसको उसके पद से हटाने के लिये किसी ठहराव पर विचार किया जा रहा हो तो मसनदी या उप-मसनदी सदारत नहीं करेगा

(2) खास सदन में मसनदी को उसके पद से हटाने के लिये जब किसी ठहराव पर विचार हो रहा हो तो मसनदी को उस सदन में बोलने और दूसरी तरह कारवाई में भाग लेने का अधिकार होगा, और दफ़ा 189 में किसी बात के रहते भी, केवल पहली बार उस ठहराव पर या ऐसी कारवाई के दौरान में किसी भी दूसरे मामले पर वह वोट देने का हक़दार होगा, मगर बराबर के वोट आने की हालत में नहीं होगा.

186—आम सदन के सभामुख और उप-सभामुख को, और ख़ास सदन के मसनदी और उप-मसनदी को, वह तनख़ाहें और भत्ते मिलेंगे जो उस रियासत की क़ानून सभा क़ानून बनाकर अलग अलग तय कर दे, और जब तक इसके लिये इस तरह का कोई

मसनदी और उप-मसनदी और सभामुख, और उप-सभामुख की तनख़ाहें और भत्ते

बन्धान नहीं होता तब तक उनको वह तनख़ाहें और भत्ते मिलेंगे जो दूसरी पट्टी में दर्ज हैं.

रियासत की क़ानून सभा की मंत्रायत

187—(1) रियासत की क़ानून सभा के सदन या हर सदन का अलग अलग मंत्रायती अमला होगा :

शर्त्ते कि इस धारा की किसी बात से यह मतलब नहीं लिया जाएगा कि वह जिस रियासत की क़ानून सभा में खास सदन है, वहाँ उस क़ानून सभा के दोनों सदनों के लिये शामलाती जगहें बनाए जाने को रोकती है.

(2) किसी रियासत की क़ानून सभा क़ानून बनाकर उस रियासत की क़ानून सभा के सदन या सदनों के मंत्रायती अमले में नियोजे जाने के लिये लोगों की भरती और उनकी नौकरी की शर्तों की क़ायदाबन्दी कर सकती है.

(3) जब तक धारा (2) के अधीन रियासत की क़ानून सभा कोई बन्धान नहीं करती तब तक रियासतपति आमसदन के सभामुख से या खास सदन के मसनदी से, जैसी सूरत हो, सलाह करने के बाद आमसदन के या खाससदन के मंत्रायती अमले में नियोजे जाने वाले लोगों की भरती और उनकी नौकरी की शर्तों की क़ायदाबन्दी करने वाले नियम बना सकता है, और जो नियम इस तरह बनाए जायंगे उनका असर उस धारा के अधीन बने हुए क़ानून के बन्धानों के अधीन होगा.

काम का संचालन

मेम्बरों का हलफ़ उठाना या बचन भरना

188—हर रियासत के आम सदन और खास सदन का हर मेम्बर अपनी सीट लेने से पहले रियासतपति के सामने या इस काम के लिये रियासतपति के नियोजे हुए किसी आदमी के सामने उस रूप के अनुसार हलफ़ उठायगा या बचन भरेगा और उस पर दसख़त करेगा जो रूप इस मतलब के लिये तीसरी पट्टी में दिया हुआ है.

सदनों में वोट लेना, सीटें सूनी होने पर भी सदनों की काम करने की शक्ति, और कोरम

189—(1) सिवाय जब कि इस विधान में कुछ और बन्धान किया गया हो, रियासत की क़ानून सभा के हर सदन की हर बैठक में, सब सवाल, सभामुख को और मसनदी को छोड़ कर, या उस आदमी को छोड़ कर जो सभामुख या मसनदी की जगह काम कर

रहा हो, उस समय मौजूद और वोट देने वाले सब मेम्बरों के वोटों की बढ़ीयत से तय किये जायंगे.

सभामुख या मसनदी या वह आदमी जो इनकी जगह काम कर रहा हो पहले तो वोट नहीं देगा, पर बराबर वोट आने की सूरत में उसको जिताऊ वोट देने का अधिकार होगा और वह उस अधिकार से काम लेगा.

(2) रियासत की क़ानून सभा के हर सदन को यह शक्ति होगी कि उस सदन के मेम्बरों की कुछ सीटें सूनी होने पर भी काम करे, और रियासत की क़ानून सभा की हर कारवाई सरदुरुस्त होगी, भले ही बाद में यह पता चले कि कोई ऐसा आदमी सदन में बैठा, उसने वोट दिया या और किसी तरह कारवाई में भाग लिया जो ऐसा करने का हक़दार नहीं था.

(3) जब तक रियासत की क़ानून सभा क़ानून बनाकर कोई दूसरा बन्धान नहीं करती तब तक, रियासत की क़ानून सभा के हर सदन की मिलनी के लिये कोरम दस मेम्बरों का होगा या उस सदन के मेम्बरों की कुल गिनती का एक दसवाँ होगा, जो भी अधिक हो.

(4) अगर किसी रियासत के आम सदन या ख़ास सदन की किसी मिलनी के दौरान में किसी समय कोरम न रहे तो सभामुख का या मसनदी का, या उस आदमी का जो उनमें से किसी की जगह काम कर रहा हो, फ़रज़ होगा कि वह या तो सदन को मुलतवी कर दे या उस मिलनी को कोरम पूरा हो जाने तक के लिये रोक दे.

मेम्बरों की अजोगताएं

सीटों का सूना होना

190—(1) कोई आदमी किसी रियासत की क़ानून सभा के दोनों सदनों का मेम्बर नहीं होगा, और रियासत की क़ानून सभा क़ानून बना कर इस बात का बन्धान कर देगी कि अगर कोई आदमी दोनों सदनों का मेम्बर चुन लिया जाय तो वह किसी एक सदन में अपनी सीट सूनी कर दे.

(2) कोई आदमी पहली पट्टी में दर्ज दो या अधिक रियासतों की क़ानून सभा का मेम्बर नहीं होगा, और अगर कोई आदमी ऐसी दो या अधिक रियासतों की क़ानून सभाओं का मेम्बर चुन लिया जाय तो उस अरसे के पूरा होने पर जो राजपति के बनाए नियमों में दिया गया हो, उन सब रियासतों की क़ानून सभाओं में उस आदमी की सीटें सूनी हो जाएंगी, जब तक कि इससे पहले ही उसने एक को छोड़ कर बाक़ी सब रियासतों की क़ानून सभाओं में अपनी सीट से इस्तीफ़ा न दे दिया हो.

(3) अगर रियासत की क़ानून सभा के किसी सदन का कोई मेम्बर—

(ए) दफ़ा 191 की धारा (1) में बताई किसी अजोगता के अधीन हो जाय; या

(बी) सभामुख या मसनदी के नाम, जैसी सूरत हो, अपनी दसखती लिखत भेजकर अपनी सीट से इस्तीफ़ा दे दे,

तो इस पर उसकी सीट सूनी हो जायगी.

(4) अगर किसी रियासत की क़ानून सभा के किसी सदन का कोई मेम्बर साठ दिन के अरसे तक, सदन की इजाजत बिना, सदन की सब मिलनियों में नामौजूद रहे तो सदन उसकी सीट को सूनी ठहरा सकता है ;

शर्तें कि साठ दिन के इस अरसे के गिनने में वह अरसा नहीं गिना जायगा जब कि सदन बरखास्त रहा हो या लगातार चार दिन से अधिक के लिये मुलतवी कर दिया गया हो.

मेम्बरी के लिये अजोगताएँ

191—(1) वह आदमी किसी रियासत के आम सदन का या ख़ास सदन का मेम्बर चुने जाने, और मेम्बर होने, के अजोग होगा—

(ए) जो भारत सरकार के अधीन या पहली पट्टी में दर्ज किसी रियासत की सरकार के अधीन किसी लाभ के पद पर हो, सिवाय किसी ऐसे पद के जिसे रियासत की क़ानून सभा ने क़ानून बनाकर यह ठहरा दिया हो कि उस पद पर रहने से कोई आदमी अजोग नहीं होगा ;

(बी) जिसका दिमाग़ ठीक नहीं है और जिसे किसी अधिकारी अदालत ने ना-ठीक दिमाग़ का ठहरा दिया है ;

(सी) जो ऐसा दिवालिया है जिसे अभी तक बरी नहीं किया गया है ;

(डी) जो भारत का नागर नहीं है, या जो अपनी इच्छा से किसी विदेशी राज का नागर बन गया है, या जो किसी विदेशी राज की भक्ति या उससे लगाव मान चुका है ;

(ई) जो राजपंचायत के बनाए किसी क़ानून में या उसके अधीन इसके लिये अजोग ठहराया गया है.

(2) इस दफ़ा के मतलबों के लिये कोई आदमी भारत सरकार के या पहली पटी में दर्ज किसी रियासत की सरकार के अधीन केवल इसी कारन किसी लाभ के पद पर नहीं समझा जायगा कि वह यूनियन का या उस रियासत का वज़ीर है.

मेम्बरों की अजोगताओं के बारे में सवालों का फ़ैसला

192—(1) अगर कोई ऐसा सवाल उठे कि किसी रियासत की क़ानून सभा के किसी सदन का कोई मेम्बर दफ़ा 191 की धारा (1) में बताई किसी अजोगता के अन्दर आ गया है या नहीं, तो इस सवाल को रियासतपति के फ़ैसले के लिये भेजा जायगा, और उसका फ़ैसला आखरी होगा.

(2) ऐसे किसी सवाल पर कोई फ़ैसला देने से पहले रियासतपति चुनाव कमीशन से राय लेगा और उस राय के अनुसार काम करेगा.

दफ़ा 188 के अधीन हलफ़ उठाने या वचन भरने से पहले या जोग न होने या अजोग ठहराए जाने पर सदन में बैठने और वोट देने पर दंड

193— अगर कोई आदमी दफ़ा 188 की ज़रूरतों को पूरा करने से पहले, या जब वह यह जानता हो कि वह किसी रियासत के आम सदन या ख़ास सदन की मेम्बरी के जोग नहीं है या उसे उसके अजोग ठहराया गया है या राजपंचायत या रियासत की क़ानून सभा के बनाए किसी क़ानून के बन्धानों से उसको मेम्बर की तरह बैठने या वोट देने की मनाही की गई है, रियासत के आम सदन या ख़ास सदन में मेम्बर की तरह बैठेगा या वोट देगा तो जितने दिन

वह इस तरह बैठेगा या वोट देगा, उस पर हर दिन के लिये पाँच सौ रुपए दंड लगाया जा सकेगा, जो उससे रियासत के क़र्ज़े के रूप में वसूल किया जायगा.

रियासत की क़ानून सभाओं और उनके मेम्बरों की शक्तियाँ, निजनियम और बरीयतें

क़ानून सभाओं के सदनों, उनके मेम्बरों और उनकी कमेटियों की शक्तियाँ, निजनियम वगैरा

194—(1) इस विधान के बन्धानों, और क़ानून सभा के दस्तूर की क़ायदाबन्दी करने वाले नियमों और क़ायमी हुकुमों के अधीन रहते हुए, हर रियासत की क़ानून सभा में बोलने की आज़ादी होगी.

(2) किसी रियासत की क़ानून सभा के किसी मेम्बर ने जो कुछ क़ानून सभा में या उसकी किसी कमेटी में कहा हो या जिस तरह वोट दिया हो उसके बारे में उस मेम्बर के ख़िलाफ़ किसी भी अदालत में कोई कारवाई नहीं की जा सकेगी, और ऐसी क़ानून सभा के किसी सदन की तरफ़ से या उसके हुकुम से जो कोई रिपोर्ट, काग़ज़, वोट या कारवाई निकाली जाय, उसके बारे में किसी आदमी के ख़िलाफ़ इस तरह की कोई कारवाई नहीं की जा सकेगी.

(3) और बातों में, हर रियासत की क़ानून सभा के हर सदन की और उस क़ानून सभा के हर सदन के मेम्बरों और कमेटियों की शक्तियाँ, निजनियम और बरीयतें वह होंगी जो क़ानून सभा समय समय पर क़ानून बनाकर तय कर दे, और जब तक इस तरह न तय कर दी जायं तब तक वह होंगी जो इस विधान के आरम्भ के समय यूनाइटेड किंगडम (इंगलिस्तान) की पार्लमेंट के हाउस आफ़ कामन्स को और उसके मेम्बरों और कमेटियों को हासिल हों.

(4) धारा (1), (2) और (3) के बन्धान जिस तरह किसी रियासत की क़ानून सभा के मेम्बरों के सम्बन्ध में लागू होते हैं, उसी तरह उन लोगों के सम्बन्ध में लागू होंगे जिनको इस विधान की रू से उस रियासत की क़ानून सभा के किसी सदन में या उसकी किसी कमेटी में बोलने का या किसी और तरह कारवाई में भाग लेने का अधिकार है.

195—हर रियासत के आम सदन और खास सदन के मेम्बर वह तनख्वाहें और भत्ते पाने के हक़दार होंगे जो उस रियासत की क़ानून सभा समय समय पर क़ानून बनाकर तय करे, और जब तक इस बारे में इस तरह का बन्धान न किया जाय तब तक वह उसी दर से और उन्हीं शर्तों पर तनख्वाहें और भत्ते पाने के हक़दार होंगे जो इस विधान के आरंभ से ठीक पहले जवाबी सूबे के आमसदन (लेजिस्लेटिव असेम्बली) के मेम्बरों के लिये लागू थीं.

मेम्बरों की तनखाहें और भत्ते

क़ानूनकारी दस्तूर

196—(1) नक़दी बिलों और दूसरे माली बिलों के बारे में दफ़ा 198 और 207 के बन्धानों के अधीन रहते हुए, किसी भी बिल की पहल जहां रियासत में खास सदन है वहां रियासत की क़ानून सभा के किसी भी सदन में की जा सकती है.

बिल रखने और पास करने के बारे में बन्धान

(2) दफ़ा 197 और 198 के बन्धानों के अधीन रहते हुए, कोई बिल जहां रियासत में खास सदन है वहां कानून सभा के सदनों में पास हुआ उस समय तक नहीं समझा जायगा जब तक कि दोनों सदनों ने, या तो बिना सुधार या केवल ऐसे सुधारों के साथ जिन्हें दोनों सदनों ने मान लिया हो, उस बिल को मान न लिया हो.

(3) कोई बिल, जो किसी रियासत की क़ानून सभा में पेश है, उसके सदन या सदनों के बरखास्त हो जाने के कारन गिर नहीं जायगा.

(4) कोई बिल जो किसी रियासत के खास सदन में पेश है, और जिसे आम सदन ने पास नहीं किया है, आम सदन के भंग होने पर गिर नहीं जायगा.

(5) अगर कोई बिल रियासत के आम सदन में पेश है या आम सदन से पास होकर खास सदन में पेश है, तो वह उस आम सदन के भंग होने पर गिर जायगा.

197—(1) अगर किसी बिल के, किसी ऐसी रियासत के आम सदन से पास होकर जिसमें खास सदन भी है, खास सदन को भेज दिये जाने के बाद—

नक़दी बिलों को छोड़कर दूसरे बिलों के सम्बन्ध में खास सदन की शक्तियों पर रुकावट

(ए) खास सदन ने बिल को नामंज़ूर कर दिया है; या

(बी) खास सदन के सामने बिल के रखे जाने की तारीख से तीन महीने से अधिक बीत गए हों और उस सदन ने उसे तबतक पास न किया हो; या

(सी) उस सदन ने बिल को ऐसे सुधारों के साथ पास किया हो जिनको आम सदन नहीं मानता,

तो आम सदन, अपने दस्तूर की क़ायदाबन्दी करने वाले नियमों के अधीन रहते हुए, अगर कोई ऐसे सुधार हों जिन्हें खास सदन ने किया, सुझाया या मान लिया हो तो ऐसे सुधारों के साथ या बिना ऐसे सुधारों के, उस बिल को, उसी या उसके बादवाले किसी इजलास में, फिर पास कर सकता है, और उसके बाद इस तरह पास हुए बिल को खास सदन को भेज सकता है.

(2) अगर आम सदन से दूसरी बार इस तरह पास होकर ख़ास सदन को भेज दिये जाने के बाद किसी बिल को—

(ए) ख़ास सदन ने नामंज़ूर कर दिया हो; या

(बी) ख़ास सदन के सामने रखे जाने की तारीख से एक महीने से अधिक बीत गया हो, और उस सदन ने पास न किया हो ; या

(सी) ख़ास सदन ने ऐसे सुधारों के साथ पास किया हो जिनको आम सदन नहीं मानता,

तो यह समझा जायगा कि उस बिल को, उस रूप में जिस में वह दूसरी बार आम सदन में पास हुआ था, और उन सुधारों के साथ, अगर कोई ऐसे सुधार हों तो, जिन्हें खास सदन ने किया है या सुझाया है और आम सदन ने मान लिया है, रियासत की क़ानून सभा के सदनों ने पास कर दिया है.

(3) इस दफ़ा की कोई बात किसी नक़दी बिल पर लागू नहीं होगी.

नक़दी बिलों के बारे में खास दस्तूर

198—(1) कोई नक़दी बिल पहले ख़ास सदन में नहीं रखा जायगा.

(2) जहाँ रियासत में ख़ास सदन है वहाँ नक़दी बिल आम सदन से पास होकर ख़ास सदन को उसकी सिफ़ारिशों के लिये भेजा जायगा, और ख़ास सदन बिल के आने की तारीख़ से चौदह दिन के अरसे के अन्दर अन्दर अपनी सिफ़ारिशों के साथ बिल आम सदन को लौटा देगा, इस पर आम सदन चाहे तो ख़ास सदन की सारी सिफ़ारिशें या कोई सी सिफ़ारिश मान ले या न माने.

(3) अगर आम सदन ख़ास सदन की सिफ़ारिशों में से किसी को मान लेता है, तो यह समझा जायगा कि उस नक़दी बिल को उन सुधारों के साथ जिनकी ख़ास सदन ने सिफ़ारिश की है और जिन्हें आम सदन ने मान लिया है, दोनों सदनों ने पास कर दिया है.

(4) अगर आम सदन खास सदन की सिफ़ारिशों में से किसी को भी नहीं मानता तो यह समझा जायगा कि उस नक़दी बिल को, बिना उन सुधारों में से किसी के जिनकी सिफ़ारिश खास सदन ने की है, उसी रूप में जिसमें उसे आम सदन ने पास किया था, दोनों सदनों ने पास कर दिया है.

(5) अगर कोई नक़दी बिल आम सदन से पास होकर सिफ़ारिशों के लिये खास सदन को भेजा गया हो और ऊपर कहे चौदह दिन के अरसे के अन्दर आम सदन को न लौटाया गया हो, तो यह समझा जायगा कि इस अरसे के बीत जाने पर उस बिल को उसी रूप में जिसमें आम सदन ने उसे पास किया था दोनों सदनों ने पास कर दिया है.

"नक़दी बिलों" की परिभाषा.

199—(1) इस खंड के मतलबों के लिये, वह बिल नक़दी बिल समझा जायगा जिसमें केवल वही बन्धान हों जिनका नीचे लिखे सब मामलों से या उनमें से किसी मामले से सम्बन्ध है, यानी—

(ए) किसी टैक्स का लगाना, अन्त करना, उसमें छूट देना, उसे बदलना या उसकी क़ायदाबन्दी करना ;

(बी) रियासत के रुपया उधार लेने या किसी तरह की गारंटी देने की क़ायदाबन्दी करना या किसी ऐसी माली जिम्मेदारियों के बारे में जो रियासत ने

ले रखी हों या जिन्हें वह लेने वाली हो क़ानून में कोई सुधार करना ;

(सी) रियासत के मूठकोश या जोगाजोग कोश की रखवाली, ऐसे किसी कोश में रुपया जमा करना या उसमें से रुपया निकालना ;

(डी) रियासत के मूठकोश में से रुपए को खर्चे की मदों में डालना ;

(ई) किसी खर्च को रियासत के मूठकोश के खाते में पड़ने वाला खर्च ठहराना, या इस तरह के किसी खर्च की रक़म को बढ़ाना ;

(एफ़) रियासत के मूठकोश के हिसाब में या रियासत के सरकारी हिसाब में रुपया वसूल करना, या ऐसे रुपए की रखवाली करना, या उसका निकास करना ; या

(जी) (ए) से (एफ़) तक की उप-धाराओं में दर्ज मामलों में से किसी के साथ प्रसंग से आया हुआ कोई और मामला.

(2) किसी बिल को केवल इसी कारन नक़दी बिल नहीं समझा जायगा कि वह जुरमाने करने, या रुपए पैसे के दूसरे दंड देने, या लाइसेंसों के लिये या जो कोई सेवाएँ की गई हों उनके लिये फ़ीस माँगने या फ़ीस देने का बन्धान करता है, या इस कारन कि वह मुक़ामी मतलबों के लिये किसी मुक़ामी अधिकारी या संस्था के कोई टैक्स लगाने, अन्त करने, उसमें छूट देने, उसको बदलने, या उसकी क़ायदाबन्दी करने का बन्धान करता है.

(3) अगर किसी ऐसी रियासत में जहाँ खास सदन है किसी ऐसे बिल के बारे में जो रियासत की क़ानून सभा में रखा गया है यह सवाल उठे कि वह बिल नक़दी बिल है या नहीं तो इस पर उस रियासत के आम सदन के सभामुख का फ़ैसला आखरी होगा.

(4) जब कोई नक़दी बिल दफ़ा 198 के अधीन खास

सदन को भेजा जाय और जब कोई नक़दी बिल दफ़ा 200 के अधीन मंज़ूरी के लिये रियासतपति के सामने रखा जाय, तो हर ऐसे बिल पर आम सदन के सभामुख की दसखती सनद होगी कि वह बिल नक़दी बिल है.

बिलों पर मंज़ूरी

200—जब कोई बिल रियासत के आम सदन से, या उस सूरत में जबकि उस रियासत में ख़ास सदन भी है रियासत की क़ानून सभा के दोनों सदनों से, पास हो जाय तो उसे रियासतपति के सामने रखा जायगा, और रियासतपति ऐलान करेगा कि वह उस बिल पर मंज़ूरी देता है या उससे अपनी मंज़ूरी रोक लेता है या उस बिल को राजपति के विचार के लिये रख देता है :

शर्त्ते कि किसी बिल के रियासतपति के सामने मंज़ूरी के लिये रखे जाने के बाद जितनी जल्दी हो सके रियासतपति उस बिल को, अगर वह नक़दी बिल नहीं है तो, एक ऐसे संदेसे के साथ सदन या सदनों को लौटा सकता है जिसमें यह प्रार्थना की गई हो कि वह बिल पर या उसके किन्हीं बताए हुए बन्धानों पर फिर से विचार करें और खास कर इस बात को सोचें कि अगर रियासतपति ने अपने संदेसे में किन्हीं सुधारों की सिफ़ारिश की है तो ऐसे किन्हीं सुधारों को ले लेना चाहिये या नहीं, और जब कोई बिल इस तरह लौटा दिया जायगा तो उस संदेसे के अनुसार वह सदन या दोनों सदन बिल पर फिर से विचार करेंगे, और अगर सदन या दोनों सदन बिल को फिर बिना सुधार या सुधारों के साथ पास कर देते हैं, और वह मंज़ूरी के लिये रियासतपति के सामने रखा जाता है, तो रियासतपति उससे अपनी मंज़ूरी नहीं रोकेगा :

और शर्त्ते कि रियासतपति हर ऐसे बिल पर, जो उसकी राय में अगर क़ानून बन जाय तो हाईकोर्ट की शक्तियों को इस तरह कम कर देगा कि वह जगह जिसको भरने के लिये इस विधान ने हाईकोर्ट को बनाया है खतरे में पड़ जायगी, अपनी मंज़ूरी नहीं देगा, बल्कि उसे राजपति के सोच विचार के लिये रख देगा.

विचार के लिये रखे हुए बिल

201—जब रियासतपति किसी बिल को राजपति के विचार के लिये रख दे, तो राजपति ऐलान करेगा कि वह उस बिल पर अपनी

मंजूरी देता है या उससे अपनी मंजूरी रोक लेता है :

शर्त्त कि, जहाँ बिल नक़दी बिल नहीं है, राजपति रियासतपति को यह निर्देश दे सकता है कि वह उस बिल को एक ऐसे संदेसे के साथ, जो दफ़ा 200 की पहली शर्त में बताया गया है, रियासत की क़ानून सभा के सदन या सदनों को, जैसी सूरत हो, लौटा दे, और जब बिल इस तरह लौटा दिया जाय तो सदन या दोनों सदन, ऐसे संदेसे के मिलने की तारीख़ से छै महीने के अरसे के अन्दर अन्दर, बिल पर उस सन्देसे के अनुसार फिर से विचार करेंगे, और अगर उस बिल को, बिना सुधार या सुधारों के साथ, सदन या दोनों सदन फिर पास कर दें तो उसे फिर राजपति के सामने विचार के लिये रखा जायगा.

माली मामलों में दस्तूर

सालाना माली ब्योरा

202—(1) रियासतपति हर माली साल के बारे में रियासत की क़ानून सभा के सदन या सदनों के सामने उस साल के लिये रियासत की आमदनी और खर्च के तखमीने का एक ब्योरा रखवायगा जिसकी चरचा इस भाग में "सालाना माली ब्यौरा" कह कर की गई है.

(2) सालाना माली ब्यौरे के अन्दर खर्च के जो तखमीने रहेंगे उनमें यह रक़में अलग अलग दिखाई जायंगी—

(ए) वह रक़में जो उस खर्च के लिये दरकार होंगी जिसे इस विधान में रियासत के मूठकोश के खाते में पड़नेवाला खर्च बताया गया है; और

(बी) वह रक़में जो उन दूसरे खर्चों के लिये दरकार होंगी जिनके बारे में यह सुझाव है कि वह रियासत के मूठकोश में से किये जायं;

और उसमें मालगुजारी खाते खर्च और दूसरे खर्चों में फ़रक़ किया जायगा.

(3) नीचे लिखे खर्च वह खर्च होंगे जो हर रियासत के मूठकोश के खाते में पड़ेंगे—

(ए) रियासतपति के वेतन और भत्ते, और उसके पद सम्बन्धी दूसरे खर्च;

(बी) आम सदन के सभामुख और उप-सभामुख की और, जहाँ रियासत में खास सदन है, वहां खास सदन के मसनदी और उप-मसनदी की भी तनखाहें और भत्ते;

(सी) क़रज़ा खर्च जिसके लिये रियासत देनदार है, जिसमें सूद-ब्याज, क़रज़ा चुकाई कोश खर्च, और भुगतान खर्च, और उधार लेने, क़रज़ा जारी रखने और क़रज़ा भुगतान के सम्बन्ध में दूसरे खर्च शामिल होंगे;

(डी) किसी हाईकोर्ट के जजों की तनखाहों और भत्तों के बारे में खर्च;

(ई) वह रक़में जो किसी अदालत या पंचायती अदालत के किसी फ़ैसले, डिगरी या पंच फ़ैसले को चुकाने के लिये दरकार हों;

(एफ़) कोई दूसरा खर्च जिसे यह विधान, या रियासत की क़ानून सभा क़ानून बनाकर ऐसा खर्च ठहरा दे.

तखमीनों के बारे में क़ानून सभा का दस्तूर

203—(1) उतने तखमीने जितनों का सम्बन्ध किसी रियासत के मूठकोश के खाते में पड़नेवाले खर्च से है आम सदन के सामने वोट के लिये नहीं रखे जायंगे, पर इस धारा की किसी बात का यह मतलब नहीं लिया जायगा कि वह क़ानून सभा में उन तखमीनों में से किसी पर बहस होने को रोकती है.

(2) उतने तखमीने जितनों का सम्बन्ध दूसरे खर्च से है देनगियों की मांगों के रूप में आम सदन के सामने रखे जायंगे, और आम सदन को यह शक्ति होगी कि वह किसी मांग को मंजूर कर ले या मंजूर करने से इनकार कर दे या किसी मांग को उस मांग में दर्ज रक़म में कमी करके मंजूर कर ले.

(3) रियासतपति की सिफ़ारिश के बिना किसी देनगी की मांग नहीं की जायगी.

मद-बटवारा बिल

204—(1) दफ़ा 203 के अधीन आम सदन के देनगियां पास कर देने के बाद जितनी जल्दी हो सकेगा एक बिल रखा जायगा

जिसमें रियासत के मूठकोश में से नीचे लिखे खर्चों के लिये दरकार रुपयों को खर्चे की मदों में डालने का बन्धान किया जायगा—

(ए) जो देनगियां आम सदन ने इस तरह पास कर दी हों ; और

(बी) रियासत के मूठकोश के खाते में पड़ने वाले खर्चे, पर जो किसी सूरत में भी सदन या सदनों के सामने पहले से रखे हुए ब्योरे में दिखाई रक़म से अधिक न होंगे.

(2) ऐसे किसी बिल में रियासत की क़ानून सभा के किसी सदन या सदनों में किसी ऐसे सुधार का सुझाव नहीं रखा जायगा जिससे इस तरह पास की हुई किसी देनगी की रक़म घटाई बढ़ाई जा सके, या उसके देनस्थान को बदल दिया जाय, या रियासत के मूठकोश के खाते में पड़ने वाले किसी खर्च की रक़म बदल दी जाय, और सदारत करनेवाले आदमी का यह फ़ैसला, कि इस धारा के अधीन कोई सुधार लिया जा सकता है या नहीं आखरी होगा.

(3) दफ़ा 205 और 206 के बन्धानों का ध्यान रखते हुए, रियासत के मूठकोश में से कोई रुपया नहीं निकाला जायगा सिवाय उस मद बटवारे के अधीन जो इस दफ़ा के बन्धानों के अनुसार पास हुए क़ानून में कर दिया गया हो.

पूरक, सहायक या अधिक देनगियां

205—(1), (ए) अगर दफ़ा 204 के बन्धानों के अनुसार बने हुए किसी क़ानून से, किसी खास सेवा पर चालू माली साल में खर्च किये जाने के लिये अधिकारी हुई रक़म उस बरस के मतलबों के लिये नाकाफ़ी पाई जाय, या जब किसी चालू माली साल में किसी ऐसी नई सेवा पर पूरक या सहायक खर्च की जरूरत पैदा हो गई हो, जिसका विचार उस साल के सालाना माली ब्योरे में नहीं किया गया था, या

(बी) अगर किसी माली साल की बाबत किसी सेवा के लिये मंजूर रक़म से अधिक कोई रुपया उस

सेवा पर उस साल ख़र्च हो गया है,

तो रियासतपति रियासत की क़ानून सभा के सदन या सदनों के सामने उस ख़र्च के तख़मीने की रक़म को दिखानेवाला दूसरा ब्योरा रखवायगा, या रियासत के आम सदन के सामने, जैसी सूरत हो, ऐसे अधिक ख़र्च की मांग रखवायगा.

(2) ऐसे किसी ब्योरे और ख़र्च या मांग के सम्बन्ध में, और उस ख़र्च को पूरा करने के लिये या उस मांग के सम्बन्ध की देनगी को पूरा करने के लिये रियासत के मूठकोश में से रुपये को ख़र्चे की मदों में डालने का अधिकार देने के लिये बनाए जाने वाले किसी क़ानून के सम्बन्ध में, दफ़ा 202, 203, और 204 के बन्धानों का वही असर होगा जो असर उनका सालाना माली ब्योरे और उसमें बताए ख़र्च या किसी देनगी की मांग और उस ख़र्च या देनगी को पूरा करने के लिये रियासत के मूठकोश में से रुपये को ख़र्चे की मदों में डालने का अधिकार देने के लिये बनाए जाने वाले क़ानून के सम्बन्ध में होता है

हिसाब पर वोट, साख की वोट और अलग देनगियां

206—(1) इस खंड के ऊपर लिखे बन्धानों में किसी बात के रहते भी, रियासत के आम सदन को यह शक्ति होगी कि—

(ए) किसी देनगी पर वोट लेने के लिये दफ़ा 203 में जो दस्तूर बताया गया है उसके पूरा होने से पहले, और इस ख़र्च के बारे में दफ़ा 204 के बन्धानों के अनुसार क़ानून पास होने से पहले, किसी माली साल के किसी भाग के लिये ख़र्च के तख़मीने की बाबत पहले से कोई देनगी मंज़ूर कर दे ;

(बी) रियासत के साधनों पर किसी अचानक मांग को पूरा करने के लिये, उस सूरत में जब कि उस सेवा के फैलाव या अनिश्चित रूप के कारन वह मांग उन तफ़सीलों के साथ बयान नहीं की जा सकती जो आम तौर पर सालाना माली ब्योरे में दी

जाती हैं, देनगी मंजूर कर दे ;

(बी) कोई ऐसी अलग देनगी, जो किसी माली साल की किसी चालू सेवा का कोई भाग नहीं है, मंजूर कर दे ;

और रियासत की क़ानून सभा को शक्ति होगी कि क़ानून बनाकर वह देनगियां जिन मतलबों के लिये मंजूर की गई हैं उनके लिये रियासत के मूठकोश में से रुपए निकालने का अधिकार दे दे.

(2) धारा (1) के अधीन कोई देनगी मंजूर करने के सम्बन्ध में, और उस धारा के अधीन बनाए जाने वाले किसी क़ानून के सम्बन्ध में, दफ़ा 203 और 204 के बन्धानों का वही असर होगा जो सालाना माली ब्योरे में बताए किसी खर्च के बारे में कोई देनगी मंजूर करने के सम्बन्ध में, और ऐसे खर्च को पूरा करने के लिये रियासत के मूठकोश में से रुपए को खर्च की मदों में डालने का अधिकार देने के लिये बनाए जाने वाले क़ानून के सम्बन्ध में, होता है.

माली बिलों के बारे में खास बन्धान

207—(1) दफ़ा 199 की धारा (1) की (ए) से (एफ तक की उप-धाराओं में जो मामले दर्ज हैं उनमें से किसी के लिये बन्धान करने वाला कोई बिल पहले नहीं रखा जा सकेगा, न कोई सुधार पेश किया जा सकेगा, जब तक कि रियासतपति उसकी सिफ़ारिश न करे, और इस तरह का बन्धान करने वाला कोई बिल पहले खास सदन में नहीं रखा जायगा :

शर्त कि किसी ऐसे सुधार को पेश करने के लिये जो किसी टैक्स को कम करने या उसका अन्त करने का बन्धान करता हो इस धारा के अधीन कोई सिफ़ारिश दरकार न होगी.

(2) कोई बिल या सुधार केवल इसी कारन ऊपर बताए किसी मामले के लिये बन्धान करने वाला नहीं समझा जायगा कि वह जुरमाने करने या रुपए पैसे का कोई दूसरा दंड देने या लाइसेंसों के लिये या जो कोई सेवाएं की गई हों उनके लिये फ़ीस मांगने या फ़ीस देने का बन्धान करता है, या इस कारन कि वह मुक़ामी मतलबों के लिये किसी मुक़ामी अधिकारी या संस्था के कोई

टैक्स लगाने, अन्त करने, उसमें छूट देने, उसको बदलने, या उसकी क़ायदाबन्दी करने का बन्धान करता है.

(3) अगर किसी बिल के क़ानून बन जाने और उस पर अमल होने से किसी रियासत के मूठकोश से खर्च करना पड़े तो उस बिल को उस रियासत की क़ानून सभा का कोई सदन पास नहीं करेगा जब तक कि रियासतपति ने उस बिल पर सोच विचार करने की उस सदन से सिफ़ारिश न की हो.

आम दस्तूर

208—(1) इस विधान के बन्धानों का ध्यान रखते हुए, हर रियासत की क़ानून सभा का हर सदन अपने दस्तूर की और काम के संचालन की क़ायदाबन्दी करने के लिये नियम बना सकता है.

दस्तूर के नियम

(2) जब तक धारा (1) के अधीन नियम नहीं बनते, तब तक दस्तूर के जो नियम और जो क़ायमी हुकुम इस विधान के जारी होने से ठीक पहले जवाबी सूबे की क़ानून सभा के बारे में अमल में थे वही उस रियासत की क़ानून सभा के सम्बन्ध में भी लागू होंगे, पर आम सदन का सभामुख या खास सदन का मसनदी, जैसी सूरत हो, उनमें अदल बदल और अनुकूलन कर सकता है.

(3) जिस रियासत में खास सदन है वहाँ रियासतपति, आम सदन के सभामुख और खास सदन के मसनदी से सलाह करके, दोनों सदनों के बीच आवाजाई के बारे में दस्तूर के नियम बना सकता है.

209—माली काम को समय के अन्दर पूरा करने के लिये, किसी रियासत की क़ानून सभा क़ानून बनाकर किसी माली मामले के सम्बन्ध में, या रियासत के मूठकोश में से रुपये को खर्चे की मदों में डालने वाले किसी बिल के सम्बन्ध में, रियासत की क़ानून सभा के सदन या सदनों के दस्तूर की, और काम के संचालन की, क़ायदाबन्दी कर सकती है, और अगर इस तरह बने किसी क़ानून का कोई बन्धान, दफ़ा 208 की धारा (1) के अधीन रियासत की क़ानून सभा के सदन या दोनों सदनों में से किसी सदन के बनाए हुए किसी नियम से, या किसी ऐसे नियम या क़ायमी हुकुम से

माली काम के सम्बन्ध में रियासत की क़ानून सभा के दस्तूर की क़ानून से क़ायदाबन्दी

जो उस दफ़ा की धारा (2) के अधीन रियासत की क़ानून सभा के सम्बन्ध में लागू होता हो, मेल नहीं खाता तो उस मेल न खाने की हद तक वह बन्धान ही चलेगा.

क़ानूनसभा में काम में आने वाली भाशा

210—(1) भाग सतरह में किसी बात के रहते भी, पर दफ़ा 348 के बन्धानों के अधीन रहते हुए, हर रियासत की क़ानून सभा में काम उस रियासत की दफ़तरी भाशा या भाशाओं में या हिन्दी में या अंगरेज़ी में किया जायगा :

शर्तें कि आम सदन का सभामुख या खास सदन का मसनद या उनकी जगह काम करने वाला कोई आदमी, जैसी सूरत हो, किसी ऐसे मेम्बर को जो ऊपर कही भाशाओं में से किसी में अपने को पूरी तरह अदा न कर सकता हो, सदन में अपनी मातृभाशा में बोलने की इजाज़त दे सकता है.

(2) जब तक रियासत की क़ानून सभा क़ानून बनाकर कुछ और बन्धान न करे तब तक इस दफ़ा का इस विधान के आरंभ से पन्द्रह बरस का अरसा बीत जाने के बाद वही असर होगा मानो "या अंगरेज़ी में" ये शब्द इस दफ़ा में से निकाल दिये गये हों.

क़ानून सभा में बहस पर रुकावट

211—आला अदालत के या किसी हाईकोर्ट के किसी जज ने अपने फ़रज़ निभारने में जो कुछ किया हो उसके बारे में किसी रियासत की क़ानून सभा में कोई बहस नहीं की जायगी.

क़ानून सभा की कारवाइयों के बारे में अदालतें पूछताछ नहीं करेंगी

212—(1) किसी रियासत की क़ानून सभा की किसी कारवाई की सरदुरुस्ती के बारे में इस बिना पर कोई सवाल नहीं उठाया जायगा कि उसमें दस्तूर की कोई बेक़ायदगी बताई गई है.

(2) किसी रियासत की क़ानून सभा का कोई अफ़सर या मेम्बर, जिसको इस विधान में या इसके अधीन क़ानून सभा के दस्तूर की या काम के संचालन की क़ायदाबन्दी करने के लिये या क़ानून सभा में व्यवस्था बनाए रखने के लिये शक्तियाँ हासिल हैं, उन शक्तियों से काम लेने के बारे में किसी अदालत की अमलदारी के अधीन न होगा.

खंड चार—रियासतपति की क़ानूनकारी शक्ति

क़ानून सभा की छुट्टी के दिनों में रियासतपति को राजहुकुम जारी करने की शक्ति

213—(1) अगर किसी समय, सिवाय जबकि किसी रियासत के आम सदन का इजलास हो रहा हो, या जहाँ रियासत में खास सदन भी है वहाँ क़ानून सभा के दोनों सदनों का इजलास हो रहा हो, रियासतपति को यह भरोसा हो जाय कि उस समय कुछ सूरतें ऐसी हैं जिनमें उसे तुरंत कारवाई करने की जरूरत है, तो रियासतपति ऐसे राजहुकुम जारी कर सकता है जो इन सूरतों में उसे जरूरी मालूम हों:

शर्तें कि, रियासतपति, बिना राजपति की हिदायतों के, कोई ऐसा राजहुकुम जारी नहीं करेगा अगर—

(ए) इस विधान के अधीन, उस राजहुकुम के बन्धानों वाले किसी बिल को क़ानून सभा में रखने के लिये राजपति की पहले से मंजूरी लेना दरकार होता; या

(बी) वह उन्हीं बन्धानों वाले किसी बिल को राजपति के सोचविचार के लिये रखना जरूरी समझता; या

(सी) उन्हीं बन्धानों वाला रियासत की क़ानून सभा का कोई एक्ट इस विधान के अधीन तब तक सर-दुरुस्त न होता जबतक वह राजपति के सोच-विचार के लिये न रखा गया होता और उसे राजपति की मंजूरी न मिल गई होती.

(2) इस दफ़ा के अधीन जो राजहुकुम जारी किया जाय उसका वही बल और असर होगा जो उस रियासत की क़ानून सभा के किसी ऐसे एक्ट का होता जिस पर रियासतपति ने मंजूरी दे दी होती; पर हर ऐसे राजहुकुम को—

(ए) रियासत के आम सदन के सामने या जहाँ रियासत में खास सदन भी है वहाँ दोनों सदनों के सामने रखा जायगा, और क़ानून सभा के फिर मिलने से छै हफ्ते बीत जाने पर, या अगर इस अरसे के बीत चुकने से पहले ही आम सदन ने उस

राजहुकुम को नापसन्द करने का ठहराव पास कर दिया हो, और जहाँ ख़ास सदन भी है वहाँ ख़ास सदन ने उस ठहराव को मान लिया हो, तो उस ठहराव के पास होने पर, या, जैसी सूरत हो, ख़ास सदन के उस ठहराव को मान लेने पर, वह राजहुकुम आगे अमल में नहीं रहेगा; और

(बी) रियासतपति कभी भी वापस ले सकता है.

समझाव—जिस रियासत में ख़ास सदन है वहाँ अगर दोनों सदनों को फिर से मिलने के लिये अलग अलग तारीख़ों पर बुलाया गया हो तो इस धारा के मतलबों के लिये छै हफ़्ते का अरसा उन तारीख़ों में से पिछली तारीख़ से गिना जायगा.

(3) अगर इस दफ़ा के अधीन कोई राजहुकुम कोई ऐसा बन्धान करता है जिसे अगर रियासतपति से मंजूरी पाए हुए उस रियासत की क़ानून सभा के किसी एक्ट में क़ानून का रूप दिया गया होता तो वह बन्धान सरदुरुस्त न होता, तो उस हद तक वह राजहुकुम रद्द होगा :

शर्त कि इस विधान के उन बन्धानों के मतलबों के लिये, जिनका सम्बन्ध किसी रियासत की क़ानून सभा के ऐसे एक्ट के असर से है जो संगचारी तालिका में गिनाए हुए किसी मामले के बारे में किसी मौजूदा क़ानून के या राजपंचायत के किसी एक्ट के ख़िलाफ़ जाता है, राजपति की हिदायतों पर अमल करते हुए, इस दफ़ा के अधीन, जो राजहुकुम जारी किया जाय, वह उस रियासत की क़ानून सभा का ऐसा एक्ट समझा जायगा जिसे राजपति के सोच विचार के लिये रखा गया हो और राजपति ने उसपर मंजूरी दे दी हो.

खंड पाँच—रियासतों की हाईकोर्टें

रियासतों के लिये हाईकोर्टें

214—(1) हर रियासत के लिये एक हाईकोर्ट होगी.

(2) इस विधान के मतलबों के लिये उस हाईकोर्ट को जो इस विधान के आरंभ से ठीक पहले किसी सूबे के संबंध में

अपनी अमलदारी से काम लेती थी जवाबी रियासत के लिये हाईकोर्ट समझा जायगा.

(3) इस खंड के बन्धान हर उस हाईकोर्ट पर लागू होंगे जिसकी चरचा इस दफ़ा में की गई है.

215—हर हाईकोर्ट नज़ीरी अदालत होगी और उसे अपनी तौहीन के लिये सजा देने की शक्ति समेत ऐसी अदालत की सब शक्तियाँ होंगी.

हाईकोर्टें नज़ीरी अदालतें होंगी

216—हर हाईकोर्ट में एक सरजज और ऐसे दूसरे जज होंगे जिन्हें राजपति समय समय पर नियोजना जरूरी समझे :

हाईकोर्टों की बनावट

शर्ते कि इस तरह नियोजे हुए जज किसी समय भी उस बड़ी से बड़ी गिनती से ज्यादा नहीं होंगे जो राजपति, समय समय पर, उस अदालत के सम्बन्ध में हुकुम देकर तय करदे.

217—(1) हाईकोर्ट के हर जज का नियोजन राजपति, भारत के सरजज से, उस रियासत के रियासतपति से, और सरजज को छोड़ कर किसी और जज के नियोजन में उस हाईकोर्ट के सरजज से, सलाह कर के, एक ऐसे हुकुमनामे से करेगा जिस पर राजपति के दसख़त होंगे और उसकी मुहर रहेगी, और वह जज साठ बरस की उमर पूरी करने तक अपने पद पर रहेगा:

हाईकोर्ट के हर जज का नियोजन और उसके पद की शर्तें

शर्ते कि—

(ए) कोई जज राजपति के नाम अपनी दसख़ती लिखत भेज कर अपने पद से इस्तीफ़ा दे सकता है;

(बी) किसी जज को राजपति उस ढंग पर उसके पद से हटा सकता है जो दफ़ा 124 की धारा (4) में आला अदालत के किसी जज को हटाने के लिये बताया गया है;

(सी) अगर किसी जज को राजपति आला अदालत का जज नियोज दे या उसकी भारत के भूभाग के अन्दर किसी और हाईकोर्ट को बदली करदे तो उस जज का पहला पद सूना हो जायगा.

(2) कोई आदमी किसी हाईकोर्ट का जज नियोजे जाने

के जोग नहीं होगा जब तक वह भारत का नागर न हो, और—

(ए) कम से कम दस बरस तक भारत के भूभाग में किसी न्यायी पद पर न रहा हो ; या

(बी) कम से कम दस बरस तक पहली पट्टी में दर्ज किसी रियासत की हाईकोर्ट में या लगातार दो या अधिक ऐसी हाईकोर्टों में वकील न रह चुका हो.

समझाव—इस धारा के मतलबों के लिये—

(ए) उस अरसे को गिनने में जिसमें कोई आदमी किसी हाईकोर्ट का वकील रहा है, वह अरसा भी शामिल किया जायगा जब वकील बनने के बाद उसने किसी न्यायी पद पर काम किया हो ;

(बी) उस अरसे को गनने में जिसमें कोई आदमी भारत के भूभाग में न्यायी पद पर रह चुका है, या किसी हाईकोर्ट का वकील रह चुका है, इस विधान के आरंभ होने से पहले का वह अरसा भी शामिल किया जायगा जिसमें वह आदमी किसी ऐसे छेत्र में न्यायी पद पर काम कर चुका है जो 1947 की अगस्त के पन्द्रहवें दिन से पहले उस हिन्द में शामिल था जिसकी परिभाशा हिन्द सरकार एक्ट 1935 में की गई है, या वह ऐसे किसी छेत्र में किसी हाईकोर्ट में वकील रह चुका है, जैसी सूरत हो.

आला अदालत से सम्बन्ध रखने वाले कुछ बन्धानों का हाईकोर्टों पर लागू होना

218—दफ़ा 124 की धारा (4) और (5) के बन्धान जिस तरह आला अदालत के सम्बन्ध में लागू होते हैं उसी तरह हर हाईकोर्ट के सम्बन्ध में भी लागू होंगे, और जहाँ उनमें आला अदालत की चरचा की गई है वहाँ उसकी जगह हाईकोर्ट की चरचा समझी जायगी .

हाईकोर्टों के जजों का हलफ़ उठाना या वचन भरना

219—हर वह आदमी जो किसी रियासत की हाईकोर्ट का जज नियोजा जाय, अपना पद संभालने से पहले, उस रियासत के रियासतपति के सामने या किसी दूसरे आदमी के सामने जिसे रियासतपति ने इस काम के लिये नियोजा हो, उस रूप में हलफ़

उठायगा या वचन भरेगा और उस पर दसखत करेगा, जो इस मतलब के लिये तीसरी पट्टी में दिया गया है.

जजों को अदालतों में या किसी अधिकारी के सामने वकालत करने की मनाही

220—कोई आदमी जो इस विधान के आरम्भ होने के बाद किसी हाईकोर्ट के जज के पद पर रह चुका है भारत के भूभाग के अन्दर किसी अदालत में या किसी अधिकारी के सामने वकालत नहीं करेगा, न काम करेगा.

जजों की तनखाहें, वगैरा

221—(1) हर हाईकोर्ट के जजों को वह तनखाहें दी जायंगी जो दूसरी पट्टी में दर्ज हैं.

(2) हर जज वह भत्ते पाने का हक़दार होगा और छुट्टी और पेनशन के बारे में उसके वह अधिकार होंगे जो समय समय पर राजपंचायत के बनाए क़ानून में या उसके अधीन तय कर दिये जायं, और जब तक इस तरह तय नहीं किये जाते तब तक उसको वह भत्ते और अधिकार मिलेंगे जो दूसरी पट्टी में बताए गए हैं :

शर्तें कि किसी जज के नियोजन के बाद उसके भत्तों में या छुट्टी या पेनशन के बारे में उसके अधिकारों में कोई ऐसी अदल बदल नहीं की जायगी जिससे वह घाटे में रहे.

किसी जज का एक हाईकोर्ट से दूसरी में तबादला

222—(1) राजपति भारत के सरजज से सलाह करके भारत के भूभाग के अन्दर किसी जज का एक हाईकोर्ट से किसी दूसरी हाईकोर्ट को तबादला कर सकता है.

(2) जब किसी जज का इस तरह तबादला किया जाय तो उस अरसे में जब वह दूसरी अदालत के जज की हैसियत से काम कर रहा हो वह अपनी तनखाह के अलावा वह भरपाई भत्ता पाने का हकदार होगा जो राजपंचायत क़ानून बनाकर तय करे, और जब तक इस तरह तय न हो तब तक वह भरपाई भत्ता पाने का हक़दार होगा जो राजपति हुकुम देकर तय कर दे.

कारकर सरजज का नियोजन

223—जब किसी हाईकोर्ट के सरजज का पद सूना हो, या नामौजूदगी या दूसरे कारन से सरजज अपने पद के फ़रज़ों को पूरा न कर सके, तब उस अदालत के दूसरे जजों में से कोई एक, जिसे राजपति इस मतलब के लिये नियोजे, उस पद के फ़रज़ों को पूरा करेगा.

हाईकोर्टों की बैठकों में सेवामुक्त जजों का आना

224—इस खंड में किसी बात के रहते भी, किसी रियासत की हाईकोर्ट का सरजज, किसी समय भी, राजपति की पहले से अनुमति लेकर, किसी ऐसे आदमी से जो कभी उस हाईकोर्ट के या किसी और हाईकोर्ट के जज के पद पर रह चुका है प्रार्थना कर सकता है कि वह उस रियासत की हाईकोर्ट में जज की हैसियत से बैठे और काम करे, और हरवह आदमी जिससे यह प्रार्थना की गई हो, जब तक इस तरह बैठेगा और काम करेगा, उन भत्तों का हक़दार होगा जो राजपति हुकुम देकर तय कर दे, और उसे उस हाईकोर्ट के जज की सारी अमलदारी, शक्तियाँ और निजनियम मिलेंगे, मगर वह किसी और तरह उस अदालत का जज नहीं समझा जायगा :

शर्त्तें कि इस दफ़ा की किसी बात से यह नहीं समझा जायगा कि किसी ऐसे आदमी को जिसकी चरचा ऊपर की गई है उस हाईकोर्ट के जज की हैसियत से बैठना और काम करना पड़ेगा, जब तक कि वह ऐसा करने के लिये राज़ी न हो जाय.

मौजूदा हाईकोर्टों की अमलदारी

225—इस विधान के बन्धानों के अधीन रहते हुए, और किसी ऐसे क़ानून के बन्धानों के अधीन रहते हुए जो किसी मुनासिब क़ानून सभा ने उन शक्तियों की रू से बनाया हो जो इस विधान में उस क़ानून सभा को दी गई हैं, किसी मौजूदा हाईकोर्ट की वही अमलदारी होगी, और उसमें उसी क़ानून पर अमल कराया जायगा, और उस अदालत में न्याय करने के बारे में जजों को अलग अलग वही शक्तियाँ होंगी, जो इस विधान के आरम्भ से ठीक पहले थीं ; इन शक्तियों में अदालत के नियम बनाने की शक्ति और अदालत और उसके जजों की बैठकों के लिये, चाहे वह अकेले बैठें चाहे डिवीजन अदालत के रूप में बैठें, क़ायदाबन्दी करने की शक्ति भी शामिल होगी:

शर्त्तें कि मालगुजारी सम्बन्धी किसी मामले के बारे में, या मालगुजारी की वसूली में जो कोई काम किया जाय या जिसके करने का हुकुम दिया जाय उससे सम्बन्ध रखने वाले किसी मामले के बारे में, किसी हाईकोर्ट के पहली सुनवाई के अधिकार से काम लेने पर इस विधान के आरम्भ से ठीक पहले अगर कोई रुकावट लगी हुई

थी तो वह रुकावट इसके बाद उस हाईकोर्ट के उस अधिकार से काम लेने पर नहीं रहेगी.

कुछ परवाने जारी करने की हाईकोर्टों को शक्ति

226—(1) दफ़ा 32 में किसी बात के रहते भी, तीसरे भाग में जो अधिकार दिये गए हैं उनमें से किसी पर अमल कराने के लिये या और किसी मतलब के लिये हर हाईकोर्ट को, उन तमाम भूभागों में जिनके सम्बन्ध में उसकी अमलदारी चलती है, उन भूभागों के अन्दर के किसी आदमी या किसी अधिकारी या मुनासिब सूरतों में वहां की किसी सरकार के नाम, निर्देश, हुकुम, या परवाने जारी करने की शक्ति होगी, जिनमें परवाना तनवलबी, परवाना हुकुम, परवाना मनाही, परवाना अधिकार-बताई और परवाना मिसल-मंगाई जैसे या इनमें से कोई परवाने भी हो सकते हैं.

(2) धारा (1) में जो शक्ति हाईकोर्ट को दी गई है, उससे आला अदालत की उस शक्ति में कोई कमी नहीं आयगी जो दफ़ा 32 की धारा (2) में आला अदालत को दी गई है.

हाईकोर्ट को सब अदालतों पर निगरानी रखने की शक्ति

227—(1) हर हाईकोर्ट, उन सब भूभागों में जिनके सम्बन्ध में उसकी अमलदारी चलती है, सब अदालतों और पंचायती अदालतों पर निगरानी रखेगी.

(2) ऊपर के बंधान की आमियत को कम किये बिना, हाईकोर्ट—

(ए) उन अदालतों से ब्योरे मांग सकती है;

(बी) उन अदालतों के काम और कारवाइयों की क़ायदाबन्दी करने के लिये आम नियम बना सकती है और जारी कर सकती है और रूप बता सकती है ; और

(सी) वह रूप बता सकती है जिनमें ऐसी किसी अदालतों के अफ़सर अपने यहाँ के खाते, दाखले, और हिसाब किताब रखेंगे,

(3) हाईकोर्ट उन फ़ीसों के भी नक़शे तय कर सकती है जो उन अदालतों के शैरिफ़, और सब क्लर्कों, और अफ़सरों को,

और उन अदालतों में वकालत करने वाले मुख्तारों, वकीलों और प्लीडरों को दी जा सकेंगी :

शर्तें कि धारा (2) या धारा (3) के अधीन जो नियम बनाए जायं, या जो रूप बताए जायं, या नक़्शे तय किये जायं, वह किसी ऐसे क़ानून के बन्धान के खिलाफ़ नहीं होंगे जो उस समय अमल में हो, और उन पर पहले से रियासतपति की रज़ामन्दी लेना दरकार होगा.

(4) इस धारा की किसी बात से यह नहीं समझा जायगा कि वह किसी हाईकोर्ट को ऐसी किसी अदालत या पंचअदालत पर निगरानी रखने की शक्तियाँ देती है जो हथियारबन्द फ़ौजों से संबंध रखने वाले किसी क़ानूनसे या उसके अधीन बनी हो.

कुछ मुक़द्मों का हाईकोर्ट में तबादला

228—अगर हाईकोर्ट को यह भरोसा हो जाय कि, किसी ऐसे मुक़द्मे में जो उसकी किसी मातहत अदालत में पेश है, इस विधान के अर्थ करने के बारे में क़ानून का कोई ऐसा ठोस सवाल उठता है जिसका तय करना उस मुक़द्मे को निबटाने के लिये ज़रूरी है, तो वह उस मुक़द्मे को उस अदालत से उठा लेगी और—

(ए) या तो आप उस मुक़द्मे को निबटा देगी, या

(बी) क़ानून के उस सवाल को तय कर देगी, और उस सवाल पर अपने फ़ैसले की नक़ल के साथ मुक़द्मा उस अदालत को वापस कर देगी जिससे वह उठाया गया था, और वह अदालत उसके आने पर उस फ़ैसले के अनुसार उस मुक़द्मे को निबटाने की कारवाई करेगी.

हाईकोर्टों के अफ़सर, नौकर और खर्च

229—(1) हाईकोर्ट के अफ़सरों और नौकरों का नियोजन उस अदालत का सरजज करेगा या अदालत का वह दूसरा जज या अफ़सर करेगा जिसे सरजज निर्देश करदे:

शर्तें कि जिस रियासत में उस हाईकोर्ट की खास जगह है उस रियासत का रियासतपति नियम बनाकर यह दरकार कर सकता है कि, उन सूरतों में जो उस नियम में बताई गई हों, किसी ऐसे आदमी को, जो पहले से उस अदालत से लगा हुआ नहीं है, उस अदालत से सम्बन्ध रखने वाले किसी पद पर रियासत सरकारी

नौकरी कमीशन से सलाह किये बिना नहीं नियोजा जायगा.

(2) रियासत की क़ानून सभा के बनाए किसी क़ानून के बन्धानों के अधीन रहते हुए, हाईकोर्ट के अफ़सरों और नौकरों की नौकरी की शर्तें वह होंगी जो उन नियमों में बताई जायं जिन्हें उस हाईकोर्ट के सरजज ने या उसके किसी ऐसे दूसरे जज या अफ़सर ने बनाया हो जिसे सरजज ने इस मतलब के लिये नियम बनाने का अधिकार दिया है :

शर्तें कि इस धारा के अधीन बने नियमों के लिये जहां तक उनका सम्बन्ध तनखाहों, भत्तों, छुट्टी या पेनशनों से है, उस रियासत के रियासतपति की रज़ामन्दी दरकार होगी जिसमें उस हाईकोर्ट की खास जगह है.

(3) हाईकोर्ट के शासनी खर्च, जिनमें उस अदालत के अफ़सरों और नौकरों को या उनके बारे में दी जाने वाली सब तनखाहें, भत्ते और पेनशनें शामिल हैं, रियासत के मूठकोश के खाते में पड़ेंगे, और वह अदालत जो फ़ीसें या दूसरी रक़में लेगी वे उस कोश का भाग होंगी.

हाईकोर्टों की अमलदारी को बढ़ाना या कम करना

230—राजपंचायत क़ानून बनाकर—

(ए) किसी हाईकोर्ट की अमलदारी को पहली पट्टी में दर्ज किसी ऐसी रियासत तक या किसी ऐसे छेत्र तक बढ़ा सकती है, या

(बी) किसी हाईकोर्ट की अमलदारी को पहली पट्टी में दर्ज किसी ऐसी रियासत से या किसी ऐसे छेत्र से अलग कर सकती है,

जो वह रियासत नहीं है, या उस रियासत के अन्दर नहीं है, जिसमें उस हाईकोर्ट की खास जगह है.

किसी रियासत को किसी ऐसी हाईकोर्ट की अमलदारी के सम्बन्ध में रियासतों की क़ानून सभाओं की क़ानून बनाने

231—जहाँ किसी हाईकोर्ट की अमलदारी किसी ऐसे छेत्र के संबंध में भी चलती है, जो उस रियासत से बाहर है जिसमें उस हाईकोर्ट की खास जगह है, वहाँ इस विधान की किसी बात का यह मतलब नहीं लिया जायगा कि—

(ए) वह उस रियासत की क़ानून सभा को जिसमें उस

की शक्तियों पर रुकावटें जिस हाईकोर्ट की अमलदारी उस रियासत के बाहर भी हो

हाईकोर्ट की ख़ास जगह है उस अमलदारी को बढ़ाने, कम करने या ख़त्म करने की शक्ति देती है;

(बी) वह पहली पट्टी के भाग (ए) या भाग (बी) में दर्ज किसी ऐसी रियासत की क़ानून सभा को जिसमें कोई ऐसा छेत्र है, उस अमलदारी को ख़त्म करने की शक्ति देती है; या

(सी) वह उस क़ानून सभा को जिसे ऐसे किसी छेत्र के बारे में उस मतलब के लिये क़ानून बनाने की शक्ति है, धारा (बी) के बन्धानों के अधीन रहते हुए, उस छेत्र के सम्बन्ध की उस हाईकोर्ट की अमलदारी के बारे में ऐसे क़ानून बनाने से रोकती है, जिन्हें पास करने का उस क़ानून सभा को अधिकार होता अगर उस अदालत की ख़ास जगह उसी छेत्र में होती.

अर्थ

232—जहां किसी हाईकोर्ट की अमलदारी पहली पट्टी में दर्ज एक से अधिक रियासतों के सम्बन्ध में, या किसी एक रियासत और एक ऐसे छेत्र के सम्बन्ध में चलती है जो उस रियासत का भाग नहीं है, वहां—

(ए) इस खंड में जहां किसी हाईकोर्ट के जजों के सम्बन्ध में रियासतपति की चरचा की गई है, उससे मतलब उस रियासत के रियासतपति से लिया जायगा जिसमें उस हाईकोर्ट की ख़ास जगह है;

(बी) मातहत अदालतों के लिये नियमों, रूपों और नक़्शों पर रियासतपति की रज़ामन्दी की जहां चरचा की गई है, उससे मतलब उस रियासत के रियासतपति या राजप्रमुख की रज़ामन्दी से लिया जायगा जिसमें वह मातहत अदालत है, या अगर वह किसी ऐसे छेत्र में है जो पहली पट्टी के भाग (ए) या भाग (बी) में दर्ज किसी रियासत का भाग नहीं है, तो उससे मतलब राजपति की रज़ामन्दी से लिया जायगा; और

(सी) रियासत के मूठकोश की जहां जहां चरचा की गई है

उससे मतलब उस रियासत के मूठकोश की चरचा से लिया जायगा जिसमें उस हाईकोर्ट की खास जगह है.

खंड छै—मातहत अदालतें

233—(1) किसी रियासत में जिला जज होने वाले लोगों का नियोजन, उनकी तैनाती और तरक्की उस रियासत का रियासतपति, उस रियासत के संबंध में अमलदारी रखने वाली हाईकोर्ट से सलाह करके करेगा.

ज़िला जजों का नियोजन

(2) कोई आदमी जो पहले से यूनियन की या रियासत की नौकरी में नहीं है केवल तभी ज़िला जज नियोजे जाने का पात्र होगा जब वह कम से कम सात बरस तक वकील या लीडर रह चुका है और हाईकोर्ट ने उसके नियोजन की सिफ़ारिश की है.

234—किसी रियासत की न्यायी नौकरी में जिला जजों को छोड़कर दूसरे लोगों का नियोजन उस रियासत का रियासतपति इस काम के लिये अपने बनाए हुए उन नियमों के अनुसार करेगा जो उसने रियासत सरकारी नौकरी कमीशन और उस रियासत के संबंध में अमलदारी रखने वाली हाईकोर्ट से सलाह करके बनाए हों.

न्यायी नौकरी में ज़िला जजों को छोड़कर और लोगों की भरती

235—जिला अदालतों और उनकी मातहत अदालतों पर दबान हाईकोर्ट को हासिल होगा, जिसमें किसी रियासत की न्यायी नौकरी में काम करने वाले और ज़िला जज से नीचे पद पर रहने वाले लोगों की तैनाती और तरक्की और उनकी छुट्टी मंजूर करना शामिल होगा, पर इस दफ़ा की किसी बात का यह मतलब नहीं लिया जायगा कि वह किसी ऐसे आदमी का अपील करने का वह अधिकार छीन लेती है जो उसको उसकी नौकरी की शर्तों की क़ायदाबन्दी करनेवाले क़ानून के अधीन मिला हुआ हो, या यह कि वह हाईकोर्ट को यह अधिकार देती है कि वह उस कानून के अधीन बताई उस आदमी की नौकरी की शर्तों के अनुसार न चलकर उसके साथ किसी दूसरी तरह ब्योहार करे.

मातहत अदालतों पर दबान

236—इस खंड में—

अर्थ

(ए) "ज़िला जज" शब्दों में नगर दीवानी अदालत का जज, अधिक ज़िला जज, संगी ज़िला जज, सहायक

ज़िला जज, खफ़ीफ़ा अदालत का प्रमुख जज, प्रमुख प्रेसीडेंसी मजिस्ट्रेट, सहायक प्रमुख प्रेसीडेंसी मजिस्ट्रेट, सेशन जज, अधिक सेशन जज और सहायक सेशन जज शामिल होंगे;

(बी) "न्यायी नौकरी" शब्दों के मानी हैं वह नौकरी जिसमें केवल वही लोग होंगे जो ज़िला जज की जगह और ज़िला जज की जगह से नीचे की दूसरी दीवानी न्यायी जगहों को भरने के लिये हैं.

इस खंड के बन्धानों का मजिस्ट्रेटों की किसी खास जमात या जमातों पर लागू होना

237—रियासतपति आम नोटिस निकाल कर यह निर्देश कर सकता है कि, उस नोटिस में बताए हुए अपवादों और अदल बदल के अधीन रहते हुए, इस खंड के ऊपर लिखे बन्धान और उनके अधीन बने नियम, उस तारीख से जो वह इस काम के लिये तय करे, उस रियासत में मजिस्ट्रेटों की किसी जमात या जमातों पर उसी तरह लागू होंगे जिस तरह वे उस रियासत की न्यायी नौकरी में नियोजे हुए लोगों के संबंध में लागू होते हैं.

भाग सात

पहली पट्टी के भाग (बी) की रियासतें

पहली पट्टी के भाग (बी) की रियासतों पर भाग छै के बन्धानों का लागू होना

238—भाग छै के बन्धान पहली पट्टी के भाग (बी) में दर्ज रियासतों के संबंध में उसी तरह लागू होंगे जिस तरह वे उस पट्टी के भाग (ए) में दर्ज रियासतों के संबंध में लागू होते हैं, पर नीचे लिखे अदल बदल और छूटों का ध्यान रखते हुए लागू होंगे, यानी :-

(1) भाग छै में जहाँ कहीं "रियासतपति" शब्द आया है उसकी जगह, सिवाय जब वह दफ़ा 232 की धारा (बी) में दूसरी बार आया है, "राजप्रमुख" शब्द रख दिया जायगा.

(2) दफ़ा 152 में "भाग (ए)" इस शब्द और अक्षर की जगह "भाग (बी)" यह शब्द और अक्षर रखे जायंगे.

(3) दफ़ा 155, 156 और 157 छोड़ दिये जायंगे.

(4) दफ़ा 158 में—

(एक) धारा (1) में "नियोजा जाय" शब्दों की जगह "हो जाय" शब्द रखदिये जायंगे;

(दो) धारा (3) की जगह नीचे लिखी धारा रखदी जायगी, यानी :—

"(3) राजप्रमुख, जबतक कि रियासत की सरकार की खास जगह में उसका अपना रहने का मकान न हो, बिना किराया दिये सरकारी मकान को काम में लाने का हक़दार होगा और वह उन भत्तों और निजनियमों का भी हक़दार होगा जो राजपति आम या खास हुकुम देकर तय करदे.";

(तीन) धारा (4) में "वेतन और" शब्द छोड़ दिये जायंगे.

(5) दफ़ा 159 में "बड़े से बड़े जज के सामने जो मिल सके" शब्दों के बाद "या ऐसे दूसरे ढंग से जो राजपति इस काम के लिये तय करदे" शब्द जोड़ दिये जायंगे.

(6) दफ़ा 164 में धारा (1) की शर्त की जगह नीचे लिखी शर्त रख दी जायगी, यानी :—

"शर्ते कि मध्यभारत की रियासत में एक वज़ीर ऐसा होगा जिसको क़बीलों की भलाई का काम सौंपा जायगा और जिसको इसके अलावा पट्टी दर्ज जातियों और पिछड़ी जमातों की भलाई का काम या कोई और दूसरा काम भी सौंपा जा सकता है."

(7) दफ़ा 168 में धारा (1) की जगह नीचे लिखी धारा रखी जायगी, यानी :—

"(1) हर रियासत की एक क़ानून सभा होगी जिसमें राजप्रमुख होगा, और जिस में—

(ए) मैसूर की रियासत में दो सदन होंगे;

(बी) दूसरी रियासतों में एक एक सदन होगा."

(8) दफ़ा 186 में "जो दूसरी पट्टी में दर्ज है" शब्दों की जगह "जो राजप्रमुख तय कर दे" शब्द रख दिये जायंगे.

(9) दफ़ा 195 में "जो इस विधान के आरंभ से ठीक पहले जवाबी सूबे के आम सदन (लेजिस्लेटिव असेम्बली) के मेम्बरों के लिये लागू थीं" शब्दों की जगह "जो राजप्रमुख तय कर दे" शब्द रख दिये जायंगे.

(10) दफ़ा 202 की धारा (3) में—

(एक) उप-धारा (ए) की जगह नीचे लिखी उप-धारा रख दी जायगी, यानी :—

"(ए) राजप्रमुख के भत्ते और उसके पद संबंधी दूसरे खर्च जो राजपति आम या खास हुकुम देकर तय करदे;"

(दो) उपधारा (एफ़) की जगह नीचे लिखी उप धाराएं रखी जायंगी, यानी :—

"(एफ़) ट्रावनकोर-कोचीन रियासत की सूरत में इक्यावन लाख रुपए की वह रक़म, जो इस विधान के आरम्भ होने से पहले ट्रावनकोर कोचीन की मिली हुई रियासत बनाने के लिये, ट्रावनकोर और कोचीन की देसी रियासतों के शासकों ने जो मुआहिदा किया था उसके अधीन हर साल देव-स्वोम कोश को दी जायगी;

(जी) कोई दूसरा खर्च जिसे यह विधान या रियासत की क़ानून सभा क़ानून बनाकर ऐसा खर्च ठहरा दे."

(11) दफ़ा 208 में धारा (2) की जगह नीचे लिखी धारा रख दी जायगी, यानी :—

"(2) जब तक धारा (1) के अधीन नियम नहीं बनाए जाते तबतक दस्तूर के वह नियम और वह क़ायमी हुकुम जो इस विधान के आरंभ होने से ठीक पहले उस रियासत की क़ानून सभा के बारे में लागू थे, या जहाँ रियासत की क़ानून सभा का कोई सदन नहीं था, वहां दस्तूर के वह नियम और वह क़ायमी हुकुम जो इस विधान के आरंभ होने से ठीक पहले उस सूबे के आमसदन (लेजिस्लेटिव असेम्बली) के बारे में लागू थे जिसे उस रियासत का राजप्रमुख इस काम के लिये तय करदे, उस रियासत की क़ानून सभा के संबंध में ऐसे अदल बदल और अनुकूलन के अधीन जो आम सदन का सभामुख या खास सदन का मसनदी, जैसी सूरत हो, उनमें करदे, असर रखेंगे"

(12) दफ़ा 214 की धारा (2) में "सूबे" शब्द की जगह "देसी रियासत" शब्द रख दिये जायंगे.

(13) दफ़ा 221 की जगह नीचे लिखी दफ़ा रखदी जायगी, यानी :—

जजों की तनखाहें वगैरा

"221—(1) हर हाईकोर्ट के जजों को वह तनखाहें दी जायंगी जो राजपति राजप्रमुख से सलाह करके तय कर दे.

(2) हर जज उन भत्तों का और छुट्टी और पेनशन के बारे मे उन अधिकारों का हक़दार होगा जो समय समय पर राजपंचायत के बनाए किसी क़ानून में या उसके अधीन तय किये जायं, और जब तक वह इस तरह तय नहीं किये जाते तब तक उन भत्तों और अधिकारों का हक़दार होगा जो राजपति राजप्रमुख से सलाह कर के तय करदे:

शर्तें कि किसी जज के भत्तों में या छुट्टी या पेनशन के बारे में उसके अधिकारों में उसके नियोजन के बाद इस तरह की कोई अदल बदल नहीं की जायगी जिससे वह घाटे में रहे."

भाग आठ

पहली पट्टी के भाग (सी) की रियासतें

पहली पट्टी के भाग (सी) की रियासतों का शासन

239—(1) इस भाग के और बन्धानों के अधीन रहते हुए पहली पट्टी के भाग (सी) में दर्ज हर रियासत का शासन राजपति करेगा, और जिस हद तक वह ठीक समझे यह शासन वह एक चीफ़ कमिश्नर या नायब रियासतपति की मारफ़त करेगा जिसे वह खुद नियोजेगा या किसी पड़ोसी रियासत की सरकार के मारफ़त करेगा :

शर्त कि राजपति किसी पड़ोसी रियासत की सरकार की मारफ़त उस समय तक यह काम नहीं करेगा जब तक कि—

(ए) उसने उस सरकार से सलाह न कर ली हो; और

(बी) जिस रियासत पर इस तरह शासन करना है वहाँ के लोगों के विचार राजपति ने ऐसे ढंग से मालूम न कर लिये हों जिसे वह सब से अधिक मुनासिब समझे.

(2) इस दफ़ा में किसी रियासत की चरचा में उस रियासत के किसी भाग की चरचा भी शामिल है.

मुक़ामी क़ानून सभाओं या सलाहकार मंडल या वज़ीर मंडल का बनाना या जारी रखना

240—(1) पहली पट्टी के भाग (सी) में दर्ज किसी ऐसी रियासत के लिये जिसका शासन चीफ़ कमिश्नर या नायब रियासतपति की मारफ़त होता हो, राजपंचायत क़ानून बना कर—

(ए) एक संस्था, चाहे नामज़द की हुई चाहे चुनी हुई, चाहे कुछ नामज़द की हुई और कुछ चुनी हुई, उस रियासत की क़ानून सभा का काम करने के लिये; या

(बी) सलाहकार मंडल या वजीर मंडल,

या दोनों बना सकती है या जारी रख सकती है जिनकी बनावट, शक्तियाँ और काम हर सूरत में वह होंगे जो उस क़ानून में बता दिए गए हों.

(2) धारा (1) में जिस किसी क़ानून की चरचा की गई है उसको दफ़ा 368 के मतलबों के लिये इस विधान का सुधार

नहीं समझा जायगा, भले ही उसमें कोई ऐसा बन्धान हो जो विधान में सुधार करता है या सुधार करने का असर रखता है.

पहली पट्टी के भाग (सी) की रियासतों के लिये हाईकोर्टें

241—(1) राजपंचायत, क़ानून बनाकर, पहली पट्टी के भाग (सी) में दर्ज किसी रियासत के लिये एक हाईकोर्ट बना सकती है, या उस रियासत की किसी अदालत को इस विधान के सब मतलबों या उनमें के किसी मतलब के लिये हाईकोर्ट ठहरा सकती है.

(2) भाग छै के खंड पांच के बन्धान हर उस हाईकोर्ट के संबंध में जिसकी चरचा धारा (1) में की गई है उसी तरह लागू होंगे जिस तरह वह उस हाईकोर्ट के संबंध में लागू होते हैं जिसकी चरचा दफ़ा 214 में की गई है, पर ऐसी अदल बदल और ऐसे अपवादों के अधीन रहते हुए जिनका राजपंचायत क़ानून बनाकर बन्धान कर दे.

(3) इस विधान के बन्धानों और मुनासिब क़ानून सभा के किसी ऐसे क़ानून के बन्धानों के अधीन रहते हुए जो उन शक्तियों की रू से बनाया गया हो जो इस विधान में या इसके अधीन उस क़ानून सभा को दी गई हों, जिस किसी हाईकोर्ट की अमलदारी पहली पट्टी के भाग (सी) में दर्ज किसी रियासत के या उसमें शामिल किसी छेत्र के संबंध में इस विधान के आरंभ से ठीक पहले चलती थी उस हाईकोर्ट की वह अमलदारी उस रियासत या उस छेत्र के संबंध में विधान के आरंभ के बाद भी चलती रहेगी.

(4) इस दफ़ा की किसी भी बात से राजपंचायत की वह शक्ति कम नहीं होती जो उसे पहली पट्टी के भाग (ए) या भाग (बी) में दर्ज किसी रियासत की किसी हाईकोर्ट की अमलदारी को उस पट्टी के भाग (सी) में दर्ज किसी रियासत तक या उस रियासत में शामिल किसी छेत्र तक बढ़ा देने की या उससे अलग कर देने की हासिल है.

कुर्ग

242—(1) जब तक राजपंचायत क़ानून बना कर दूसरा बन्धान नहीं करती तब तक कुर्ग के खास सदन की बनावट, उसकी शक्तियाँ और उसके काम वही होंगे जो इस विधान के आरम्भ से ठीक पहले थे.

कुर्ग में जो मालगुज़ारी जमा की जाय उसके बारे में

प्रबन्ध और कुर्ग के सम्बन्ध में खर्च बिना बदले जारी रखे जायंगे जब तक कि राजपति इस काम के लिये हुकुम देकर कोई दूसरा बन्धान न करदे.

भाग नौ

पहली पट्टी के भाग (डी) के भूभाग और वह दूसरे भूभाग जो उस पट्टी में दर्ज नहीं हैं

पहली पट्टी के भाग (डी) में दर्ज भूभागों का और उन दूसरे भूभागों का शासन जो उस पट्टी में दर्ज नहीं हैं

243—(1) पहली पट्टी के भाग (डी) में दर्ज हर भूभाग का शासन और हर ऐसे दूसरे भूभाग का शासन जो भारत के भूभाग में शामिल हैं पर पहली पट्टी में दर्ज नहीं है, राजपति करेगा, और जिस हद तक वह ठीक समझेगा यह शासन एक चीफ कमिश्नर की मारफ़त या किसी और ऐसे अधिकारी की मारफ़त करेगा जिसे वह ख़ुद नियोजेगा.

(2) राजपति हर ऐसे भूभाग की शान्ति और वहां अच्छी हुकूमत के लिये क़ायदे बना सकता है, और जो क़ायदा इस तरह बनाया जायगा वह राजपंचायत के बनाए किसी क़ानून को, या किसी ऐसे मौजूदा क़ानून को जो उस समय उस भूभाग पर लागू हो, रद्द कर सकता है या उसमें सुधार कर सकता है, और जब राजपति किसी ऐसे क़ायदे को जारी कर देगा तो उस क़ायदे का वही बल और असर होगा जो राजपंचायत के किसी ऐसे एक्ट का जो उस भूभाग पर लागू हो.

भाग दस

पट्टीदर्ज छेत्र और क़बायली छेत्र

पट्टी-दर्ज छेत्रों और क़बायली छेत्रों का शासन.

244—(1) पांचवीं पट्टी के बन्धान, आसाम की रियासत को छोड़ कर, पहली पट्टी के भाग (ए) और भाग (बी) में दर्ज हर दूसरी रियासत के पट्टी दर्ज छेत्रों और पट्टी-दर्ज क़बीलों के शासन और उनके दबाव के सम्बन्ध में लागू होंगे.

(2) छटी पट्टी के बन्धान आसाम की रियासत के क़बायली छेत्रों के शासन के सम्बन्ध में लागू होंगे.

भाग ग्यारह

यूनियन और रियासतों के बीच सम्बन्ध

खंड एक—क़ानूनकारी सम्बन्ध

क़ानूनकारी शक्तियों का बटवारा

राजपंचायत के बनाए और रियासतों की क़ानून सभाओं के बनाए क़ानूनों का फैलाव

245—(1) इस विधान के बन्धानों के अधीन रहते हुए, राजपंचायत भारत के सारे भूभाग के लिये या उसके किसी भाग के लिये क़ानून बना सकती है, और हर रियासत की क़ानून सभा उस सारी रियासत या उसके किसी भाग के लिये क़ानून बना सकती है.

(2) राजपंचायत का बनाया हुआ कोई क़ानून इस बिना पर नादुरुस्त नहीं समझा जायगा कि उस पर अमल भूभाग-परे भी होगा.

राजपंचायत के बनाए और रियासतों की क़ानून सभाओं के बनाए क़ानूनों का विशय

246—(1) धारा (2) और (3) में किसी बात के रहते भी, अकेले राजपंचायत को ही यह शक्ति है कि वह सातवीं पट्टी की तालिका एक में (जिसकी इस विधान में "यूनियन तालिका" कह कर चरचा की गई है) गिनाए मामलों में से किसी के बारे में क़ानून बनाए.

(2) धारा (3) में किसी बात के रहते भी, राजपंचायत को, और धारा (1) के अधीन रहते हुए पहली पट्टी के भाग (ए) और भाग (बी) में दर्ज किसी रियासत की क़ानून सभा को भी यह शक्ति है कि वह सातवीं पट्टी की तीसरी तालिका में (जिसकी इस विधान में "संगचारी तालिका" कह कर चरचा की गई है) गिनाए मामलों में से किसी के बारे में क़ानून बनाए.

(3) धारा (1) और (2) के अधीन रहते हुए, पहली पट्टी के भाग (ए) और भाग (बी) में दर्ज किसी रियासत की क़ानून सभा को ही अकेले यह शक्ति है कि वह उस रियासत के लिये या उसके किसी भाग के लिये सातवीं पट्टी की तालिका दो में (जिसकी इस विधान में "रियासत तालिका" कहकर चरचा की गई है) गिनाए मामलों में से किसी के बारे में क़ानून बनाए.

(4) राजपंचायत को यह शक्ति है कि वह भारत के भूभाग के किसी ऐसे भाग के लिये जो पहली पट्टी के भाग (ए) या भाग (बी) में शामिल नहीं है, किसी मामले के बारे में क़ानून बनाए, भले ही वह मामला ऐसा मामला हो जो रियासत तालिका में गिनाया गया है.

कुछ अधिक अदालतों को क़ायम करने के लिये बन्धान करने की राजपंचायत की शक्ति

247—इस खंड में किसी बात के रहते भी, "यूनियन तालिका" में गिनाए किसी मामले के बारे में किसी मौजूदा क़ानून पर, या राजपंचायत के बनाए क़ानूनों पर, अधिक अच्छी तरह अमल कराने के लिये राजपंचायत कानून बनाकर कोई अधिक अदालतें क़ायम करने का बन्धान कर सकती है.

क़ानून बनाने की बची शक्तियां

248—(1) अकेले राजपंचायत को ही यह शक्ति है कि किसी ऐसे मामले के बारे में कोई क़ानून बनाए जो न संगचारी तालिका में गिनाया गया है न रियासत तालिका में.

(2) इस शक्ति में कोई ऐसा टैक्स लगाने के लिये क़ानून बनाने की शक्ति भी शामिल होगी जिसकी चरचा उन तालिकाओं में से किसी में नहीं की गई.

क़ौमी हित के लिये रियासत तालिका के किसी मामले के बारे में राजपंचायत को क़ानून बनाने की शक्ति

249—(1) इस खंड के ऊपर लिखे बन्धानों में किसी बात के रहते भी, अगर रियासत सदन ने किसी ऐसे ठहराव से, जिसका उस समय मौजूद और वोट देने वाले मेम्बरों में से कम से कम दो तिहाई ने समर्थन किया हो, यह ठहरा दिया है कि क़ौमी हित में यह जरूरी है या समयोचित है कि "रियासत तालिका" में गिनाए किसी ऐसे मामले के बारे में जिसकी उस ठहराव में चरचा की गई है राजपंचायत क़ानून बनाए, तो राजपंचायत के लिये यह क़ानून-संगत होगा कि जब तक वह ठहराव अमल में रहे राजपंचायत भारत के सारे भूभाग या उसके किसी हिस्से के लिये उस मामले के बारे में क़ानून बनाए.

(2) धारा (1) के अधीन पास हुआ ठहराव उतने अरसे तक अमल में रहेगा जो एक साल से अधिक न हो और जो ठहराव में बता दिया गया हो:

शर्तें कि अगर, और जितनी बार, किसी ऐसे ठहराव को अमल

में रखने की रजामन्दी देने वाला कोई ठहराव धारा (1) में बताए ढंग से पास हो जाय, तो वह पहला ठहराव जिस तारीख से इस धारा के अधीन अमल में न रहता उतनी बार उससे एक बरस के और अधिक अरसे तक अमल में रहेगा.

(3) राजपंचायत के बनाए किसी ऐसे क़ानून का, जिसे बनाने का अधिकार राजपंचायत को न होता अगर धारा (1) के अधीन ठहराव पास न हुआ होता, उस ठहराव के अमल में न रहने से छै महीने का अरसा बीत जाने पर, उस अनधिकार की हद तक, असर न रहेगा, सिवाय उन बातों के बारे में जो इस अरसे के बीत जाने से पहले की जा चुकी हों या करने से छोड़ दी गई हों.

अचानकी का कोई ऐलान अमल में होने की सूरत में रियासत तालिका के किसी भी मामले के बारे में राजपंचायत को क़ानून बनाने की शक्ति

250—(1) इस खंड में किसी बात के रहते भी, जब कभी अचानकी का कोई ऐलान अमल में हो, तो राजपंचायत को शक्ति होगी कि वह रियासत तालिका में गिनाए मामलों में से किसी के बारे में भारत के सारे भूभाग या उसके किसी भाग के लिये क़ानून बनाए.

(2) राजपंचायत के बनाए किसी ऐसे क़ानून का, जिसे बनाने का अधिकार राजपंचायत को न होता अगर अचानकी का ऐलान जारी न हुआ होता, ऐलान के अमल में न रहने के बाद छै महीने का अरसा बीत जाने पर, उस अनधिकार की हद तक, असर न रहेगा, सिवाय उन बातों के बारे में जो इस अरसे के बीत जाने से पहले की जा चुकी हों या करने से छोड़ दी गई हों.

दफ़ा 249 और 250 के अधीन राजपंचायत के बनाए क़ानूनों का रियासतों की क़ानून सभाओं के बनाए क़ानून के साथ अनमेल

251—दफ़ा 249 और 250 की कोई बात किसी रियासत की क़ानून सभा की इस शक्ति पर कोई रुकावट नहीं लगा सकेगी कि वह कोई ऐसा क़ानून बनाए जिसे इस विधान के अधीन उसको बनाने की शक्ति है, पर अगर किसी रियासत की क़ानून सभा के बनाए किसी क़ानून का कोई बंधान राजपंचायत के बनाए किसी ऐसे क़ानून के किसी बंधान के खिलाफ़ पड़ता हो, जिसे बनाने की ऊपर बताई हुई दोनों दफ़ाओं में से किसी के अधीन राजपंचायत को शक्ति है, तो राजपंचायत का बनाया क़ानून ही चलेगा, चाहे वह रियासत की क़ानून सभा के बनाए क़ानून से पहले बना हो और

चाहे पीछे, और उस खिलाफ पड़ने की हद तक, पर तभी तक जब तक राजपंचायत के बनाए हुए क़ानून का असर जारी है, रियासत की क़ानून सभा का बनाया क़ानून अमल में नहीं रहेगा.

राजपंचायत को दो या अधिक रियासतों के लिये उनकी अनुमति से क़ानून बनाने की शक्ति और किसी दूसरी रियासत का ऐसे क़ानूनों को अपनाना

252—(1) अगर दो या अधिक रियासतों की क़ानून सभाओं को यह बात चाहनी मालूम हो कि राजपंचायत क़ानून बनाकर उन रियासतों में किसी ऐसे मामले की क़ायदाबन्दी करदे जिस मामले के बारे में उन रियासतों के लिये क़ानून बनाने की राजपंचायत को शक्ति नहीं है, सिवाय उस सूरत में जिसका बन्धान दफ़ा 249 और 250 में किया गया है, और इस मतलब के ठहराव उन रियासतों की क़ानून सभाओं के सब सदनों में पास हो जाते हैं, तो राजपंचायत के लिये यह कानून-संगत होगा कि वह इस तरह उस मामले की क़ायदाबन्दी करने के लिये एक्ट पास कर दे, और कोई एक्ट जो इस तरह पास हो गया हो उन रियासतों में लागू होगा और किसी ऐसी दूसरी रियासत में भी लागू होगा जिस रियासत ने अपनी क़ानून सभा के सदन में, या जहां दो सदन हैं वहां उस रियासत की क़ानून सभा के हर सदन में, इस काम के लिये ठहराव पास करके उस एक्ट को बाद में अपना लिया हो.

(2) राजपंचायत के इस तरह पास किये हुए किसी एक्ट में, उसी तरह पास हुए या उसी तरह अपनाए हुए राजपंचायत के ही किसी एक्ट से, सुधार किया जा सकता है या उसे रद्द किया जा सकता है, पर जहां तक किसी ऐसी रियासत का सम्बन्ध है जिसमें वह एक्ट लागू होता है उस रियासत की क़ानून सभा के किसी एक्ट से न उसमें सुधार किया जा सकेगा न उसे रद्द किया जा सकेगा.

अन्तर क़ौमी समझौतों पर अमल कराने के लिये क़ानून बनाना

253—इस खंड के ऊपर लिखे बन्धानों में किसी बात के रहते भी, राजपंचायत को शक्ति है कि वह किसी दूसरे देश या देशों के साथ किसी संधिनामे, समझौते या माने हुए रिवाज पर या किसी अन्तर-क़ौमी कानफ़रेंस, सभा या दूसरी संस्था के किसी फ़ैसले पर अमल कराने के लिये भारत के सारे भूभाग या उसके किसी भाग के लिये कोई क़ानून बनाए.

254—(1) अगर किसी रियासत की क़ानून सभा के बनाए किसी क़ानून का कोई बन्धान राजपंचायत के बनाए किसी ऐसे क़ानून के किसी बन्धान के ख़िलाफ़ पड़ता है जिसे बनाने का राजपंचायत को अधिकार है, या संगचारी तालिका में गिनाए मामलों में से किसी की बाबत किसी मौजूदा क़ानून के किसी बन्धान के ख़िलाफ़ पड़ता है, तो धारा (2) के बन्धानों के अधीन रहते हुए, राजपंचायत का बनाया क़ानून ही, चाहे वह उस रियासत की क़ानून सभा के बनाए क़ानून से पहले पास हुआ हो या बाद में, या वह मौजूदा क़ानून ही, जैसी सूरत हो, चलेगा, और उस रियासत की क़ानून सभा का बनाया कानून, ख़िलाफ़ पड़ने की हद तक, रद्द होगा.

राजपंचायत के बनाए क़ानूनों और रियासतों की क़ानून सभाओं के बनाए क़ानूनों में अनमेल

(2) जहां संगचारी तालिका में गिनाए किसी मामले के बारे में पहली पट्टी के भाग (ए) या भाग (बी) में दर्ज किसी रियासत की क़ानून सभा के बनाए किसी क़ानून में कोई ऐसा बन्धान है जो पहले से बने हुए राजपंचायत के किसी क़ानून के बन्धानों के या उस मामले के बारे में किसी मौजूदा क़ानून के बन्धानों के ख़िलाफ़ पड़ता है, तो उस रियासत में उस रियासत की क़ानून सभा का इस तरह बनाया हुआ क़ानून ही चलेगा, अगर उसे राजपति के सोच विचार के लिये रखा गया हो और राजपति ने उस पर अपनी मंज़ूरी दे दी हो :

शर्त्तें कि इस धारा की कोई बात राजपंचायत को किसी समय भी, उसी मामले के बारे में कोई क़ानून बनाने से नहीं रोकेगी, इसमें कोई ऐसा क़ानून भी शामिल होगा जो उस रियासत की क़ानून सभा के इस तरह बनाए क़ानून में कुछ जोड़े, उसमें सुधार करे, उसका रूप बदल दे या उसे रद्द कर दे.

255—राजपंचायत का या पहली पट्टी के भाग (ए) और भाग (बी) में दर्ज किसी रियासत की क़ानून सभा का कोई एक्ट, और ऐसे किसी एक्ट का कोई बंधान, केवल इसी कारन नादुरुस्त नहीं होगा कि कोई ऐसी सिफ़ारिश या पहले से मंज़ूरी जो इस विधान के अनुसार दरकार थी उस एक्ट को नहीं मिली थी, अगर—

सिफ़ारिशों के और पहले से मंज़ूरियाँ लेने के दरकार होने को सिर्फ़ दस्तूरी मामला समझा जायगा

(ए) जहाँ रियासतपति की सिफ़ारिश दरकार थी, वहाँ

रियासतपति ने या राजपति ने,

(बी) जहाँ राजप्रमुख की सिफ़ारिश दरकार थी, वहाँ राजप्रमुख ने या राजपति ने,

(सी) जहाँ राजपति की सिफ़ारिश या पहले से मंज़ूरी दरकार थी वहाँ राजपति ने,

इस ऐक्ट पर अपनी रज़ामन्दी दे दी हो.

खंड दो

शासनी संबंध

आम

रियासतों की और यूनियन की ज़िम्मेदारी

256—हर रियासत की काजकारी शक्ति से इस तरह काम लिया जायगा जिससे राजपंचायत के बनाए हुए क़ानूनों और उस रियासत में लागू मौजूदा क़ानूनों पर अमल होने का भरोसा रहे, और यूनियन की काजकारी शक्ति के फैलाव में किसी भी रियासत को इस तरह के निर्देश देना शामिल होगा जो भारत सरकार को इस मतलब के लिये जरूरी मालूम हों.

कुछ सूरतों में यूनियन का रियासतों पर दबाव

257—(1) हर रियासत की काजकारी शक्ति से इस तरह काम लिया जायगा जिससे यूनियन की काजकारी शक्ति से काम लेने में रुकावट न पड़े, न उसे नुकसान पहुँचे, और यूनियन की काजकारी शक्ति के फैलाव में किसी रियासत को इस तरह के निर्देश देना भी शामिल होगा जो भारत सरकार को इस मतलब के लिये जरूरी मालूम हों.

(2) यूनियन की काजकारी शक्ति के फैलाव में किसी रियासत को इस तरह के निर्देश देना भी शामिल होगा जो आवा-जाई के उन साधनों को बनाने और बनाए रखने के सम्बन्ध में दिये गए हों जिन्हें उस निर्देश में क़ौमी या फ़ौजी महत्व का ठहराया गया हो :

शर्तें कि इस धारा की किसी बात से यह नहीं समझा जायगा कि वह राजपंचायत की इस शक्ति पर कि राजपंचायत किन्हीं थल मार्गों या जल मार्गों को क़ौमी थल मार्ग या क़ौमी जल मार्ग ठहरा दे कोई रुकावट लगाती है, या जिन थल मार्गों या जल मार्गों के

सम्बन्ध में ऐसा ठहरा दिया गया है उनके बारे में यूनियन की शक्ति पर कोई रुकावट लगाती है, या यूनियन की इस शक्ति पर कोई रुकावट लगाती है कि यूनियन आवा-जाई के साधनों को समन्दरी, जमीनी और हवाई फ़ौजों की इमारतों के संबंध में अपने कामों का एक भाग समझ कर बनाए और बनाए रखे.

(3) यूनियन की काजकारी शक्ति के फैलाव में किसी रियासत को ऐसे निर्देश देना भी शामिल होगा कि रियासत के अन्दर रेल मार्गों की रक्षा के लिये क्या क्या तरकीबें की जायं.

(4) जहाँ धारा (2) के अधीन आवा-जाई के किन्हीं साधनों को बनाने या बनाए रखने के संबंध में, या धारा (3) के अधीन किसी रेल मार्ग की रक्षा करने के लिये जो तरकीबें की जानेवाली हैं उनके संबंध में किसी रियासत को दिये हुए किसी निर्देश पर अमल करने में उससे ज्यादा खर्च हो गया हो, जो ऐसा निर्देश न दिये जाने की सूरत में रियासत के अपने मामूली फ़रज़ पूरे करने में होता, तो भारत सरकार उस रियासत को वह रक़म देगी जिस पर दोनों राज़ी हो जायं, या अगर राज़ी न हो सकें तो वह रक़म देगी जो भारत के सर जज का नियोजा हुआ कोई पंच रियासत के उस अधिक खर्च के बारे में तय कर दे.

कुछ सूरतों में रियासतों को शक्तियां वग़ैरा देने की यूनियन को शक्ति

258—(1) इस विधान में किसी बात के रहते भी, राजपति, किसी रियासत की सरकार की रज़ामन्दी से, उस सरकार को या उसके अफ़सरों को, कुछ शर्तों के साथ या बिना शर्त, किसी ऐसे मामले के संबंध में काम सौंप सकता है जो मामला यूनियन की काजकारी शक्ति के फैलाव में शामिल है.

(2) राजपंचायत का बनाया हुआ कोई क़ानून जो किसी रियासत में लागू होता हो, इस बात के बावजूद कि उसका संबंध किसी ऐसे मामले से है जिसके बारे में उस रियासत की क़ानून सभा को क़ानून बनाने की शक्ति नहीं है, उस रियासत को या उसके अफ़सरों और अधिकारियों को कोई शक्तियां दे सकता है, और उन पर कोई फ़रज़ लगा सकता है, या किसी दूसरे को उन्हें शक्तियां देने और उन पर फ़रज़ लगाने का अधिकार दे सकता है.

(3) जहां इस दफ़ा की रू से किसी रियासत को या उसके अफ़सरों या उसके अधिकारियों को कोई शक्तियां दी गई हों और उन पर कोई फ़रज़ लगाए गए हों, वहां उन शक्तियों और फ़रज़ों से काम लेने के संबंध में रियासत के शासन पर रियासत का जो कुछ अधिक खर्च होगा उसके बारे में भारत सरकार उस रियासत को वह रक़म देगी जिस पर दोनों राज़ी हो जायं या अगर राज़ी न हो सकें तो वह रक़म देगी जो भारत के सरजज का नियोजा हुआ कोई पंच तय कर दे.

पहली पट्टी के भाग (बी) की रियासतों में हथियारबन्द फ़ौजें

259—(1) इस विधान में किसी बात के रहते भी, पहली पट्टी के भाग (बी) में दर्ज किसी रियासत में अगर इस विधान के आरंभ से ठीक पहले कोई हथियार बन्द फ़ौजें थीं तो विधान के आरंभ के बाद, जब तक राजपंचायत क़ानून बनाकर कुछ और बन्धान न करे तब तक, वह रियासत उन फ़ौजों को रख सकेगी, पर उन आम या खास हुकुमों के अधीन जो राजपति समय समय पर इस काम के लिये जारी करे.

(2) धारा (1) में जिन हथियारबन्द फ़ौजों की चरचा की गई है वह सब यूनियन की हथियारबन्द फ़ौजों का भाग होंगी.

भारत के बाहर भूभागों के संबंध में यूनियन की अमलदारी

260—भारत सरकार किसी ऐसे भूभाग की सरकार से समझौता करके जो भारत के भूभाग का हिस्सा नहीं है कोई ऐसे काजकारी, क़ानूनकारी या न्यायकारी काम अपने हाथ में ले सकती है जो उस भूभाग की सरकार को मिले हुए हैं, पर हर ऐसा समझौता उस क़ानून का ध्यान रखते हुए और उस के अधीन होगा जो विदेशी अमलदारी से काम लेने के संबंध में उस समय अमल में हो.

सरकारी काम, लेखे और अदालती कारवाइयां

261—(1) भारत के सारे भूभाग में यूनियन के और हर रियासत के सरकारी कामों, लेखाओं और अदालती कारवाइयों पर पूरा भरोसा किया जायगा और उनकी पूरी साख होगी.

(2) धारा (1) में जिन कामों, लेखाओं और कारवाइयों की चरचा की गई है, उनको जिस ढंग से और जिन शर्तों के अधीन साबित किया जायगा और उनका असर तय किया जायगा वह ऐसी होंगी जिनका बन्धान राजपंचायत के बनाए क़ानून में किया गया हो.

(3) भारत के भूभाग के किसी हिस्से में दीवानी अदालतों ने जो आखिरी फ़ैसले सुनाए हों या हुकुम दिये हों उन पर क़ानून के अनुसार उस भूभाग में कहीं भी अमल कराया जा सकेगा.

पानी के संबंध में झगड़े

अन्तर - रियासती नदियों या उनकी घाटियों के पानी के संबंध में झगड़ों का अदालती फैसला

262—(1) राजपंचायत क़ानून बनाकर किसी ऐसे झगड़े या शिकायत के अदालती-फ़ैसले के लिये बन्धान कर सकती है जिसका संबंध किसी अन्तर-रियासती नदी या नदी की घाटी के पानी के इस्तेमाल, बटवारे या दबान से हो.

(2) इस विधान में किसी बात के रहते भी, राजपंचायत क़ानून बनाकर यह बन्धान कर सकती है कि किसी ऐसे झगड़े या शिकायत के बारे में जिसकी चरचा धारा (1) में की गई है, न आला अदालत की अमलदारी चलेगी न किसी दूसरी अदालत की.

रियासतों के बीच तालमेल

अन्तर-रियासती मंडल के बारे में बन्धान

263—अगर किसी समय राजपति को यह मालूम हो कि एक ऐसा मंडल क़ायम करने से जनता का हित होगा जिसको यह फ़रज़ सौंपा जाय कि वह—

(ए) रियासतों के बीच जो झगड़े खड़े हो गए हों उनकी पूछताछ करे और उन पर सलाह दे;

(बी) उन मामलों की जांच करे और उन पर बहस करे जिनमें कुछ या सब रियासतों का, या यूनियन और एक या अधिक रियासतों का मिला जुला हित हो; या

(सी) ऐसे किसी भी मामले पर सिफ़ारिशें करे, और ख़ास कर उस मामले के बारे में नीति और अमल का अधिक अच्छा तालमेल पैदा करने के लिये सिफ़ारिशें करे,

तो राजपति के लिये यह क़ानून-संगत होगा कि वह हुकुम देकर एक ऐसा मंडल क़ायम करदे, और उस मंडल को जिस तरह के फ़रज़ पूरे करने हैं उन्हें और मंडल के संगठन और दस्तूर को तय कर दे.

भाग बारह

माल, जायदाद, ठेके और नालिशें

खंड एक—माल

आम

अर्थ

264—इस भाग में जब तक प्रसंग से कुछ और दरकार न हो—

(ए) "माल कमीशन" के मानी हैं वह माल कमीशन जो दफ़ा 280 के अधीन बनाया गया हो;

(बी) "रियासत" में वह रियासत शामिल नहीं है जो पहली पट्टी के भाग (सी) में दर्ज हो;

(सी) पहली पट्टी के भाग (सी) में दर्ज रियासतों की चरचा में हर उस भूभाग की चरचा भी शामिल होगी जो पहली पट्टी के भाग (डी) में दर्ज हो, और किसी दूसरे ऐसे भूभाग की चरचा भी शामिल होगी जो भारत के भूभाग में शामिल है पर उस पट्टी में दर्ज नहीं है.

क़ानून के अधिकार सिवा टक्स नहीं लगाए जायंगे

265—क़ानून के अधिकार बिना न कोई टैक्स लगाया जायगा और न जमा किया जायगा.

भारत के और रियासतों के मूठकोश और सरकारी हिसाब

266—(1) दफ़ा 267 के बन्धानों के अधीन रहते हुए, और कुछ टैक्सों और महसूलों की असल वसूली के कुल या कुछ भाग को रियासतों के नाम करने के बारे में इस खंड के बन्धानों के अधीन रहते हुए, कुल मालगुज़ारी जो भारत सरकार को मिले, कुल उधारियां जो भारत सरकार सरकारी हुंडियां जारी करके ले, उधारियां या राहरीत पेशगियां, और वह सब रक़में जो उस सरकार को उधारियों की अदायगी में मिलें, इन सबका मिलकर एक मूठकोश बनेगा जो "भारत का मूठकोश" कहलायगा, और कुल मालगुज़ारी जो किसी रियासत की सरकार को मिले, कुल उधारियां जो वह सरकार सरकारी हुँडियाँ जारी करके ले, उधारियाँ या राहरीत पेशगियां, और वह सब रक़में जो उस सरकार को उधारियों की अदायगी में मिलें

इन सबका मिलकर एक मूठकोश बनेगा जो "उस रियासत का मूठ-कोश" कहलायगा.

(2) और सब सरकारी रक़में जो भारत सरकार या किसी रियासत की सरकार को मिलें, या जो उनके नाम से मिलें वह भारत के सरकारी हिसाब में या उस रियासत के सरकारी हिसाब में, जैसी सूरत हो, जमा की जायंगी.

(3) भारत के मूठकोश में से या किसी रियासत के मूठ-कोश में से कोई रक़में खर्चे की मदों में नहीं डाली जायंगी सिवाय क़ानून के अनुसार, और उन मतलबों के लिये, और उस ढंग से जिसका बन्धान इस विधान में किया गया है.

जोगाजोग कोश

267—(1) राजपंचायत क़ानून बनाकर पेश-नगदी जैसा एक जोगाजोग कोश क़ायम कर सकती है जो "भारत का जोगाजोग कोश" कहलायगा, जिसमें समय समय पर वह रक़में जमा की जायंगी जो उस क़ानून में तय करदी जायं, और यह कोश राजपति के हाथ में रख दिया जायगा जिससे कि वह तब तक अनसूझे खर्च चलाने के लिये उस कोश में से रुपया पेशगी दे सके जब तक राजपंचायत दफ़ा 115 या 116 के अधीन क़ानून बनाकर उस खर्चे का अधिकार न दे दे.

(2) रियासत की क़ानून सभा क़ानून बनाकर पेश-नगदी जैसा एक जोगाजोग कोश क़ायम कर सकती है जो उस "रियासत का जोगाजोग कोश" कहलायगा, जिसमें समय समय पर वह रक़में जमा की जायंगी जो उस क़ानून में तय कर दी जायँ, और यह कोश उस रियासत के रियासतपति या राजप्रमुख के हाथ में रख दिया जायगा जिससे कि वह तब तक अनसूझे खर्च चलाने के लिये उस कोश में से रुपया पेशगी दे सके जब तक रियासत की क़ानून सभा दफ़ा 205 या 206 के अधीन क़ानून बनाकर उस खर्चे का अधिकार न दे दे.

यूनियन और रियासतों के बीच मालगुज़ारी का बटवारा

वह महसूल जिन्हें यूनियन लगाए पर

268—(1) वह स्टाम्प के महसूल और दवाइयों और सिंगार के सामान पर वह निकासनी महसूल जो यूनियन तालिका में दिये हुए

जिन्हें रियासतें जमा करें और खर्च की मदों में डालें

हैं भारत सरकार लगायगी, पर—

(ए) उस सूरत में जहां यह महसूल किसी ऐसी रियासत में लगने हैं जो पहली पट्टी के भाग (सी) में दर्ज है, उन्हें भारत सरकार जमा करेगी, और

(बी) दूसरी सूरतों में जिन जिन रियासतों में वह महसूल लगने हैं वह वह रियासतें जमा करेंगी.

(2) किसी माली साल में जो वसूली किसी ऐसे महसूल से हो जो किसी रियासत के अन्दर लगना है, वह भारत के मूठकोश का भाग नहीं होगी, बल्कि उसी रियासत के नाम कर दी जायगी.

वह टैक्स जो यूनियन लगाए और जमा करे पर जो रियासतों के नाम कर दिये जायं

269—(1) नीचे लिखे हुए महसूल और टैक्स भारत सरकार लगायगी और जमा करेगी, पर धारा (2) में बताए ढंग पर उन्हें रियासतों के नाम कर दिया जायगा, यानी:—

(ए) खेतीबाड़ी की जमीन को छोड़कर दूसरी जायदाद की विरासत के बारे में महसूल;

(बी) खेती बाड़ी की जमीन को छोड़कर दूसरी जायदाद के बारे में मिलकियत महसूल;

(सी) रेल मार्ग, समन्दर या हवा से जाने वाले माल या सवारियों पर हदवारी टैक्स;

(डी) रेल मार्ग की सवारियों के किरायों और माल के भाड़े पर टैक्स;

(ई) शेयर बाज़ारों और पेश बाज़ारों के सौदों पर स्टाम्प महसूल को छोड़कर दूसरे टैक्स;

(एफ़) अखबारों की बिकरी या खरीद पर और उनमें निकलने वाले जाहिरात पर टैक्स.

(2) किसी माली साल में ऐसे किसी महसूल या टैक्स की असल वसूली, सिवाय जहाँ तक कि वह वसूली ऐसी वसूली हो जो पहली पट्टी के भाग (सी) में दर्ज रियासतों के हिसाब में वसूल हुई हो, भारत के मूठकोश का भाग नहीं होगी, बल्कि उन रियासतों के नाम कर दी जायगी जिनके अन्दर वह महसूल या टैक्स उस साल

में लगना हो, और उन रियासतों के बीच बटवारे के उन सिद्धांतों के अनुसार बांटी जायगी जिनको राजपंचायत क़ानून बनाकर रूप दे दे.

वह टैक्स जो यूनियन लगाए और जमा करे और जो यूनियन और रियासतों के बीच बांटे जायं

270—(1) खेती बाड़ी की आमदनी को छोड़कर दूसरी आमदनी पर टैक्स भारत सरकार लगायगी और वही जमा करेगी, और उन्हें यूनियन और रियासतों के बीच, उस ढंग से बांटा जायगा जिसका बन्धान धारा (2) में किया गया है.

(2) किसी माली साल में ऐसे किसी टैक्स की असल वसूली का वह फ़ी सैकड़ा जो बता दिया जाय, सिवाय जिस हद तक कि वह वसूली ऐसी वसूली हो जो पहली पट्टी के भाग (सी) में दर्ज रियासतों के हिसाब में वसूल हुई हो, या उन टैक्सों के हिसाब में वसूल हुई हो जो यूनियन वेतनों के बारे में दिये जाने हों, भारत के मूठकोश का भाग नहीं होगा, बल्कि उन रियासतों के नाम कर दिया जायगा जिनके अन्दर उस साल वह टैक्स लगना है, और उसको उन रियासतों के बीच उस ढंग से और उस समय से बांटा जायगा जो बता दिया जाय.

(3) धारा (2) के मतलबों के लिये हर माली साल में आमदनी पर टैक्सों से जो असल वसूली हो उस में से, उस भाग को छोड़ कर जो यूनियन वेतनों के बारे में दिये जाने वाले टैक्सों की असल वसूली है, बाक़ी का वह फ़ी सैकड़ा जो बता दिया जाय, वह वसूली समझा जायगा जो पहली पट्टी के भाग (सी) में दर्ज रियासतों के हिसाब में वसूल हुई है.

(4) इस दफ़ा में—

(ए) "आमदनी पर टैक्सों" में एकतनी टैक्स शामिल नहीं है;

(बी) "बता दिया जाय" के मानी हैं—

(एक) जब तक कोई माल कमीशन न बनाया जाय, तबतक जो कुछ राजपति हुकुम देकर बता दे, और

(दो) माल कमीशन बनाए जाने और माल कमीशन की सिफ़ारिशों पर विचार करने के बाद राजपति अपने हुकुम से जो बता दे;

(सी) "यूनियन वेतनों" में भारत के मूठकोश में से दिये जाने वाले वह सब वेतन और पेनशन शामिल हैं जिनके ऊपर आमदनी टैक्स लिया जा सकता है.

कुछ महसूलों और टैक्सों पर यूनियन के मतलबों के लिये अधिक-टैक्स

271—दफ़ा 269 और 270 में किसी बात के रहते भी, राज-पंचायत किसी समय भी उन दफ़ाओं में जिन महसूलों या टैक्सों की चरचा की गई है उनमें से किसी को यूनियन के मतलबों के लिये अधिक-टैक्स लगाकर बढ़ा सकती है, और ऐसे हर अधिक-टैक्स की कुल वसूली भारत के मूठकोश का भाग होगी.

वह टैक्स जो यूनियन लगाती है और जमा करती है और जो यूनियन और रियासतों के बीच बांटे जा सकते हैं

272—यूनियन तालिका में बताए हुए दवाइयों और सिंगार के सामान पर निकासनी महसूलों को छोड़कर, यूनियन के दूसरे निकासनी महसूल भारत सरकार लगायगी और जमा करेगी, लेकिन अगर राजपंचायत क़ानून बनाकर बन्धान कर दे तो भारत के मूठकोश में से उन रियासतों को जो उस महसूल को लगाने वाले क़ानून के फैलाव में आ जाती हैं, उस महसूल की असल वसूली के कुल या कुछ भाग के बराबर रक़में दी जायंगी, और वह रक़में उन रियासतों में बटवारे के उन सिद्धान्तों के अनुसार बांटी जायंगी जिनको उस क़ानून में रूप दे दिया जाय.

पटसन और पटसन से बनी चीज़ों पर निकासी-महसूल के बदले में देनगियां

273—(1) आसाम, बिहार, उड़ीसा और पच्छिम बंगाल की रियासतों के नाम, पटसन या पटसन की बनी चीज़ों पर निकासी-महसूल की हर बरस की असल वसूली का कोई हिस्सा कर देने के बदले में उन रियासतों की मालगुज़ारी की सहायती देनगियों के रूप में उन्हें वह रक़में हर बरस दी जायंगी जो बता दी जायं, और वह रक़में भारत के मूठकोश के खाते में पड़ेंगी.

(2) जो रक़में इस तरह बता दी जायं वह तब तक भारत के मूठकोश के खाते में पड़ती रहेंगी जब तक पटसन या पटसन की बनी चीज़ों पर भारत सरकार कोई निकासी महसूल लगाती रहे या जब तक इस विधान के आरंभ होने के बाद दस बरस न बीत जायं, जो भी इनमें से पहले हो.

(3) इस दफ़ा में "बतादी जायं" शब्दों के वही मानी हैं जो दफ़ा 270 में.

274—(1) कोई ऐसा बिल या सुधार, जो कोई ऐसा टैक्स या महसूल लगाता है या उसमें अदल बदल करता है जिसमें रियासतों का हित है, या जो "खेती-बाड़ी की आमदनी" शब्दों के मानी में, जैसी उसकी परिभाशा भारत आमदनी टैक्स संबंधी क़ानूनों के मतलबों के लिये की गई है, अदल बदल करता है, या जिसका असर उन सिद्धान्तों पर पड़ता है जिनके अनुसार इस खंड के ऊपर लिखे बन्धानों में से किसी के अधीन रियासतों में रक़में बांटी जाती हैं या बांटी जा सकती हैं, या जो यूनियन के मतलबों के लिये ऐसा कोई अधिक-टैक्स लगाता है जो इस खंड के ऊपर लिखे बन्धानों में बताया गया है, राजपति की सिफ़ारिश के सिवाय राजपंचायत के किसी सदन में न रखा जायगा न पेश किया जायगा.

जिन टैक्सों में रियासतों का हित हो उन पर असर डालने वाले बिलों पर राजपति को पहले से सिफ़ारिश दरकार

(2) इस दफ़ा में "टैक्स या महसूल जिसमें रियासतों का हित है" शब्दों के मानी हैं—

(ए) कोई टैक्स या महसूल जिसकी असल वसूली का कुल या कुछ भाग किसी रियासत के नाम कर दिया गया हो; या

(बी) कोई टैक्स या महसूल जिसकी असल वसूली का हवाला देकर उस समय भारत के मूठकोश में से रक़में किसी रियासत को दी जानी हों.

275—(1) हर साल वह रक़में जिनका राजपंचायत क़ानून बनाकर बंधान करे और जो उन रियासतों को उनकी मालगुजारी की सहायती देनगियों के रूप में दी जायंगी, जिनके संबंध में राजपंचायत यह तय करे कि उनको मदद की ज़रूरत है, भारत के मूठ-कोश के खाते में पड़ेंगी, और अलग अलग रियासतों के लिये अलग अलग रक़में तय की जा सकती हैं :

यूनियन की तरफ़ से कुछ रियासतों को देनगियां

शर्तें कि किसी रियासत को भारत के मूठकोश में से, उस रियासत की सरकारी मालगुजारी की सहायती देनगियों के रूप में, वह पूँजी और वह फिराती रक़में दी जायँगी जो इस बात के लिये ज़रूरी हों कि वह रियासत विकास की उन योजनाओं का खर्च उठा सके जो उस रियासत ने भारत सरकार की रज़ामन्दी से उस रिया-

सत के पट्टीदर्ज क़बीलों की भलाई के कामों को बढ़ाने के लिये या उस रियासत के पट्टीदर्ज छेत्रों के शासन-तल को रियासत के बाक़ी छेत्रों के शासन-तल तक ऊँचा ले जाने के लिये हाथ में ली हों :

और शर्तें कि आसाम को भारत के मूठकोश में से रियासत की मालगुज़ारी की सहायती देनगियों के रूप में, वह पूँजी की रक़में और वह फिराती रक़में दी जांयगी जो—

(ए) छटी पट्टी के बीसवें पैरे के साथ दिये हुए नक़्शे के भाग (ए) में दर्ज क़बाइली छेत्रों के शासन के सम्बन्ध में, इस विधान के आरंभ से ठीक पहले दो साल तक आमदनी से खर्च जितना ज्यादा रहा हो उसकी औसत के बराबर हों; और

(बी) वह रियासत, भारत सरकार की रज़ामन्दी से, ऊपर कहे छेत्रों के शासन तल को उस रियासत के बाक़ी छेत्रों के शासन-तल तक ऊँचा उठाने के लिये विकास की जो योजनाएँ हाथ में ले, उनके खर्च के बराबर हों.

(2) जब तक राजपंचायत धारा (1) के अधीन बन्धान नहीं करती तब तक उस धारा के अधीन जो शक्तियां राजपंचायत को दी गई हैं उन शक्तियों से राजपति हुकुम जारी करके काम ले सकेगा, और उस धारा के अधीन राजपति जो हुकुम जारी करे उसका असर राजपंचायत के इस तरह बनाए बन्धान के अधीन होगा :

शर्तें कि माल कमीशन के बनाए जाने के बाद उस माल कमीशन की सिफ़ारिशों पर विचार किये बिना राजपति इस धारा के अधीन कोई हुकुम जारी नहीं करेगा.

पेशों, ब्योपारों, रोज़गारों और कामगारियों पर टैक्स

276—(1) दफ़ा 246 में किसी बात के रहते भी, किसी रियासत की क़ानून सभा का कोई क़ानून जिसका संबंध उस रियासत के लाभ के लिये या उसको किसी नगरायत, ज़िला बोर्ड, मुक़ामी बोर्ड, या किसी दूसरे मुक़ामी अधिकारी के लाभ के लिये, पेशों, ब्योपारों, रोज़गारों या कामगारियों के बारे में लगाए जाने वाले किन्हीं टैक्सों से है, इस बिना पर नादुरुस्त नहीं

होगा कि उसका संबंध आमदनी पर लगने वाले टैक्स से है.

(2) वह कुल रक़म जो किसी एक आदमी के बारे में, पेशों, ब्योपारों, रोजगारों और कामगारियों पर टैक्सों के रूप में, उस रियासत को या उसकी किसी एक नगरायत, जिला बोर्ड, मुक़ामी बोर्ड, या किसी एक दूसरे मुक़ामी अधिकारी को दी जायगी, दो सौ पचास रुपए सालाना से अधिक न होगी :

शर्तें कि अगर इस विधान के आरंभ से ठीक पहले के माली साल में, किसी रियासत में या ऐसी किसी नगरायत, बोर्ड या अधिकारी संस्था में पेशों, ब्योपारों, रोजगारों या कामगारियों पर कोई ऐसा टैक्स जारी था, जिसकी दर, या जिसकी ज्यादा से ज्यादा दर दो सौ पचास रुपए सालाना से अधिक थी, तो वह टैक्स आगे भी तब तक लगाया जा सकेगा जब तक कि राजपंचायत क़ानून बना कर इसके खिलाफ़ बंधान न करदे, और राजपंचायत इस तरह का जो क़ानून बनाए वह या तो एक आम क़ानून हो सकता है या किन्हीं खास बताई हुई रियासतों, नगरायतों, बोर्डों या अधिकारियों के सम्बन्ध में हो सकता है.

(3) पेशों, ब्योपारों, रोजगारों और कामगारियों पर टैक्स के बारे में ऊपर बताए हुए क़ानून बनाने की किसी रियासत की क़ानून सभा को जो शक्ति है, उसका यह मतलब नहीं लिया जायगा कि वह राजपंचायत की क़ानून बनाने की उस शक्ति को किसी तरह खिमियाती है जो राजपंचायत को पेशों, ब्योपारों, रोजगारों और कामगारियों से होने वाली या मिलने वाली आमदनी पर टैक्स लगाने के बारे में है.

277—जो कोई टैक्स, महसूल, मुक़ामी टैक्स, या फ़ीस, इस विधान के आरंभ से ठीक पहले, किसी रियासत की सरकार या कोई नगरायत या कोई दूसरा मुक़ामी अधिकारी या संस्था उस रियासत, नगरायत, ज़िले या दूसरे मुक़ामी क्षेत्र के मतलबों के लिये क़ानून के अनुसार लगाती थी, वह इस बात के रहते भी कि उन टैक्सों, महसूलों, मुक़ामी टैक्सों या फ़ीसों का यूनियन तालिका में ज़िक्र आया है, आगे भी लगाया जा सकेगा, और उन्हीं मतलबों के

बचावे

लिये काम में लाया जा सकेगा, जब तक कि राजपंचायत क़ानून बना कर इसके खिलाफ़ कोई बन्धान न करे.

कुछ माली मामलों के सबंध में पहली पट्टी के भाग (बी) की रियासतों से समझौता.

278—(1) इस विधान में किसी बात के रहते भी, भारत सरकार, धारा (2) के बन्धानों के अधीन रहते हुए, पहली पट्टी के भाग (बी) में दर्ज किसी रियासत की सरकार के साथ नीचे लिखी बातों के बारे में समझौता कर सकती है:—

(ए) किसी ऐसे टैक्स या महसूल का लगाना या जमा करना जो भारत सरकार उस रियासत में लगा सकती हो, और उसकी वसूली को इस खंड के बन्धानों के अनुसार न चलते हुए किसी और तरह बांटना;

(बी) भारत सरकार का ऐसी रियासत को उस रियासत की उस मालगुज़ारी में घाटे के कारन कोई माली मदद मंजूर करना जो मालगुज़ारी उस रियासत को किसी ऐसे टैक्स या महसूल से मिलती रही हो जिसे इस विधान के अधीन भारत सरकार लगा सकती है, या जो उसे किसी और ज़रिये से मिलती रही हो;

(सी) किसी ऐसी रक़म का जो भारत सरकार दफ़ा 291 की धारा (1) के अधीन दे, वह हिस्सा जो वह रियासत देगी,

और जब इस तरह कोई समझौता हो जाय तो इस खंड के बन्धानों का असर उस रियासत के संबंध में उस समझौते की शर्तों के अधीन होगा.

(2) धारा (1) के अधीन जो समझौता किया जाय वह इस विधान के आरंभ से अधिक से अधिक दस बरस के अरसे तक अमल में रहेगा :

शर्तें कि राजपति विधान के आरंभ से पांच बरस बीत जाने के बाद किसी समय भी ऐसे किसी समझौते को खतम कर सकता है या उसमें अदल बदल कर सकता है, अगर माल कमीशन की रिपोर्ट पर विचार करने के बाद वह ऐसा करना जरूरी समझे.

"असल वसूली" का हिसाब लगाना, वगैरा

279—(1) इस खंड के ऊपर लिखे बन्धानों में किसी टैक्स या महसूल के सम्बन्ध में "असल वसूली" के मानी हैं उस टैक्स या महसूल की वसूली में से उसे जमा करने का खर्च निकाल कर जो बचे वह, और उन बंधानों के मतलबों के लिये किसी टैक्स या महसूल की, या किसी टैक्स या महसूल के किसी भाग की असल वसूली जो किसी छेत्र से वसूल हो या जो किसी छेत्र के हिसाब में वसूल हो, उसका हिसाब भारत का सरपड़तालिया और दावअफ़सर लगायगा और उस हिसाब की सनद करेगा और उसकी यह सनद आखिरी होगी.

(2) ऊपर जो कहा गया है उसके और इस खंड के किसी और साफ़ साफ़ बन्धान के अधीन रहते हुए, किसी ऐसी सूरत में जिसमें किसी महसूल या टैक्स की वसूली रक़म इस भाग के अधीन किसी रियासत के नाम की गई है या की जा सकती है, राजपंचायत का बनाया हुआ कोई क़ानून या राजपति का कोई हुकुम इस बात का बन्धान कर सकता है कि उस वसूली का हिसाब किस ढंग से किया जायगा, और उसकी कोई रक़म किस समय से कब और किस ढंग से अदा की जायगी, और एक माली साल और दूसरे माली साल में बैठ बिठाव किस तरह होगा, ऐसा क़ानून या हुकुम किन्हीं और प्रसंगी या सहायक मामलों का भी बन्धान कर सकता है.

माल कमीशन

280—(1) इस विधान के आरंभ से दो साल के अन्दर अन्दर, और उसके बाद हर पांचवे साल के बीत जाने पर, या उससे पहले किसी और समय जब राजपति जरूरी समझे, राजपति हुकुम जारी करके एक माल कमीशन बनायगा जिसमें एक मसनदी और चार दूसरे मेम्बर होंगे जिनको राजपति नियोजेगा.

(2) राजपंचायत क़ानून बनाकर तय कर सकती है कि कमीशन के मेम्बर नियोजे जाने के लिये क्या क्या जोगताएँ दरकार होंगी और मेम्बर किस ढंग पर छांटे जायंगे.

(3) कमीशन का फ़रज होगा कि वह राजपति से इन बातों के बारे में सिफ़ारिशें करे —

(ए) टैक्सों की जो असल वसूली इस खंड के अधीन

यूनियन और रियासतों के बीच बांटी जानी है या बांटी जा सकती है उसका बंटवारा और उस वसूली में से रियासतों के अलग अलग हिस्सों का तय किया जाना;

(बी) वह सिद्धान्त जिनके अधीन भारत के मूठकोश में से रियासतों की मालगुज़ारी की सहायती देनगियां की जायंगी;

(सी) भारत सरकार ने दफ़ा 278 की धारा (1) के अधीन या दफ़ा 306 के अधीन, पहली पट्टी के भाग (बी) में दर्ज किसी रियासत की सरकार के साथ जो समझौता किया हो उसकी शर्तों का जारी रखना या बदलना; और

(डी) कोई दूसरा मामला जो राजपति ने माल को पक्का रखने के हित में कमीशन को राय के लिये भेजा हो.

(4) कमीशन अपना दस्तूर तय करेगा, और उसको अपने कामों के करने में वह शक्तियां होंगी जो राजपंचायत उसे क़ानून बनाकर सौंपे.

माल कमीशन की सिफ़ारिशें

281— इस विधान के बन्धानों के अधीन माल कमीशन जो भी सिफ़ारिश करेगा उसे राजपति, एक ऐसी यादी के साथ जिसमें यह समझाया गया होगा कि उस सिफ़ारिश पर क्या कारवाई की गई है, राजपंचायत के हर सदन के सामने रखवायगा.

फुटकर माली बन्धान

खर्चा जो यूनियन या कोई रियासत अपनी मालगुज़ारी में से कर सकती है

282— यूनियन या कोई रियासत जनता के किसी मतलब के लिये कोई देनगी कर सकती है, भले ही वह मतलब ऐसा न हो जिसके बारे में राजपंचायत या उस रियासत की क़ानून सभा, जैसी सूरत हो, क़ानून बना सकती है.

मूठकोश, जोगाजोग कोश और सरकारी हिसाबों में जमा हुई रक़मों की रखवाली वगैरा

283—(1) भारत के मूठकोश और भारत के जोगाजोग कोश की रखवाली, उन कोशों में रक़में जमा करना, उनमें से रक़में निकालना, उन सरकारी रक़मों की रखवाली जो भारत सरकार को मिली हों या जो उसके नाम से ली गई हों और जो इन कोशों में जमा न की गई हों उन रक़मों का भारत के सरकारी हिसाब में

जमा करना और उस हिसाब में से रक़में निकालना, और दूसरे सब मामले जिन का ऊपर कहे मामलों से संबंध हो या जो उनके सहायक हों, इन सबकी क़ायदाबन्दी राजपंचायत क़ानून बनाकर करेगी, और जब तक इस काम के लिये इस तरह बन्धान न किया जाय तबतक उनकी क़ायदाबन्दी राजपति के बनाए नियमों से होगी.

(2) किसी रियासत के मूठकोश और उसके जोगाजोग कोश की रखवाली, उन कोशों में रक़में जमा करना, उनमें से रक़में निकालना, उन सरकारी रक़मों की रखवाली जो रियासत की सरकार को मिली हों या उसके नाम से ली गई हों और जो इन कोशों में जमा न की गई हों, उन रक़मों का रियासत के सरकारी हिसाब में जमा करना और उस हिसाब में से रक़में निकालना, और दूसरे सब मामले जिनका ऊपर कहे मामलों से संबंध हो या जो उनके सहायक हों, इन सब की क़ायदाबन्दी रियासत की क़ानून सभा क़ानून बना कर करेगी, और जब तक इस काम के लिये इस तरह बन्धान न किया जाय तब तक उनकी क़ायदाबन्दी उस रियासत के रियासतपति या राजप्रमुख के बनाए नियमों से होगी.

सायलों की जमा की हुई रक़मों और उन दूसरी रक़मों की रखवाली जो सरकारी नौकरों और अदालतों को मिलें

284—वह सब रक़में जो—

(ए) यूनियन के या किसी रियासत के मामलों के संबंध में काम पर लगे हुए किसी अफ़सर को उसकी उस हैसियत से मिलें या जो उसके पास जमा की जायं, सिवाय उस मालगुज़ारी या सरकारी रक़मों के जो भारत सरकार या उस रियासत की सरकार, जैसी सूरत हो, ले या उसे मिलें, या

(बी) भारत के भूभाग के अन्दर किसी अदालत को किसी मुक़द्में, मामले, हिसाब या किन्हीं आदमियों के नाम से मिलें या जो उसके पास जमा की जायं,

भारत के सरकारी हिसाब में या उस रियासत के सरकारी हिसाब में, जैसी सूरत हो, जमा की जायंगी.

माल की खरीद या बिकरी पर कोई टैक्स जो इस विधान के आरम्भ से ठीक पहले किसी रियासत की सरकार क़ानून के अनुसार लगा रही थी मार्च सन् 1951 के इकतीसवें दिन तक लगता रहेगा, भले ही ऐसे टैक्स का लगाना इस धारा के बन्धानों के खिलाफ़ हो.

(3) किसी रियासत की क़ानून सभा का बनाया हुआ कोई क़ानून जो किसी ऐसे माल की बिकरी या खरीद पर कोई टैक्स लगाता है या किसी को लगाने का अधिकार देता है जिस माल को राजपंचायत ने क़ानून बनाकर समाज के जीवन के लिये जरूरी ठहरा दिया हो, कोई असर नहीं रखेगा जब तक कि उसे राजपति के विचार के लिये न रखा गया हो और उसको राजपति की मंजूरी न मिल गई हो.

बिजली के टैक्सों से बरी होना

287—सिवाय उस हद तक जिस हद तक कि राजपंचायत क़ानून बनाकर कोई और बंधान कर दे, किसी रियासत का कोई क़ानून उस बिजली की (चाहे उसे सरकार पैदा करे या कोई दूसरे आदमी) खपत या बिकरी पर न कोई टैक्स लगायगा न किसी को लगाने का अधिकार देगा, जिसकी—

(ए) भारत सरकार खपत करे या जो भारत सरकार के खपाने के लिये उस सरकार को बेची जाय; या

(बी) किसी रेल मार्ग के बनाने, बनाए रखने या चलाने में भारत सरकार खपत करे, या उस रेल मार्ग को चलाने वाली कोई रेल मार्ग कम्पनी खपत करे, या जो भारत सरकार को या ऐसी किसी रेल मार्ग कम्पनी को किसी रेल मार्ग के बनाने, बनाए रखने या चलाने में खपत के लिये बेची गई हो,

और हर ऐसे क़ानून में जो बिजली की बिकरी पर कोई टैक्स लगाता हो या लगाने का अधिकार देता हो, इस बात का पक्का प्रबन्ध रहेगा कि भारत सरकार के खपाने के लिये भारत सरकार को जो बिजली बेची जाय, या जो बिजली ऊपर बताई हुई किसी रेल मार्ग कम्पनी को, किसी रेल मार्ग के बनाने, बनाए रखने या चलाने में खपत करने के लिये बेची जाय, उसकी क़ीमत, काफ़ी बिजली खपत

करने वाले दूसरे गाहकों से जो क़ीमत ली जाती है, उससे टैक्स की रक़म घटा कर ली जायगी.

कुछ सूरतों में पानी या बिजली के बारे में रियासतों के टैक्सों से बरी होना

288—(1) सिवाय उस हद तक जिस हद तक कि राजपति हुकुम दे कर कोई और बन्धान कर दे, किसी रियासत का कोई क़ानून, जो इस विधान के आरंभ से ठीक पहले अमल में हो, किसी ऐसे पानी या बिजली के बारे में कोई टैक्स नहीं लगायगा न लगाने का किसी को अधिकार देगा जिसे कोई ऐसी अधिकारी संस्था जमा करे, पैदा करे, खपाए, बांटे या बेचे, जो किसी मौजूदा क़ानून से या राजपंचायत के बनाए किसी क़ानून से किसी अन्तर-रियासती नदी या नदी-घाटी का विकास या क़ायदाबन्दी करने के लिये क़ायम की गई हो.

समझाव—इस धारा में "किसी रियासत का कोई क़ानून जो अमल में हो" शब्दों में किसी रियासत का वह क़ानून भी शामिल होगा जो इस विधान के आरंभ होने से पहले पास किया गया हो या बनाया गया हो और जो इससे पहले रद्द न कर दिया गया हो, भले ही वह कुल क़ानून या उसके कुछ भाग उस समय बिल्कुल ही या कुछ खास क्षेत्रों के अन्दर अमल में न हों.

(2) किसी रियासत की क़ानून सभा क़ानून बनाकर ऐसा कोई टैक्स जो धारा (1) में बताया गया है लगा सकती है या लगाने का अधिकार दे सकती है, पर ऐसे किसी क़ानून का कोई असर नहीं होगा जब तक कि उसको राजपति के विचार के लिये रखे जाने के बाद राजपति की मंजूरी न मिल गई हो; और अगर कोई ऐसा क़ानून ऐसे टैक्स की दरों और दूसरी प्रसंगी बातों को, ऐसे नियमों और हुकमों से तय कराने का बन्धान करता है जिन्हें उस क़ानून के अधीन कोई अधिकारी बनाए या दे तो वह क़ानून ऐसे किसी नियम या हुकुम के बनाए जाने या दिये जाने के लिये राजपति की पहले से अनुमति लिये जाने का बन्धान करेगा.

रियासत की जायदाद और आमदनी का यूनियन के टैक्सों से बरी होना

289—(1) रियासत की जायदाद और आमदनी यूनियन के टैक्सों से बरी होगी.

(2) धारा (1) की कोई बात यूनियन को उस हद तक,

अगर कोई ऐसी हद हो तो, किसी टैक्स के लगाने या लगाने का अधिकार देने से नहीं रोकेगी, जिस हद तक, राजपंचायत, किसी तरह के किसी ब्योपार या कारबार की बाबत, जिसे रियासत की सरकार चलाती हो या जो रियासत की सरकार के नाम से चलाया जाता हो, या उससे संबंध रखने वाले किन्हीं कामों की बाबत, या किसी ऐसी जायदाद की बाबत जिसे ऐसे ब्योपार या कारबार के मतलबों के लिये इस्तेमाल किया जाता हो, या जिस पर उन मतलबों के लिये क़ब्ज़ा किया गया हो, या उसके संबंध में होने वाली या मिलने वाली किसी आमदनी की बाबत, क़ानून बनाकर कोई बन्धान कर दे.

(3) धारा (2) की कोई बात किसी ऐसे ब्योपार या कारबार पर या किसी ऐसी तरह के ब्योपारों या कारबार पर लागू नहीं होगी जिनकी बाबत राजपंचायत क़ानून बनाकर यह ठहरा दे कि वह सरकार के मामूली कामों के साथ क़ुदरती संबंध रखते हैं.

कुछ खर्चों और पेनशनों के बारे में बैठ-बिठाव

290—जहाँ इस विधान के बन्धानों के अधीन, किसी अदालत या कमीशन का खर्च, या किसी ऐसे आदमी को या उसके बारे में दी जाने वाली पेनशन, जो इस विधान के आरंभ होने से पहले सम्राट के अधीन हिन्द में नौकरी कर चुका है, या जो विधान के आरंभ होने के बाद यूनियन या किसी रियासत के मामलों के संबंध में नौकरी कर चुका है, भारत के मूठकोश या किसी रियासत के मूठकोश के खाते में पड़ती हैं, वहाँ—

(ए) अगर वह भारत के मूठकोश के खाते में पड़ता है, और वह अदालत या कमीशन, किसी रियासत की अलग ज़रूरतों में से किसी को पूरा करे, या उस आदमी ने बिलकुल या कुछ हद तक किसी रियासत के मामलों के सम्बन्ध में नौकरी की है; या

(बी) अगर वह किसी रियासत के मूठकोश के खाते में पड़ता है, और वह अदालत या कमीशन यूनियन की या किसी दूसरी रियासत की अलग ज़रूरतों को पूरा करे, या उस आदमी ने बिलकुल या कुछ हद तक

यूनियन या किसी दूसरी रियासत के मामलों के सम्बन्ध में नौकरी की है, तो

उन खर्चों या उस पेनशन का वह हिस्सा जिस पर सब राज़ी हों या अगर कोई राज़ी न हो तो जो भारत के सरजज का नियोजा हुआ कोई पंच तय कर दे, उस रियासत के मूठकोश के खाते में डाला जायगा और उस कोश में से दिया जायगा या, जैसी सूरत हो, भारत के मूठकोश के खाते में, या उस दूसरी रियासत के मूठकोश के खाते में, डाला जायगा और उसमें से दिया जायगा.

शासकों की निजी थलियों की रक़में

291—(1) जहाँ किसी ऐसे मुआहदे या समझौते के अधीन जो इस विधान के आरंभ से पहले किसी देसी रियासत के शासक ने किया हो, टैक्स से बरी किन्हीं रक़मों का उस रियासत के शासक को उसकी निजी थैली के रूप में दिया जाना हिन्द डोमिनियन की सरकार ने गारंटी कर दिया हो या उसका भरोसा दिलाया हो, वहाँ—

(ए) वह रक़में भारत के मूठकोश के खाते में पड़ेंगी और उसमें से दी जायंगी; और

(बी) किसी शासक को जो रक़में इस तरह दी जायंगी उनपर कोई आमदनी टैक्स नहीं लिया जायगा.

(2) जहाँ ऊपर कही किसी देसी रियासत के भूभाग पहली पट्टी के भाग (ए) और भाग (बी) में दर्ज किसी रियासत के अन्दर आ जाते हैं, वहाँ धारा (1) के अधीन भारत सरकार जो रक़में देगी उनका वह हिस्सा, अगर कोई हो, और उस अरसे के लिये जो दफ़ा 278 की धारा (1) के अधीन इस बारे में किसी समझौते का ध्यान रखते हुए राजपति हुकुम देकर तय करदे, उस रियासत के मूठकोश के खाते में पड़ेगा और उसमें से दिया जायगा.

खंड दो—उधार लेना

भारत सरकार का उधार लेना

292—यूनियन की काजकारी शक्ति के फैलाव में, भारत के मूठकोश की जमानत पर, उन सीमाओं के अन्दर अगर कोई ऐसी सीमाएं हों तो जो राजपंजायत समय समय पर क़ानून बनाकर तय करदे, उधार लेना, और उन्हीं सीमाओं के अन्दर अगर कोई

ऐसी सीमाएं हों तो जो इस तरह तय कर दी गई हों, गारंटिया देना शामिल है.

रियासतों का उधार लेना

293—(1) इस दफ़ा के बन्धानों के अधीन रहते हुए, किसी रियासत की काजकारी शक्ति के फैलाव में, भारत के भूभाग के अन्दर, रियासत के मूठकोश की जमानत पर, उन सीमाओं के अन्दर अगर कोई ऐसी सीमाएं हों तो जो उस रियासत की क़ानून सभा समय समय पर क़ानून बनाकर तय कर दे, उधार लेना, और उन्हीं सीमाओं के अन्दर अगर कोई ऐसी सीमाएं हों तो जो इस तरह तय करदी जायं, गारंटियां देना शामिल होगा.

(2) भारत सरकार, उन शर्तों के अधीन रहते हुए जो राजपंजायत के बनाए किसी क़ानून में या उसके अधीन बतादी जायं, किसी रियासत को उधारियां दे सकती है, या किसी रियासत ने जो उधारियां ली हों उनके बारे में, दफ़ा 292 के अधीन तय की हुई सीमाओं के बाहर न जाते हुए, गारंटियां दे सकती है, और जो रक़में इस तरह उधारियां देने के लिये दरकार होंगी वह भारत के मूठकोश के खाते में पड़ेंगी.

(3) कोई रियासत भारत सरकार की अनुमति बिना कोई उधारी नहीं ले सकेगी, जब तक किसी ऐसी उधारी का कोई हिस्सा अदा करना बाक़ी है जो भारत सरकार ने या इससे पहले की सरकार ने उस रियासत को दी हो, या जिसके बारे में भारत सरकार ने या इससे पहले की सरकार ने कोई गारंटी दी हो.

(4) धारा (3) के अधीन अनुमति उन शर्तों का ध्यान रखते हुए ही दी जा सकती है, अगर ऐसी कोई शर्तें हों तो, जिन्हें भारत सरकार लगाना ठीक समझे.

खंड तीन—जायदाद, ठेके, अधिकार, देनदारियां, ज़िम्मेदारियां और नालिशें

कुछ सूरतों में जायदाद, लेनदारियों, अधिकारों, देनदारियों और ज़िम्मेदारियों का विरसा

294—इस विधान के आरंभ होने के समय से—

(ए) सब जायदाद और लेनदारियां जो विधान के आरंभ से ठीक पहले हिन्द डोमिनियन की सरकार के मतलबों के लिये सम्राट को हासिल थीं, और वह सब जाय-

दाद और लेनदारियां जो विधान के आरंभ से ठीक पहले हर गवरनरी सूबे की सरकार के मतलबों के लिये सम्राट को हासिल थीं, अब अलग अलग यूनियन को और जवाबी रियासत को हासिल होंगी, और

(बी) हिन्द डोमिनियन सरकार के और हर गवरनरी सूबे की सरकार के सब अधिकार, देनदारियां और जिम्मेदारियां, चाहे वह किसी ठेके के कारन पैदा हुई हों या दूसरी तरह पैदा हुई हों, अब अलग अलग भारत सरकार और हर जवाबी रियासत सरकार के अधिकार, देनदारियां और जिम्मेदारियां होंगी,

पर उस बैठबिठाव के अधीन रहते हुए जो इस विधान के आरंभ से पहले पाकिस्तान डोमिनियन के, या पच्छमी बंगाल और पूरबी बंगाल और पच्छमी पंजाब और पूरबी पंजाब के सूबों के, बनने के कारन किया गया हो या किया जाने जानेवाला हो.

दूसरी सूरतों में जायदाद, लेन दारियों, अधिकारों, देनदारियों और ज़िम्मेदारियों का विरसा

295—(1) इस विधान के आरंभ होने के समय से—

(ए) वह सब जायदाद और लेनदारियां जो विधान आरंभ होने से ठीक पहले पहली पट्टी के भाग (बी) में दर्ज किसी रियासत की जवाबी देसी रियासत को हासिल थीं अब यूनियन को हासिल होंगी अगर वह मतलब, जिनके लिये वह जायदाद और लेनदारियां विधान के आरंभ से ठीक पहले रखी गई थीं, विधान के आरंभके बाद यूनियन तालिका में गिनाए मामलों में से किसी के संबंध में यूनियन के मतलब हो जायंगे, और

(बी) वह सब अधिकार, देनदारियां और जिम्मेदारियां, जो पहली पट्टी के भाग (बी) में दर्ज किसी रियासत की जवाबी देसी रियासत की सरकार की थीं, चाहे वह किसी ठेके से पैदा हुई हों चाहे किसी दूसरी तरह पैदा हुई हों, भारत सरकार के अधिकार, देनदारियां और जिम्मेदारियां हो जायंगी, अगर वह मतलब,

जिन मतलबों के लिये विधान आरंभ होने से पहले वह अधिकार हासिल किये गए थे या वह देनदारियां या जिम्मेदारियां ली गई थीं, विधान के आरंभ के बाद, यूनियन तालिका में गिनाए मामलों में से किसी के संबंध में, भारत सरकार के मतलब हो जायंगे,

पर ऐसे किसी समझौते का ध्यान रखते हुए जो इस काम के लिये भारत सरकार ने उस रियासत की सरकार के साथ किया हो.

(2) ऊपर जो कुछ कहा गया है उसके अधीन रहते हुए, पहली पट्टी के भाग (बी) में दर्ज हर रियासत की सरकार, इस विधान के आरंभ होने के समय से, धारा (1) में जिनकी चरचा की गई है उन्हें छोड़कर और सब जायदादों और लेनदारियों और सब अधिकारों, देनदारियों और जिम्मेदारियों के संबंध में, चाहे वह किसी ठेके से पैदा हुई हों या दूसरी तरह पैदा हुई हों, अपनी जवाबी देसीरियासत की वारिस होगी.

सरकारी ज़ब्ती, या हक़ खतम हो जाने, या वारिस न रहने के कारन मिलने वाली जायदाद

296—आगे जो कुछ बन्धान किया गया है उसके अधीन रहते हुए, भारत के भूभाग में जो कोई जायदाद, अगर यह विधान अमल में न आया होता तो, सरकारी ज़ब्ती, या हक़दार का हक़ खतम हो जाने, या कोई हक़दार मालिक न होने से लावारसी होने के कारन सम्राट को, या जैसी सूरत हो, किसी देसी रियासत के शासक को मिल गई होती, वह जायदाद अगर किसी रियासत में है, तो उस रियासत को हासिल हो जायगी और हर दूसरी सूरत में यूनियन को हासिल हो जायगी :

शर्त कि जो कोई जायदाद, उस तारीख को जिस दिन वह इस तरह सम्राट को या किसी देसी रियासत के शासक को मिल जाती, भारत सरकार के या किसी रियासत की सरकार के क़ब्ज़े या दबाव में थी, वह जायदाद, अगर जिन मतलबों के लिये उस समय उस का इस्तेमाल होता था या जिन मतलबों के लिये उस पर क़ब्ज़ा था, वह मतलब यूनियन के मतलब थे तो यूनियन को या अगर वह मतलब किसी रियासत के मतलब थे तो उस रियासत को, हासिल हो जायगी.

समझाव : इस दफ़ा में "शासक" और "देसी रियासत" शब्दों के वही मानी हैं जो दफ़ा 363 में हैं.

भूभागी जल में जो क़ीमती चीज़ें हों वह यूनियन को हासिल होंगी

297—भारत के भूभागी जल की सीमा के अन्दर समन्दर के नीचे की सारी धरती, खनिज और दूसरी क़ीमती चीज़ें यूनियन को हासिल होंगी और यूनियन के मतलबों के लिये उसके क़ब्ज़े में रहेंगी.

जायदाद हासिल करने की शक्ति

298—(1) किसी ऐसे क़ानून का ध्यान रखते हुए जिसे मुनासिब क़ानून सभा ने बनाया हो, यूनियन की और हर रियासत की काजकारी शक्ति के फैलाव में किसी ऐसी जायदाद की देनगी करना, उसे बेच देना, किसी को दे डालना, या रहन रखना शामिल होगा जिस जायदाद पर यूनियन के या, जैसी सूरत हो, उस रियासत के मतलबों के लिये क़ब्ज़ा हो, और उस शक्ति के फैलाव में उन अपने अपने मतलबों के लिये जायदाद खरीदना या हासिल करना भी शामिल होगा, और ठेके करना भी शामिल होगा.

(2) यूनियन के या किसी रियासत के मतलबों के लिये जो जायदाद हासिल की जायगी वह सब यूनियन को या उस रियासत को, जैसी सूरत हो, हासिल होगी.

ठेके

299—(1) यूनियन की या किसी रियासत की काजकारी शक्ति से काम लेते हुए जो ठेके किये जाँय वह सब राजपति के किये हुए या उस रियासत के रियासतपति या राजप्रमुख के किये हुए, जैसी सूरत हो, कहे जायंगे, और उसी शक्ति से काम लेते हुए इस तरह के जो ठेके किये जायँ, और जायदाद के बारे में जो भरोसे दिलाए जायँ उन सब को राजपति या रियासतपति या राजप्रमुख की तरफ़ से वह लोग उस ढंग पर करेंगे या देंगे जिन्हें और जिस ढंग के लिये राजपति या रियासतपति या राजप्रमुख, जैसी सूरत हो, निर्देश दे या अधिकार दे.

(2) इस विधान के मतलबों के लिये या भारत सरकार से संबंध रखने वाले किसी ऐसे क़ानून के मतलबों के लिये जो अब तक अमल में हो, राजपति या रियासतपति या राजप्रमुख किसी ठेके के बारे में जो वह करे या किसी भरोसे के बारे में जो वह

दिलाए, निजी तौर पर देनदार नहीं होगा, और न कोई आदमी जिसने उनमें से किसी की तरफ़ से ऐसा ठेका किया हो या भरोसा दिलाया हो उसके बारे में निजी तौर पर देनदार होगा.

नालिशें और कारवाइयां

300—(1) भारत सरकार भारत की यूनियन के नाम से नालिश कर सकती है या उस पर नालिश की जा सकती है, और किसी रियासत की सरकार उस रियासत के नाम से नालिश कर सकती है या उस पर नालिश की जा सकती है, और राजपंचायत के किसी ऐसे एक्ट या उस रियासत की क़ानून सभा के किसी ऐसे एक्ट के बन्धानों के अधीन रहते हुए जो इस विधान में दी हुई शक्तियों की रू से बनाया गया हो, दोनों अपने अपने मामलों के सम्बन्ध में उन्हीं सूरतों में नालिश कर सकती हैं या उन पर नालिश की जा सकती है, जिन सूरतों में अगर यह विधान न बना होता तो हिन्द डोमीनियन या जवाबी सूबे या जवाबी देसी रियासतें नालिश कर सकती थीं या उन पर नालिशें की जा सकती थीं.

(2) अगर विधान के आरंभ होने के समय—

(ए) कोई ऐसी क़ानूनी कारवाइयां चल रही हों जिनमें एक फ़रीक़ हिन्द डोमीनियन है तो उन कारवाइयों में हिन्द डोमीनियन के नाम की जगह भारत की यूनियन का नाम समझा जायगा; और

(बी) कोई ऐसी क़ानूनी कारवाइयां चल रही हों जिनमें कोई सूबा या कोई देसी रियासत एक फ़रीक़ है, तो उन कारवाइयों में उस सूबे के या उस देसी रियासत के नाम की जगह उस सूबे की या उस देसी रियासत की जवाबी रियासत का नाम समझा जायगा.

भाग तेरह

भारत के भूभाग के अन्दर ब्योपार, तिजारत और अन्तर-ब्योहार

ब्योपार, तिजारत और अन्तर-ब्योहार की आज़ादी

301—इस भाग के दूसरे बन्धानों के अधीन रहते हुए, भारत के तमाम भूभाग में ब्योपार, तिजारत और अन्तर-ब्योहार खुला होगा.

ब्योपार, तिजारत और अन्तर-ब्योहार पर रुकावटें लगाने की राजपंचायत की शक्ति

302—राजपंचायत क़ानून बनाकर एक रियासत और दूसरी रियासत के बीच या भारत के भूभाग के किसी हिस्से के अन्दर ब्योपार, तिजारत और अन्तर-ब्योहार की आज़ादी पर ऐसी रुकावटें लगा सकती है जो जनता के हित में दरकार हों.

ब्योपार और तिजारत के बारे में यूनियन और रियासतों की क़ानूनकारी शक्तियों पर रुकावटें

303—(1) दफ़ा 302 में किसी बात के रहते भी, राजपंचायत को या किसी रियासत की क़ानून सभा को, सातवीं पट्टी की तालिकाओं में से किसी में ब्योपार और तिजारत संबंधी किसी अन्तरी की रू से, कोई ऐसा क़ानून बनाने की शक्ति नहीं होगी जो एक रियासत को दूसरी पर कोई तरजीह देता हो, या तरजीह देने का अधिकार देता हो, या एक रियासत और दूसरी रियासत के बीच कोई भेदभाव करता हो या करने का अधिकार देता हो.

(2) धारा (1) की कोई बात राजपंचायत को कोई ऐसा क़ानून बनाने से नहीं रोकेगी जो किसी तरह की तरजीह देता हो या देने का अधिकार देता हो, या कोई भेदभाव करता हो या करने का अधिकार देता हो, अगर ऐसे क़ानून में यह ऐलान कर दिया गया है कि भारत के भूभाग के किसी हिस्से में माल की कमी से पैदा हुई हालत को संभालने के लिये ऐसा करना ज़रूरी है.

रियासतों के बीच ब्योपार, तिजारत और अन्तर-ब्योहार पर रुकावटें

304—दफ़ा 301 या दफ़ा 303 में किसी बात के रहते भी, किसी रियासत की क़ानून सभा क़ानून बनाकर—

(ए) दूसरी रियासतों से आए माल पर कोई ऐसा टैक्स लगा सकती है जो उस रियासत में बने या पैदा हुए उसी तरह के माल पर लगता हो, पर इस तरह कि ऐसे आए

माल और इस तरह बने या पैदा हुए माल के बीच कोई भेदभाव न किया जाय; और

(बी) उस रियासत के साथ या उसके अन्दर, ब्योपार, तिजारत या अन्तर-ब्योहार की आजादी पर ऐसी उचित रुकावटें लगा सकती है जो जनता के हित के लिये दरकार हों:

शर्तें कि धारा (बी) के मतलबों के लिये राजपति की पहले से मंजूरी लिये बिना किसी रियासत की क़ानून सभा में न कोई बिल रखा जायगा न कोई सुधार पेश किया जायगा.

दफ़ा 301 और 303 का मौजूदा क़ानूनों पर असर

305—दफ़ा 301 और 303 की किसी बात का किसी मौजूदा क़ानून के बन्धानों पर कोई असर नहीं होगा सिवाय उस हद तक जिस हद तक कि राजपति हुकुम जारी करके कोई दूसरा बन्धान कर दे.

पहली पट्टी के भाग (बी) की कुछ रियासतों को ब्योपार और तिजारत पर रुकावटें लगाने की शक्ति

306—इस भाग के ऊपर-लिखे बन्धानों में या इस विधान के किन्हीं दूसरे बन्धानों में किसी बात के रहते भी, पहली पट्टी के भाग (बी) में दर्ज कोई रियासत, जो इस विधान के आरम्भ से पहले दूसरी रियासतों से उस रियासत में आने वाले माल पर या उस रियासत से दूसरी रियासतों में जाने वाले माल पर कोई टैक्स या महसूल लगाती थी, अगर इस काम के लिये भारत सरकार और उस रियासत की सरकार के बीच कोई समझौता हो गया हो तो उस समझौते की शर्तों के अधीन रहते हुए, और उस अरसे के लिये जो उस समझौते में बताया गया हो पर जो इस विधान के आरंभ से लेकर दस साल से अधिक नहीं होगा, उस टैक्स या महसूल को लगाना और जमा करना जारी रख सकती है :

शर्तें कि राजपति विधान के आरंभ से पांच साल बीत जाने पर किसी समय भी ऐसे किसी समझौते को खतम कर सकता है या उसमें अदल बदल कर सकता है, अगर दफ़ा 280 के अधीन बने माल कमीशन की रिपोर्ट पर विचार करने के बाद वह ऐसा करना जरूरी समझे.

दफ़ा 301 से 304 तक के मतलबों पर अमल कराने के लिये अधिकारी का नियोजन

307—राजपंचायत क़ानून बनाकर किसी ऐसे अधिकारी का नियोजन कर सकती है जिसे वह दफ़ा 301, 302, 303 और 304 के मतलबों पर अमल कराने के लिये मुनासिब समझे, और इस तरह नियोजे हुए अधिकारी को वह शक्तियाँ और फ़रज़ सौंप सकती है जिन्हें वह ज़रूरी समझे.

भाग चौदह

यूनियन और रियासतों के अधीन नौकरियाँ

खंड एक—नौकरियाँ

अर्थ

308—अगर प्रसंग से कुछ और दरकार न हो तो इस भाग में "रियासत" शब्द के मानी हैं पहली पट्टी के भाग (ए) या भाग (बी) में दर्ज कोई रियासत.

यूनियन की या किसी रियासत को नौकरी करने वाले लोगों की भरती और नौकरो की शर्तें

309—इस विधान के बन्धानों के अधीन रहते हुए, यूनियन के या किसी रियासत के मामलों से सम्बन्ध रखने वाली सरकारी नौकरियों और जगहों पर जो लोग नियोजे जायंगे उनकी भरती की और उनकी नौकरी की शर्तों की, मुनासिब क़ानून सभा के एक्टों से क़ायदाबन्दी की जा सकती है :

शर्तें कि यूनियन के मामलों से संबंध रखने वाली नौकरियों और जगहों की सूरत में राजपति या कोई ऐसा आदमी जिसे राजपति निर्देश दे, और किसी रियासत के मामलों से संबंध रखने वाली नौकरियों और जगहों के संबंध में उस रियासत का रियासतपति या राजप्रमुख या कोई ऐसा आदमी जिसे रियासतपति या राजप्रमुख निर्देश दे, तब तक के लिये इस बात का अधिकारी होगा कि वह ऐसी नौकरियों और जगहों पर नियोजे जाने वाले आदमियों की भरती और उनकी नौकरी की शर्तों की क़ायदाबन्दी करने के लिये नियम बनाए, जब तक कि इस काम के लिये इस दफ़ा के अधीन किसी मुनासिब क़ानून सभा के किसी एक्ट में या उसके अधीन बन्धान नहीं किया जाता, और इस तरह बनाए हुए किन्हीं नियमों का असर ऐसे एक्ट के बन्धानों के अधीन होगा.

यूनियन या किसी रियासत की नौकरी करने वाले आदमियों की पदमियाद

310—(1) सिवाय जब कि इस विधान में साफ़ साफ़ कुछ और बन्धान किया गया हो, हर वह आदमी, जो यूनियन की किसी बचाव नौकरी में या किसी नागरी नौकरी में नौकर है या किसी कुल-भारत नौकरी में नौकर है या यूनियन के अधीन बचाव संबंधी किसी जगह पर या किसी नागरी जगह पर है, राजपति के इच्छा-काल तक

अपने पद पर रहेगा, और हर वह आदमी जो किसी रियासत की किसी नागरी नौकरी में नौकर है या किसी रियासत के अधीन किसी नागरी जगह पर है उस रियासत के रियासतपति के या, जैसी सूरत हो, राजप्रमुख के इच्छा-काल तक अपने पद पर रहेगा.

(2) इस बात के रहते भी कि कोई आदमी जो यूनियन के या किसी रियासत के अधीन किसी नागरी जगह पर है राजपति के या, जैसी सूरत हो, उस रियासत के रियासतपति या राजप्रमुख के इच्छा-काल तक ही अपने पद पर रह सकता है, अगर किसी ठेके के अधीन कोई आदमी, जो किसी बचाव नौकरी या किसी कुल-भारत नौकरी या यूनियन की या किसी रियासत की किसी नागरी नौकरी में नौकर नहीं है, इस विधान के अधीन किसी ऐसी जगह पर नियोजा जाय, और अगर राजपति या रियासतपति या राजप्रमुख, जैसी सूरत हो, विशेश जोगताएँ रखने वाले किसी आदमी की सेवाएँ पाने के लिये यह जरूरी समझे, तो उस ठेके में यह बन्धान किया जा सकता है कि अगर उस अरसे के बीतने से पहले जिस पर समझौता था वह जगह तोड़ दी जाय या उस आदमी से, ऐसे कारनों से जिनका संबंध उसके किसी बुरे चलन से नहीं है, वह जगह खाली कराना दरकार हो, तो उसको नुक़सान भरपाई दी जायगी.

यूनियन या किसी रियासत के अधीन नागरी हैसियत से नौकरी करने वालों का बरखास्त किया जाना, हटायाजाना या रुतबा घटाया जाना

311—(1) किसी आदमी को जो यूनियन की किसी नागरी नौकरी में या किसी कुल-भारत नौकरी में या किसी रियासत की नागरी नौकरी में नौकर है, या यूनियन के या किसी रियासत के अधीन किसी नागरी जगह पर है, कोई ऐसा अधिकारी जो उसके नियोजने वाले अधिकारी से मातहत दरजे का है न बरखास्त करेगा और न हटायगा.

(2) ऊपर बताए किसी आदमी को न बरखास्त किया जायगा, न हटाया जायगा और न उसका रुतबा घटाया जायगा, जबतक कि उसके बारे में तजवीज़ की हुई कारवाई के खिलाफ़ कारन दिखाने का उचित मौक़ा उसे न दिया गया हो :

शर्तें कि यह धारा वहां लागू नहीं होगी—

(ए) जहां किसी आदमी को किसी ऐसे चलन की बिना पर

जिसके कारन वह किसी फ़ौजदारी जुर्म का दोशी ठहराया जा चुका है, बरखास्त किया गया हो या हटाया गया हो या उसका रुतबा घटाया गया हो;

(बी) जहाँ किसी आदमी को बरखास्त करने, हटाने या उसका रुतबा कम करने की शक्ति रखने वाले किसी अधिकारी को इतमीनान हो जाय कि, किसी ऐसी वजह से जिसे वह अधिकारी लिख रखेगा, उस आदमी को कारन बताने का मौक़ा देना समझदारी के ख़याल से अमली नहीं है; या

(सी) जहाँ राजपति या रियासतपति या राजप्रमुख को, जैसी सूरत हो, यह इतमीनान हो जाय कि राज की सुरक्षा के हित में उस आदमी को ऐसा मौक़ा देना समयोचित नहीं है.

(3) अगर कोई ऐसा सवाल उठे कि किसी आदमी को धारा (2) के अधीन कारन बताने का मौक़ा देना समझदारी के ख़याल से अमली है या नहीं, तो ऐसे आदमी को बरखास्त करने या हटाने या उसका रुतबा घटाने की, जैसी सूरत हो, शक्ति रखने वाले अधिकारी का इस बात पर फ़ैसला आख़िरी होगा.

कुल भारत नौकरियाँ.

312—(1) भाग ग्यारह में किसी बात के रहते भी, अगर रियासत सदन ने, किसी ऐसे ठहराव से जिसका मौजूद और वोट देने वाले मेम्बरों में से कम से कम दो तिहाई ने समर्थन किया हो, यह ऐलान कर दिया हो कि क़ौमी हितमें ऐसा करना ज़रूरी या समयोचित है तो राजपंचायत क़ानून बनाकर यूनियन और रियासत के लिये एक या एक से अधिक शामलाती कुल-भारत नौकरियां खोलने का बन्धान कर सकती है, और, इस खंड के दूसरे बन्धानों के अधीन रहते हुए, ऐसी किसी नौकरी में नियोजे जाने वाले लोगों की भरती और नौकरी की शर्तों की क़ायदाबन्दी कर सकती है.

(2) इस विधान के आरम्भ होने पर जो नौकरियां हिन्द शासनी नौकरी (इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस) और हिन्द पुलिस नौकरी (इंडियन पुलिस सर्विस) कहलाती थीं वह इस दफ़ा के अधीन राज-

पंचायत की खोली हुई नौकरियां समझी जायंगी.

विचवर्ती बन्धान

313—जब तक इस विधान के अधीन इस के लिये कोई दूसरा बन्धान नहीं किया जाता, तब तक वह सब क़ानून, जो इस विधान के आरंभ से ठीक पहले अमल में थे, और जो किसी ऐसी सरकारी नौकरी या किसी जगह के लिये लागू थे जो इस विधान के आरंभ के बाद कुल-भारत नौकरी के रूप में या यूनियन के या किसी रियासत के अधीन नौकरी या जगह के रूप में जारी है, जहां तक इस विधान के बन्धानों से मेल रखते होंगे, अमल में रहेंगे.

कुछ नौकरियों के मौजूदा अफ़सरों की रक्षा के लिये बन्धान

314—सिवाय जब कि इस विधान में साफ़-साफ़ कुछ और बन्धान किया गया हो, हर वह आदमी, जिसे स्टेट सेक्रेटरी या कौंसिल समेत स्टेट सेक्रेटरी ने हिन्द सम्राट की किसी नागरी नौकरी में नियोजा हो और जो इस विधान के आरंभ होने के समय और उसके बाद भारत सरकार के या किसी रियासत की सरकार के अधीन नौकरी करता रहता है, भारत सरकार से और उस रियासत की सरकार से, जिसकी नौकरी वह समय समय पर करता रहता है, मेहनताने, छुट्टी और पेनशन के बारे में नौकरी की वही शर्तें, और क़ायदादारी के मामलों के बारे में वही अधिकार, या उनसे इतने मिलते जुलते अधिकार, जितने बदली हुई हालतें इजाज़त दें, पाने का हक़दार होगा जिनके पाने का वह इस विधान के आरम्भ से ठीक पहले हक़दार था.

खंड दो—सरकारी नौकरी कमीशन

यूनियन के लिये और रियासतों के लिये सरकारी नौकरी कमीशन

315—(1) इस दफ़ा के बन्धानों के अधीन रहते हुए, यूनियन के लिये एक सरकारी नौकरी कमीशन होगा और हर रियासत के लिये एक सरकारी नौकरी कमीशन होगा.

(2) दो या अधिक रियासतें यह समझौता कर सकती हैं कि रियासतों के उस गुट के लिये एक ही सरकारी नौकरी कमीशन होगा, और अगर इस मतलब का कोई ठहराव उन रियासतों में से हर एक की क़ानून सभा के सदन में या, जहाँ दो सदन हैं वहाँ, हर सदन में पास हो जाता है, तो राजपंचायत क़ानून बना कर उन रियासतों की ज़रूरतें पूरी करने के लिये एक मिला-जुला रियासत

सरकारी नौकरी कमीशन (जिसकी इस खंड में मिला-जुला कमीशन कह कर चरचा की गई है) नियोजे जाने के लिये बन्धान कर सकती है.

(3) ऊपर कहे हर क़ानून में ऐसे प्रसंगी और परिनामी बन्धान रह सकते हैं जो उस क़ानून के मतलबों पर अमल कराने के लिये जरूरी या चाहनी हों.

(4) यूनियन के सरकारी नौकरी कमीशन से अगर किसी रियासत का रियासतपति या राजप्रमुख ऐसा करने की प्रार्थना करे तो वह कमीशन, राजपति की रज़ामन्दी से, उस रियासत की सब या किन्हीं जरूरतों को पूरा करने के लिये राज़ी हो सकता है.

(5) जब तक प्रसंग से कुछ और दरकार न हो तब तक, इस विधान में यूनियन सरकारी नौकरी कमीशन की या रियासत सरकारी नौकरी कमीशन की जहाँ जहाँ चरचा की गई है, वहाँ उस कमीशन से मतलब लिया जायगा जो उस खास मामले के बारे में जिस पर सवाल उठा है यूनियन की या उस रियासत की, जैसी सूरत हो, जरूरतें पूरी करता है.

316—(1) किसी सरकारी नौकरी कमीशन के मसनदी और दूसरे मेम्बरों को, यूनियन कमीशन या किसी मिले-जुले कमीशन की सूरत में, राजपति और, किसी रियासत कमीशन की सूरत में, उस रियासत का रियासतपति या राजप्रमुख नियोजेगा :

मेम्बरों का नियोजन और पद-मियाद

शर्तें कि हर सरकारी नौकरी कमीशन के आधे के जितने क़रीब हो सकें उतने मेम्बर ऐसे लोग होंगे जो अपने अपने नियोजन की तारीखों पर भारत सरकार के अधीन या किसी रियासत की सरकार के अधीन कम से कम दस बरस तक किसी ओहदे पर रह चुके हैं, और इस दस बरस के अरसे को गिनने में इस विधान के आरंभ से पहले का वह अरसा भी शामिल कर लिया जायगा जिसमें वह आदमी हिन्द सम्राट के अधीन या किसी देसी रियासत की सरकार के अधीन किसी ओहदे पर रह चुका है.

(2) सरकारी नौकरी कमीशन का हर मेम्बर अपना पद संभालने की तारीख से छै बरस की मियाद तक या, यूनियन

कमीशन की सूरत में, पैंसठ बरस की उमर का होने तक और, किसी रियासत कमीशन की या किसी मिले-जुले कमीशन की सूरत में, साठ बरस की उमर का होने तक, जो भी पहले हो जाय, अपने पद पर रहेगा :

शर्तें कि—

(ए) किसी सरकारी नौकरी कमीशन का कोई मेम्बर, यूनियन कमीशन और मिले-जुले कमीशन की सूरत में, राजपति को और, किसी रियासत कमीशन की सूरत में, उस रियासत के रियासतपति या राजप्रमुख को, अपनी दसखती लिखत भेज कर अपने पद से इस्तीफ़ा दे सकता है;

(बी) किसी सरकारी नौकरी कमीशन का कोई मेम्बर दफ़ा 317 की धारा (1) या धारा (3) में बन्धान किये ढंग से अपने पद से हटाया जा सकता है.

(3) कोई आदमी जो किसी सरकारी नौकरी कमीशन के मेम्बर के पद पर है, अपनी पद-मियाद के बीत जाने पर, उस पद पर फिर नियोजे जाने का पात्र न होगा.

किसी सरकारी नौकरी कमीशन के मेम्बर का हटाया जाना और मुअत्तल किया जाना

317—(1) धारा (3) के बन्धानों के अधीन रहते हुए, किसी सरकारी नौकरी कमीशन का मसनदी या कोई दूसरा मेम्बर अपने पद से केवल राजपति के हुकुम से और बद-ब्योहार की बिना पर ही हटाया जा सकेगा, और वह तब जब आला अदालत ने, राजपति के उस अदालत की राय मांगने पर, दफ़ा 145 के अधीन इस काम के लिये बताए दस्तूर के अनुसार पूछ ताछ करने के बाद, यह रिपोर्ट दे दी हो कि वह मसनदी या दूसरा मेम्बर, जैसी सूरत हो, ऐसी किसी बिना पर हटाया जाना चाहिये.

(2) यूनियन कमीशन या किसी मिले-जुले कमीशन की सूरत में राजपति, और किसी रियासत कमीशन की सूरत में रियासतपति या राजप्रमुख, उस कमीशन के मसनदी या ऐसे किसी दूसरे मेम्बर को, जिसके बारे में धारा (1) के अधीन आला अदालत की राय मांगी गई है, उसके पद से तब तक के लिये मुअत्तल कर

सकता है जब तक इस तरह मांगी हुई राय पर आला अदालत की रिपोर्ट मिलने के बाद राजपति हुकुम न दे दे.

(3) धारा (1) में किसी बात के रहते भी, राजपति किसी सरकारी नौकरी कमीशन के मसनदी या दूसरे किसी मेम्बर को उसके पद से हटा सकता है अगर वह मसनदी या दूसरा मेम्बर, जैसी सूरत हो,—

(ए) अदालत से दिवालिया ठहरा दिया जाय; या

(बी) अपनी पद-मियाद के अन्दर अपने पद के फ़रज़ों के बाहर कोई और वेतनी काम करने लगे; या

(सी) राजपति की राय में, दिमाग़ या शरीर की कमज़ोरी के कारन, अपने पद पर बने रहने के अजोग हो.

(4) अगर किसी सरकारी नौकरी कमीशन का मसनदी या कोई दूसरा मेम्बर भारत सरकार के किये हुए या किसी रियासत की सरकार के किये हुए या उनमें से किसी की तरफ़ से किये हुए किसी ठेके या समझौते से किसी तरह का संबंध या उसमें अपना कोई हित रखे या रखने लगे, या किसी तरह उसके लाभ में या उससे पैदा होने वाले किसी फ़ायदे या वेतन में हिस्सा लेने लगे, सिवाय जबकि वह किसी एकतनी कम्पनी के मेम्बर की हैसियत से उस कम्पनी के दूसरे मेम्बरों के साथ साथ, ऐसा करे, तो धारा (1) के मतलबों के लिये वह बद-ब्योहारी का अपराधी समझा जायगा.

कमीशन के मेम्बरों और अमले की नौकरी की शर्तों के बारे में क़ायदा-बन्दी करने की शक्ति

318—यूनियन कमीशन या किसी मिले-जुले कमीशन की सूरत में राजपति, और किसी रियासत कमीशन की सूरत में उस रियासत का रियासतपति या राजप्रमुख, क़ायदे बनाकर—

(ए) कमीशन के मेम्बरों की गिनती और उनकी नौकरी की शर्तें तय कर सकता है; और

(बी) कमीशन के अमले के मेम्बरों की गिनती और उनकी नौकरी की शर्तों के बारे में बन्धान कर सकता है :

शर्तेकि किसी सरकारी नौकरी कमीशन के किसी मेम्बर के नियोजन के बाद उसकी नौकरी की शर्तों में ऐसी अदल बदल नहीं की जायगी जिससे वह घाटे में रहे.

कमीशन के मेम्बरों को मेम्बर न रहने के बाद पदों पर रहने के बारे में मनाही

319—अपने पद पर न रहने के बाद—

(ए) यूनियन सरकारी नौकरी कमीशन का मसनदी भारत सरकार के अधीन या किसी रियासत की सरकार के अधीन आगे कोई नौकरी करने का पात्र न होगा;

(बी) किसी रियासत सरकारी नौकरी कमीशन का मसनदी, यूनियन सरकारी नौकरी कमीशन का मसनदी या उसका दूसरा मेम्बर या किसी दूसरे रियासत सरकारी नौकरी कमीशन का मसनदी नियोजे जाने का पात्र होगा, पर भारत सरकार के अधीन या किसी रियासत सरकार के अधीन किसी दूसरी नौकरी के लिये पात्र न होगा;

(सी) यूनियन सरकारी नौकरी कमीशन के मसनदी को छोड़कर उसका कोई और मेम्बर यूनियन सरकारी नौकरी कमीशन का मसनदी या किसी रियासत सरकारी नौकरी कमीशन का मसनदी नियोजे जाने का पात्र होगा, पर भारत सरकार के अधीन या किसी रियासत की सरकार के अधीन किसी और नौकरी के लिये पात्र न होगा;

(डी) किसी रियासत सरकारी नौकरी कमीशन के मसनदी को छोड़कर उसका कोई और मेम्बर यूनियन सरकारी नौकरी कमीशन का मसनदी या कोई दूसरा मेम्बर या उसी रियासत सरकारी नौकरी कमीशन या किसी दूसरे रियासत सरकारी नौकरी कमीशन का मसनदी नियोजे जाने का पात्र होगा, पर भारत सरकार के अधीन या किसी रियासत सरकार के अधीन किसी दूसरी नौकरी के लिये पात्र न होगा.

सरकारी नौकरी कमीशनों के काम

320—(1) यूनियन के और रियासतों के सरकारी नौकरी कमीशनों का यह फ़रज़ होगा कि वह यूनियन की नौकरियों और उस रियासत की नौकरियों पर अलग अलग नियोजनों के लिये परीक्षाएं चलाएं

(2) यूनियन सरकारी नौकरी कमीशन का यह भी फ़रज़ होगा कि अगर कोई दो या अधिक रियासतें उससे ऐसा करने की प्रार्थना करें तो उन रियासतों को, ऐसी नौकरियों के लिये जिन के लिये खास जोगताएँ रखने वाले उम्मीदवार दरकार हों, मिली जुली भरती की योजनाएं बनाने और चलाने में मदद दे.

(3) यूनियन सरकारी नौकरी कमीशन से या रियासत सरकारी नौकरी कमीशन से, जैसी सूरत हो, नीचे लिखे मामलों में सलाह लेनी होगी:—

(ए) वह सब मामले जिन का सम्बन्ध नागरी नौकरियों और नागरी जगहों के लिये भरती करने के तरीक़ों से है ;

(बी) वह सिद्धान्त जिन पर चल कर नागरी नौकरियों और जगहों पर नियोजन किये जायंगे, और एक नौकरी से दूसरी नौकरी पर तरक्क़ियां दी जायंगी और तबादले किये जायंगे, और इस बात पर कि इस तरह के नियोजनों, तरक्क़ियों या तबादलों के लिये कौन उम्मीदवार ठीक होंगे ;

(सी) क़ायदादारी के वह सब मामले जिनका असर भारत सरकार के अधीन या किसी रियासत की सरकार के अधीन नागरी हैसियत में नौकरी करने वाले किसी आदमी पर पड़ता हो, जिसमें ऐसे मामलों से सम्बन्ध रखने वाले आवेदनपत्र या प्रार्थनापत्र भी शामिल होंगे ;

(डी) किसी ऐसे आदमी का जो भारत सरकार के अधीन या किसी रियासत की सरकार के अधीन या हिन्द सम्राट के अधीन या किसी देसी रियासत की सरकार के अधीन नागरी हैसियत में नौकरी कर रहा है या कर चुका है, यह दावा, या उसकी तरफ़ से किया हुआ यह दावा, कि अपना फ़रज़ पूरा करने के दौरान में जो काम उसने किये या उसके किये माने गए, उनके बारे

में अगर कोई क़ानूनी कारवाई उसके खिलाफ़ चलाई गई हो तो उसकी जवाबदेही करने में उसका जो खर्च हुआ हो वह भारत के या उस रियासत के, जैसी सूरत हो, मूठकोश में से दिया जाय;

(ई) भारत सरकार के या किसी रियासत की सरकार के या हिन्द सम्राट के या किसी देसी रियासत की सरकार के अधीन नागरी हैसियत में नौकरी करते हुए किसी आदमी को अगर कोई आघात पहुँचे हों तो उनके बारे में उसका यह दावा कि उसको इनके लिये पेनशन दी जाय, और इस तरह जो पेनशन दी जाय उसकी रक़म के बारे में कोई सवाल,

और सरकारी नौकरी कमीशन का फ़रज होगा कि जिस किसी मामले पर इस तरह उसकी राय मांगी गई हो और किसी दूसरे ऐसे मामले पर जिस पर राजपति या, जैसी सूरत हो, उस रियासत का रियासतपति या राजप्रमुख उसकी राय मांगे उस पर सलाह दे:

शर्त कि कुल-भारत नौकरियों के बारे में और यूनियन के मामलों के संबंध की दूसरी नौकरियों और जगहों के बारे में भी राजपति, और किसी रियासत के मामलों के संबंध की दूसरी नौकरियों और जगहों के बारे में, रियासतपति या राजप्रमुख, जैसी सूरत हो, क़ायदे बना सकता है जिन में वह मामले बता दिये जायं जिन पर या आम तौर पर, या किसी ख़ास तरह की सूरतों में, या किन्हीं ख़ास हालतों में, सरकारी नौकरी कमीशन से सलाह लेना जरूरी नहीं होगा.

(4) धारा (3) की किसी बात से यह दरकार नहीं होगा कि किसी सरकारी नौकरी कमीशन से इस बात के बारे में सलाह की जाय कि दफ़ा 16 की धारा (4) में जिस बन्धान की चरचा की गई है वह किस ढंग से किया जाय या दफ़ा 335 के बन्धानों पर किस ढंग से अमल कराया जाय.

(5) धारा (3) की शर्त के अधीन राजपति या किसी रियासत का रियासतपति या राजप्रमुख जो क़ायदे बनाए उन सब

को उनके बनने के बाद जितनी जल्दी हो सके कम से कम चौदह दिन के लिये राजपंचायत के हर सदन के सामने या उस रियासत की क़ानून सभा के सदन या हर सदन के सामने, जैसी सूरत हो, रखा जायगा, और उन क़ायदों में ऐसे अदल बदल किये जा सकेंगे, चाहे वह अदल बदल किसी क़ायदे को रद्द करने के रूप में हों या सुधारने के रूप में, जिन्हें राजपंचायत के दोनों सदन या उस रियासत की क़ानून सभा का सदन या दोनों सदन उस इजलास में करदें जिसमें कि वह क़ायदे इस तरह रखे गए हों.

सरकारी नौकरी कमीशनों के कामों को बढ़ाने की शक्ति

321—राजपंचायत का बनाया हुआ कोई एक्ट या जैसी सूरत हो, किसी रियासत की क़ानून सभा का बनाया हुआ कोई एक्ट इस बात का बन्धान कर सकता है कि यूनियन सरकारी नौकरी कमीशन या उस रियासत का सरकारी नौकरी कमीशन, यूनियन की नौकरियों के बारे में, या उस रियासत की नौकरियों के बारे में, और किसी मुक़ामी अधिकारी की, या क़ानून से बनी किसी और एक-तन संस्था की, या जनता की किसी संस्था की नौकरियों के बारे में भी, और अधिक काम अपने हाथ में ले.

सरकारी नौकरी कमीशनों के खर्च

322—यूनियन के या किसी रियासत के सरकारी नौकरी कमीशन के खर्च, जिनमें उस कमीशन के मेम्बरों को या उसके अमले के लोगों को या उनके बारे में दी जाने वाली तनखाहें, भत्ते और पेनशनें शामिल होंगी, भारत के या उस रियासत के, जैसी सूरत हो, मूठकोश के खाते में पड़ेंगे.

सरकारी नौकरी कमीशनों की रिपोर्टें

32 —(1) यूनियन कमीशन का फ़रज़ होगा कि वह हर बरस अपने कामों की राजपति को रिपोर्ट दे, और उस रिपोर्ट के मिलने पर राजपति, उन मामलों के बारे में, अगर कोई ऐसे मामले हों तो, जिनमें कमीशन की सलाह नहीं मानी गई, न मानने के कारनों को समझाने वाले याद-पत्र के साथ, उस रिपोर्ट की एक नक़ल राजपंचायत के हर सदन के सामने रखवायगा.

(2) रियासत कमीशन का फ़रज़ होगा कि वह हर बरस, अपने कामों की रियासतपति या राजप्रमुख को रिपोर्ट दे, और मिले जुले कमीशन का यह फ़रज़ होगा कि वह हर बरस उन

रियासतों में से हर एक के रियासतपति या राजप्रमुख को, जिनकी ज़रूरतें वह मिलाजुला कमीशन पूरी करता है, उस रियासत के संबंध में अपने कामों की रिपोर्ट दे, और हर सूरत में रियासतपति या राजप्रमुख, जैसी सूरत हो, उस रिपोर्ट के मिलने पर उन मामलों के बारे में, अगर कोई ऐसे मामले हों तो, जिनमें कमीशन की सलाह नहीं मानी गई, न मानने के कारनों को समझाने वाले याद-पत्र के साथ उस रिपोर्ट की एक नक़ल उस रियासत की क़ानून सभा के सामने रखवायगा.

भाग पंद्रह

चुनाव

चुनावों की निगरानी, निर्देशन और दबान एक चुनाव कमीशन के हाथ में रहेगा

324—(1) इस विधान के अधीन, राजपंचायत के लिये और हर रियासत की क़ानून सभा के लिये, और राजपति और उप-राजपति के पदों के लिये, जो चुनाव होंगे उन सब के लिये चुनाव-चिट्ठे तैयार कराने की निगरानी, निर्देशन और दबान, और उन सब चुनावों का संचालन, जिसमें उन शंकाओं और झगड़ों का फ़ैसला करने के लिये चुनाव अदालतों का नियोजन भी शामिल होगा जो राजपंचायत और रियासतों की क़ानून सभाओं के चुनावों में या उनके सम्बन्ध में पैदा हों, एक कमीशन के हाथ में रहेगा (जिसकी चरचा इस विधान में चुनाव कमीशन कह कर की गई है).

(2) चुनाव कमीशन में एक प्रमुख चुनाव कमिश्नर और, अगर हों तो, इतने और चुनाव कमिश्नर होंगे जितने राजपति समय समय पर तय करे, और प्रमुख चुनाव कमिश्नर का और दूसरे चुनाव कमिश्नरों का नियोजन, इस काम के लिये बने राजपंचायत के किसी क़ानून के बन्धानों के अधीन रहते हुए, राजपति करेगा.

(3) जब कोई और चुनाव कमिश्नर भी इस तरह नियोजा जाय तो प्रमुख चुनाव कमिश्नर चुनाव कमीशन के मसनदी का काम करेगा.

(4) लोक सदन के और हर रियासत के आम सदन के हर आम चुनाव से पहले, और खास सदन वाली हर रियासत के खास सदन के पहले आम चुनाव और उसके बाद हर दुबरसी चुनाव से पहले, राजपति चुनाव कमीशन से सलाह करके धारा (1) से चुनाव कमीशन को मिले कामों को पूरा करने में चुनाव कमीशन

की मदद करने के लिये ऐसे इलाक़ा कमिश्नर भी नियोज सकता है जिन्हे वह जरूरी समझे.

(5) राजपंचायत के बनाए किसी क़ानून के बन्धानों के अधीन रहते हुए, चुनाव कमिश्नरों और इलाक़ा कमिश्नरों की नौकरी की शर्तें और उनकी पद-मियाद वह होंगी जो राजपति नियम बना कर तय कर दे :

शर्ते कि जिस ढंग और जिन बिनाओं पर आला अदालत के किसी जज को उसके पद से हटाया जा सकता है उस ढंग और उन बिनाओं के सिवा और किसी ढंग या बिना पर प्रमुख चुनाव कमिश्नर अपने पद से न हटाया जायगा, और प्रमुख चुनाव कमिश्नर के नियोजन के बाद उसकी नौकरी की शर्तों में कोई ऐसी अदल बदल न की जायगी जिससे वह घाटे में रहे :

और शर्ते कि किसी दूसरे चुनाव कमिश्नर या इलाक़ा कमिश्नर को प्रमुख चुनाव कमिश्नर की सिफ़ारिश के बिना पद से न हटाया जायगा.

(6) राजपति या किसी रियासत का रियासतपति या राजप्रमुख, जब चुनाव कमीशन उससे ऐसी प्रार्थना करे तब, चुनाव कमीशन या किसी इलाक़ा कमिश्नर को वह अमला मिलने का सुभीता कर देगा जो धारा (1) से चुनाव कमीशन को मिले कामों को निभारने के लिये जरूरी हो.

धर्म, नसल, जात या जिन्स की बिना पर कोई आदमी किसी खास चुनाव चिट्ठे में शामिल होने का अपात्र न होगा और न शामिल किये जाने का दावा करेगा

325—राजपंचायत के किसी सदन या किसी रियासत की क़ानून सभा के सदन या सदनों के चुनाव के लिये हर भूभागी चुनाव हलक़े का एक आम चुनाव चिट्ठा होगा, और केवल धर्म, नसल, जात, जिन्स या इनमें से किसी की बिना पर, कोई आदमी न ऐसे किसी चुनाव चिट्ठे में शामिल किये जाने का अपात्र होगा, और न ऐसे किसी चुनाव-हलक़े के लिये किसी ख़ास चुनाव-चिट्ठे में शामिल किये जाने का दावा करेगा.

लोक सदन के लिये और रिया-

326—लोकसदन का और हर रियासत के आम सदन का चुनाव बालिग़ वोट के आधार पर होगा; यानी हर आदमी जो

भारत का नागर है और जो उस तारीख पर, जो मुनासिब क़ानून सभा के बनाए किसी क़ानून में या उसके अधीन इस काम के लिये तय कर दी जाय, इक्कीस बरस से कम उमर का न हो, और जो इस विधान के अधीन या मुनासिब क़ानून सभा के बनाए किसी क़ानून के अधीन, ना-निवास, दिमाग़ ठीक न होने, जुर्म, घूसखोरी या ग़ैर क़ानूनी आचार की बिना पर अजोग नहीं हो गया है, ऐसे किसी चुनाव के लिये वोटरों में अपना नाम रजिस्टर कराने का हक़दार होगा.

सदनों के आम सदनों के लिये चुनाव बालिग़ वोट के आधार पर होंगे

327—इस विधान के बन्धानों के अधीन रहते हुए, राजपंचायत समय समय पर, क़ानून बनाकर, उन सब मामलों के बारे में बंधान कर सकती है जिनका वास्ता या सम्बन्ध राजपंचायत के किसी भी सदन के या किसी रियासत की क़ानून सभा के सदन या सदनों के चुनावों से है, जिनमें चुनाव चिट्ठों की तैयारी, चुनाव-हलक़ों की हदबन्दी और वह दूसरे सब मामले भी शामिल होंगे जो ऐसे सदन या सदनों के, क़ायदे से बनने के लिये जरूरी हों.

क़ानून सभाओं के चुनावों के बारे में राजपंचायत को बधान करने की शक्ति

328—इस विधान के बन्धानों के अधीन रहते हुए, और जहाँ तक कि राजपंचायत ने इस काम के लिये कोई बन्धान न किया हो, किसी रियासत की क़ानून सभा, समय समय पर, क़ानून बना कर, उन सब मामलों के बारे में बन्धान कर सकती है जिनका वास्ता या सम्बन्ध उस रियासत की क़ानून सभा के सदन या सदनों के चुनावों से है और जिनमें चुनाव चिट्ठों की तैयारी और वह सब मामले शामिल होंगे जो उस सदन या उन सदनों के, क़ायदे से बनने के लिये जरूरी हों.

किसी रियासत की क़ानून सभा की उस क़ानून सभा के चुनावों के बारे में बधान करने की शक्ति

329—इस विधान में किसी बात के रहते भी—

चुनाव के मामलों में अदालतों के दखल देने पर रोक

(ए) दफ़ा 327 या दफ़ा 328 के अधीन बने या बने माने जाने वाले किसी ऐसे क़ानून की सरदुरुस्ती पर किसी अदालत में सवाल नहीं उठाया जायगा जिसका वास्ता चुनाव हलक़ों की हदबन्दी से या ऐसे चुनाव हलक़ों को सीटें बांटने से हो.

(बी) राजपंचायत के किसी सदन के या किसी रियासत की क़ानून सभा के सदन या सदनों के चुनाव पर सिवाय एक ऐसी चुनाव अरज़ी के जो उस अधिकारी को, और ऐसे ढंग से, दी गई हो जिसका बन्धान मुनासिब क़ानून सभा के बनाए किसी क़ानून में या उसकेअधीन किया गया है, और किसी ढंग से कोई सवाल नहीं उठाया जायगा.

भाग सोलह

कुछ जमातों से संबंध रखने वाले खास बन्धान

330—(1) लोक सदन में—

लोक सदन में पट्टी-दर्ज जातों और पट्टी-दर्ज क़बीलों के लिये सीटें अलग रखना

(ए) पट्टी दर्ज जातों के लिये,

(बी) आसाम के क़बाइली छेत्रों के पट्टी-दर्ज क़बीलों को छोड़ कर दूसरे पट्टी-दर्ज क़बीलों के लिये, और

(सी) आसाम के स्वाधीन ज़िलों के पट्टी-दर्ज क़बीलों के लिये,

सीटें अलग रखी जायंगी.

(2) किसी रियासत की पट्टी-दर्ज जातों या उसके पट्टी-दर्ज क़बीलों के लिये धारा (1) के अधीन अलग रखी सीटों की गिनती और लोक सदन में उस रियासत को मिली कुल सीटों की गिनती में जितने क़रीब से क़रीब हो सके वही निस्बत होगी जो उस रियासत की उन पट्टी-दर्ज जातों की, या उस रियासत के या उसके किसी भाग के, जैसी सूरत हो, उन पट्टी-दर्ज क़बीलों की, जिनके बारे में सीटें इस तरह अलग रखी गई हैं, आबादी और उस रियासत की कुल आबादी में है.

लोक सदन में ऐंग्लो इन्डियन समाज का प्रतिनिधान

331—दफ़ा 81 में किसी बात के रहते भी, अगर राजपति की यह राय हो कि लोक सदन में ऐंग्लो इंडियन समाज का काफी प्रतिनिधान नहीं है, तो वह उस समाज के अधिक से अधिक दो मेम्बरों को लोक सदन में नामज़द कर सकेगा.

रियासतों के आम सदनों में पट्टी-दर्ज जातों और पट्टी-दर्ज क़बीलों के लिये सीटों का अलग रखा जाना

332—(1) पहली पट्टी के भाग (ए) या भाग (बी) में दर्ज हर रियासत के आम सदन में, आसाम के क़बाइली छेत्रों के पट्टी-दर्ज क़बीलों को छोड़ कर, सब पट्टी दर्ज जातों और पट्टी-दर्ज क़बीलों के लिये सीटें अलग रखी जायंगी.

(2) आसाम की रियासत के आम सदन में स्वाधीन ज़िलों के लिये भी सीटें अलग रखी जायंगी.

(3) धारा (1) के अधीन किसी रियासत के आम सदन में पट्टी-दर्ज जातों या पट्टी-दर्ज क़बीलों के लिये अलग रखी सीटों

की गिनती और आम सदन की सीटों की कुल गिनती में, जितने क़रीब से क़रीब हो सके, वही निस्बत होगी जो उस रियासत की उन पट्टी-दर्ज जातों की या उस रियासत या उसके किसी भाग के, जैसी सूरत हो, उन पट्टी-दर्ज क़बीलों की, जिनके बारे में सीटें इस तरह अलग रखी गई हैं, आबादी और उस रियासत की कुल आबादी में है.

(4) आसाम की रियासत के आम सदन में किसी स्वाधीन ज़िले के लिये अलग रखी सीटों की गिनती और उस आम सदन में सीटों की कुल गिनती में जो निस्बत होगी वह उससे कम न होगी जो उस ज़िले की आबादी और उस रियासत की कुल आबादी में है.

(5) आसाम के किसी स्वाधीन ज़िले के लिये अलग रखी सीटों के चुनाव हलक़ों में उस ज़िले से बाहर का कोई छेत्र शामिल नहीं होगा, सिवाय उस चुनाव हलक़े के जिसमें शिलांग की छावनी और नगरायत शामिल हैं.

(6) कोई आदमी जो आसाम की रियासत के किसी स्वाधीन ज़िले के किसी पट्टी-दर्ज क़बीले का मेम्बर नहीं है उस ज़िले के किसी चुनाव हलक़े से, सिवाय उस चुनाव हलक़े के जिसमें शिलांग की छावनी और नगरायत शामिल हैं, रियासत के आम सदन में चुने जाने का पात्र नहीं होगा.

रियासतों के आम सदनों में ऐंग्लो इन्डियन समाज का प्रतिनिधान

333—दफ़ा 170 में किसी बात के रहते भी, किसी रियासत का रियासतपति या राजप्रमुख, अगर उसकी यह राय है कि उस रियासत के आम सदन में ऐंग्लोइन्डियन समाज को प्रतिनिधान की ज़रूरत है और उसमें उसका काफ़ी प्रतिनिधान नहीं है, आम सदन में उस समाज के उतने मेम्बर नामज़द कर सकता है जितने वह मुनासिब समझे.

सीटों का अलग रखा जाना और खास प्रतिनिधान दस साल बाद बन्द

334—इस भाग में ऊपर-लिखे बन्धानों में किसी बात के रहते भी, इस विधान के वह बन्धान जिनका सम्बन्ध—

(ए) लोक सदन में और रियासतों के आम सदनों में पट्टी-दर्ज जातों और पट्टी-दर्ज क़बीलों के लिये सीटें अलग रखने से है; और

(बी) लोक सदन में और रियासतों के आम सदनों में नामजदगी के जरिये ऐंग्लो-इन्डियन समाज के प्रतिनिधान से है,

इस विधान के आरंभ से दस साल का अरसा बीत जाने पर बेअसर हो जायंगे :

शर्तें कि इस दफ़ा की किसी बात का लोक सदन में या किसी रियासत के आम सदन में किसी प्रतिनिधान पर कोई असर नहीं होगा जब तक कि उस समय का लोक सदन या आम सदन, जैसी सूरत हो, भंग न हो जाय.

नौकरियों और जगहों के लिये पट्टी-दर्ज जातों और पट्टी-दर्ज क़बीलों के दावे

335—यूनियन के या किसी रियासत के मामलों के संबंध की नौकरियों या जगहों पर नियोजन करने में, शासन की कुशलता बनाए रखने का खयाल रखते हुए, पट्टी-दर्ज जातों और पट्टी-दर्ज क़बीलों के मेम्बरों के दावों का ध्यान रखना होगा.

कुछ नौकरियों में ऐंग्लो इन्डियन समाज के लिये खास बन्धान

336—(1) इस विधान के आरम्भ के बाद पहले दो बरस तक यूनियन की रेल मार्ग, बिदेसनी महसूल, डाक और तार की नौकरियों की जगहों पर ऐंग्लो इन्डियन समाज के मेम्बरों का नियोजन उसी आधार पर होगा जिस पर अगस्त, 1947 के पंद्रहवें दिन से ठीक पहले होता था.

हर अगले दो साल के अन्दर जितनी जगहें ऊपर लिखी नौकरियों में उस समाज के मेम्बरों के लिये अलग रखी जायंगी उनकी गिनती, उससे ठीक पहले के दो साल के अन्दर जितनी जगहें इस तरह अलग रखी गई थीं उनसे, दस फ़ी सैकड़ा के जितने क़रीब से क़रीब हो सके कम होंगी :

शर्तें कि इस बिधान के आरम्भ से दस बरस खतम हो जाने पर जगहों का इस तरह अलग रखा जाना सब बन्द हो जायगा.

(2) धारा (1) की कोई बात, उस धारा के अधीन जो जगहें ऐंग्लो इन्डियन समाज के लिये अलग रखी गई हैं उनके अलावा या, उनसे ज्यादा, और दूसरी जगहों पर उस समाज के लोगों के नियोजन को नहीं रोकेगी, अगर दूसरे समाजों के लोगों के मुक़ाबले

में ऐंग्लो इन्डियन समाज के लोग अपनी क़ाबलियत के आधार पर नियोजे जाने के जोग पाए जायं.

ऐंग्लो इन्डियन समाज के फ़ायदे के लिये तालीमी देनगियों के बारे में खास बन्धान

337—इस विधान के आरम्भ के बाद पहले तीन माली सालों में, यूनियन और पहली पट्टी के भाग (ए) या भाग (बी) में दर्ज हर रियासत तालीम के बारे में ऐंग्लो इन्डियन समाज के फ़ायदे के लिये वही देनगियां करेगी, अगर ऐसी कोई देनगियां हों तो, जो मार्च, 1948 के इकतीसवें दिन खतम होने वाले माली साल में की गई थीं.

हर अगले तीन साल में यह देनगियां उससे ठीक पहले के तीन साल में जो देनगियां की गई थीं उनसे दस फ़ी सैकड़ा कम की जा सकेंगी :

शर्ते कि इस विधान के आरम्भ से दस साल खतम हो जाने पर, ऐंग्लो इन्डियन समाज के लिये खास रियायत होने की हद तक, इस तरह की देनगियां बन्द हो जायंगी :

और शर्ते कि इस दफ़ा के अधीन कोई तालीमी संस्था कोई देनगी पाने की हक़दार नहीं होगी जब तक कि उस संस्था के सलाना दाखलों का कम से कम चालीस फ़ी सैकड़ा ऐंग्लो इन्डियन समाज को छोड़ कर दूसरे समाजों के लोगों के लिये खुला न रखा जाय.

पट्टी-दर्ज जातों, पट्टी-दर्ज क़बीलों वगैरा के लिये खास अफसर

338—(1) पट्टी-दर्ज जातों और पट्टी-दर्ज क़बीलों के लिये एक खास अफ़सर होगा जिसको राजपति नियोजेगा.

(2) खास अफ़सर का फ़रज़ होगा कि इस विधान के अधीन पट्टी-दर्ज जातों और पट्टी-दर्ज क़बीलों के लिये जिन बचावनियों का बन्धान किया गया है उनसे सम्बन्ध रखने वाले सब मामलों की जांच करे, और, हर इतने दिनों के बाद जिनका राजपति निर्देश दे, उन बचावनियों के अमल पर राजपति को रिपोर्ट दे, और राजपति ऐसी सब रिपोर्टों को राजपंचायत के हर सदन के सामने रखवायगा.

(3) इस दफ़ा में पट्टी-दर्ज जातों और पट्टी-दर्ज क़बीलों की जहां जहां चरचा की गई है उससे यह मतलब लिया जायगा कि उसमें उन दूसरी पिछड़ी हुई जमातों की चरचा भी शामिल है जिनको, दफ़ा 340 की धारा (1) के अधीन नियोजे हुए किसी

कमीशन की रिपोर्ट मिलने पर, राजपति हुकुम देकर बता दे, और उसमें ऐंग्लो इन्डियन समाज की चरचा भी शामिल समझी जायगी.

पट्टी-दर्ज छेत्रों के शासन और पट्टी-दर्ज क़बीलों की भलाई पर यूनियन का दबाव

339—(1) राजपति किसी समय भी हुकुम दे कर पहली पट्टी के भाग (ए) और भाग (बी) में दर्ज रियासतों के पट्टी-दर्ज छेत्रों के शासन पर, और पट्टी-दर्ज क़बीलों की भलाई के कामों पर, रिपोर्ट देने के लिये, एक कमीशन का नियोजन कर सकता है, और इस विधान के आरम्भ से दस साल बीत जाने पर उसे ऐसे एक कमीशन का नियोजन करना होगा.

ऐसे हुकुम में कमीशन की रचना, शक्तियां और दस्तूर सब तय किये जा सकते हैं, और उसमें ऐसे प्रसंगो या सहायक बन्धान भी रह सकते हैं जिन्हें राजपति जरूरी या चाहनी समझे.

(2) यूनियन की काजकारी शक्ति के फैलाव में ऐसी किसी रियासत को इस तरह की योजनाएं बनाने और उन पर अमल करने के बारे में निर्देश देना भी शामिल होगा, जिन योजनाओं को उस निर्देश में रियासत के पट्टी-दर्ज क़बीलों की भलाई के लिये जरूरी बताया गया हो.

पिछड़ी हुई जमातों की हालत की जांच करने के लिये कमीशन का नियोजन

340—(1) राजपति हुकुम दे कर एक ऐसे कमीशन का नियोजन कर सकता है जिसमें वह आदमी होंगे जिन्हें राजपति ठीक समझे, और जो भारत के भूभाग में समाजी और तालीमी निगाह से पिछड़ी हुई जमातों की हालत की, और जो कठिनाइयां उन्हें झेलनी पड़ती हैं उनकी, जांच करेगा, और सिफ़ारिशें करेगा कि उन कठिनाइयों को दूर करने और उन लोगों की हालत सुधारने के लिये यूनियन को या किसी रियासत को क्या क्या क़दम उठाने चाहियें, और इस मतलब के लिये यूनियन को या किसी रियासत को क्या क्या देनगियां किन किन शर्तों पर करनी चाहियें, और जिस हुकुम से इस तरह के कमीशन का नियोजन किया जायगा उसमें कमीशन जिस दस्तूर पर चलेगा वह भी तय कर दिया जायगा.

(2) जिस कमीशन का इस तरह नियोजन किया जायगा वह जिन जिन मामलों के लिये उससे कहा गया हो उनकी जांच

करेगा और राजपति को एक रिपोर्ट देगा जिसमें वह सब बातें दी होंगी जिनका कमीशन को पता चले और वह सब सिफ़ारिशें की गई होंगी जिन्हें कमीशन ठीक समझे.

(3) जो रिपोर्ट इस तरह राजपति को दी जायगी उसकी एक नक़ल, एक याद-पत्र के साथ जिसमें यह समझाया गया होगा कि उस रिपोर्ट पर क्या कारवाई की गई है, राजपति राजपंचायत के हर सदन के सामने रखवायगा.

पट्टी-दर्ज जातें

341—(1) राजपति, किसी रियासत के रियासतपति या राजप्रमुख से सलाह करके, एक आम नोटिस निकाल कर, वह जातें, नसलें या क़बीले, या जातों, नसलों या क़बीलों के भाग, या उनके अन्दर के गिरोह, तय कर सकता है जो इस विधान के मतलबों के लिये उस रियासत के संबंध में पट्टी-दर्ज जातें समझी जायंगी.

(2) राजपंचायत क़ानून बनाकर, धारा (1) के अधीन जो नोटिस निकाला गया हो उसमें बताई पट्टी-दर्ज जातों की तालिका में, किसी जात, नसल या क़बीले को या किसी जात, नसल या क़बीले के किसी भाग को या उनके अन्दर के किसी गिरोह को शामिल कर सकती है या उसमें से निकाल सकती है, पर सिवाय जिस तरह कि यहां कहा गया है ऊपर की धारा के अधीन जो नोटिस निकाला जाय उसमें बाद के किसी नोटिस से कोई अदल बदल नहीं की जायगी.

पट्टी-दर्ज क़बीले

342—(1) राजपति, किसी रियासत के रियासतपति या राजप्रमुख से सलाह करके, एक आम नोटिस निकाल कर, वह क़बीले या क़बाइली समाज, या उन क़बीलों या क़बाइली समाजों के भाग, या उनके अन्दर के गिरोह तय कर सकता है जो इस विधान के मतलबों के लिये उस रियासत के संबंध में पट्टी-दर्ज क़बीले समझे जायंगे.

(2) राजपंचायत, क़ानून बनाकर, धारा (1) के अधीन जो नोटिस निकाला गया हो उसमें बताई पट्टी-दर्ज क़बीलों की तालिका

में, किसी क़बीले या क़बाय्यली समाज को या किसी क़बीले या क़बा-यली समाज के किसी भाग को या उनके अन्दर के किसी गिरोह को शामिल कर सकती है या उसमें से निकाल सकती है, पर सिवाय जिस तरह कि यहां कहा गया है ऊपर की धारा के अधीन जो नोटिस निकाला जाय उस में बाद के किसी नोटिस से कोई अदल बदल नहीं की जायगी.

भाग सतरह

दफ़्तरी भाशा

खंड एक—यूनियन की भाशा

यूनियन की दफ़्तरी भाशा

343—(1) यूनियन की दफ़्तरी भाशा देव नागरी लिखावट में हिन्दी होगी.

यूनियन के दफ़्तरी मतलबों के लिये हिन्दसों का जो रूप काम में लाया जायगा वह हिन्दुस्तानी हिन्दसों का अन्तर-क़ौमी रूप होगा.

(2) धारा (1) में किसी बात के रहते भी, इस विधान के आरंभ से पंद्रह बरस के अरसे तक अँगरेज़ी भाशा यूनियन के उन सब दफ़्तरी मतलबों के लिये काम में आती रहेगी जिनके लिये वह विधान के आरंभ से ठीक पहले काम में आती थी :

शर्तेकि राजपति, उस अरसे के दौरान में, हुकुम देकर, अँगरेज़ी भाशा के साथ साथ हिन्दी भाशा के, और हिन्दुस्तानी हिन्दसों के अन्तर-क़ौमी रूप के साथ साथ हिन्दसों के देव नागरी रूप के, यूनियन के दफ़्तरी मतलबों में से किसी के लिये काम में लाए जाने का अधिकार दे सकता है.

(3) इस दफ़ा में किसी बात के रहते भी, राजपंचायत क़ानून बनाकर पन्द्रह बरस के उस अरसे के बाद—

(ए) अँगरेज़ी भाशा के, या

(बी) हिन्दसों के देवनागरी रूप के,

उन मतलबों के लिये जो उस क़ानून में बताए जायं, काम में लाए जाने का बंधान कर सकती है.

दफ़्तरी भाशा पर कमीशन और राजपंचायत की कमेटी

341—(1) राजपति, इस विधान के आरंभ से पांच बरस बीत जाने पर, और उसके बाद विधान के आरंभ से दस बरस बीत जाने पर, हुकुम दे कर, एक कमीशन बनायगा जिसमें एक मसनदी और वह दूसरे मेम्बर होंगे जो आठवीं पट्टी में बताई अलग अलग भाशाओं के प्रतिनिधि हों और जिन्हें राजपति नियोजे, और उस हुकुम में वह दस्तूर तय कर दिया जायगा जिस पर कमीशन चलेगा.

(2) कमीशन का यह फ़रज होगा कि वह इन बातों के बारे में राजपति से सिफ़ारिशें करे—

(ए) यूनियन के दफ़तरी मतलबों के लिये हिन्दी भाशा का बढ़ता हुआ इस्तेमाल;

(बी) यूनियन के दफ़तरी मतलबों में से सब या किसी के लिये अगंरेजी भाश के इस्तेमाल पर रुकावटें;

(सी) दफ़ा 348 में बताए मतलबों में से सब या किसी के लिये इस्तेमाल की जाने वाली भाशा;

(डी) यूनियन के किसी एक या अधिक ऐसे मतलबों के लिये जो बता दिये जायं इस्तेमाल किये जाने वाले हिन्दसों का रूप;

(ई) यूनियन की दफ़तरी भाशा, और यूनियन और किसी रियासत के बीच या एक रियासत और दूसरी के बीच आपसी ब्योहार की भाशा, और इन भाशाओं के इस्तेमाल, के संबंध में कोई और मामला जिसे राजपति ने कमीशन के पास राय के लिये भेजा हो.

(3) धारा (2) के अधीन अपनी सिफ़ारिशें करते समय कमीशन भारत की उद्योगी, कलचरी और साइंसी तरक्की का, और सरकारी नौकरियों के सम्बन्ध में ग़ैर-हिन्दी-भाशी छेत्रों के लोगों के उचित दावों और हितों का, मुनासिब खयाल रखेगा.

(4) तीस मेम्बरों की एक कमेटी बनाई जायगी जिनमें से बीस लोक सदन के मेम्बर होंगे और दस रियासत सदन के, और जिनको, निसबती प्रतिनिधान के ढंग के अनुसार इकहरे बदलते वोट

भाशा होनी चाहिये तो उनके आपसी ब्यौहार के लिये वह भाशा काम में आ सकती है.

347—इस बात के लिये मांग होने पर, राजपति को अगर यह इतमीनान हो जाय कि किसी रियासत की आबादी का काफ़ी हिस्सा अपने बोलने की किसी भाशा के इस्तेमाल को उस रियासत से मनवाना चाहता है, तो राजपति यह निर्देश दे सकता है कि वह भाशा भी उस सारी रियासत में या उसके किसी भाग में जिस मतलब के लिये राजपति तय कर दे सरकारी तौर पर मान ली जायगी.

किसी रियासत की आबादी की किसी टुकड़ी में बोली जाने वाली भाशा के बारे में खास बन्धान

खंड तीन—आला अदालत, हाईकोर्टों वगैरा की भाशा

348—(1) इस भाग में ऊपर लिखे बन्धानों में किसी बात के रहते भी, जब तक राजपंचायत क़ानून बनाकर कुछ और बन्धान न कर दे तब तक—

आला अदालत में और हाईकोर्टों में और एक्टों, बिलों वगैरा के लिये काम में आने वाली भाशा

(ए) आला अदालत में और हर हाईकोर्ट में सब कारवाइयां,

(बी) (एक) राजपंचायत के किसी सदन में या किसी रियासत की क़ानून सभा के सदन या किसी सदन में रखे जाने वाले सब बिलों की और उनपर पेश किये जाने वाले सब सुधारों की प्रमान लिखत,

(दो) राजपंचायत के या किसी रियासत की क़ानून सभा के पास किये हुए सब एक्टों की और राजपति के या किसी रियासत के रियासतपति या राजप्रमुख के जारी किये हुए सब राजहुकुमों की, प्रमान लिखतें, और

(तीन) उन सब हुकुमों, नियमों, क़ायदों और छुट-क़ानूनों की प्रमान लिखतें जो इस विधान के अधीन या राजपंचायत के या किसी रियासत की क़ानून सभा के बनाए किसी क़ानून के अधीन जारी किये गये हों,

अँगरेजी भाशा में होंगी.

(2) धारा (1) की उप-धारा (ए) में किसी बात के रहते भी, किसी रियासत का रियासतपति या राजप्रमुख, राजपति की पहले से अनुमति लेकर, हिन्दी भाशा या किसी दूसरी भाशा को जो उस रियासत के किन्हीं दफ़तरी मतलबों के लिये काम में आती हो, उस हाईकोर्ट की कारवाइयों में काम में लाए जाने का अधिकार दे सकता है जिसकी ख़ास जगह उस रियासत में है :

शर्त कि इस धारा की कोई बात उस हाईकोर्ट के दिये हुए या किये हुए किसी फ़ैसले, डिगरी या हुकुम पर लागू नहीं होगी.

(3) धारा (1) की उपधारा (बी) में किसी बात के रहते भी, जहाँ किसी रियासत की क़ानूनसभा ने उस रियासत की क़ानून-सभा में रखे जाने वाले बिलों या पास होने वाले एक्टों में, या उस रियासत के रियासतपति या राजप्रमुख के जारी किये राजहुकुमों में, या उस उप-धारा के पैरा (3) में जिस किसी हुकुम, नियम, क़ायदे या छुट-क़ानून की चरचा की गई है उनमें, अँगरेज़ी भाशा को छोड़ कर किसी दूसरी भाशा का काम में लाया जाना तय कर दिया है, वहाँ उसका अँगरेज़ी भाशा में अनुवाद, जो उस रियासत के रियासतपति या राजप्रमुख के अधिकार से उस रियासत के दफ़तरी गज़ट में निकाला जायगा, इस दफ़ा के अधीन अँगरेज़ी भाशा में उसकी प्रमान लिखत माना जायगा.

भाशा के संबंध में कुछ क़ानूनों के बनाए जाने के लिये ख़ास दस्तूर

349—इस विधान के आरंभ से पन्द्रह बरस के अरसे के अन्दर, दफ़ा 348 की धारा (1) में बताए मतलबों में से किसी के लिये काम में आने वाली भाशा का बन्धान करने वाला कोई बिल या सुधार राजपति की पहले से मंजूरी लिये बिना राजपंचायत के किसी सदन में न रखा जायगा, न पेश किया जायगा, और राजपति ऐसे किसी बिल के रखे जाने की या ऐसे किसी सुधार के पेश किये जाने की मंजूरी नहीं देगा सिवाय इसके कि वह दफ़ा 344 की धारा (1) के अधीन बने कमीशन की सिफ़ारिशों पर और उस दफ़ा की धारा (4) के अधीन बनी कमेटी की रिपोर्ट पर विचार करने के बाद मंजूरी दे.

खंड चार—खास निर्देश

350—किसी तकलीफ़ को दूर कराने के लिये, यूनियन के या किसी रियासत के किसी अफ़सर या अधिकारी को, यूनियन में या, जैसी सूरत हो, उस रियासत में काम में आने वाली किसी भी भाषा में, अरज़ी पत्र देने का हर आदमी को हक़ होगा.

तकलीफ़ों के दूर कराने के लिये अरज़ी पत्रों में काम आने वाली भाषा

351—यूनियन का फ़रज़ होगा कि, हिन्दी भाषा के फैलाव को बढ़ाए, और उसका इस तरह विकास करे कि वह भारत की मिली जुली कलचर के सब अंगों को ज़ाहिर करने का साधन बन सके, और, उसकी आत्मा को छेड़े बिना, जो जो रूप, जो शैली और जो मुहावरे हिन्दुस्तानी में और आठवीं पट्टी में दर्ज भारत की दूसरी भाषाओं में काम में आते हैं उनको उसमें रचा पचा कर, और, जहाँ कहीं ज़रूरी या चाहनी हो, उसकी शब्दावली के लिये पहले संस्कृत से और फिर दूसरी भाषाओं से शब्द लेकर, उसे मालामाल करे.

हिन्दी भाषा के विकास के लिये निर्देश

भाग अठारह

अचानकी बन्धान

अचानकी का ऐलान

352—(1) अगर राजपति को इतमीनान हो जाय कि कोई गहरी अचानकी मौजूद है जिससे, चाहे जंग के कारन या बाहरी हमले के कारन या भीतरी गड़बड़ी के कारन भारत की या उसके भूभाग के किसी हिस्से की सुरचा खतरे में है, तो वह ऐलान निकाल कर इस बात को जाहिर कर सकता है.

(2) धारा (1) के अधीन जो ऐलान निकाला जाय—

(ए) उसे बाद के किसी ऐलान से मंसूख किया जा सकता है;

(बी) उसे राजपंचायत के हर सदन के सामने रखा जायगा;

(सी) वह दो महीने बीत जाने पर अमल में नहीं रहेगा, जब तक कि उस अरसे के बीत जाने से पहले राजपंचायत के दोनों सदनों ने ठहराव पास करके उस पर रजामन्दी न दे दी हो :

शर्तें कि अगर इस तरह का कोई ऐलान ऐसे समय निकले, जब लोक सदन भंग हो चुका हो, या अगर उप-धारा (सी) में जिस दो महीने के अरसे की चरचा की गई है, उसके अन्दर लोक सदन भंग हो जाय, और रियासत सदन ने ऐलान पर रजामन्दी का ठहराव पास कर दिया हो, पर उस अरसे के बीतने से पहले लोक सदन ने उस ऐलान के बारे में कोई ठहराव पास न किया हो, तो उस तारीख से तीस दिन बीत जाने पर वह ऐलान अमल में नहीं रहेगा, जिस तारीख को लोक सदन के दुबारा बनने के बाद उसकी पहली बैठक हो, जब तक कि उस तीस दिन के अरसे के बीत जाने से पहले ही लोक सदन ने भी उस ऐलान पर रजामन्दी का ठहराव पास न कर दिया हो.

(3) अचानकी का कोई ऐलान, जिसमें यह जाहिर किया गया हो कि जंग या बाहरी हमले या भीतरी गड़बड़ी के कारन भारत की या उसके भूभाग के किसी हिस्से की सुरचा खतरे में है,

जंग या उस तरह के किसी हमले या गड़बड़ी के सचमुच शुरू होने से पहले ही निकाला जा सकता है, अगर राजपति को यह इतमीनान हो जाय कि उसका खतरा बिलकुल सामने है.

353—जब अचानकी का कोई ऐलान अमल में हो तब—

अचानकी के ऐलान का असर

(ए) इस विधान में किसी बात के रहते भी, यूनियन की काजकारी शक्ति के फैलाव में किसी रियासत को यह निर्देश देना शामिल होगा कि उस रियासत की काजकारी शक्ति से किस ढंग से काम लिया जाय;

(बी) किसी मामले के बारे में राजपंचायत की क़ानून बनाने की शक्ति में ऐसे क़ानूनों के बनाने की शक्ति शामिल होगी जिन से उस मामले के बारे में यूनियन को या यूनियन के अफ़सरों और अधिकारियों को कोई शक्तियां सौंपी जायं और उन पर कोई फ़रज़ लगाए जायं या उन्हें शक्तियाँ सौंपने और उन पर फ़रज़ लगाने का किसी को अधिकार दिया जाय, भले ही वह मामला ऐसा हो जो यूनियन तालिका में नहीं गिनाया गया है.

354—(1) जिस समय अचानकी का कोई ऐलान अमल में हो उस समय राजपति हुकुम जारी करके यह निर्देश दे सकता है कि दफ़ा 268 से 279 तक की दफ़ाओं के बन्धानों में से सब का या किसी का असर उतने अरसे के लिये जो उस हुकुम में बता दिया गया हो, पर जो किसी सूरत में भी उस माली साल के खतम होने से आगे नहीं बढ़ेगा जिसमें उस ऐलान पर अमल बन्द हो जाय, उन अपवादों या अदल बदल के अधीन होगा जिन्हें राजपति ठीक समझे.

जब अचानकी का कोई ऐलान अमल में हो तब मालगुज़ारी के बटवारे के सम्बन्ध के बन्धानों का लागू होना

(2) धारा (1) के अधीन दिया हुआ हर हुकुम दिये जाने के बाद जितनी जल्दी हो सके राजपंचायत के हर सदन के सामने रखा जायगा.

355—यूनियन का फ़रज़ होगा कि हर रियासत की बाहरी हमले और भीतरी गड़बड़ी से रक्षा करे, और इस बात को पक्का

रियासतों की बाहरी हमले और भीतरी

गड़बड़ी से रक्षा करना यूनियन का फ़रज़

करे कि हर रियासत की हुकूमत इस विधान के बन्धानों के अनुसार चलाई जाय.

रियासतों में विधानी मशीन के फेल हो जाने की सूरत में बंधान

356—(1) अगर राजपति को किसी रियासत के रियासतपति या राजप्रमुख से रिपोर्ट मिलने पर, या किसी दूसरी तरह, यह इतमीनान हो जाय कि ऐसी हालत पैदा हो गई है जिसमें इस विधान के बन्धानों के अनुसार उस रियासत की हुकूमत नहीं चलाई जा सकती, तो राजपति ऐलान निकाल कर—

(ए) उस रियासत की सरकार के सब या कुछ काम, और उसकी सब या कुछ शक्तियाँ जो रियासतपति या राजप्रमुख को, जैसी सूरत हो, हासिल हैं, या जिनसे वह काम ले सकता है, या जो उस रियासत में, रियासत की क़ानून सभा को छोड़ कर, दूसरी किसी संस्था या अधिकारी को हासिल हैं, या जिनसे वह संस्था या अधिकारी काम ले सकता है, अपने हाथ में ले सकेगा;

(बी) यह जाहिर कर सकता है कि उस रियासत की क़ानून सभा की शक्तियों से राजपंचायत काम ले सकेगी या राजपंचायत के अधिकार के अधीन उन शक्तियों से काम लिया जा सकेगा;

(सी) ऐसे प्रसंगी और परिनामी बन्धान कर सकता है जो उस ऐलान के उद्देशों पर अमल कराने के लिये राज-पति को जरूरी या चाहनी मालूम हों; इन में ऐसे बन्धान भी शामिल होंगे जो उस रिया-सत की किसी संस्था या अधिकारी से सम्बन्ध रखने वाले इस विधान के किन्हीं बन्धानों के अमल को पूरे तौर पर या कुछ हद तक मुअत्तल करते हों:

शर्तें कि इस धारा की किसी बात से राजपति को यह अधिकार नहीं होगा कि वह उन शक्तियों में से किसी को अपने हाथ में ले ले जो किसी हाईकोर्ट को हासिल हैं या जिनसे हाईकोर्ट काम ले सकती है, या हाईकोर्टों से सम्बन्ध रखने वाले इस विधान के किसी बन्धान

के अमल को पूरे तौर पर या कुछ हद तक मुअत्तल कर दे.

(2) हर ऐसा ऐलान बाद के किसी ऐलान से मंसूख किया जा सकता है या बदला जा सकता है.

(3) इस दफ़ा के अधीन हर ऐलान को राजपंचायत के हर सदन के सामने रखा जायगा, और सिवाय उस सूरत में जब कि वह कोई ऐसा ऐलान हो जो किसी पहले ऐलान को मंसूख करता हो, दो महीने बीत जाने पर वह अमल में नहीं रहेगा, जब तक कि उस अरसे के बीत जाने से पहले राजपंचायत के दोनों सदनों ने ठहराव पास करके उस पर रज़ामन्दी न दे दी हो :

शर्त कि अगर इस तरह का कोई ऐलान (जो किसी पहले ऐलान को मंसूख करने वाला ऐलान न हो) ऐसे समय निकले जब लोक सदन भंग हो चुका हो, या अगर इस धारा में जिस दो महीने के अरसे की चरचा की गई है, उसके अन्दर लोक सदन भंग हो जाय, और रियासत सदन ने ऐलान पर रज़ामन्दी का ठहराव पास कर दिया हो, पर उस अरसे के बीतने से पहले लोक सदन ने उस ऐलान के बारे में कोई ठहराव पास न किया हो, तो उस तारीख से तीस दिन बीत जाने पर वह ऐलान अमल में नहीं रहेगा, जिस तारीख को लोक सदन के दुबारा बनने के बाद उसकी पहली बैठक हो, जब तक कि उस तीस दिन के अरसे के बीतने से पहले ही लोक सदन ने भी उस ऐलान पर रज़ामन्दी का ठहराव पास न कर दिया हो.

(4) जिस ऐलान पर इस तरह रज़ामन्दी दे दी गई हो, वह, जब तक मंसूख न कर दिया जाय, धारा (3) के अधीन ऐलान पर रज़ामन्दी देने वाले ठहरावों में से दूसरे ठहराव के पास होने की तारीख से छै महीने का अरसा बीत जाने पर, अमल में नहीं रहेगा :

शर्त कि अगर और जितनी बार, ऐसे किसी ऐलान के अमल को जारी रखने की रज़ामन्दी का कोई ठहराव राजपंचायत के दोनों सदनों में पास हो जाय, तो वह ऐलान, जब तक मंसूख न कर दिया जाय, उस तारीख से लेकर जिस से इस धारा के अधीन ठहराव पास न होने की सूरत में वह अमल में न रहता, उतनी ही बार और छै महीने के अरसे तक अमल में रहेगा, पर किसी सूरत में भी

ऐसा कोई ऐलान तीन बरस से ज्यादा अमल में नहीं रहेगा :

और शर्ते कि अगर ऐसे किसी छै महीने के अरसे के अन्दर लोक सदन भंग हो जाय और ऐलान को जारी रखने की रजामन्दी देने वाला ठहराव उस अरसे के अन्दर रियासत सदन में पास हो जाय, पर उस ऐलान के अमल को जारी रखने के बारे में कोई ठहराव उस अरसे के अन्दर लोक सदन में पास न हो, वो लोक सदन के दुबारा बनने के बाद उसकी पहली बैठक की तारीख से तीस दिन बीत जाने पर वह ऐलान अमल में नहीं रहेगा, जब तक कि तीस दिन के उस अरसे के बीतने से पहले ही उस ऐलान के अमल को जारी रखने की रजामन्दी देने वाला ठहराव लोक सदन ने भी पास न कर दिया हो.

दफ़ा 356 के अधीन जारी हुए ऐलान के अधीन क़ानूनकारी शक्तियों से काम लेना

357—(1) जहां दफ़ा 356 की धारा (1) के अधीन जारी होने वाले किसी ऐलान में यह ठहरा दिया गया है कि उस रियासत की क़ानून सभा की शक्तियों से राजपंचायत काम ले सकेगी या राजपंचायत के अधिकार के अधीन उन शक्तियों से काम लिया जा सकेगा वहां—

(ए) राजपंचायत को यह अधिकार होगा कि उस रियासत की क़ानून सभा की क़ानून बनाने की शक्ति राजपति को सौंप दे, और राजपति को यह अधिकार दे दे कि जो शक्ति इस तरह उसे सौंपी गई है उसे वह, उन शर्तों के अधीन जिन्हें राजपति लगाना ठीक समझे, अपनी तरफ़ से किसी ऐसे दूसरे अधिकारी को दे दे जिसे वह इस काम के लिये तय करे;

(बी) राजपंचायत को, या राजपति को, या उस दूसरे अधिकारी को जिसे उप-धारा (ए) के अधीन क़ानून बनाने की इस तरह की शक्ति हासिल हुई है, यह अधिकार होगा कि यूनियन को या उसके अफ़सरों और अधिकारियों को शक्तियां सौंपने और उन पर फ़रज लगाने के लिये, या उनको शक्तियां सौंपने और उन पर फ़रज लगाने का किसी को अधिकार देने के लिये, क़ानून बनाए;

(सी) राजपति को यह अधिकार होगा कि, उन दिनों जब लोक सदन का इजलास न हो रहा हो, रियासत के मूठकोश में से खर्च किये जाने का उस समय तक के लिये अधिकार दे दे जब तक कि राजपंचायत उस खर्च पर अपनी मंजूरी न दे दे.

(2) जिस किसी क़ानून को राजपंचायत या राजपति या कोई दूसरा अधिकारी जिसकी चरचा धारा (1) की उपधारा (ए) में की गई है, रियासत की क़ानून सभा की शक्ति से काम लेते हुए बनाए, और जिसको दफ़ा 356 के अधीन अगर कोई ऐलान जारी न किया गया होता तो राजपंचायत को या राजपति को या ऐसे किसी अधिकारी को बनाने का अधिकार न होता, उसका, अधिकार न होने की हद तक, ऐलान के अमल में न रहने के बाद एक बरस का अरसा बीत जाने पर, कोई असर नहीं रहेगा, सिवाय उन बातों के बारे में जो उस अरसे के बीत जाने से पहले ही की जा चुकी हों या करने से छोड़ दी गई हों, जब तक कि वह बंधान जिनका असर इस तरह खतम हो जायगा पहले ही मुनासिब क़ानून सभा के एक्ट के ज़रिये रद्द न कर दिये गए हों या अदल बदल के साथ या बिना अदल बदल फिर से क़ानून न बना दिये गए हों.

अचानकी के दौरान में दफ़ा 19 के बंधानों का मुअत्तल रहना

358—उन दिनों जब कि अचानकी का कोई ऐलान अमल में हो, दफ़ा 19 की कोई बात, उस राज की जिसकी परिभाशा भाग तीन में की गई है, इस शक्ति में रुकावट नहीं डालेगी कि वह कोई ऐसा क़ानून बनाए या कोई ऐसा काजकारी काम करे जिसे, अगर भाग तीन के बन्धान न होते, तो उस राज को बनाने या करने का अधिकार होता, लेकिन इस तरह बने किसी क़ानून का, अधिकार न होने की उस हद तक, ऐलान का अमल खतम होते ही कोई असर नहीं रहेगा, सिवाय उन बातों के बारे में जो उस क़ानून के इस तरह असर न रहने से पहले ही की जा चुकी हों या करने से छोड़ दी गई हों.

अचानकियों के दौरान में भाग तीन

359—(1) जहां अचानकी का कोई ऐलान अमल में हो, वहां राजपति हुकुम दे कर यह जाहिर कर सकता है कि भाग तीन

में दिये अधिकारों पर अमल का मुअत्तल रहना

में दिये अधिकारों में से उन पर अमल कराने के लिये जो उस हुकुम में बता दिये जायं, किसी अदालत से फ़रियाद करने का अधिकार उस अरसे तक मुअत्तल रहेगा, और इस तरह बताए अधिकारों पर अमल कराने के लिये किसी अदालत में जो कारवाइयां चल रही होंगी वह सब उस अरसे तक मुअत्तल रहेंगी जिस अरसे तक कि वह ऐलान अमल में रहे, या उस कम अरसे तक जो उस हुकुम में बताया जाय.

(2) ऊपर कहे अनुसार जो हुकुम दिया गया हो उसका फैलाव भारत के सारे भूभाग तक या उस भूभाग के किसी हिस्से तक हो सकता है.

(3) धारा (1) के अधीन दिया हुआ हर हुकुम, दिये जाने के बाद जितनी जल्दी हो सके, राजपंचायत के हर सदन के सामने रखा जायगा.

माली अचानकी के बारे में बन्धान

360—(1) अगर राजपति को यह इतमीनान हो जाय कि ऐसी हालत पैदा हो गई है जिससे भारत का या उसके भूभाग के किसी हिस्से का माली टिकाव या उसकी साख खतरे में है, तो वह एक ऐलान निकाल कर इस बात को ज़ाहिर कर सकता है.

(2) दफ़ा 352 की धारा (2) के बन्धान इस धारा के अधीन निकले हुए किसी ऐलान के संबंध में उसी तरह लागू होंगे जिस तरह वह दफ़ा 352 के अधीन जारी हुए अचानकी के किसी ऐलान के संबंध में लागू होते हैं.

(3) उस अरसे के दौरान में जिसमें धारा (1) में बताया कोई ऐलान अमल में हो, यूनियन की काजकारी शक्ति के फैलाव में किसी रियासत को यह निर्देश देना शामिल होगा कि वह उचित माली ब्योहार के उन असूलों का ध्यान रखे जो उन निर्देशों में बताये गए हों, और ऐसे दूसरे निर्देश देना भी शामिल होगा जिन्हें राजपति इस मतलब के लिये जरूरी और काफ़ी समझे.

(4) इस विधान में किसी बात के रहते भी—

(ए) ऐसे किसी निर्देश में—

(एक) ऐसा बन्धान भी हो सकता है जिससे किसी रियासत

के मामलों के संबंध में नौकरी करनेवाले सब आदमियों या उनकी किसी जमात की तनखाहें और भत्ते घटाना दरकार हो;

(दो) ऐसा बन्धान भी हो सकता है जिससे उन सब नक़दी बिलों या दूसरे बिलों को, जिन पर दफ़ा 207 के बन्धान लागू होते हैं, रियासत की क़ानून सभा से पास होने के बाद राजपति के विचार के लिये अलग रखा जाना दरकार हो;

(बी) राजपति को यह अधिकार होगा, कि उस अरसे के दौरान में जब इस दफ़ा के अधीन निकला हुआ कोई ऐलान अमल में हो वह यूनियन के मामलों के संबंध में नौकरी करनेवाले सब लोगों की या उनकी किसी जमात की, जिसमें आला अदालत और हाईकोर्टों के जज भी शामिल हो सकते हैं, तनखाहें और भत्ते घटाने के लिये निर्देश जारी करे.

भाग उन्नीस

फुटकर

राजपति और रियासतपतियों और राजप्रमुखों की रक्षा

361—(1) राजपति, या किसी रियासत का रियासतपति या राजप्रमुख, अपने पद की शक्तियों से काम लेने और उस पद के फ़रज़ों को पूरा करने के लिये, या उन शक्तियों से काम लेने और उन फ़रज़ों को पूरा करने में जो कोई काम उसने किया हो या उसका किया माना जाता हो उसके लिये, किसी अदालत को जवाबदेह नहीं होगा:

शर्तें कि कोई ऐसी अदालत, पंच अदालत या संस्था, जिसे दफ़ा 61 के अधीन किसी दोशलेखे की जांच के लिये राजपंचायत के किसी सदन ने नियोजा हो या नामज़द किया हो, राजपति के चलन की जाँच पड़ताल कर सकेगी :

और शर्तें कि इस धारा की किसी बात का यह मतलब नहीं समझा जायगा कि वह भारत सरकार के या किसी रियासत की सरकार के खिलाफ़ मुनासिब कारवाई करने के किसी आदमी के अधिकार पर रुकावट लगाती है.

(2) राजपति के, या किसी रियासत के रियासतपति या राजप्रमुख के, खिलाफ़ उसकी पद-मियाद के अन्दर, किसी अदालत में किसी भी तरह की फ़ौजदारी कारवाई न शुरू की जा सकेगी और न जारी रखी जा सकेगी.

(3) राजपति को, या किसी रियासत के रियासतपति या राजप्रमुख को गिरफ़्तार करने या क़ैद करने के लिये कोई हुकुमनामा उसकी पद-मियाद के अन्दर किसी अदालत से जारी नहीं किया जायगा.

(4) राजपति की या किसी रियासत के रियासतपति या राजप्रमुख की पद-मियाद के अन्दर किसी अदालत में कोई ऐसी दीवानी कारवाई नहीं की जा सकेगी जिसमें राजपति से या उस रियासत के रियासतपति या राजप्रमुख से किसी ऐसे काम के बारे में

भरपाई का दावा किया गया हो जो काम राजपति या उस रियासत के रियासतपति या राजप्रमुख ने अपना पद संभालने से चाहे पहले या उसके बाद अपनी निजी हैसियत से किया हो, या जो उसका किया माना जाता हो, जब तक कि एक ऐसे लिखे हुए नोटिस को दिये दो महीने न बीत चुके हों जो राजपति या रियासतपति या राजप्रमुख को, जैसी सूरत हो, दिया गया हो, या उसके दफ़्तर में छोड़ दिया गया हो, और जिसमें उस कारवाई की कैफ़ियत, उसके किये जाने का कारन, जो फ़रीक़ कारवाई शुरू करने वाला है उसका नाम, ब्यौरा और रिहाइश की जगह और जिस भरपाई का वह दावा करता है वह सब बताए गए हों.

देसी रियासतों के शासकों के अधिकार और निज-नियम

362—राजपंचायत की या किसी रियासत की क़ानून सभा की क़ानून बनाने की शक्ति से काम लेने में, या यूनियन या किसी रियासत की काजकारी शक्ति से काम लेने में, उस गारंटी या भरोसे का उचित लिहाज़ रखना होगा जो किसी देसी रियासत के शासक के निजी अधिकारों, निजनियमों और सम्मानों के बारे में किसी ऐसे मुआहदे या समझौते के अधीन दिया गया हो जिसकी चरचा दफ़ा 291 की धारा (1) में की गई है.

कुछ सन्धिनामों, समझौतों वगैरा से पैदा होनेवाले झगड़ों में अदालतों के दखल देने पर रोक

363—(1) इस विधान में किसी बात के रहते भी, पर दफ़ा 143 के बन्धानों का ध्यान रखते हुए, किसी झगड़े में जो किसी ऐसे सन्धिनामे, समझौते, मुआहदे, इक़रारनामे, सनद या दूसरे इसी तरह के पट्टे के किसी बन्धान से पैदा हुआ हो, जिसे किसी देसी रियासत के शासक ने इस विधान के आरंभ से पहले किया हो या लिखा हो, और जिसमें हिन्द डोमिनियन की सरकार या उसी जगह पर उससे पहले की कोई सरकार एक फ़रीक़ रही हो, और जो विधान के आरंभ होने के बाद भी अमल में रहा हो या रखा गया हो, या इसी तरह के किसी संधिनामे, समझौते, मुआहदे, इक़रारनामे, सनद या इसी तरह के दूसरे पट्टे से संबंध रखने वाले इस विधान के बन्धानों में से किसी के अधीन मिलने वाले किसी अधिकार के बारे में या उस बन्धान से पैदा होने वाली किसी देनदारी या ज़िम्मेदारी के बारे में किसी तरह के झगड़े

में, न आला अदालत की अमलदारी चलेगी, न किसी दूसरी अदालत की.

(2) इस दफ़ा में—

(ए) "देसी रियासत" के मानी हैं कोई भूभाग जिसे इस विधान के आरम्भ से पहले सम्राट ने या हिन्द डोमिनियन की सरकार ने इस तरह की रियासत मान लिया हो; और

(बी) "शासक" शब्द में वह नरेश, सरदार या दूसरा आदमी शामिल है जिसको विधान के आरंभ से पहले सम्राट ने या हिन्द डोमिनियन की सरकार ने किसी देसी रियासत का शासक मान लिया हो.

बड़े बन्दरगाहों और हवाई अड्डों के लिये खास बंधान

364—(1) इस विधान में किसी बात के रहते भी, राजपति आम नोटिस निकालकर यह निर्देश कर सकता है कि उस तारीख से जो उस नोटिस में बताई गई हो—

(ए) राजपंचायत का या किसी रियासत की क़ानून सभा का बनाया कोई क़ानून किसी बड़े बन्दरगाह या हवाई अड्डे पर लागू नहीं होगा या ऐसे अपवादों या अदल बदल के साथ लागू होगा जो उस नोटिस में बता दिये जायं, या

(बी) किसी मौजूदा क़ानून का किसी बड़े बन्दरगाह या हवाई अड्डे में असर नहीं रहेगा सिवाय उन कामों के बारे में जो उस तारीख से पहले किये जा चुके हों या करने से छोड़ दिये गए हों, या ऐसे बन्दरगाह या हवाई अड्डे पर उस क़ानून का असर ऐसे अपवादों या अदलबदल के साथ होगा जो उस नोटिस में बता दिये जायं.

(2) इस दफ़ा में—

(ए) "बड़ा बन्दरगाह" के मानी हैं वह बन्दरगाह जो राज-पंचायत के बनाए किसी क़ानून में या किसी मौजूदा क़ानून में या ऐसे किसी क़ानून के अधीन बड़ा

बन्दरगाह ठहरा दिया गया है, और इसमें वह सब क्षेत्र शामिल होंगे जो उस समय उस बन्दरगाह की सीमाओं के अन्दर शामिल हों;

(बी) "हवाई अड्डे" के मानी हैं वह हवाई अड्डा जिसकी परिभाशा हवा मार्गों, हवाई जहाज़ों और हवाई जहाज़रानी से संबंध रखनेवाले क़ानूनों के मतलबों के लिये की गई है.

365—जहां कोई रियासत ऐसे किसी निर्देशों पर न चल सकी हो या अमल न करा सकी हो जो इस विधान के बन्धानों में से किसी के अधीन यूनियन की काजकारी शक्ति से काम लेते हुए दिये गए हों, तो राजपति के लिये यह क़रार देना क़ानून-संगत होगा कि ऐसी हालत पैदा हो गई है जिसमें उस रियासत की हुकूमत इस विधान के बन्धानों के अनुसार नहीं चलाई जा सकती.

यूनियन के दिये निर्देशों पर न चल सकने या उन पर अमल न कर सकने का असर

366—इस विधान में, जब तक कि प्रसंग से कुछ और दरकार न हो, नीचे लिखे शब्दों के वह मानी हैं जो यहां उनमें से हर एक के अलग अलग दिये गए हैं, यानी यह कि—

परिभाशाएँ

(1) "खेती बाड़ी की आमदनी" के मानी हैं वह खेती बाड़ी की आमदनी जिसकी परिभाशा भारत आमदनी-टैक्स से संबंध रखनेवाले क़ानूनों के मतलबों के लिये की गई है;

(2) "ऐंग्लो इन्डियन" के मानी हैं वह आदमी जिसका बाप या जिसके बाप की लाइन में कोई और जनक पुरुश यूरोपियन नसल का है या था, पर जो भारत के भूभाग का निवासी बन गया है, और उस भूभाग के अन्दर ऐसे मां बाप से पैदा हुआ है या पैदा हुआ था जो केवल आरज़ी मतलबों के लिये यहाँ नहीं रहते थे बल्कि आदतन यहाँ के बासी थे;

(3) "दफ़ा" के मानी हैं इस विधान की कोई दफ़ा;

(4) "उधार लेने" में सालाना क़िस्तों में अदायगी मंज़ूर करके रुपया जुटाना शामिल है, और "उधारी" के भी इसी तरह मानी किये जायंगे;

(5) "धारा" के मानी हैं उस दफ़ा की कोई धारा जिसमें यह शब्द आया हो;

(6) "एकतनी टैक्स" के मानी हैं आमदनी पर कोई टैक्स जहां तक कि वह टैक्स कम्पनियों को भरना है और जो ऐसा टैक्स है जिसमें नीचे लिखी शर्तें पूरी होती हैं :—

(ए) यह कि वह टैक्स खेती बाड़ी की आमदनी के बारे में नहीं लिया जा सकता;

(बी) यह कि उस टैक्स पर लागू होने वाले किसी क़ानून के ज़रिये किसी को यह अधिकार न हो कि कम्पनियां जो टैक्स दें उसके बारे में उन लाभ-बटावों में से रुपया काटा जाय जो कम्पनियां लोगों को देती हैं;

(सी) यह कि भारत आमदनी टैक्स के मतलब के लिये इस तरह के लाभ-बटावे पाने वाले लोगों की कुल आमदनी का हिसाब लगाने में, या उस भारत आमदनी टैक्स का हिसाब लगाने में जो इस तरह के लोगों को भरना है या जो उन्हें वापस मिलना है, इस तरह दिये हुए टैक्स को हिसाब में लेने के लिये कोई बन्धान नहीं है;

(7) "जवाबी सूबा", "जवाबी देसी रियासत", या "जवाबी रियासत" के मानी हैं, जहां शक हो, वह सूबा, देसी रियासत या रियासत जिसको राजपति उस ख़ास मतलब के लिये जिसका सवाल उठा हो "जवाबी सूबा", "जवाबी देसी रियासत" या "जवाबी रियासत", जैसी सूरत हो, तय कर दे;

(8) "कर्ज़े" में पूँजी की रक़मों को सालाना क़िस्तों में अदा करने की किसी ज़िम्मेदारी के बारे में हर देनदारी और किसी गारंटी के अधीन हर देनदारी शामिल है, और "कर्ज़ा खर्च" के मानी भी इसी तरह किये जायंगे ;

(9) "मिलकियत महसूल" के मानी हैं वह महसूल जो उस सब जायदाद की असल क़ीमत पर या असल क़ीमत के हिसाब से आंका जाय जो जायदाद किसी के मरने पर मिलकियत महसूल सम्बन्धी राजपंचायत के बनाए क़ानूनों या किसी रियासत की क़ानून

सभा के बनाए क़ानूनों के बन्धानों के अधीन किसी को मिले या मिली समझी जाय; यह असल क़ीमत उन नियमों के अनुसार तय की जायगी जो ऊपर-लिखे क़ानूनों में या उनके अधीन बताए गए हों.

(10) "मौजूदा क़ानून" के मानी हैं कोई क़ानून, राज-हुकुम, हुकुम, छुट-क़ानून, नियम या क़ायदा जो इस विधान के आरंभ से पहले किसी ऐसी क़ानून सभा, किसी ऐसे अधिकारी या किसी ऐसे आदमी ने पास किया हो या बनाया हो जिसे ऐसा क़ानून, राज-हुकुम, हुकुम, छुट-क़ानून, नियम या क़ायदा बनाने की शक्ति है;

(11) "संघ अदालत" के मानी हैं वह संघ अदालत जो हिन्द सरकार ऐक्ट 1935 के अधीन बनी थी ;

(12) "माल" में सब सामान, तिजारती माल और चीज़ें शामिल हैं ;

(13) "गारंटी" में अदायगियां करने की हर वह ज़िम्मेदारी शामिल है जो इस विधान के जारी होने से पहले, किसी कार-बार में, किसी तय की हुई रक़म से कम मुनाफ़े होने की सूरत में, अपने ऊपर ली गई हो;

(14) "हाईकोर्ट" के मानी हैं कोई अदालत जो इस विधान के मतलबों के लिये किसी रियासत की हाईकोर्ट समझी जाय, और उसमें—

(ए) भारत के भूभाग की हर वह अदालत शामिल होगी जो इस विधान के अधीन हाईकोर्ट बनाई गई हो, या फिर से हाईकोर्ट बनाई गई हो, और

(बी) भारत के भूभाग की हर वह दूसरी अदालत शामिल होगी जिसे राजपंचायत क़ानून बनाकर इस विधान के मतलबों में से सब या किसी के लिये हाईकोर्ट ठहरा दे.

(15) "देसी रियासत" के मानी हैं कोई भूभाग जिसे हिन्द डोमिनियन की सरकार ने देसी रियासत माना हो.

(16) "भाग" के मानी हैं इस विधान का कोई भाग.

(17) "पेनशन" के मानी हैं हर तरह की पेनशन, चाहे

वह हिस्सेवारी हो या न हो, जो किसी आदमी को या उसके बारे में दी जानी है, और उसमें सेवा मुक्त लोगों की तनखाह जो किसी आदमी को या उसके बारे में दी जानी है, इनामी रक़म जो किसी आदमी को या उसके बारे में दी जानी है, और कोई रक़म या रक़में जो प्रोविडेंट फ़ंड की जमा रक़मों की वापसी के तौर पर, सूद समेत या बिना सूद या उसमें कुछ और रक़म जोड़ कर या न जोड़ कर, किसी आदमी को या उसके बारे में दी जानी हैं, सब शामिल हैं;

(18) "अचानकी का ऐलान" के मानी हैं दफ़ा 352 की धारा (1) के अधीन जारी हुआ कोई ऐलान;

(19) "आम नोटिस" के मानी हैं भारत के गजट में या किसी रियासत के दफ़तरी गजट में, जैसी सूरत हो, निकला नोटिस;

(20) "रेल मार्ग" में—

(ए) वह ट्राम मार्ग शामिल नहीं है जो कुल किसी नगरायत छेत्र में हो, या

(बी) आवाजाई की कोई और ऐसी लाइन शामिल नहीं है जो कुल किसी एक रियासत में हो और जिसे राजपंचायत ने क़ानून बनाकर यह ठहरा दिया हो कि वह रेल मार्ग नहीं है;

(21) "राजप्रमुख" के मानी हैं—

(ए) हैदराबाद रियासत के संबंध में, वह आदमी जिसे उस समय राजपति ने हैदराबाद का निज़ाम मान लिया हो;

(बी) जम्मू और काशमीर रियासत या मैसूर रियासत के संबंध में, वह आदमी जिसे उस समय राजपति ने उस रियासत का महाराजा मान लिया हो; और

(सी) पहली पट्टी के भाग (बी) में दर्ज किसी और रियासत के संबंध में, वह आदमी जिसे उस समय राजपति ने उस रियासत का राजप्रमुख मान लिया हो,

और इसमें उन रियासतों में से किसी के संबंध में वह आदमी भी

शामिल है जिसे उस समय राजपति ने उस रियासत के संबंध में राजप्रमुख की शक्तियों से काम लेने का अधिकारी मान लिया हो;

(22) "शासक" के किसी देसी रियासत के संबंध में मानी हैं वह नरेश, सरदार या दूसरा आदमी जिसने ऐसा कोई मुआहदा या समझौता किया हो जिसकी चरचा दफ़ा 291 की धारा (1) में की गई है और जिसको राजपति ने उस समय उस रियासत का शासक मान लिया हो, और इसमें वह आदमी भी शामिल है जिसको उस समय राजपति ने उस शासक का वरिस मान लिया हो ;

(23) "पट्टी" के मानी हैं इस विधान के आख़ार की कोई पट्टी;

(24) "पट्टी-दर्ज जातों" के मानी हैं वे जातें, नसलें या क़बीले, या उन जातों, नसलों या क़बीलों के भाग, या उनमें के गिरोह, जिनको दफ़ा 341 के अधीन इस विधान के मतलबों के लिये पट्टी-दर्ज जातें समझा गया है;

(25) "पट्टी-दर्ज क़बीलों" के मानी हैं वह क़बीले या क़बायली समाज, या उन क़बीलों या क़बायली समाजों के भाग, या उनमें के गिरोह, जिनको दफ़ा 342 के अधीन इस विधान के मतलबों के लिये पट्टी-दर्ज क़बीले समझा गया है;

(26) "हुन्डियों" में पत्ती पूँजी शामिल है;

(27) "उप-धारा" के मानी हैं उस धारा की कोई उप-धारा जिसमें यह शब्द आया हो;

(28) "टैक्स लगाने" में हर टैक्स या महसूल का लगाना शामिल है, चाहे वह आम हो या मुक़ामी या खास, और "टैक्स" के भी इसी तरह मानी किये जायंगे;

(29) "आमदनी पर टैक्स" में बढ़ती नफ़ा टैक्स जैसा टैक्स शामिल है;

(30) "उप-राजप्रमुख" के, पहली पट्टी के भाग (बी) में दर्ज किसी रियासत के संबंध में, मानी हैं वह आदमी जिसको उस समय राजपति ने उस रियासत का उप-राजप्रमुख मान लिया हो.

367—(1) जब तक प्रसंग से कुछ और दरकार न हो, तब तक आम धारा एक्ट (जनरल क्लाज़ेज़ एक्ट) 1897, ऐसे किन्ही अनुकूलनों और अदल बदल का ध्यान रखते हुए जो दफ़ा 372 के अधीन उसमें किये जायं, इस विधान के अर्थ करने में उसी तरह लागू होगा जिस तरह वह हिन्द डोमिनियन की क़ानून सभा के किसी एक्ट के अर्थ करने में लागू होता है.

(2) इस विधान में राजपंचायत के एक्टों या उसके बनाए हुए क़ानूनों की, या पहली पट्टी के भाग (ए) या भाग (बी) में दर्ज किसी रियासत की क़ानून सभा के एक्टों या उसके बनाए हुए क़ानूनों की, किसी चरचा का यह मतलब लिया जायगा कि उसमें राजपति के दिये राजहुकुम की, या किसी रियासतपति या राजप्रमुख के दिये राज हुकुम की, जैसी सूरत हो, चरचा शामिल है.

(3) इस विधान के मतलबों के लिये, "विदेशी राज" के मानी हैं भारत को छोड़ कर कोई और राज :

शर्तें कि, राजपंचायत के बनाए किसी क़ानून के बन्धानों के अधीन रहते हुए, राजपति हुकुम देकर, उन मतलबों के लिये जो उस हुकुम में बता दिये जांय, किसी राज की बाबत यह ठहरा सकता है कि वह विदेशी राज नहीं है.

भाग बीस

विधान में सुधार

विधान में सुधार के लिये दस्तूर

368—इस विधान में किसी सुधार की शुरुआत केवल राजपंचायत के किसी सदन में इस मतलब के लिये एक बिल रख कर ही की जा सकती है, और जब वह बिल हर सदन में, उस सदन के कुल मेम्बरों की बड़ीयत से, और सदन में उस समय मौजूद और वोट देने वाले मेम्बरों की कम से कम दो तिहाई की बड़ीयत से, पास हो जाय, तो उसे मंजूरी के लिये राजपति के सामने रखा जायगा, और जब बिल पर इस तरह की मंजूरी मिल जाय तब उस बिल की शर्तों के अनुसार विधान में सुधार हो जायगा :

शर्तें कि अगर उस सुधार से—

(ए) दफ़ा 54, दफ़ा 55, दफ़ा 73, दफ़ा 162, या दफ़ा 241 में, या

(बी) भाग पांच के खंड चार, भाग छै के खंड पांच या भाग ग्यारह के खंड एक में, या

(सी) सातवीं पट्टी की किसी तालिका में, या

(डी) राजपंचायत में रियासतों के प्रतिनिधान में, या

(ई) इस दफ़ा के बन्धानों में,

कोई तबदीली होती हो, तो यह भी दरकार होगा कि, उस सुधार के लिये बंधान करने वाले बिल को मंजूरी के लिये राजपति के सामने रखने से पहले, पहली पट्टी के भाग (ए) और (बी) में दर्ज रियासतों में से कम से कम आधी रियासतों की क़ानून सभाएँ, उस मतलब के ठहराव पास करके, उस सुधार की तसदीक़ कर दें.

भाग इक्कीस

आरज़ी और बिचवक्ती बंधान

रियासत तालिका के कुछ मामलों के बारे में राजपंचायत को क़ानून बनाने की आरज़ी शक्ति, मानो वह मामले संगचारी तालिका में हों

369—इस विधान में किसी बात के रहते भी, राजपंचायत को, इस विधान के आरंभ से पांच बरस के अरसे तक, नीचे लिखे मामलों के बारे में, उसी तरह क़ानून बनाने की शक्ति होगी मानो वह मामले संगचारी तालिका में गिनाए गए हों, यानी—

(ए) सूती और ऊनी कपड़ों, कच्ची रुई (जिसमें ओटी और अनओटी रुई यानी कपास शामिल हैं), बिनौले, कागज़ (जिसमें न्यूज़ प्रिन्ट शामिल है), खाने की चीज़ें (जिसमें खाने के तिलहन और तेल शामिल हैं), ढोरों का चारा (जिसमें खली और दूसरे सार-चारे शामिल हैं), कोयला (जिसमें कोक और कोयले से निकली चीज़ें शामिल हैं), लोहा, फ़ौलाद, और अबरक का किसी रियासत के अन्दर व्योपार और तिजारत, और इन चीज़ों का पैदा करना, मुहय्या करना और बाँटना;

(बी) धारा (ए) में बताए मामलों में से किसी से सम्बन्ध रखने वाले क़ानूनों के खिलाफ़ जुर्म, उन मामलों में से किसी के सम्बन्ध में आला अदालत को छोड़कर सब अदालतों की अमलदारी और शक्तियां, और उन मामलों में से किसी के सम्बन्ध में फ़ीसें, जिनमें किसी अदालत में ली जाने वाली फ़ीसें शामिल नहीं होंगी;

पर राजपंचायत का बनाया हुआ कोई क़ानून, जिसे इस दफ़ा के बन्धानों के न होने पर राजपंचायत बनाने की अधिकारी न होती, उस अधिकार न होने की हद तक, उस अरसे के बीत जाने पर बेअसर हो जायगा, सिवाय उन बातों के बारे में जो उस अरसे के बीत जाने से पहले ही की जा चुकी हों या करने से छोड़ दी गई हों.

370—(1) इस विधान में किसी बात के रहते भी,—

जम्मू और काशमीर रियासत के संबंध में आरज़ी बंधान

(ए) दफ़ा 238 के बन्धान जम्मू और काशमीर रियासत के संबंध में लागू नहीं होंगे ;

(बी) ऊपर कही रियासत के लिये क़ानून बनाने की राजपंचायत की शक्ति केवल—

(एक) यूनियन तालिका और संगचारी तालिका के उन मामलों तक होगी जिनकी बाबत, उस रियासत की सरकार से सलाह करके, राजपति यह ठहरा दे कि यह मामले उन मामलों से मेल रखने वाले मामले हैं जो उस मिलन-पट्टे में दर्ज हैं जिसके अधीन वह रियासत हिन्द डोमिनियन में मिली, और जिन्हें उस मिलन-पट्टे में वह मामले बताया गया है जिनके बारे में डोमिनियन क़ानून सभा उस रियासत के लिये क़ानून बना सकती है; और

(दो) उन तालिकाओं के उन दूसरे मामलों तक होगी जो राजपति, उस रियासत के सरकार की सहमती से, हुकुम जारी करके, बता दे.

समझाव—इस दफ़ा के मतलबों के लिये रियासत की सरकार के मानी हैं वह आदमी जिसको उस समय राजपति ने जम्मू और काशमीर का महाराजा मान रखा हो और जो उस वज़ीर मंडल की सलाह से काम करता हो जो महाराजा के पांच मार्च सन 1948 वाले ऐलान के अधीन उस समय पद पर हो.

(सी) दफ़ा (1) के और इस दफ़ा के बन्धान उस रियासत के संबंध में लागू होंगे;

(डी) इस विधान के दूसरे बन्धानों में से वह बन्धान उन अपवादों और अदल बदल के साथ उस रियासत के संबंध में लागू होंगे जो राजपति हुकुम देकर बता दे :

शर्तें कि कोई ऐसा हुकुम जिसका संबंध उस रियासत के उस मिलन-पट्टे में बताए मामलों से है, जिसकी चरचा उप-धारा (बी) के पैरा (एक) में की गई है, उस रियासत की सरकार से सलाह लिये बिना जारी नहीं किया जायगा :

और शर्तें कि कोई ऐसा हुकुम, जिसका संबंध उन मामलों को

छोड़कर जिनकी चरचा पिछली आखिरी शर्त में की गई है, किन्हीं और मामलों से है, उस रियासत की सहमती के बिना जारी नहीं किया जायगा.

(2) अगर रियासत की सरकार की वह सहमती, जिसकी चरचा धारा (1) की उप-धारा (बी) के पैरा (दो) में या उस धारा की उप-धारा (डी) की दूसरी शर्त में की गई है, उस रियासत का विधान बनाने के मतलब के लिये विधान सभा बुलाए जाने से पहले दे दी जाय, तो वह सहमती उस विधान सभा के सामने ऐसे फ़ैसले के लिये रखी जायगी जो फ़ैसला वह सभा उस पर करे.

(3) इस दफ़ा के ऊपर-लिखे बन्धानों में किसी बात के रहते भी, राजपति आम नोटिस निकाल कर यह ज़ाहिर कर सकता है कि यह दफ़ा अमल में नहीं रहेगी, या यह कि वह उस तारीख से केवल उन अपवादों और उन अदल बदल के साथ अमल में रहेगी जो राजपति बता दे:

शर्त कि राजपति के ऐसा नोटिस निकालने से पहले उस रियासत की उस विधान सभा की सिफ़ारिश ज़रूरी होगी जिसकी चरचा धारा (2) में की गई है.

पहली पट्टी के भाग (बी) की रियासतों के बारे में आरज़ी बन्धान

371—इस विधान में किसी बात के रहते भी, विधान के आरंभ से दस बरस के अरसे के अन्दर, या इससे अधिक या इससे कम उस अरसे के अन्दर जिसका राजपंचायत किसी रियासत के बारे में क़ानून बनाकर बन्धान करदे, पहली पट्टी के भाग (बी) में दर्ज हर रियासत की सरकार राजपति के आम दबान में रहेगी और उन खास निर्देशों पर चलेगी, अगर कोई ऐसे निर्देश हों तो, जो राजपति समय समय पर दे :

शर्त कि राजपति हुकुम देकर निर्देश कर सकता है कि इस धारा के बन्धान उस हुकुम में बताई किसी खास रियासत पर लागू नहीं होंगे.

मौजूदा क़ानूनों का अमल जारी रहना और उनका अनुकूलन

372—(1) दफ़ा 395 में जिन क़ानूनों की चरचा की गई है, इस विधान के ज़रिये उनके रद्द कर दिये जाने पर भी, पर इस विधान के दूसरे बन्धानों के अधीन रहते हुए, इस विधान के

आरंभ से ठीक पहले भारत के भूभाग में जितने क़ानून अमल में थे वह सब तब तक उस भूभाग में अमल में रहेंगे जब तक कोई अधिकारी क़ानून सभा या दूसरा हक़दार अधिकारी उन्हें बदल न दे या रद्द न कर दे या उनमें सुधार न कर दे.

(2) किसी ऐसे क़ानून के बन्धानों का जो भारत के भूभाग में अमल में हो इस विधान के बन्धानों के साथ मेल बिठाने के लिये, राजपति हुकुम देकर, उस क़ानून में, चाहे कुछ रद्द कर के, चाहे सुधार करके, ऐसे अनुकूलन और अदल बदल कर सकता है जो जरूरी या समयोचित हों, और यह बन्धान कर सकता है कि उस क़ानून का असर, उस तारीख से जो उस हुकुम में बताई जाय, उन अनुकूलनों और अदल बदल के अधीन होगा, और ऐसे किसी अनुकूलन या अदल बदल पर किसी अदालत में कोई सवाल नहीं उठाया जायगा.

(3) धारा (2) की किसी बात से यह नहीं समझा जायगा कि वह—

(ए) राजपति को इस विधान के आरंभ होने से दो बरस बीत जाने के बाद किसी क़ानून में कोई अनुकूलन या अदल बदल करने की शक्ति देती है; या

(बी) किसी अधिकारी क़ानून सभा या किसी दूसरे हक़दार अधिकारी को उस क़ानून के रद्द करने या उसमें सुधार करने से रोकती है जिसमें उस धारा के अधीन राजपति ने अनुकूलन या अदल बदल किये हों.

समझाव (1)—इस दफ़ा में "अमल में क़ानून" शब्दों में वह क़ानून शामिल होगा जिसे इस विधान के आरंभ से पहले भारत के भूभाग के अन्दर किसी क़ानून सभा या दूसरे हक़दार अधिकारी ने पास किया हो या बनाया हो और जो इससे पहले रद्द न कर दिया गया हो, भले ही वह क़ानून या उसके कुछ भाग उस समय बिलकुल या किन्हीं खास क्षेत्रों में अमल में न हों.

समझाव (2)—भारत के भूभाग की किसी क़ानून सभा के या किसी दूसरे हक़दार अधिकारी के पास किये हुए या बनाए हुए ऐसे किसी क़ानून का जिसका इस विधान के आरंभ से ठीक पहले भारत

के भूभाग में असर था और भूभाग-परे भी असर था, ऊपर कहे किन्हीं अनुकूलनों और अदल बदल के अधीन, वह भूभाग-परे असर जारी रहेगा.

समझाव (3)—इस दफ़ा की किसी बात का यह मतलब नहीं लिया जायगा कि वह किसी ऐसे आरज़ी क़ानून को जो अमल में हो उस तारीख के बाद भी जारी रखती है जो उसके अन्त होने के लिये तय है, या जिस तारीख पर वह क़ानून अन्त हो जाता अगर यह विधान अमल में न आया होता.

समझाव (4)—कोई राजहुकुम जो हिन्द सरकार एक्ट 1935 की दफ़ा 88 के अधीन किसी सूबे के गवरनर ने जारी किया हो, और जो इस विधान के आरंभ से ठीक पहले अमल में हो, अगर पहले ही जवाबी रियासत के रियासतपति ने उसे लौटा न लिया हो, तो विधान आरंभ होने के बाद दफ़ा 382 की धारा (1) के अधीन काम करने वाले उस रियासत के आम सदन की पहली मिलनी से छै हफ्ते बीत जाने पर अमल में नहीं रहेगा, और इस दफ़ा की किसी बात का यह मतलब नहीं लिया जायगा कि वह ऐसे किसी राजहुकुम को उस अरसे के बाद भी अमल में रखती है.

कुछ सूरतों में उन लोगों के बारे में जो रोकथामी नजरबन्दी में हैं हुकुम देने की राजपति को शक्ति

373—दफ़ा 22 की धारा (7) के अधीन राजपंचायत के कोई बन्धान करने तक, या इस विधान के आरंभ से एक बरस बीत जाने तक, जो भी पहले हो, उस दफ़ा का इस तरह असर होगा मानों उस दफ़ा की धारा (4) और धारा (7) में राजपंचायत की चरचा की जगह राजपति की चरचा की गई है और उन धाराओं में राजपंचायत के बनाए क़ानून की चरचा की जगह राजपति के दिये हुकुम की चरचा की गई है.

संघ अदालत के जजों के बारे में और संघ अदालत में या कौंसिल समेत सम्राट के सामने चालू कारवाइयों के बारे में बन्धान

374—(1) संघ अदालत के वह जज जो इस विधान के आरंभ से ठीक पहले अपने पदों पर हों, जब तक कि वह खुद कोई दूसरा फ़ैसला न कर चुके हों, विधान के आरंभ होने पर, आला अदालत के जज हो जायंगे, और उसके बाद वह वही तनखाहें और भत्ते पाने के और छुट्टी और पेनशन के बारे में उन्ही अधिकारों के हक़दार होंगे जिनका बन्धान दफ़ा 125 में आला अदालत के जजों

के बारे में किया गया है.

(2) इस विधान के आरंभ के समय संघ अदालत में दीवानी या फ़ौजदारी जो नालिशें, अपीलें और कारवाइयाँ, चालू हों वह सब वहाँ से उठ कर आला अदालत में आ जायंगी, और उन्हें सुनने और तय करने की अमलदारी आला अदालत को होगी, और इस विधान के आरंभ से पहले संघ अदालत ने जो फ़ैसले सुना दिये हों या हुकुम दिये हों उनका बल और असर वही होगा मानो वह फ़ैसले या हुकुम आला अदालत ने सुनाए या दिये हों.

(3) इस विधान की किसी बात का यह असर नहीं होगा कि वह कौंसिल समेत सम्राट के उस अमलदारी से काम लेने को ना-सरदुरुस्त ठहरा दे जो कौंसिल समेत सम्राट को भारत के भूभाग के अन्दर की किसी अदालत के किसी फ़ैसले, डिगरी या हुकुम के खिलाफ़ अपीलें और उनके बारे में प्रार्थनापत्र निपटाने की हासिल है, जहां तक कि क़ानून उस अमलदारी से काम लेने का अधिकार देता है, और ऐसे किसी अपील या प्रार्थनापत्र पर इस विधान के आरंभ के बाद कौंसिल समेत सम्राट जो कोई हुकुम दे उसका सब मतलबों के लिये वही असर होगा मानो इस विधान से आला अदालत को जो अमलदारी सौंपी गई है उससे काम लेते हुए आला अदालत ने वह हुकुम दिया है या वह डिगरी की है.

(4) इस विधान के आरंभ होने पर और उसके बाद से, पहली पट्टी के भाग (बी) में दर्ज किसी रियासत में प्रीवी कौंसिल की हैसियत से काम करने वाली किसी अधिकारी संस्था की वह अमलदारी नहीं रहेगी जो उसे उस रियासत के अन्दर किसी अदालत के किसी फ़ैसले, डिगरी या हुकुम के खिलाफ़ अपीलें या उनके बारे में प्रार्थनापत्र लेने और निपटाने की रही हो, और विधान आरंभ होने पर उस अधिकारी संस्था के सामने जो अपीलें और दूसरी कारवाइयाँ चालू होंगी वह सब आला अदालत को तबदील कर दी जायंगी और वही उन्हें निपटायगी.

(5) इस दफ़ा के बंधानों पर अमल कराने के लिये राज-पंचायत क़ानून बनाकर और भी बंधान कर सकती है.

इस विधान के बधानों के अधीन रहते हुए अदालतों, अधिकारियों और अफसरों का काम करते रहना

375—भारत के सारे भूभाग में, दीवानी, फ़ौजदारी और माली अमलदारी वाली सब अदालतें, और सब न्यायी, काजकारी और वज़ीरायती अधिकारी और अफ़सर इस विधान के बंधानों के अधीन रहते हुए अपने अपने काम करते रहेंगे.

हाईकोर्ट के जजों के बारे में बंधान

376—(1) दफ़ा 217 की धारा (2) में किसी बात के रहते भी, किसी सूबे की हाईकोर्ट के वह जज जो इस विधान के आरंभ से ठीक पहले अपने पदों पर हों, जब तक कि वह खुद कोई दूसरा फ़ैसला न कर चुके हों, विधान के आरंभ होने पर, जवाबी रियासत की हाई-कोर्ट के जज हो जायंगे, और इसके बाद वह वही तनखाहें और भत्ते पाने के और छुट्टी और पेनशन के बारे में उन्हीं अधिकारों के हक़दार होंगे जिनका बंधान उस हाईकोर्ट के जजों के बारे में दफ़ा 221 में किया गया है.

(2) पहली पट्टी के भाग (बी) में दर्ज किसी रियासत की जवाबी देसी रियासत की हाईकोर्ट के जो जज इस विधान के आरंभ से ठीक पहले अपने पदों पर हों, जब तक कि वह खुद कोई दूसरा फ़ैसला न कर चुके हों, विधान आरंभ होने पर, इस तरह दर्ज रियासत की हाईकोर्ट के जज हो जायंगे, और दफ़ा 217 की धारा (1) और (2) में किसी बात के रहते भी, पर उस दफ़ा की धारा (1) की शर्त के अधीन रहते हुए, वह उस अरसे के बीत जाने तक पद पर रहेंगे जो राजपति हुकुम देकर तय कर दे.

(3) इस दफ़ा में "जज" शब्द में कारकर जज या अधिक जज शामिल नहीं हैं.

भारत के दाबअफ़सर और सरपड़तालिया के बारे में बन्धान

377—हिन्द का वह सरपड़तालिया जो इस विधान के आरंभ से ठीक पहले अपने पद पर हो, जबतक कि वह खुद कोई दूसरा फ़ैसला न कर चुका हो, विधान के आरंभ होने पर भारत का दाब अफ़सर और सरपड़तालिया हो जायगा, और उसके बाद वह वही तनखाहें पाने का और छुट्टी और पेनशन के बारे में उन्ही अधिकारों का हक़दार होगा जिनका बन्धान दफ़ा 148 की धारा (3) में भारत के दाब अफ़सर और सरपड़तालिया के बारे में किया गया है, और वह अपनी उस पद-मियाद के बीत

जाने तक पद पर रहने का हक़दार होगा, जो पद-मियाद उन बन्धानों के अधीन तय की गई हो जो विधान के आरंभ से ठीक पहले उस पर लागू होते थे.

सरकारी नौकरी कमीशनों के बारे में बन्धान

378—(1) हिन्द डोमिनियन के सरकारी नौकरी कमीशन के वह मेम्बर जो इस विधान के आरंभ से ठीक पहले अपने पदों पर हों, जब तक कि वह खुद कोई दूसरा फ़ैसला न कर चुके हों, विधान के आरंभ होने पर यूनियन के सरकारी नौकरी कमीशन के मेम्बर हो जायंगे, और दफ़ा 316 की धारा (1) और (2) में किसी बात के रहते भी, पर इस दफ़ा की धारा (2) की शर्त के अधीन रहते हुए, अपनी उस पद-मियाद के बीत जाने तक पद पर रहेंगे जो पद-मियाद उन नियमों के अधीन तय की गई हो जो विधान आरंभ होने से ठीक पहले उन मेम्बरों पर लागू होते थे.

(2) किसी सूबे के सरकारी नौकरी कमीशन के वह मेम्बर या सूबों के किसी गुट की ज़रूरतें पूरी करने वाले सरकारी नौकरी कमीशन के वह मेम्बर जो, इस विधान के आरंभ से ठीक पहले, अपने पदों पर हों, जब तक कि वह खुद कोई दूसरा फ़ैसला न कर चुके हों, विधान के आरंभ होने पर जवाबी रियासत के सरकारी नौकरी कमीशन के मेम्बर या जवाबी रियासतों की ज़रूरतें पूरी करने वाले मिले-जुले रियासत सरकारी नौकरी कमीशन के मेम्बर, जैसी सूरत हो, हो जायंगे, और दफ़ा 316 की धारा (1) और (2) में किसी बात के रहते भी, पर उस दफ़ा की धारा (2) की शर्त के अधीन रहते हुए, अपनी उस पद-मियाद के बीत जाने तक पद पर रहेंगे जो पद-मियाद उन नियमों के अधीन तय की गई हो जो विधान आरंभ होने से ठीक पहले उन मेम्बरों पर लागू होते थे.

कामचलाऊ राजपंचायत के और उसके सभामुख और उप-सभामुख के बारे में बंधान

379—(1) जब तक इस विधान के बंधानों के अधीन राजपंचायत के दोनों सदन क़ायदे से न बन जायं और उन्हें पहले इजलास के लिये मिलने को न बुलाया जाय, तब तक वह संस्था जो इस विधान के आरंभ से ठीक पहले हिन्द डोमिनियन की विधान सभा की हैसियत से काम कर रही थी कामचलाऊ राजपंचायत हो जायगी, और उन सब शक्तियों से काम लेगी, और उन सब

फ़रज़ों को पूरा करेगी, जो इस विधान के बंधानों से राजपंचायत को सौंपे गए हैं.

समझाव—इस धारा के मतलबों के लिये हिन्द डोमिनियन की विधान सभा में—

(एक) वह मेम्बर जो किसी ऐसी रियासत या दूसरे भूभाग का प्रतिनिधान करने के लिये चुने गए हैं जिसके प्रतिनिधान का बन्धान धारा (2) में किया गया है, और

(दो) वह मेम्बर जो उस सभा में औसरी सूनियां भरने के लिये चुने गए हैं,

शामिल हैं.

(2) राजपति नियम बनाकर—

(ए) धारा (1) के अधीन काम करने वाली कामचलाऊ राजपंचायत में, किसी ऐसी रियासत या दूसरे भूभाग के प्रतिनिधान का, जिसका इस विधान के आरंभ से ठीक पहले हिन्द डोमिनियन की विधान सभा मे कोई प्रतिनिधि नहीं था,

(बी) उस ढंग का जिस ढंग पर कामचलाऊ राजपंचायत में ऐसी रियासतों या दूसरे भूभागों के प्रतिनिधि चुने जायंगे, और

(सी) उन जोगताओं का जो ऐसे प्रतिनिधियों में होनी चाहियें,

बन्धान कर सकता है.

(3) अगर हिन्द डोमिनियन की विधान सभा का कोई मेम्बर, अक्तूबर सन् 1949 के छटे दिन या उसके बाद इस विधान के आरंभ से पहले किसी समय भी, किसी गवरनरी सूबे की क़ानून सभा के किसी सदन का, या पहली पट्टी के भाग (बी) में दर्ज किसी रियासत की जवाबी देसी रियासत की क़ानून सभा के किसी सदन का, मेम्बर था, या ऐसी किसी रियासत का कोई वज़ीर था, तो इस विधान के आरंभ होने के बाद से ही विधान सभा में उस मेम्बर की सीट सूनी हो जायगी, जब तक कि इससे पहले ही विधान सभा की उसकी मेम्बरी खतम न हो गई हो, और हर ऐसी

सूनी को औसरी सूनी समझा जायगा.

(4) इस बात के होते भी कि हिन्द डोमिनियन की विधान सभा में ऐसी कोई सूनी जो धारा (3) में बताई गई है उस धारा के अधीन अभी पैदा नहीं हुई है, उस सूनी को भरने के लिये इस विधान के आरंभ से पहले ही क़दम उठाए जा सकते हैं, पर ऐसी सूनी को भरने के लिये विधान के आरंभ से पहले जो आदमी चुना जायगा वह उस सभा में अपनी सीट लेने का तब तक हक़दार नहीं होगा जब तक वह सूनी इस तरह पैदा न हो गई हो.

(5) कोई आदमी जो इस विधान के आरंभ से ठीक पहले विधान सभा के सभामुख या उप-सभामुख के पद पर हो, उस समय जब कि विधान सभा हिन्द सरकार एक्ट 1935 के अधीन डोमिनियन क़ानून सभा की हैसियत से काम कर रही थी, विधान आरंभ होने पर, धारा (1) के अधीन काम करने वाली कामचलाऊ राजपंचायत का सभामुख या उप-सभामुख, जैसी सूरत हो, हो जायगा.

राजपति के बारे में बंधान

380—(1) वह आदमी जिसको हिन्द डोमिनियन की विधान सभा ने इस काम के लिये चुना होगा उस समय तक के लिये भारत का राजपति होगा जब तक कि भाग पांच के खंड एक में दिये बंधानों के अनुसार कोई राजपति न चुना जाय और वह अपना पद न संभाल ले.

(2) हिन्द डोमिनियन की विधान सभा ने जिस आदमी को इस तरह राजपति चुना हो, उसके मर जाने, इस्तीफा देने या हटाए जाने या किसी दूसरे कारन से उसका पद सूना हो जाने की सूरत मे, उस सूनी को वह आदमी भरेगा जिसको दफ़ा 379 के अधीन काम करने वाली कामचलाऊ राजपंचायत इस काम के लिये चुने, और जब तक कोई आदमी इस तरह नहीं चुना जाता तब तक भारत का सर जज राजपति का काम करेगा.

राजपति का वज़ीर मंडल

381—वह आदमी जिनको राजपति इस काम के लिये नियोजे, इस विधान के अधीन राजपति के वजीर मंडल के मेम्बर हो जायंगे और जब तक इस तरह के नियोजन नहीं किये जाते तब तक वह

सब आदमी जो इस विधान के आरंभ से ठीक पहले हिन्द डोमिनियन के वज़ीरों की हैसियत से अपने पद पर थे, विधान आरंभ होने पर, विधान के अधीन राजपति के वज़ीर मंडल के मेम्बर हो जायंगे और अपने पदों पर बने रहेंगे.

पहली पट्टी के भाग (ए) की रियासतों के लिये काम चलाऊ क़ानून सभाओं के बारे में बंधान

382—(1) पहली पट्टी के भाग (ए) में दर्ज हर रियासत की कानून सभा का सदन या उसके दोनों सदन जब तक इस विधान के बंधानों के अधीन क़ायदे से न बन जायं और उस सदन को या उन सदनों को पहले इजलास के लिये मिलने को न बुलाया जाय, तब तक जवाबी सूबे की क़ानून सभा का वह सदन या उसके वह सदन जो इस विधान के आरंभ से ठीक पहले काम कर रहा था या कर रहे थे, उन शक्तियों से काम लेगा या लेंगे और उन फ़रज़ों को पूरा करेगा या करेंगे जो इस विधान के बंधानों से उस रियासत की क़ानून सभा के सदन या सदनों को सौंपे गए हैं.

(2) धारा (1) में किसी बात के रहते भी, जहाँ कहीं इस विधान के आरंभ से पहले किसी सूबे के आम सदन (लेजिस्लेटिव एसेम्बली) के फिर से बनने के लिये आम चुनाव का हुकुम दिया जा चुका है, वहाँ विधान के आरंभ के बाद वह चुनाव इस तरह पूरा किया जा सकता है मानो यह विधान अमल में आया ही न हो, और जो आम सदन इस तरह फिर से बने वह उस धारा के मतलबों के लिये उस सूबे का आम सदन समझा जायगा.

(3) कोई आदमी जो इस विधान के आरंभ से ठीक पहले किसी सूबे के आमसदन (लेजिस्लेटिव एसेम्बली) के सभामुख या उप-सभामुख या खास सदन (लेजिस्लेटिव कौंसिल) के सदर या नायब सदर के पद पर हो, इस विधान के आरंभ पर, पहली पट्टी के भाग (ए) में दर्ज जवाबी रियासत के आम सदन का सभामुख या उप-सभामुख या खास सदन का मसनदी या उप-मसनदी, जैसी सूरत हो, होगा, जब तक कि वह आम सदन या खास सदन धारा (1) के अधीन काम करे:

शर्तें कि जहाँ इस विधान के आरंभ से पहले किसी सूबे के आम सदन के फिर से बनने के लिये आम चुनाव का हुकुम दे दिया गया

है और इस तरह फिर से बने आम सदन की पहली मिलनी विधान आरंभ होने के बाद होती है तो इस धारा के बंधान लागू नहीं होंगे, और इस तरह फिर से बना आम सदन अपने दो मेम्बरों को अलग अलग सदन का सभामुख और उप-सभामुख चुन लेगा.

सूबों के गवरनरों के बारे में बंधान

383—कोई आदमी जो इस विधान के आरंभ से ठीक पहले किसी सूबे के गवरनर के पद पर हो, विधान आरंभ होने पर पहली पट्टी के भाग (ए) में दर्ज जवाबी रियासत का रियासतपति होगा, जब तक कि भाग छै के खंड दो के बंधानों के अनुसार नए रियासतपति का नियोजन न हो जाय और वह अपना पद न संभाल ले.

रियासतपतियों के वज़ीर मंडल

384—वह आदमी जिनको किसी रियासत का रियासतपति इस काम के लिये नियोजे इस विधान के अधीन रियासतपति के वज़ीर मंडल के मेम्बर हो जायंगे और जब तक इस तरह नियोजन नहीं किये जाते तब तक वह सब आदमी जो इस विधान के आरंभ से ठीक पहले जवाबी सूबे के वज़ीरों के पद पर थे, विधान आरंभ होने पर इस विधान के अधीन उस रियासत के रियासतपति के वज़ीर मंडल के मेम्बर हो जायंगे और अपने पदों पर बने रहेंगे.

पहली पट्टी के भाग (बी) की रियासतों में काम-चलाऊ क़ानून सभाओं के बारे में बन्धान

385—जब तक पहली पट्टी के भाग (बी) में दर्ज किसी रियासत की क़ानून सभा का सदन या दोनों सदन इस विधान के बन्धानों के अधीन क़ायदे से न बन जायं और पहले इजलास के लिये मिलने को न बुलाए जायं, तब तक वह संस्था या अधिकारी जो इस विधान के आरंभ से ठीक पहले जवाबी देसी रियासत की क़ानून सभा की हैसियत से काम कर रही थी या कर रहा था उन शक्तियों से काम लेगी या लेगा और वह फ़रज़ पूरे करेगी या करेगा जो इस तरह दर्ज रियासत की क़ानून सभा के सदन या सदनों को इस विधान के बन्धानों से सौंपे गए हैं.

पहली पट्टी के भाग (बी) की रियासतों के लिये वज़ीर मंडल

386—वह आदमी, जिनको पहली पट्टी के भाग (बी) में दर्ज किसी रियासत का राजप्रमुख इस काम के लिये नियोजे, इस विधान के अधीन उस राजप्रमुख के वज़ीर मंडल के मेम्बर हो जायंगे, और जब तक इस तरह के नियोजन नहीं किये जाते तब तक वह सब

आदमी जो इस विधान के आरंभ से ठीक पहले जवाबी देसी रियासत के वजीरों के पद पर थे, विधान आरंभ होने पर, इस विधान के अधीन, उस राजप्रमुख के वजीर मंडल के मेम्बर हो जायंगे और अपने पदों पर बने रहेंगे.

कुछ चुनावों के मतलबों के लिये आबादी तय करने के बारे में खास बन्धान

387—इस विधान के आरंभ से तीन बरस के अरसे के अन्दर, इस विधान के बंधानों में से किसी के अधीन होने वाले चुनावों के मतलबों के लिये, भारत की या उसके किसी भाग की आबादी, इस विधान में किसी बात के रहते भी, उस ढंग से तय की जा सकती है जिसका राजपति हुकुम दे कर निर्देश करे, और ऐसे हुकुम में अलग अलग रियासतों के लिये और अलग अलग मतलबों के लिये अलग अलग बंधान किये जा सकते हैं.

कामचलाऊ राजपंचायत में और रियासतों की कामचलाऊ क़ानून सभाओं में औसरी सूनियों को भरने के बारे में बन्धान

388—(1) दफ़ा 379 की धारा (1) के अधीन काम करने वाली कामचलाऊ राजपंचायत के मेम्बरों की सीटों में औसरी सूनियों का भरा जाना, जिनमें उस दफ़ा की धारा (3) और (4) में जिन सूनियों की चरचा की गई है वह शामिल होंगी, और उन सूनियों को भरने के संबंध में सब मामलों की क़ायदाबन्दी (जिनमें ऐसी सूनियों को भरने के चुनावों से पैदा होने वाली या उनके संबंध में शंकाओं और झगड़ों का फ़ैसला शामिल है)—

(ए) उन नियमों के अनुसार होगी जो राजपति इस काम के लिये बनाए, और

(बी) जब तक इस तरह नियम नहीं बनते तब तक उन नियमों के अनुसार होगी जो, हिन्द डोमिनियन की विधान सभा में, औसरी सूनियों को भरने और उससे संबंध रखने वाले मामलों के बारे में, इन सूनियों को भरने के समय या इस विधान के आरंभ से ठीक पहले, जैसी सूरत हो, अमल में हों, उन नियमों में ऐसे अपवादों और अदल बदल का ध्यान रखते हुए जो विधान के आरंभ से पहले विधान सभा का सदर और उसके बाद भारत का राजपति उन में कर दे :

शर्तें कि जहाँ ऐसी किसी सीट पर, जिसकी चरचा इस धारा में

की गई है, सूनी होने से ठीक पहले, किसी सूबे का या जैसी सूरत हो पहली पट्टी के भाग (ए) में दर्ज किसी रियासत का कोई प्रतिनिधि किसी पट्टी-दर्ज जाति का या मुसलिम समाज का या सिख समाज का हो वहां जब तक विधान सभा का सदर या भारत का राजपति, जैसी सूरत हो, दूसरी तरह का बन्धान करना जरूरी या समयोचित न समझे तब तक उस सीट को भरने वाला आदमी उसी समाज का होगा :

और शर्तें कि पहली पट्टी के भाग (ए) में दर्ज किसी रियासत के या किसी सूबे के प्रतिनिधि की सीट की ऐसी किसी सूनी को भरने के लिये जो चुनाव किया जाय उसमें उस सूबे के, या उस जवाबी रियासत के, या उस रियासत के, जैसी सूरत हो, आम सदन का हर मेम्बर भाग लेने और वोट देने का हक़दार होगा;

समझाव—इस धारा के मतलबों के लिये—

(ए) उन सब जातों, नसलों या क़बीलों को, या उन जातों, नसलों या क़बीलों के भागों को, या उनके अन्दर के गिरोहों को, जिनको हिन्द सरकार (पट्टी दर्ज जातें) हुकुम, 1936, में, किसी सूबे के संबंध में पट्टी-दर्ज जातें बताया गया है, उस सूबे के या उसकी जवाबी रियासत के संबंध में तब तक पट्टी-दर्ज जातें समझा जायगा जब तक कि राजपति ने दफ़ा 341 की धारा (1) के अधीन एक नोटिस जारी न कर दिया हो जिसमें उस जवाबी रियासत के संबंध की पट्टी-दर्ज जातें बता दी गई हों;

(बी) किसी सूबे या रियासत में सारी पट्टी दर्ज जातों को एक समाज समझा जायगा.

(2) दफ़ा 382 या दफ़ा 385 के अधीन काम करने वाली किसी रियासत की क़ानून सभा के किसी सदन के मेम्बरों की सीटों में औसरी सूनियों को उन बंधानों के अनुसार भरा जायगा और ऐसी सूनियों को भरने के संबंध के सब मामलों की (जिनमें ऐसी सूनियों को भरने के चुनावों से पैदा होने वाली या उनके संबंध में शंकाओं और झगड़ों का फ़ैसला शामिल है) क़ायदाबन्दी

उन बन्धानों के अनुसार की जायगी जिनके अधीन ऐसी सूनियां भरी जाती थीं और जिनसे ऐसे मामलों की क़ायदाबन्दी होती थी, और जो इस विधान के आरंभ से ठीक पहले अमल में थे, पर उन अपवादों और अदल बदल का ध्यान रखते हुए जिनका राजपति हुकुम दे कर निर्देश कर दे.

डोमिनियन क़ानून सभा में और सूबों और देसी रियासतों की क़ानून सभाओं में पेश बिलों के बारे में बन्धान

389—कोई बिल जो इस विधान के आरंभ से ठीक पहले हिन्द डोमिनियन की क़ानून सभा में या किसी सूबे या देसी रियासत की क़ानून सभा में पेश था, इस बात के ख़िलाफ़ किसी ऐसे बन्धान का ध्यान रखते हुए जो इस विधान के अधीन राजपंचायत के या जवाबी रियासत की क़ानून सभा के बनाए नियमों में शामिल हो, राजपंचायत में या जवाबी रियासत की क़ानून सभा में, जैसी सूरत हो, उसी तरह चालू रह सकता है मानो हिन्द डोमिनियन की क़ानून सभा में या उस सूबे या उस देसी रियासत की क़ानून सभा में उस बिल के सम्बन्ध में जो कारवाइयां की गई थीं वह राजपंचायत में या जवाबी रियासत की क़ानून सभा में की गई हों.

विधान के आरंभ और 31 मार्च सन् 1950 के बीच जो रकमें मिलें या जुटाई जायं या जो खर्च किया जाय

390—इस विधान के जो बन्धान भारत के मूठकोश या किसी रियासत के मूठकोश से संबंध रखते हैं, और जो इनमें से किसी कोश से रक़मों को खर्चे की मदों में डालने से संबंध रखते हैं वह उन रक़मों के या उस खर्चे के संबंध में नहीं लागू होंगे जो रक़में भारत सरकार को या किसी रियासत की सरकार को इस विधान के आरंभ और मार्च सन् 1950 के इकतीसवें दिन के बीच, इन दोनों दिनों को लेकर, मिलें, या जिन्हें वह जुटावे, या जो खर्च वह करे, और इस अरसे में जो खर्च किया जायगा वह क़ायदे से अधिकारा हुआ समझा जायगा अगर वह खर्चा अधिकारे खर्चे की किसी ऐसी पट्टी में दर्ज था जिसको हिन्द सरकार एक्ट, 1935, के बंधानों के अनुसार हिन्द डोमिनियन के गवरनर जनरल ने या जवाबी सूबे के गवरनर ने सही कर दिया था, या ऐसा खर्चा है जिसे उस रियासत के राजप्रमुख ने उन नियमों के अनुसार अधिकारा है जो नियम इस विधान के आरंभ से ठीक पहले जवाबी देसी रियासत

की मालगुज़ारी में से ख़र्चा अधिकारे जाने पर लागू थे.

कुछ जोगाजोगों में राजपति को पहली और चौथी पट्टियों में सुधार करने की शक्ति

391—(1) अगर इस विधान के पास होने और उसके आरंभ होने के बीच किसी समय, हिन्द सरकार एक्ट, 1935, के बंधानों के अधीन कोई ऐसी कारवाई की जाय जिससे राजपति की राय में पहली पट्टी और चौथी पट्टी में कोई सुधार दरकार हो, तो राजपति, इस विधान में किसी बात के रहते भी, हुकुम देकर उन पट्टियों में इस तरह के सुधार कर सकता है जो उस कारवाई पर अमल कराने के लिये ज़रूरी हों, और ऐसे किसी हुकुम में ऐसे पूरक, प्रसंगी और परिनामी बंधान भी हो सकते हैं जिन्हें राजपति ज़रूरी समझे.

(2) जब पहली पट्टी या चौथी पट्टी में इस तरह सुधार हो जाय, तो इस विधान में उस पट्टी की जहां कहीं चरचा की गई है उससे यह मतलब लिया जायगा कि वह इस तरह सुधारी हुई पट्टी की ही चरचा है.

कठिनाइयों को दूर करने की राजपति की शक्ति

392—(1) राजपति किन्हीं कठिनाइयों को दूर करने के मतलब से, खासकर उन कठिनाइयों को जो हिन्द सरकार एक्ट 1935 के बन्धानों से हटकर इस विधान के बन्धानों तक आने से संबंध रखती हैं, हुकुम देकर निर्देश कर सकता है कि उस अरसे के दौरान में, जो उस हुकुम में बताया जाय, इस विधान पर उन अनुकूलनों के अधीन अमल होगा जिन्हें राजपति ज़रूरी या समयोचित समझे, चाहे उन अनुकूलनों के ज़रिये इस विधान में कुछ अदल बदल की गई हो, या जोड़ा गया हो, या छोड़ दिया गया हो:

शर्तें कि भाग पाँच के खंड दो के अधीन क़ायदे से बनी राजपंचायत की पहली मिलनी के बाद इस तरह का कोई हुकुम नहीं दिया जायगा.

(2) हर हुकुम जो धारा (1) के अधीन दिया जाय राजपंचायत के सामने रखा जायगा.

(3) इस दफ़ा से, दफ़ा 324 से, दफ़ा 367 की धारा (3) से और दफ़ा 391 से जो शक्तियां राजपति को सौंपी गई हैं उनसे इस विधान के आरंभ से पहले हिन्द डोमिनियन का गवरनर जनरल काम ले सकेगा.

भाग बाईस

छोटा सरनामा, आरंभ, और रद्द

छोटा सरनामा

393—इस विधान को भारत का विधान कहा जाय

आरम्भ

394—यह दफ़ा और दफ़ा 5, 6, 7, 8, 9, 60, 324, 366, 367, 379, 380, 388, 391, 392 और 393 फ़ौरन अमल में आ जायंगी, और इस विधान के बाक़ी बंधान जनवरी सन 1950 के छब्बीसवें दिन अमल में आयंगे; उस दिन की, इस विधान में, इस विधान का आरंभ कह कर चरचा की गई है.

रद्द

395—हिन्द आजादी एक्ट 1947, और हिन्द सरकार एक्ट 1935, उन सब क़ानूनों के साथ जो हिंद सरकार एक्ट 1935 में सुधार करते हैं, या उसके पूरक हैं, इस दफ़ा से रद्द किये जाते हैं, पर उन क़ानूनों में प्रीवी कौंसिल अमलदारी अन्त एक्ट, 1949, शामिल नहीं है.

पहली पट्टी

(दफ़ा 1, 4 और 391)

भारत की रियासतें और उसके भूभाग

भाग (ए)

रियासतों के नाम	जवाबी सूबों के नाम
1. आसाम	आसाम
2. बिहार	बिहार
3. बम्बई	बम्बई
4. मध्यप्रदेश	मध्य प्रान्त और बरार
5. मद्रास	मद्रास
6. उड़ीसा	उड़ीसा
7. पंजाब	पूरब पंजाब
8. युक्त प्रान्त❀	युक्त प्रान्त
9. पच्छिम बंगाल	पच्छिम बंगाल

रियासतों के भूभाग

आसाम रियासत के भूभाग में वह भूभाग शामिल होंगे जो इस विधान के आरंभ से ठीक पहले आसाम के सूबे, खासी रियासतों और आसाम क़बायली छेत्रों में शामिल थे.

पच्छिम बंगाल की रियासत के भूभाग में वह भूभाग शामिल होगा जो इस विधान के आरंभ से ठीक पहले पच्छिम बंगाल के सूबे में शामिल था.

इस भाग की दूसरी रियासतों में से हर एक के भूभाग में वह भूभाग शामिल होंगे जो इस विधान के आरंभ से ठीक पहले जवाबी सूबे में और उन भूभागों में शामिल थे जिनका शासन हिन्द सरकार एक्ट 1935 की दफ़ा 290 (ए) के अधीन बने हुक्म की रू से विधान के आरंभ से ठीक पहले इस तरह किया जाता था मानो वह उस सूबे के भाग हैं.

❀ अब उत्तर प्रदेश

भाग (बी)

रियासतों के नाम

1. हैदराबाद
2. जम्मू और काशमीर
3. मध्य भारत
4. मैसूर
5. पटियाला और पूरब पंजाब रियासत यूनियन
6. राजस्थान
7. सौराष्ट्र
8. ट्रावनकोर - कोचीन
9. विन्ध्य प्रदेश

रियासतों के भूभाग

इस भाग की रियासतों में से हर एक के भूभाग मे वह भूभाग शामिल होगा जो इस विधान के आरंभ से ठीक पहले जवाबी देसी रियासत में शामिल था, और—

(ए) राजस्थान और सौराष्ट्र रियासतों में से हर एक की सूरत में उनमें वह भूभाग भी शामिल होंगे जिनका शासन विधान के आरंभ से ठीक पहले जवाबी देसी रियासत की सरकार, चाहे सूबा-परे अमलदारी एक्ट 1947 के बन्धानों के अधीन, या दूसरी तरह, करती थी ; और

(बी) मध्यभारत रियासत की सूरत में उसमें वह भूभाग भी शामिल होगा जो विधान के आरंभ से ठीक पहले चीफ कमिश्नर के सूबे पंथ पिपलोदा में शामिल था.

भाग (सी)

रियासतों के नाम

1. अजमेर
2. भोपाल
3. बिलासपुर

4. कूच बिहार
5. कुर्ग
6. दिल्ली
7. हिमाचल प्रदेश
8. कच्छ
9. मनीपुर
10. त्रिपुरा

रियासतों के भूभाग

अजमेर, कुर्ग और दिल्ली रियासतों में से हर एक के भूभाग में वह वह भूभाग शामिल होगा जो, इस विधान के आरंभ से ठीक पहले, अजमेर-मेरवाड़ा, कुर्ग और दिल्ली के चीफ़ कमिश्नरी सूबों में अलग अलग शामिल था.

इस भाग की दूसरी रियासतों में से हर एक के भूभाग में वह वह भूभाग शामिल होगे जिनका शासन, हिन्द सरकार एक्ट 1935 की दफ़ा 290 (ए) के अधीन बने हुकुम की रू से, इस विधान के आरंभ से ठीक पहले, इस तरह किया जाता था मानो वह भूभाग उसी नाम का चीफ़ कमिश्नरी सूबा है.

भाग (डी)

अन्दमान और निकोबार टापू.

दूसरी पट्टी

[दफ़ा 59 (3), 65 (3), 75 (6), 97, 125, 148 (3), 158 (3), 164 (5), 186 और 221]

भाग (ए)

राजपति के और पहली पट्टी के भाग (ए) में दर्ज रियासतों के रियासतपतियों के बारे में बंधान

1—राजपति को और पहली पट्टी के भाग (ए) में दर्ज रियासतों के रियासतपतियों को हर महीने नीचे लिखे वेतन दिये जायंगे, यानी—

राजपति ··························10,000 रुपए

रियासत का रियासतपति··········5,500 रुपए

2—राजपति को और इस तरह दर्ज रियासतों के रियासतपतियों को वह भत्ते भी दिये जायंगे जो, इस विधान के आरंभ से ठीक पहले, हिन्द डोमिनियन के गवरनर जनरल को और जवाबी सूबों के गवरनरों को अलग अलग देने होते थे.

3—राजपति और ऐसी रियासतों के रियासतपति अपनी अपनी पद-मियाद भर में उन्हीं निजनियमों के हक़दार होंगे जिनके गवरनर जनरल और जवाबी सूबों के गवरनर अलग अलग इस विधान के आरंभ से ठीक पहले हक़दार थे.

4—जब उप-राजपति या कोई दूसरा आदमी राजपति के कामों को निभार रहा हो, या राजपति की जगह काम कर रहा हो, या कोई आदमी रियासतपति के कामों को निभार रहा हो, तो वह उन्हीं वेतनों, भत्तों और निजनियमों का हक़दार होगा जिनका वह राजपति या वह रियासतपति हक़दार था जिसके कामों को वह निभार रहा है या जिसकी जगह वह काम कर रहा है, जैसी सूरत हो.

भाग (बी)

यूनियन के और पहली पट्टी के भाग (ए) और भाग (बी) की रियासतों के वज़ीरों के बारे में बंधान

5—यूनियन के प्रधान वजीर को और दूसरे वजीरों में से हर एक को वह तनखाहें और भत्ते दिये जायंगे जो इस विधान के आरंभ से ठीक पहले हिन्द डोमिनियन के प्रधान वजीर को और दूसरे वजीरों में से हर एक को अलग अलग देने होते थे.

6—पहली पट्टी के भाग (ए) या भाग (बी) में दर्ज हर रियासत के वजीरों को वह तनखाहें और भत्ते दिये जायंगे जो इस विधान के आरंभ से ठीक पहले जवाबी सूबे या जवाबी देसी रियासत के वजीरों को, जैसी सूरत हो, देने होते थे.

भाग (सी)

लोक सदन के सभामुख और उप-सभामुख, रियासतसदन के मसनदी और उप-मसनदी, पहली पट्टी के भाग (ए) की हर रियासत के आमसदन के सभामुख और उप-सभामुख, और ऐसी हर रियासत के खास सदन के मसनदी और उप-मसनदी के बारे में बंधान

7—लोक सदन के सभामुख और रियासत सदन के मसनदी को वह तनखाहें और भत्ते दिये जायंगे जो इस विधान के आरंभ से ठीक पहले हिन्दडोमिनियन की विधानसभा के सभामुख को देने होते थे, और लोक सदन के उप-सभामुख और रियासत सदन के उप-मसनदी को वह तनखाहें और भत्ते दिये जायंगे जो विधान आरंभ होने से ठीक पहले हिन्द डोमिनियन की विधान सभा के उप-सभामुख को देने होते थे.

8—पहली पट्टी के भाग (ए) में दर्ज हर रियासत के आम सदन के सभामुख और उप-सभामुख को और उस रियासत के खास सदन के मसनदी और उप-मसनदी को वह तनखाहें और भत्ते दिये जायंगे जो इस विधान के आरंभ से ठीक पहले जवाबी सूबे के आम सदन (लेजिस्लेटिव एसेम्बली) के सभामुख और उप-सभा-

मुख को और खाससदन (लेजिस्लेटिव कौंसिल) के सदर और नायब सदर को अलग अलग देने होते थे, और जहाँ विधान आरंभ होने से ठीक पहले जवाबी सूबे में लेजिस्लेटिव कौंसिल नहीं थी वहां उस रियासत के खास सदन के मसनदी और उप-मसनदी को वह तनखाहें और भत्ते दिये जायंगे जो उस रियासत का रियासतपति तय करे.

भाग (डी)

आला अदालत के जजों के बारे में और पहली पट्टीके भाग (ए) की रियासतों की हाईकोर्टों के जजों के बारे में बंधान

9—(1) आला अदालत के जजों को, जितने दिनों वह असल नौकरी पर रहें उतने दिनों के बारे में, हर महीने नीचे लिखी दर से तनखाह दी जायगी, यानी —

सरजज ·························· 5, 000 रुपए

हर दूसरा जज ······················ 4, 000 रुपए

शर्तें कि अगर आला अदालत के किसी जज को उसके नियोजन के समय, हिन्द सरकार के अधीन, या उस जगह उससे पहले की सरकारों में से किसी के अधीन, या किसी रियासत की सरकार के अधीन, या उस जगह उससे पहले की सरकारों में से किसी के अधीन, किसी पहले की नौकरी के बारे में, (अपाहिजी पेनशन या घायल पेनशन को छोड़ कर) कोई पेनशन मिलती हो तो आला अदालत की नौकरी की उसकी तनखाह में से उस पेनशन की रक़म के बराबर रक़म कम कर दी जायगी.

(2) आला अदालत का हर जज, बिना किराया दिये, सरकारी मकान के इस्तेमाल का हक़दार होगा.

(3) इस पैरा के उप-पैरा (2) की कोई बात किसी ऐसे जज पर, जो इस विधान के आरंभ से ठीक पहले,—

(ए) संघ अदालत के सरजज के पद पर था और विधान आरंभ होने पर दफ़ा 374 की धारा (1) के अधीन आला अदालत का सरजज हो गया है, या

(बी) संघ अदालत के किसी दूसरे जज की हैसियत से पद पर

था और विधान आरंभ होने पर उस धारा के अधीन आला अदालत का (सर जज को छोड़कर कोई दूसरा) जज हो गया है,

उस अरसे के दौरान में जब वह इस तरह के सरजज या दूसरे जज की हैसियत से पद पर रहे, लागू न होगी, और हर वह जज, जो इस तरह आला अदालत का सरजज या दूसरा जज हो जाय, उतने दिनों के बारे में जितने दिन वह सरजज या दूसरे जज की हैसियत से, जैसी सूरत हो, जितने दिन वह असल नौकरी पर रहे, इस पैरा के उप-पैरा (1) में बताई तनखाह के अलावा एक खास तनखाह के रूप में वह रक़म पाने का हक़दार होगा जो इस तरह बताई तनखाह और इस विधान के आरंभ से ठीक पहले उसे मिलने वाली तनखाह के फ़रक़ के बराबर है.

(4) आला अदालत का हर जज भारत के भूभाग के अन्दर सरकारी काम पर सफ़र करने में जो खर्च करेगा उसको पूरा करने के लिये उसे वह उचित भत्ते मिलेंगे और सफ़र के संबंध में उसे वह उचित सुविधाएँ दी जायंगी जो राजपति समय समय पर तय करे.

(5) आला अदालत के जजों को छुट्टी (छुट्टी के भत्तों समेत) और पेनशन के बारे में अधिकार उन बंधानों के अधीन रहेंगे जो इस विधान के आरंभ होने से ठीक पहले संघ अदालत के जजों पर लागू थे.

10—(1) पहली पट्टी के भाग (ए) में दर्ज हर रियासत की हाई-कोर्ट के जजों को जितने दिनों वह असल नौकरी पर रहें, उतने दिनों के बारे में हर महीने नीचे लिखी दर से तनखाहें दी जायंगी यानी —

सरजज	...	...	...	4,000 रुपए
हर दूसरा जज	...	...	...	3,000 रुपए

(2) हर वह आदमी जो इस विधान के आरंभ से ठीक पहले—

(ए) किसी सूबे में किसी हाईकोर्ट के सरजज के

पद पर था और विधान आरंभ होने पर दफ़ा 376 की धारा (1) के अधीन जवाबी रियासत की हाईकोर्ट का सरजज हो गया है, या

(बी) किसी सूबे में किसी हाईकोर्ट के किसी दूसरे जज के पद पर था और विधान आरंभ होने पर उस धारा के अधीन जवाबी रियासत में हाईकोर्ट का (सरजज को छोड़कर) कोई जज हो गया है,

अगर विधान आरंभ होने से ठीक पहले वह इस पैरा के उप-पैरा (1) में बताई दर से अधिक तनख़ाह पा रहा था तो, सरजज की या किसी दूसरे जज की हैसियत से, जैसी सूरत हो, जितने दिनों वह असल नौकरी पर रहे उतने दिनों के बारे में, उस उप-पैरा में बताई तनख़ाह के अलावा ख़ास तनख़ाह के रूप में वह रक़म पाने का हक़दार होगा जो इस तरह बताई तनख़ाह और विधान आरंभ होने से ठीक पहले उसे मिलने वाली तनखाह के फ़रक़ के बराबर है.

(3) हाईकोर्ट का हर जज भारत के भूभाग के अन्दर सरकारी काम पर सफ़र करने में जो खर्च करेगा उसको पूरा करने के लिये उसे वह उचित भत्ते मिलेंगे और सफ़र के संबंध में उसे वह उचित सुविधाएँ दी जायंगी जो राजपति समय समय पर तय करे.

(4) किसी रियासत की हाईकोर्ट के जजों को छुट्टी (छुट्टी के भत्तों समेत) और पेनशन के बारे में अधिकार उन बंधानों के अधीन रहेंगे जो इस विधान के आरंभ से ठीक पहले जवाबी सूबे में हाईकोर्ट के जजों पर लागू थे.

11—अगर प्रसंग से कुछ और दरकार न हो तो इस भाग में—

(ए) "सरजज" शब्द में कारकर सरजज, और "जज" में ज़रूरती जज शामिल हैं;

(बी) "असल नौकरी" में—

(एक) वह समय शामिल है जो किसी जज ने जज का फ़रज़ पूरा करने में या ऐसे दूसरे काम करने में बिताया हो जिन्हें निभारना राजपति की प्रार्थना पर उसने अपने ज़िम्मे ले लिया है;

(दो) तातीलों का समय शामिल है, उस समय को छोड़कर जिसमें जज ने छुट्टी ले रखी हो; और

(तीन) वह समय शामिल है जो किसी हाईकोर्ट से आला अदालत को या किसी एक हाईकोर्ट से दूसरी हाईकोर्ट को तबादला होने पर जाने और काम संभालने में खर्च हो.

भाग (ई)

भारत के दाब अफ़सर और सरपड़तालिया के बारे में बंधान

12—(1) भारत के दाब अफ़सर और सरपड़तालिया को चार हज़ार रुपए माहवार की दर से तनखाह दी जायगी.

(2) वह आदमी जो इस विधान के आरंभ से ठीक पहले हिन्द के सरपड़तालिया के पद पर था और विधान आरंभ होने पर दफ़ा 377 के अधीन भारत का दाब अफ़सर और सर-पड़तालिया हो गया है, इस पैरा के उप-पैरा (1) में बताई तनखाह के अलावा खास तनखाह के रूप में वह रक़म पाने का हक़दार होगा जो इस तरह बताई तनखाह और विधान आरंभ होने से ठीक पहले उसे हिन्द के सरपड़तालिया की हैसियत से मिलने वाली तनखाह के फ़रक़ के बराबर है.

(3) भारत के दाब अफ़सर और सरपड़तालिया की छुट्टी और पेनशन के बारे में अधिकार और उसकी नौकरी की दूसरी शर्तें उन बंधानों के अधीन रहेंगी या अधीन जारी रहेंगी, जैसी सूरत हो, जो इस विधान के आरंभ से ठीक पहले हिन्द के ऑडीटर-जनरल पर लागू थीं, और उन बंधानों में जहाँ जहाँ गवरनर जनरल की चरचा की गई है उस से यह मतलब लिया जायगा मानो वह राजपति की चरचा है.

तीसरी पट्टी

[दफ़ा 75 (4), 99, 124 (6), 148 (2), 164 (3), 188 और 219]

हलफ़ या वचन के रूप

एक

यूनियन के वज़ीर के पद के हलफ़ का रूप :—

"मैं,......(नाम)...... $\frac{\text{ईश्वर के नाम पर शपथ लेता हूँ}}{\text{गंभीरता से वचन भरता हूँ}}$ कि मैं भारत के उस विधान का जो क़ानून से क़ायम हुआ है सचाई से वफ़ादार और भक्त रहूँगा, वफ़ादारी के साथ और अपनी अन्तरात्मा की आवाज़ पर चलते हुए यूनियन के एक वज़ीर की हैसियत से अपने फ़रज़ों को निभारूँगा और विधान और क़ानून के अनुसार सब तरह के लोगों के साथ बिना डर या तरफ़दारी, बिना लगाव या बैर ठीक ठीक बरताव करूँगा."

दो

यूनियन के वज़ीर के लिये राज़दारी के हलफ़ का रूप :—

"मैं,......(नाम)...... $\frac{\text{ईश्वर के नाम पर शपथ लेता हूँ}}{\text{गंभीरता से वचन भरता हूँ}}$ कि मैं, कोई मामला जो मेरे विचार के लिये लाया जायगा, या जो यूनियन के वज़ीर की हैसियत से मुझे मालूम होगा, किसी आदमी या आदमियों तक, सीधे या नासीधे, न पहुँचाऊँगा न किसी को बताऊँगा, सिवाय जब कि वज़ीर की हैसियत से अपने फ़रज़ क़ायदे से निभारने के लिये मुझे ऐसा करना दरकार हो".

तीन

राजपंचायत के मेम्बर के लिये हलफ़ या वचन का रूप :—

"मैं,.. (नाम)...जो रियासत सदन (या लोक सदन) का मेम्बर

चुना गया हूँ (या नामजद किया गया हूँ), ईश्वर के नाम पर शपथ लेता हूँ / गंभीरता से वचन भरता हूँ कि मैं भारत के उस विधान का जो क़ानून से क़ायम हुआ है सचाई से वफ़ादार और भक्त रहूँगा, और जो फ़रज़ मैं अब संभालने वाला हूँ उसे वफ़ादारी के साथ निभाऊँगा."

चार

आला अदालत के जजों के लिये और भारत के दाब अफ़सर और सरपड़तालिया के लिये हलफ़ या वचन का रूप :—

"मैं,...(नाम),जो भारत की आला अदालत का सरजज (या जज) (या भारत का दाब अफ़सर और सरपड़तालिया) नियोजा गया हूँ, ईश्वर के नाम पर शपथ लेता हूँ / गंभीरता से वचन भरता हूँ कि मैं भारत के उस विधान का जो क़ानून से क़ायम हुआ है सचाई से वफ़ादार और भक्त रहूँगा, अपनी पूरी सकत, जानकारी और विवेक से, बिना डर या तरफ़दारी, बिना लगाव या बैर, क़ायदे से और वफ़ादारी के साथ, अपने पद के फ़रज़ पूरे करूँगा, और विधान और क़ानूनों की मान-मर्यादा को बनाए रखूँगा."

पाँच

रियासत के वज़ीर के लिये पद के हलफ़ का रूप :—

"मैं,......(नाम)......, ईश्वर के नाम पर शपथ लेता हूँ / गंभीरता से वचन भरता हूँ कि मैं भारत के उस विधान का जो क़ानून से क़ायम हुआ है सचाई से वफ़ादार और भक्त रहूँगा, वफ़ादारी के साथ और अपनी अन्तरात्मा की आवाज़ पर चलते हुए,......रियासत के एक वज़ीर की हैसियत से, अपने फ़रज़ों को निभाऊँगा, और विधान और क़ानून के अनुसार, सब तरह के लोगों के साथ, बिना डर या तरफ़दारी, बिना लगाव या बैर, ठीक ठीक बरताव करूँगा."

छै

रियासत के वज़ीर के लिये राजदारी के हलफ़ का रूप :—

"मैं,......(नाम)......, $\frac{\text{ईश्वर के नाम पर शपथ लेता हूँ}}{\text{गंभीरता से वचन भरता हूँ}}$ कि मैं, कोई मामला जो मेरे विचार के लिये लाया जायगा, या जो......रियासत के वज़ीर की हैसियत से मुझे मालूम होगा, किसी आदमी या आदमियों तक, सीधे या नासीधे, न पहुँचाऊँगा न किसी को बताऊँगा, सिवाय जब कि वज़ीर की हैसियत से अपने फ़रज़ क़ायदे से निभारने के लिये मुझे ऐसा करना दरकार हो."

सात

रियासत की क़ानून सभा के मेम्बर के लिये हलफ़ या वचन का रूप:—

"मैं,...(नाम), जो आम सदन (या खास सदन) का मेम्बर चुना गया हूँ (या नामज़द किया गया हूं), $\frac{\text{ईश्वर के नाम पर शपथ लेता हूँ}}{\text{गंभीरता से वचन भरता हूं}}$ कि मैं भारत के उस विधान का जो क़ानून से क़ायम हुआ है सचाई से वफ़ादार और भक्त रहूँगा, और जो फ़रज़ मैं अब संभालने वाला हूं उसे वफ़ादारी के साथ निभारूँगा."

आठ

हाईकोर्ट के जजों के लिये हलफ़ या वचन का रूप :—

"मैं...(नाम)..., जो......की हाईकोर्ट का सर जज (या जज) नियोजा गया हूँ, $\frac{\text{ईश्वर के नाम पर शपथ लेता हूँ}}{\text{गभीरता से वचन भरता हूं}}$ कि मैं भारत के उस विधान का जो क़ानून से क़ायम हुआ है सचाई से वफ़ादार और भक्त रहूंगा, अपनी पूरी सकत, जानकारी और विवेक से, बिना डर या तरफ़दारी, बिना लगाव या बैर, क़ायदे से और वफ़ादारी के साथ, अपने पद के फ़रज़ पूरे करूँगा, और विधान और क़ानूनों की मान-मर्यादा को बनाए रखूँगा."

चौथी पट्टी

[दफ़ा 4 (1), 80(2), और 391]

रियासत सदन की सीटों का बटवारा

इस पट्टी के साथ दिये सीटों के नक़शे के पहले कालम में दर्ज हर रियासत या रियासत गुट को उतनी सीटें दी जायँगी जितनी इस नक़शे के दूसरे कालम में उस रियासत या रियासत गुट के नाम के सामने, जैसी सूरत हो, दर्ज हैं.

सीटों का नक़शा

रियासत सदन

पहली पट्टी के भाग (ए) में दर्ज रियासतों के प्रतिनिधि

1	2
रियासतें	कुल सीटें
1. आसाम	6
2. बिहार	21
3. बम्बई	17
4. मध्यप्रदेश	12
5. मदरास	27
6. उड़ीसा	9
7. पंजाब	8
8. युक्तप्रांत	31
9. पच्छिम बंगाल	14
कुल	145

पहली पट्टी के भाग (बी) में दर्ज रियासतों के प्रतिनिधि

1	2
रियासतें	कुल सीटें
1. हैदराबाद	11
2. जम्मू और काशमीर	4
3. मध्यभारत	6
4. मैसूर	6
5. पटियाला और पूरब पंजाब रियासत यूनियन	3
6. राजस्थान	9
7 सौराष्ट्र	4
8 ट्रावनकोर-कोचीन	6
9 विन्ध्य-प्रदेश	4
कुल	53

पहला पट्टी के भाग (सी) में दर्ज रियासतों के प्रतिनिधि

1	2
रियासतें और रियासत गुट	कुल सीटें
1. अजमेर 2 कुर्ग	1
3. भोपाल	1
4 बिलासपुर 5 हिमाचल प्रदेश	1
6. कूच-बिहार	1
7. दिल्ली	1
8. कच्छ	1
9 मनीपुर 10 त्रिपुरा	1
कुल	7
सब सीटों की कुल गिनती	205

पांचवी पट्टी

[दफ़ा 244 (1)]

. पट्टी-दर्ज छेत्रों और पट्टी-दर्ज क़बीलों के शासन और दबान के बारे में बंधान

भाग (ए)

आम

1—**अर्थ**—इस पट्टी में, जब तक प्रसंग से कुछ और दरकार न हो, "रियासत" शब्द के मानी हैं पहली पट्टी के भाग (ए) या भाग (बी) में दर्ज कोई रियासत, पर इसमें आसाम की रियासत शामिल नहीं है.

2—**पट्टी-दर्ज छेत्रों में रियासत की काजकारी शक्ति**—इस पट्टी के बंधानों के अधीन रहते हुए, हर रियासत की काजकारी शक्ति के फैलाव में उसके अन्दर के पट्टी-दर्ज छेत्र शामिल हैं.

3—**पट्टी-दर्ज छेत्रों के शासन के बारे में रियासतपति या राजप्रमुख की राजपति को रिपोर्ट**—हर ऐसी रियासत का रियासतपति या राजप्रमुख जिसमें पट्टी-दर्ज छेत्र हैं, हर साल या जब कभी राजपति मांगे, उस रियासत के पट्टी-दर्ज छेत्रों के शासन के बारे में राजपति को रिपोर्ट देगा, और यूनियन की काजकारी शक्ति के फैलाव में उन छेत्रों के शासन के बारे में उस रियासत को निर्देश देना शामिल होगा.

भाग (बी)

पट्टी-दर्ज छेत्रों और पट्टी-दर्ज कबीलों का शासन और दबान

4—**क़बीला सलाहकार मंडल**—(1)हर उस रियासत में जिसमें पट्टी-दर्ज छेत्र हैं, और अगर राजपति इस तरह निर्देश करे तो किसी ऐसी रियासत में भी जिसमें पट्टी-दर्ज क़बीले हैं पर पट्टी-

दर्ज क्षेत्र नहीं हैं, एक क़बीला सलाहकार मंडल क़ायम किया जायगा, जिसमें बीस से अधिक मेम्बर नहीं होंगे जिनमें से तीन चौथाई के जितने क़रीब हो सके वह होंगे जो उस रियासत के आम सदन में पट्टी-दर्ज क़बीलों के प्रतिनिधि हैं :

शर्ते कि अगर उस रियासत के आम सदन में पट्टी-दर्ज क़बीलों के प्रतिनिधियों की गिनती, क़बीला सलाहकार मंडल में जो सीटें ऐसे प्रतिनिधियों से भरी जानी हैं उन की गिनती से कम है तो बाक़ी सीटें उन क़बीलों के दूसरे मेम्बरों से भरी जायंगी.

(2) क़बीला सलाहकार मंडल का फ़रज़ होगा कि वह उन मामलों पर सलाह दे जिनका सम्बन्ध उस रियासत में पट्टी-दर्ज क़बीलों की भलाई और बढ़ोतरी से है और जिन्हें रियासतपति या राजप्रमुख, जैसी सूरत हो, उसके पास राय के लिये भेजे.

(3) रियासतपति या राजप्रमुख—

(ए) मंडल के मेम्बरों की गिनती, उनके नियोजन का ढंग और मंडल के मसनदी और अफ़सरों और नौकरों के नियोजन का ढंग,

(बी) मंडल की मिलनियों का संचालन और उनका आम दस्तूर, और

(सी) प्रसंग से आए हुए दूसरे सब मामले,

तय करने या उनकी क़ायदाबन्दी करने के लिये, जैसी सूरत हो, नियम बना सकता है.

5—पट्टी-दर्ज क्षेत्रों में लागू क़ानून—(1) इस विधान में किसी बात के रहते भी, रियासतपति या राजप्रमुख, जैसी सूरत हो, आम नोटिस निकाल कर निर्देश दे सकता है कि राजपंचायत का या उस रियासत की क़ानून सभा का कोई ख़ास एक्ट उस रियासत में किसी पट्टी-दर्ज क्षेत्र या उसके किसी भाग पर लागू नहीं होगा, या उस रियासत में किसी पट्टी-दर्ज क्षेत्र या उसके किसी भाग पर उन अपवादों और अदल बदल के अधीन लागू होगा जो वह उस नोटिस में बतादे, और इस उप-पैरा के अधीन जो निर्देश दिया जाय वह इस तरह दिया जा सकता है कि उसका पिछ-लगता असर हो.

(2) रियासतपति या राजप्रमुख, जैसी सूरत हो, रियासत के किसी ऐसे छेत्र की शान्ति और अच्छी हुकूमत के लिये, जो उस समय पट्टी-दर्ज छेत्र है, क़ायदे बना सकता है.

ऐसे क़ायदे, खास कर, और ऊपर-लिखी शक्ति की आमियत को कम किये बिना, —

(ए) उस छेत्र में पट्टी-दर्ज क़बीलों के लोगों के, बाहर वालों को या एक दूसरे को, जमीन दे डालने पर रोक लगा सकते हैं या उसकी मनाही कर सकते हैं;

(बी) उस छेत्र में पट्टी दर्ज क़बीलों के लोगों को जमीने बांटे जाने की क़ायदाबन्दी कर सकते हैं;

(सी) उस छेत्र में पट्टी-दर्ज कबीलों के लोगों को जो लोग रुपया उधार देते हैं उनके इस साहूकारे के काम की क़ायदाबन्दी कर सकते हैं.

(3) ऐसा कोई क़ायदा बनाने में जिसकी चरचा इस पैरा के उप-पैरा (2) में की गई है रियासतपति या राजप्रमुख राजपंचायत के या उस रियासत की क़ानून सभा के किसी ऐसे एक्ट को या किसी ऐसे मौजूदा क़ानून को, जो उस छेत्र पर, जिसका सवाल है, उस समय लागू हो, रद्द कर सकता है या सुधार सकता है.

(4) इस पैरा के अधीन बने सब क़ायदे उसी समय राजपति के सामने रखे जायंगे और जब तक राजपति उन पर मंजूरी न दे दे उनका कोई असर नहीं होगा.

(5) इस पैरा के अधीन कोई क़ायदा नहीं बनाया जायगा जब तक उस क़ायदे को बनाने वाले रियासतपति या राजप्रमुख ने, उस सूरत में जब कि उस रियासत के लिये कोई क़बीला सलाहकार मंडल है, उस मंडल से सलाह न करली हो.

भाग (सी)

पट्टी-दर्ज छेत्र

6—पट्टी-दर्ज छेत्र—(1) इस विधान में "पट्टी-दर्ज छेत्र" शब्दों के मानी हैं वह छेत्र जिन्हें राजपति हुकुम देकर पट्टी-दर्ज छेत्र ठहरा दे.

(2) राजपति किसी भी समय हुकुम दे कर—

(ए) यह निर्देश दे सकता है कि कोई पट्टी-दर्ज छेत्र पूरा या उसका कोई खास भाग, पट्टी-दर्ज छेत्र नहीं रहेगा या ऐसे छेत्र का भाग नहीं रहेगा;

(बी) किसी पट्टी-दर्ज छेत्र को बदल सकता है, पर केवल उसकी सीमाओं को ठीक करने के रूप में ही;

(सी) किसी रियासत की सीमाओं के बदले जाने पर, या यूनियन में किसी नई रियासत के दाखिल किये जाने पर, या नई रियासत के क़ायम किये जाने पर, किसी ऐसे भूभाग को जो पहले किसी रियासत में शामिल नहीं था पट्टी-दर्ज छेत्र या किसी पट्टी-दर्ज छेत्र का भाग ऐलान कर सकता है;

और ऐसे किसी हुकुम में वह प्रसंगी और परिनामी बंधान रह सकते हैं जो राजपति को जरूरी और उचित मालूम हों, पर सिवाय जैसा ऊपर कहा गया है इस पैरा के उप पैरा (1) के अधीन दिये हुए हुकुम को किसी बाद के हुकुम से नहीं बदला जायगा.

भाग (डी)

इस पट्टी में सुधार

7—**इस पट्टी में सुधार**—(1) राजपंचायत समय समय पर क़ानून बना कर इस पट्टी के बंधानों में से किसी में कुछ जोड़ कर, अदल बदल कर, या रद्द कर के, पट्टी में सुधार कर सकती है, और जब किसी पट्टी में इस तरह सुधार हो जाय, तब इस विधान में इस पट्टी की चरचा का मतलब यह लिया जायगा मानो वह इस तरह सुधारी हुई पट्टी की चरचा है.

(2) इस पैरा के उप-पैरा (1) में जिस क़ानून की बात आई है उस को दफ़ा 368 के मतलबों के लिये इस विधान का सुधार नहीं समझा जायगा.

छटी पट्टी

[दफ़ा 244(2) और 275 (1)]

आसाम के क़बाइली छेत्रों के शासन के बारे में बंधान

1—स्वाधीन ज़िले और स्वाधीन इलाक़े—(1) इस पट्टी के पैरा 20 के साथ जो नक़शा दिया गया है उसके भाग (ए) की हर मद के क़बाइली छेत्र, इस पैरा के बंधानों का ध्यान रखते हुए, एक स्वाधीन ज़िला होंगे.

(2) अगर किसी स्वाधीन ज़िले में अलग अलग पट्टी दर्ज क़बीले हैं तो रियासतपति आम नोटिस निकालकर उस छेत्र या उन छेत्रों को, जिनमें वह क़बीले बसते हैं, स्वाधीन इलाक़ों में बांट सकता है.

(3) रियासतपति आम नोटिस निकाल कर—

(ए) किसी छेत्र को उस नक़शे के भाग (ए) में शामिल कर सकता है;

(बी) किसी छेत्र को उस नक़शे के भाग (ए) से अलग कर सकता है;

(सी) एक नया स्वाधीन ज़िला बना सकता है;

(डी) किसी स्वाधीन ज़िले का छेत्र बढ़ा सकता है;

(ई) किसी स्वाधीन ज़िले का छेत्र घटा सकता है;

(एफ़) दो या अधिक स्वाधीन ज़िलों को या उनके भागों को मिलाकर एक स्वाधीन ज़िला बना सकता है;

(जी) किसी स्वाधीन ज़िले की सीमाएँ तय कर सकता है:

शर्तें कि इस उप-पैरा की धारा (सी), (डी), (ई), और (एफ़) के अधीन रियासतपति कोई हुकुम नहीं देगा जब तक कि वह इस पट्टी के पैरा 14 के उप-पैरा (1) के अधीन नियोजे हुए कमीशन की रिपोर्ट पर विचार न कर चुका हो.

2—ज़िला मंडलों और इलाक़ा मंडलों की बनावट—(1) हर स्वाधीन ज़िले के लिये एक ज़िला मंडल होगा जिसमें अधिक

से अधिक चौबीस मेम्बर होंगे, जिनमें से कम से कम तीन चौथाई बालिग़ वोट के आधार पर चुने जायंगे.

(2) इस पट्टी के पैरा 1 के उप-पैरा (2) के अधीन स्वाधीन इलाक़ा बने हर क्षेत्र के लिये एक अलग इलाक़ा मंडल होगा.

(3) हर जिला मंडल और हर इलाक़ा मंडल एकतन संस्था होगा जो अलग अलग "...(जिले का नाम) का जिला मंडल" और "...(इलाक़े का नाम) का इलाक़ा मंडल" कहलायगा, जो लगातार बनता और चलता रहेगा, जिसकी एक ही मोहर होगी, और जो इस नाम से नालिश कर सकेगा और उस पर नालिश की जा सकेगी.

(4) इस पट्टी के बंधानों के अधीन रहते हुए, हर स्वाधीन जिले का शासन, जहां तक वह इस पट्टी के अधीन उस जिले के अन्दर किसी इलाक़ा मंडल के हाथ में नहीं दिया गया है, उस जिले के जिला मंडल के हाथ में रहेगा, और हर स्वाधीन इलाक़े का शासन उस इलाक़े के इलाक़ा मंडल के हाथ में रहेगा.

(5) हर ऐसे स्वाधीन जिले में, जहाँ इलाक़ा मंडल हैं, इलाक़ा मंडल के अधिकार के अधीन क्षेत्रों के बारे में जिला मंडल को उन शक्तियों के अलावा जो उन क्षेत्रों के बारे में इस पट्टी में जिला मंडल को सौंपी गई हैं, केवल वह शक्तियां और होंगी जो इलाक़ा मंडल उसे अपनी तरफ़ से दे दे.

(6) रियासतपति, जिला मंडलों और इलाक़ा मंडलों के पहली बार बनाए जाने के लिये, जिन स्वाधीन जिलों या इलाक़ों से इस बात का सम्बन्ध होगा उनके मौजूदा क़बाइली मंडलों से या क़बीलों का प्रतिनिधान करने वाली दूसरी संस्थाओं से सलाह लेकर, नियम बनायगा और उन नियमों में नीचे लिखी बातों का बन्धान किया जायगा:—

(ए) जिला मंडलों और इलाक़ा मंडलों की रचना और उनमें सीटों का बटवारा;

(बी) इन मंडलों के चुनावों के मतलब के लिये भूभागी चुनाव हलक़ों की हदबन्दी;

(सी) ऐसे चुनावों में वोट देने वालों की जोगताएँ और उनके लिये चुनाव-चिट्ठों का तैयार किया जाना;

(डी) उन चुनावों में उन मंडलों के मेम्बर चुने जाने वालों की जोगताएँ;

(ई) उन मंडलों के मेम्बरों की पद-मियाद;

(एफ़) उन मंडलों के चुनावों या उनके लिये नामज़दगी के बारे में या उन से सम्बन्ध रखने वाला कोई और मामला;

(जी) ज़िला और इलाक़ा मंडलों के दस्तूर और उनके काम का संचालन;

(एच) ज़िला और इलाक़ा मंडलों के अफ़सरों और अमलों का नियोजन.

(7) पहली बार बन जाने के बाद ज़िला या इलाक़ा मंडल इस पैरा के उप-पैरा (6) में जो मामले दर्ज हैं, उनके लिये नियम बना सकते हैं; और नीचे लिखे मामलों की क़ायदाबन्दी करने के लिये भी नियम बना सकते हैं:—

(ए) मातहत मुक़ामी मंडलों या बोर्डों का बनाना और उनके दस्तूर और उनके काम का संचालन;

(बी) उस ज़िले या इलाक़े के, जैसी सूरत हो, शासन से सम्बन्ध रखने वाले काम चलाने के बारे में आम तौर पर सब मामले:

शर्तें कि जब तक ज़िला या इलाक़ा मंडल इस उप-पैरा के अधीन नियम नहीं बनाता, तब तक हर ऐसे मंडल के चुनावों के बारे में, उसके अफ़सरों और अमले के बारे में, और उसके दस्तूर और काम के संचालन के बारे में, इस पैरा के उप-पैरा (6) के अधीन रियासत-पति के बनाए नियम अमल में रहेंगे :

और शर्तें कि उत्तर कछार पहाड़ियों और मिकिर पहाड़ियों का डिपटी कमिश्नर या सब-डिविजनल अफ़सर, जैसी सूरत हो, अपने पद-नाते, इस पट्टी के पैरा 20 के साथ वाले नक़शे के भाग (ए) की मद 5 और मद 6 के अलग अलग भूभागों के लिये बने हुए ज़िला मंडल

का मसनदी होगा, और ज़िला मंडल के पहली बार बनने के बाद छै बरस के अरसे के लिये, उसको, रियासतपति के दबान के अधीन रहते हुए, यह शक्ति होगी कि वह ज़िला मंडल के किसी ठहराव या फ़ैसले को मंसूख कर दे, या उसमें अदल बदल कर दे, या ज़िला मंडल को ऐसी हिदायतें दे जो वह मुनासिब समझे, और ज़िला मंडल को हर इस तरह दी हुई हिदायत पर अमल करना होगा.

3—ज़िला मंडलों और इलाक़ा मंडलों की क़ानून बनाने की शक्तियां—(1) हर स्वाधीन इलाक़े के इलाक़ा मंडल को उस इलाक़े के अन्दर के सब छेत्रों के बारे में, और हर स्वाधीन ज़िले के ज़िला मंडल को उस ज़िले के अन्दर के सब छेत्रों के बारे में, सिवाय उस ज़िले के अन्दर के उन छेत्रों के जो इलाक़ा मंडलों के अधिकार में हैं, अगर उस ज़िले में कोई इलाक़ा मंडल हों तो, नीचे लिखे मामलों के बारे में क़ानून बनाने की शक्ति होगी:—

(ए) रखाए हुए जंगल की ज़मीन को छोड़ कर और कोई ज़मीन, खेती बाड़ी के या ढोर चराने के मतलबों के लिये, या रिहाइश के या दूसरे ग़ैर-खेती बाड़ी मतलबों के लिये, या किसी और ऐसे मतलब के लिये जिससे किसी गाँव या क़स्बे के रहने वालों के हितों के बढ़ने की संभावना हो, किसी के नाम कर देना, उस पर क़ब्ज़ा, उसका इस्तेमाल, या उसे अलग कर देना :

शर्त कि इन क़ानूनों की कोई बात आसाम की सरकार को, सरकारी मतलबों के लिये, किसी ऐसे क़ानून के अनुसार जो उस समय अमल में हो और जो ज़मीन को इस तरह हासिल करने का अधिकार देता हो, किसी ज़मीन को, चाहे उस पर किसी का क़ब्ज़ा हो या न हो, जबरन हासिल करने से नहीं रोक सकेगी;

(बी) किसी ऐसे जंगल का प्रबन्ध जो रखाया हुआ जंगल नहीं है;

(सी) खेती बाड़ी के मतलब के लिये किसी नहर या जल-मार्ग का इस्तेमाल;

(डी) झूम के रिवाज या बदलती जुताई के दूसरे रूपों के लिये क़ायदाबन्दी;

(ई) गाँव या क़स्बा कमेटियों या मंडलों का क़ायम करना और उनकी शक्तियां;

(एफ़) गाँव या क़स्बों के शासन के सम्बन्ध में कोई दूसरा मामला, जिसमें गाँव या क़स्बों की पुलिस, जन तन-दुरुस्ती और सफ़ाई शामिल है;

(जी) सरदारों या मुखियों का नियोजन और उनके बाद उनका पदगाहन;

(एच) जायदाद की विरासत;

(आई) शादी-ब्याह;

(जे) समाजी रीति-रिवाज.

(2) इस पैरा में "रखाए हुए जंगल" के मानी हैं कोई ऐसा क्षेत्र जो 'आसाम जंगल क़ायदाबन्दी 1891' के अधीन या किसी दूसरे क़ानून के अधीन, जो, जिस क्षेत्र का सवाल है उसमें उस समय अमल में हो, रखाया हुआ जंगल है.

(3) इस पैरा के अधीन बने सब क़ानून उसी समय रियासतपति के सामने रखे जायंगे और जब तक रियासतपति उन पर अपनी मंजूरी न दे दे उनका कोई असर नहीं होगा.

4—स्वाधीन ज़िलों और स्वाधीन इलाक़ों में न्याय शासन— (1) हर स्वाधीन इलाक़े का इलाक़ा मंडल उस इलाक़े के अन्दर के क्षेत्रों के बारे में, और हर स्वाधीन जिले का जिला मंडल उस जिले के अन्दर के क्षेत्रों के बारे में, सिवाय उस जिले के अन्दर के उन क्षेत्रों के जो इलाक़ा मंडल के अधिकार में हैं, अगर उस जिले में कोई इलाक़ा मंडल हों तो, उन फ़रीक़ों के बीच नालिशों और मुक़दमों की जांच के लिये जो सबके सब उन क्षेत्रों के अन्दर पट्टी-दर्ज क़बीलों के आदमी हैं, पर उन नालिशों और मुक़दमों को छोड़ कर जिन पर इस पट्टी के पैरा 5 के उप-पैरा (1) के बन्धान लागू होते हैं, गाँव मंडल या गाँव अदालतें बना सकते हैं, जिनके अलावा रियासत की किसी और अदा-

लत में उन नालिशों या मुक़दमों की जांच नहीं हो सकेगी, और उन गाँव मंडलों की मेम्बरी के लिये या उन गाँव अदालतों की सदारत के लिये उचित आदमियों का नियोजन कर सकते हैं, और इस पट्टी के पैरा 3 के अधीन बने क़ानूनों को अमल में लाने के लिये जरूरी अफ़सरों का भी नियोजन कर सकते हैं

(2) इस विधान में किसी बात के रहते भी, किसी स्वाधीन इलाक़े के लिये इलाक़ा मंडल या कोई अदालत जो इस काम के लिये इलाक़ा मंडल ने बनाई हो, या अगर किसी स्वाधीन ज़िले के किसी छेत्र का कोई इलाक़ा मंडल नहीं है, तो उस ज़िले का ज़िला मंडल, या कोई अदालत जो इस काम के लिये ज़िला मंडल ने बनाई हो, उन सब नालिशों और मुक़दमों के बारे में अपीली अदालत की शक्तियों से काम लेगी जो ऐसे इलाक़े या छेत्र के अन्दर, जैसी सूरत हो, इस पैरा के उप-पैरा (1) के अधीन बने गांव मंडल या गांव अदालत के सामने सुने जा सकते हों, पर उन नालिशों और मुक़दमों को छोड़ कर जिन पर इस पट्टी के पैरा 5 के उप पैरा (1) के बन्धान लागू होते हैं, और ऐसी नालिशों और मुक़दमों पर हाइकोर्ट या आला अदालत को छोड़ कर और किसी दूसरी अदालत की अमलदारी नहीं होगी.

(3) उन नालिशों और मुक़दमों पर जिन पर इस पैरा के उप-पैरा (2) के बन्धान लागू होते हैं आसाम की हाईकोर्ट को वह अमलदारी हासिल होगी और वह उससे काम लेगी जो रियासत-पति समय समय पर हुकुम दे कर बताए.

(4) कोई इलाक़ा मंडल या ज़िला मंडल, जैसी सूरत हो, पहले से रियासतपति की रज़ामन्दी लेकर नीचे लिखे मामलों की क़ायदाबन्दी के लिये नियम बना सकता है:—

(ए) गाँव मंडलों और गाँव अदालतों की बनावट और वह शक्तियां जिनसे इस पैरा के अधीन गाँव मंडल और गाँव अदालत काम लेंगे;

(बी) इस पैरा के उप-पैरा (1) के अधीन नालिशों और मुक़दमों की जाँच करने में गाँव मंडलों या गाँव अदालतों को जिस दस्तूर पर चलना है वह दस्तूर;

(सी) इस पैरा के उप-पैरा (2) के अधीन अपीलों और दूसरी कारवाइयों में इलाक़ा या ज़िला मंडल को या ऐसे मंडल की बनाई किसी अदालत को जिस दस्तूर पर चलना है वह दस्तूर;

(डी) ऐसे मंडलों और अदालतों के फ़ैसलों और हुकुमों पर अमल कराना;

(ई) इस पैरा के उप-पैरा (1) और (2) के बन्धानों पर अमल कराने के लिये और सब सहायक मामले.

5—ज़ाब्ता दीवानी 1908 और ज़ाब्ता फ़ौजदारी 1898 के अधीन, कुछ नालिशों, मुक़द्मों और जुर्मों की जांच के लिये इलाक़ा और ज़िला मंडलों को, और कुछ अदालतों और अफ़सरों को शक्तियां सौंपना—(1) रियासतपति, ऐसी नालिशों या ऐसे मुक़दमों की जांच के लिये, जो किसी ऐसे क़ानून से पैदा हों जो किसी स्वाधीन ज़िले या इलाक़े में अमल में हो और जिसको इस काम के लिये रियासतपति ने बताया हो, या ऐसे जुर्मों की जांच के लिये जिनकी सज़ा ताज़ीरात हिन्द के अधीन या किसी दूसरे क़ानून के अधीन जो उस समय उस ज़िले या इलाक़े पर लागू हो, मौत, आजीवन काला पानी या कम से कम पांच साल की क़ैद हो, उस ज़िला मंडल या उस इलाक़ा मंडल को जिसका उस ज़िले या उस इलाक़े पर अधिकार है, या उन अदालतों को जिन्हें ऐसे किसी ज़िला मंडल ने बनाया है, या किसी अफ़सर को जिसको इस काम के लिये रियासतपति ने नियोजा हो, ज़ाब्ता दीवानी 1908 के या ज़ाब्ता फ़ौजदारी 1898 के अधीन, जैसी सूरत हो, ऐसी शक्तियाँ सौंप सकता है जिन्हें वह मुनासिब समझे, और उसके ऐसा करने पर वह मंडल, अदालत या अफ़सर, उन शक्तियों से काम लेते हुए, जो इस तरह सौंपी जायं, उन नालिशों, मुक़दमों या जुर्मों की जांच करेगा.

(2) इस पैरा के उप-पैरा (1) के अधीन किसी ज़िला मंडल, इलाक़ा मंडल, अदालत या अफ़सर को जो शक्तियां सौंपी

जायं उनमें से किसी को रियासतपति वापिस ले सकता है या उनमें अदल बदल कर सकता है.

(3) सिवाय इसके कि इस पैरा में कोई साफ़ साफ़ बन्धान किया गया हो, ज़ाब्ता दीवानी 1908 और ज़ाब्ता फ़ौजदारी 1898, किसी स्वाधीन ज़िले या किसी स्वाधीन इलाक़े में, जिन पर इस पैरा के बन्धान लागू होते हैं, किसी नालिश, मुक़द्में या जुर्म की जांच पर लागू नहीं होंगे.

6—ज़िला मंडल को प्राइमरी स्कूल वगैरा क़ायम करने की शक्तियां—किसी स्वाधीन ज़िले का ज़िला मंडल ज़िले में प्राइमरी स्कूल, दवाखाने, मंडियां, कांजी हौज़, उतराई घाट, मछियारियां, सड़कें और जल मार्ग क़ायम कर सकता है, बना सकता है या उनका प्रबन्ध कर सकता है और खास कर यह बता सकता है कि ज़िले के प्राइमरी स्कूलों में किस भाशा मे और किस ढंग से प्राइमरी तालीम दी जायगी.

7—ज़िला और इलाक़ा कोश—(1) हर स्वाधीन ज़िले के लिये एक ज़िला कोश और हर स्वाधीन इलाक़े के लिये एक इलाक़ा कोश बनाया जायगा, जिसमें वह सब रक़में जमा की जायंगी, जो इस विधान के बन्धानों के अनुसार, उस ज़िले या जैसी सूरत हो उस इलाक़े के शासन के दौरान में उस ज़िले के लिये ज़िला मंडल को और उस इलाक़े के लिये उस इलाक़ा मंडल को मिलें.

(2) रियासतपति की रज़ामंदी से, ज़िला मंडल और इलाक़ा मंडल ज़िला कोश या, जैसी सूरत हो, इलाक़ा कोश के प्रबन्ध के लिये नियम बना सकते हैं, और जो नियम इस तरह बनाए जायं वह उस कोश में रक़में जमा कराने, उसमें से रक़में निकालने, उस में रक़मों की रखवाली करने, और इन मामलों से सम्बन्ध रखने वाले या इनके सहायक किसी और मामले, में जो दस्तूर बरता जायगा उसे तय कर सकते हैं.

8—ज़मीन की मालगुज़ारी तय करने और जमा करने और टैक्स लगाने की शक्तियां—(1) हर स्वाधीन इलाक़े के इलाक़ा

मंडल को उस इलाक़े के अन्दर की सब ज़मीनों के बारे में, और हर स्वाधीन ज़िले के ज़िला मंडल को उस ज़िले के अन्दर, ऐसी ज़मीनों को छोड़ कर जो उन छेत्रों के अन्दर हैं जो इलाक़ा मंडलों के अधिकार में हैं, अगर वहाँ कोई इलाक़ा मंडल हों तो, बाक़ी सब ज़मीनों के बारे में, शक्ति होगी कि वह उन सिद्धान्तों के अनुसार, उन ज़मीनों की मालगुज़ारी तय करें और जमा करें जिन सिद्धान्तों पर उस समय आसाम सरकार आसाम की रियासत में आम तौर पर मालगुज़ारी के मतलबों के लिये ज़मीनों को आंकने में चलती है.

(2) हर स्वाधीन इलाक़े के इलाक़ा मंडल को उस इलाक़े के अन्दर के छेत्रों के बारे में, और हर स्वाधीन ज़िले के ज़िला मंडल को उस ज़िले के अन्दर, उन छेत्रों को छोड़ कर जो इलाक़ा मंडलों के अधिकार में हों, अगर वहाँ कोई इलाक़ा मंडल हों तो, बाक़ी सब छेत्रों के बारे में, ज़मीनों और इमारतों पर टैक्स लगाने और जमा करने, और उन छेत्रों में बसने वाले लोगों पर टोल टैक्स लगाने की शक्ति होगी.

(3) हर स्वाधीन ज़िले के ज़िला मंडल को उस ज़िले के अन्दर नीचे लिखे सब टैक्स या उन में से कोई टैक्स लगाने और जमा करने की शक्ति होगी, यानी—

(ए) पेशों, व्योपारों, रोज़गारों और कामगारियों पर टैक्स;

(बी) जानवरों, गाड़ियों और नावों पर टैक्स;

(सी) किसी मंडी में बिकरी के लिये माल आने पर टैक्स, और सवारियों और माल पर घाट उतराई टोल; और

(डी) स्कूलों, दवाखानों या सड़कों को बनाए रखने के लिये टैक्स.

(4) कोई इलाक़ा मंडल या ज़िला मंडल, जैसी सूरत हो, इस पैरा के उप-पैरा (2) और (3) में जो टैक्स बताए गए हैं उनके लगाने और जमा करने का बंधान करने के लिये क़ायदे बना सकता है.

9—खनिजों की खोज करने या उनको निकालने के लिये लाइसेंस या पट्टे—(1) किसी स्वाधीन ज़िले के किसी

क्षेत्र में खनिजों की खोज करने या उनको निकालने के लिये आसाम सरकार जो लाइसेंस या पट्टे दे उनसे हर साल जो रायलटियां मिलें उनका वह हिस्सा जिस पर उस ज़िले का ज़िला मंडल और आसाम सरकार दोनों राज़ी हो जायं जिला मंडल को दे दिया जायगा.

(2) किसी ज़िला मंडल को ऐसी रायलटियों का जो हिस्सा दिया जाना है उसके बारे में अगर कोई झगड़ा उठे तो वह झगड़ा तय करने के लिये रियासतपति के पास भेज दिया जायगा, और रियासतपति अपनी समझ से जो रक़म तय कर दे वह वह रक़म समझी जायगी जो इस पैरा के उप-पैरा (1) के अधीन ज़िला मंडल को दी जानी है, और रियासतपति का फ़ैसला आख़री होगा.

10—ग़ैर-क़बाइली लोगों के रुपया उधार देने और ब्योपार करने पर दबान रखने के लिये क़ायदाबन्दी करने की ज़िला मंडल को शक्ति—(1) हर स्वाधीन ज़िले का ज़िला मंडल उस ज़िले में बसने वाले पट्टी-दर्ज क़बीलों को छोड़ कर उस ज़िले के अन्दर दूसरे लोगों के रुपया उधार देने या ब्योपार करने पर दबान रखने और इन कामों की क़ायदाबन्दी करने के लिये क़ायदे बना सकता है.

(2) ऐसे क़ायदों में, ख़ास कर, और ऊपर लिखी शक्ति की आमियत को कम किये बिना—

(ए) यह बताया जा सकता है कि रुपया उधार देने का कारबार उस आदमी के सिवा जिसके पास इस काम के लिये जारी हुआ लाइसेंस है, और कोई आदमी नहीं करेगा;

(बी) यह बताया जा सकता है कि साहूकार सूद की अधिक से अधिक क्या दर लगा सकता है या वसूल कर सकता है;

(सी) साहूकारों के हिसाब रखने का, और ऐसे अफ़सरों से जिन्हें इस काम के लिये ज़िला मंडल नियोजे उस हिसाब की जांच कराने का, बंधान किया जा सकता है;

(डी) यह बताया जा सकता है कि कोई आदमी, जो उस ज़िले में बसने वाले पट्टी दर्ज क़बीलों का मेम्बर नहीं है, किसी तिजारती माल का थोक या फुटकर कारबार नहीं करेगा, सिवाय ऐसे लाइसेंस के अधीन जिसे इस काम के लिये ज़िला मंडल ने जारी किया हो:

शर्तें कि इस पैरा के अधीन कोई क़ायदे नहीं बनाए जा सकेंगे जब तक कि वह उस जिला मंडल के कुल मेम्बरों के कम से कम तीन चौथाई की बड़ीयत से पास न हों :

और शर्तें कि ऐसे किन्हीं क़ायदों के अधीन किसी ऐसे साहूकार या ब्योपारी को जो उस ज़िले में उन क़ायदों के बनने के पहले से कारबार कर रहा है, लाइसेंस देने से इनकार नहीं किया जा सकेगा.

(3) इस पैरा के अधीन बने सब क़ायदे उसी समय रियासतपति के सामने रखे जायंगे और, जब तक वह मंज़ूरी न दे, उन का कोई असर नहीं होगा.

11—इस पट्टी के अधीन बने क़ानूनों, नियमों और क़ायदों का निकालना—वह सब क़ानून, नियम और क़ायदे जो इस पट्टी के अधीन कोई ज़िला मंडल या इलाक़ा मंडल बनाए उसी समय रियासत के दफ़तरी गज़ट में निकाले जायंगे, और इस तरह निकलने पर वह क़ानून का असर रखेंगे.

12—स्वाधीन ज़िलों और स्वाधीन इलाक़ों पर राजपंचायत के और उस रियासत की क़ानून सभा के एक्टों का लागू होना—(1) इस विधान में किसी बात के रहते भी—

(ए) इस पट्टी के पैरा 3 में जिन मामलों को ऐसे मामले बताया गया है जिनके बारे में कोई ज़िला मंडल या इलाक़ा मंडल क़ानून बना सकता है, उनके बारे में उस रियासत की क़ानून सभा का कोई एक्ट और उस रियासत की क़ानून सभा का कोई ऐसा एक्ट जो किसी बिना-खिंचे अलकोहोली तरल की खपत की मनाही

करता है या उस पर रुकावटें लगाता है, किसी स्वाधीन ज़िले या स्वाधीन इलाक़े पर लागू नहीं होगा जब तक कि, दोनों सूरतों में, उस ज़िले का या उस इलाक़े पर अमलदारी रखने वाला ज़िला मंडल आम नोटिस निकाल कर यह निर्देश न दे दे, और किसी एक्ट के बारे में इस तरह का निर्देश देने में ज़िला-मंडल यह भी निर्देश दे सकता है कि उस ज़िले या इला. पर या उसके किसी भाग पर उस एक्ट का असर उन अपवादों और अदल बदल के अधीन होगा जिन्हें वह ज़िला मंडल ठीक समझे;

(बी) रियासतपति आम नोटिस निकाल कर यह निर्देश दे सकता है कि राजपंचायत का या उस रियासत की क़ानून सभा का कोई एक्ट, जिस पर इस उप-पैरा की धारा (ए) के बंधान लागू नहीं होते, किसी स्वाधीन ज़िले या स्वाधीन इलाक़े पर लागू नहीं होगा, या किसी ऐसे ज़िले या इलाक़े या उसके किसी भाग पर ऐसे अपवादों या अदल बदल के साथ लागू होगा जो रियासतपति उस नोटिस में बतादे.

(2) इस पैरा के उप-पैरा (1) के अधीन कोई निर्देश इस तरह भी दिया जा सकता है कि उसका पिछ्-लगता असर हो.

13—स्वाधीन ज़िलों की आमदनी और ख़र्च के तख़मीनों का सालाना माली ब्योरे में अलग दिखाया जाना— हर स्वाधीन ज़िले के सम्बन्ध की उस आमदनी के तख़मीने को जो आसाम की रियासत के मूठकोश में जमा होनी है, और उस ज़िले के सम्बन्ध के उस ख़र्च के तख़मीने को जो उस मूठकोश में से किया जाना है, पहले बहस के लिये ज़िला मंडल के सामने रखा जायगा, और उस बहस के बाद उन तख़मीनों को रियासत के उस सालाना माली ब्योरे में अलग दिखाया जायगा जो दफ़ा 202 के अधीन रियासत की क़ानून सभा के सामने रखा जाना है.

14—स्वाधीन ज़िलों और स्वाधीन इलाक़ों के शासन की बाबत पूछताछ करने और उस पर रिपोर्ट देने के लिये कमीशन का नियोजन—(1) रियासतपति किसी समय भी रियासत के स्वाधीन ज़िलों और स्वाधीन इलाक़ों के शासन के संबंध में किसी ऐसे मामले की जो वह बता दे, जिसमें इस पट्टी के पैरा 1 के उप-पैरा (3) की धारा (सी), (डी), (ई) और (एफ़) में बताए मामले शामिल हैं, जांच करने और उस पर रिपोर्ट देने के लिये एक कमीशन का नियोजन कर सकता है, या रियासत के स्वाधीन ज़िलों और स्वाधीन इलाक़ों के आम शासन की और खास तौर पर नीचे लिखी बातों की समय समय पर पूछताछ करने और उन पर रिपोर्ट देने के लिये एक कमीशन का नियोजन कर सकता है :—

(ए) ऐसे ज़िलों और इलाक़ों में तालीम और दवादारू की सुविधाओं और आवाजाई का इंतज़ाम;

(बी) ऐसे ज़िलों और इलाक़ों के बारे में किसी नए या खास क़ानून के बनाने की ज़रूरत; और

(सी) जो क़ानून, नियम और क़ायदे ज़िला और इलाक़ा मंडल बनाएं, उनको अमल में लाना;

और रियासतपति उस दस्तूर को तय कर सकता है जिस पर वह कमीशन चलेगा.

(2) ऐसे हर कमीशन की रिपोर्ट को, उसके बारे में रियासतपति की सिफ़ारिशों के साथ और एक ऐसे यादपत्र के साथ जिसमें यह समझाया गया हो कि आसाम सरकार उस पर क्या कारवाई करने की तजवीज़ करती है, उस महकमे का वज़ीर रियासत की क़ानून सभा के सामने रखेगा.

(3) रियासतपति, रियासत की सरकार का काम अपने वज़ीरों में बांटते समय, अपने किसी वज़ीर को, खास तौर पर रियासत के स्वाधीन ज़िलों और स्वाधीन इलाक़ों की भलाई का काम सौंप सकता है.

15—ज़िला और इलाक़ा मंडलों के कामों और ठहरावों को मंसूख करना या मुअत्तल करना—(1) अगर किसी समय रियासतपति को इस बात का इतमीनान हो जाय कि किसी ज़िला मंडल या इलाक़ा मंडल के किसी काम या ठहराव से भारत की रक्षा को कोई खतरा पैदा हो सकता है तो वह ऐसे काम या ठहराव को मंसूख कर सकता है या मुअत्तल कर सकता है, और ऐसे क़दम उठा सकता है (जिसमें उस मंडल का मुअत्तल किया जाना और मंडल को जो शक्तियां हासिल थीं या जिन से वह मंडल काम ले सकता था उन सबको या उनमें से किसी को अपने हाथ में ले लेना भी शामिल है) जिन्हें वह उस काम को न होने देने या उसके जारी न रहने देने, या उस ठहराव पर अमल न होने देने के लिये ज़रूरी समझे.

(2) इस पैरा के उप-पैरा (1) के अधीन रियासतपति जो हुकुम देगा वह हुकुम और उसके दिये जाने के कारन जितनी जल्दी हो सकेगा रियासत की क़ानून सभा के सामने रखे जायंगे, और जब तक उसे उस रियासत की क़ानून सभा मंसूख न कर दे तब तक वह हुकुम जिस तारीख को दिया गया था उससे बारह महीने के अरसे तक अमल में रहेगा :

शर्तें कि अगर और जितनी बार रियासत की क़ानून सभा ऐसे किसी हुकुम को अमल में रखने के लिये अपनी रज़ामन्दी का ठहराव पास कर दे, उतनी बार वह हुकुम, उस तारीख से लेकर जिस पर वह इस पैरा के अधीन ठहराव पास न होने की सूरत में अमल में न रहता, बारह महीने के एक और अरसे तक अमल में रहेगा, जब तक कि रियासतपति उसे रद्द न कर दे.

16—किसी ज़िला या इलाक़ा मंडल का भंग किया जाना—रियासतपति, इस पट्टी के पैरा 14 के अधीन नियोजे हुए किसी कमीशन की सिफ़ारिश पर, आम नोटिस निकाल कर, किसी जिला या इलाक़ा मंडल के भंग किये जाने का हुकुम दे सकता है, और—

(ए) यह निर्देश दे सकता है कि मंडल के फिर बनाए जाने के लिये फ़ौरन नया आम चुनाव किया जायगा, या

(बी) रियासत की क़ानून सभा की पहले से रज़ामन्दी लेकर, अधिक से अधिक बारह महीने के अरसे के लिये उस मंडल के अधिकार के अधीन वाले छेत्र का शासन अपने हाथ में ले सकता है, या उस छेत्र का शासन उस पैरा के अधीन नियोजे हुए कमीशन के हाथों में, या किसी दूसरी संस्था के हाथों में जिसे वह ठीक समझे दे सकता है:

शर्तें कि जब इस पैरा की धारा (ए) के अधीन कोई हुकुम दिया जा चुका हो तो रियासतपति नया आम चुनाव होने पर मंडल के फिर से बनने तक, जिस छेत्र का सवाल है उसके शासन के संबंध में वह कारवाई कर सकता है जिसकी चरचा इस पैरा की धारा (बी) में की गई है:

और शर्तें कि, ज़िला मंडल या इलाक़ा मंडल को, जैसी सूरत हो, रियासत की क़ानून सभा के सामने अपने विचार रखने का मौक़ा दिये बिना, इस पैरा की धारा (बी) के अधीन कोई कारवाई नहीं की जायगी.

17—स्वाधीन ज़िलों में चुनाव हलके बनाने के लिये उन ज़िलों में से छेत्रों का अलग करना—आसाम के आम सदन के चुनावों के मतलबों के लिये रियासतपति हुकुम देकर ज़ाहिर कर सकता है कि किसी स्वाधीन ज़िले के अन्दर का कोई छेत्र आम सदन में उस ज़िले के लिये अलग रखी किसी सीट या सीटों को भरने के लिये बने किसी चुनाव हलक़े का भाग नहीं होगा, बल्कि किसी ऐसे चुनाव हलक़े का भाग होगा जो उस हुकुम में बता दिया जाय और जो उस सदन में किसी ऐसी सीट या सीटों को भरने के लिये हो, जो इस तरह अलग नहीं रखी गई हैं.

18—पैरा २० के साथ के नक़शे के भाग (बी) में दर्ज छेत्रों पर इस पट्टी के बंधानों का लागू होना—
(1) रियासतपति—

(ए) राजपति की पहले से रज़ामन्दी लेकर और आम नोटिस निकालकर इस पट्टी के ऊपर-लिखे सब बंधानों या उन में से किसी को, इस पट्टी के पैरा 20 के साथ के नक़शे के भाग (बी) में दर्ज किसी क़बाइली छेत्र पर या ऐसे छेत्र के किसी भाग पर लागू कर सकता है, और ऐसा होने पर उस छेत्र का या उस भाग का शासन उन बंधानों के अनुसार किया जायगा, और

(बी) इसी तरह की रज़ामन्दी लेकर और आम नोटिस निकालकर, ऊपर बताए नक़शे के भाग (बी) में दर्ज किसी क़बाइली छेत्र को या उस छेत्र के किसी भाग को उस नक़शे में से अलग कर सकता है.

(2) जब तक ऊपर बताए नक़शे के भाग (बी) में दिये हुए किसी क़बाइली छेत्र के बारे में या उस छेत्र के किसी भाग के बारे में इस पैरा के उप-पैरा (1) के अधीन कोई नोटिस न निकाला जाय तबतक उस छेत्र का या उसके उस भाग का शासन, जैसी सूरत हो, राजपति आसाम के रियासतपति की मारफ़त उसे अपना एजेन्ट मान कर चलायगा, और भाग नौ के बंधान उस छेत्र या उसके उस भाग पर उसी तरह लागू होंगे मानो वह छेत्र या उसका वह भाग पहली पट्टी के भाग (डी) में दर्ज कोई भूभाग है.

(3) इस पैरा के उप-पैरा (2) के अधीन राजपति के एजेन्ट की हैसियत से अपने काम निभारने में रियासतपति अपनी समझ से काम करेगा.

19—बिच-वक्ती बंधान—(1) इस विधान के आरंभ होने के बाद जितनी जल्दी हो सकेगा, रियासतपति इस पट्टी के अधीन रियासत के हर स्वाधीन ज़िले के लिये एक एक ज़िला मंडल बनाने के लिये क़दम उठायगा, और जब तक किसी स्वाधीन ज़िले के लिये इस तरह ज़िला मंडल न बन जाय तब तक उस ज़िले का शासन रियासतपति के हाथों में रहेगा, और उस ज़िले के अन्दर के छेत्रों के शासन पर, इस पट्टी में ऊपर-लिखे बंधानों की जगह नीचे लिखे बंधान लागू होंगे, यानी :—

(ए) राजपंचायत का या उस रियासत की क़ानून सभा का कोई एक्ट ऐसे किसी छेत्र पर तब तक लागू नहीं होगा जब तक कि रियासतपति आम नोटिस निकाल कर इसका निर्देश न दे दे; और किसी एक्ट के बारे में ऐसा निर्देश देते समय रियासतपति यह निर्देश दे सकता है कि उस छेत्र पर या उसके किसी बताए हुए भाग पर लागू होने में उस एक्ट का असर उन अपवादों या अदल बदल के अधीन होगा जो रियासतपति ठीक समझे;

(बी) रियासतपति ऐसे किसी छेत्र की शान्ति और अच्छी हुकूमत के लिये क़ायदे बना सकता है और जो क़ायदे इस तरह बनाए जायं वह राजपंचायत के या रियासत की क़ानून सभा के ऐसे किसी एक्ट को या ऐसे किसी मौजूदा क़ानून को जो उस समय उस छेत्र पर लागू होता हो, रद्द कर सकते हैं या उसमें सुधार कर सकते हैं.

(2) इस पैरा के उप-पैरा (1) की धारा (ए) के अधीन रियासत-पति जो निर्देश दे वह इस तरह दिया जा सकता है कि उसका पिछ्लगता असर हो.

(3) इस पैरा के उप-पैरा (1) की धारा (बी) के अधीन बने हुए सब क़ायदे उसी समय राजपति के सामने रखे जायंगे, और जब तक राजपति उन पर मंजूरी न दे दे उनका कोई असर नहीं होगा.

20—क़बाइली छेत्र—(1) जो छेत्र नीचे दिये हुए नक़शे के भाग (ए) और (बी) में दर्ज हैं वह आसाम की रियासत के अन्दर क़बाइली छेत्र होंगे.

(2) युक्त खासी-जैन्तिया पहाड़ी ज़िले में वह भूभाग शामिल होंगे जो इस बिधान के आरंभ से पहले खासी रियासतें और खासी और जैन्तिया पहाड़ी ज़िला कहलाते थे; इनमें वह छेत्र शामिल नहीं होंगे जो उस समय शिलांग की छावनी और नगरायत में शामिल हों,

पर शिलांग की नगरायत के अन्दर के छेत्र का उतना भाग शामिल होगा जो मिल्लिएम की खासी रियासत का भाग था :

शर्ते कि इस पट्टी के पैरा 3 के उप-पैरा (1) की धारा (ई) और (एफ़), पैरा 4, पैरा 5, पैरा 6, पैरा 8 के उप-पैरा (2), उप-पैरा (3) की धारा (ए), (बी) और (डी), और उप-पैरा (4), और पैरा 10 के उप-पैरा (2) की धारा (डी) के मतलबों के लिये शिलांग की नगरायत के अन्दर के छेत्र का कोई भाग युक्त खासी जैन्तिया पहाड़ी ज़िले में नहीं समझा जायगा.

(3) नीचे दिये नक़शे में किसी ज़िले (युक्त खासी-जैन्तिया पहाड़ी ज़िले को छोड़ कर) या शासनी छेत्र की चरचा से उस ज़िले या छेत्र की चरचा समझी जायगी जैसा वह इस विधान के आरंभ के समय था :

शर्ते कि नीचे दिये नक़शे के भाग (बी) में दर्ज क़बाइली छेत्रों में मैदानों के कोई ऐसे छेत्र शामिल नहीं होंगे जिनकी बाबत, पहले से राजपति की रज़ामंदी लेकर, आसाम का रियासतपति इस तरह का नोटिस निकाल दे.

नक़शा

भाग (ए)

1. युक्त खासी-जैन्तिया पहाड़ी जिला.
2. गारो पहाड़ी ज़िला.
3. लुसाई पहाड़ी ज़िला.
4. नागा पहाड़ी ज़िला.
5. उत्तर कछार पहाड़ियां.
6. मिकिर पहाड़ियां.

भाग (बी)

1. उत्तर पूरब सरहदी खित्ता जिसमें बालीपारा सरहदी खित्ता, तिराप सरहदी खित्ता, अबोर पहाड़ी जिला और मिसिमी पहाड़ी जिला शामिल हैं.

2. नागा क़बाइली छेत्र.

सातवीं पट्टी

[दफ़ा 246]

तालिका एक—यूनियन तालिका

1. भारत का और भारत के हर भाग का बचाव, जिसमें बचाव की तैयारी और वह सब काम शामिल हैं जिनसे जंग के समय जंग चलाने में और जंग खतम होने के बाद असरदार ढंग से लाम तोड़ने में मदद मिले.

2. समन्दरी, जमीनी और हवाई फ़ौजें; यूनियन की कोई और हथियार-बन्द फ़ौजें.

3. छावनी छेत्रों की हदबन्दी, उन छेत्रों में मुक़ामी स्वराज, उन छेत्रों में छावनी अधिकारियों की बनावट और शक्तियां, और उन छेत्रों में मकानी गुंजाइश की क़ायदाबन्दी (जिसमें किरायों पर दबाव शामिल है).

4. समन्दरी, जमीनी और हवाई फ़ौजों की इमारतें.

5. हथियार, आग-हथियार, गोला-बारूद और विस्फोटक.

6. ऐटम शक्ति और उसे पैदा करने के लिये जरूरी खनिज साधन.

7. वह उद्योग जिन्हें राजपंचायत क़ानून बना कर बचाव के मतलब के लिये या जंग चलाने के लिये जरूरी ठहरा दे.

8. जानकारी और जांच का मरकज़ी महकमा.

9. बचाव, बिदेशी मामलों, या भारत की सुरक्षा से संबंध रखने वाले कारनों से रोकथामी नजरबन्दी, इस तरह नजरबन्द किये हुए लोग.

10. विदेशी मामले; वह सब मामले जिनसे यूनियन का किसी बिदेशी मुल्क से संबंध होता है.

11. राजदूती, बनिजदूती और ब्योपारी प्रतिनिधान.

12. संयुक्त क़ौमी संगठन (यू एन ओ)

13. अन्तर-क़ौमी कानफ़रेन्सों, सभाओं और दूसरी संस्थाओं में भाग लेना और वहाँ जो फ़ैसले किये जांय उन पर काम कराना.

14. विदेशी मुल्कों के साथ संधिनामे और समझौते करना और विदेशी मुल्कों के साथ जो संधिनामे, समझौते और माने हुए रिवाज हों उन पर काम कराना.

15. जंग और सुलह.

16. विदेशी अमलदारी.

17. नागरता, देशीकरन और विदेशी लोग.

18. परसौंपनी.

19. भारत में दाखिल होना, और भारत से बाहर जा बसना और भारत से निकाला जाना; पासपोर्ट और वीसा.

20. भारत से बाहर जगहों की तीर्थ यात्रा.

21. समन्दरी डकैतियां और जुर्म जो बीच समन्दर पर या हवा में किये जायं; क़ौमों के क़ानून के खिलाफ़ जुर्म जो ज़मीन पर या बीच समन्दर पर या हवा में किये जांय.

22. रेलमार्ग.

23. थल मार्ग जिन्हें राजपंचायत के बनाए किसी क़ानून में या ऐसे किसी क़ानून के अधीन क़ौमी थल मार्ग ठहरा दिया गया है.

24. देश के अन्दर के उन जल मार्गों पर, जिन्हें राजपंचायत ने क़ानून बना कर क़ौमी जल मार्ग ठहरा दिया हो, मशीनों से चलने वाले जहाज़ों के ज़रिये जहाज़बानी और जहाज़रानी; ऐसे जल-मार्गों पर मार्ग नियम.

25. समन्दरी जहाज़बानी और जहाज़रानी, जिसमें ज्वार-जल पर की जहाज़बानी और जहाज़रानी शामिल हैं; तिजारती बेड़े के लिये तालीम और ट्रेनिंग का प्रबन्ध, और इस तरह की तालीम और ट्रेनिंग का रियासतें और दूसरी एजेन्सियां जो प्रबन्ध करें उसकी क़ायदाबन्दी.

26. दीप-घर, जिसमें दीप जहाज़, मार्ग-संकेत, और जहाज़ों और हवा जहाज़ों की सलामती के लिये दूसरे प्रबन्ध शामिल हैं.

27. वह बन्दरगाह जो राजपंचायत के बनाए किसी क़ानून में या किसी मौजूदा क़ानून में या उनके अधीन 'बड़े बन्दरगाह' ठहरा

दिये गए हैं, जिनमें उनकी हदबन्दी, और उन बन्दरगाहों के अधिकारियों का बनाना और उनकी शक्तियां शामिल हैं.

28. बन्दरगाह चालीसिया, जिसमें उस संबंध के अस्पताल शामिल हैं; मल्लाही और समन्दरी अस्पताल.

29. हवा मार्ग; हवा जहाज़ और हवा-जहाज़रानी; हवाई अड्डों का प्रबन्ध; हवा व्योपार और हवाई अड्डों की क़ायदाबन्दी और संगठन; हवा विद्या की तालीम और ट्रेनिंग का प्रबन्ध, और इस तरह की तालीम और ट्रेनिंग का रियासतें और दूसरी एजेन्सियां जो प्रबन्ध करें उसकी क़ायदाबन्दी.

30. सवारियों और माल का रेल मार्ग, समन्दर या हवा के रास्ते, या मशीनों से चलने वाले जहाज़ों में क़ौमी जल मार्गों से लाना, ले जाना.

31. डाक और तार; टेलीफ़ोन, बेतार, धुनपसार और आवाजाई के ऐसे ही दूसरे रूप.

32. यूनियन की जायदाद और उससे मालगुज़ारी, पर जो जायदाद पहली पट्टी के भाग (ए) या भाग (बी) में दर्ज किसी रियासत में है उस के बारे में उस रियासत के क़ानूनों के अधीन रहते हुए, सिवाय जहाँ तक कि राजपंचायत क़ानून बना कर कुछ और बंधान कर दे.

33. यूनियन के मतलबों के लिये जायदाद का हासिल करना या मंगैनी ले लेना.

34. देसी रियासतों के शासकों की मिलकियतों के लिये कोरट-कचहरियां.

35. यूनियन का सरकारी क़रज़ा.

36. सिक्का चलन, सिक्का-गढ़न और क़ानूनी सिक्का; विदेशी सिक्का-बदलाव.

37. विदेशी उधारियां.

38. भारत का रिज़र्व बंक.

39. डाकघर बचत बंक.

40. भारत सरकार की या रियासत की सरकार की चलाई लाटरियां.

41. विदेशी मुल्कों से ब्योपार और तिजारत; बिदेसनी महसूल की सीमा के पार आयासी और निकासी ; बिदेसनी महसूल की सीमाओं की परिभाशा.

42. अन्तर-रियासती ब्योपार और तिजारत.

43. ब्योपारी एकतनियों को एकतन करना, उनकी क़ायदाबन्दी और उनका समेटना, इसमें बंकदारी, बीमा और माली एकतनियां शामिल हैं पर सहकारी समितियां शामिल नहीं हैं.

44. ऐसी एकतनियों को एकतन करना, उनकी क़ायदाबन्दी और उनका समेटना, चाहे वह ब्योपारी हों या न हों, जिनके उद्देश एक रियासत तक महदूद नहीं हैं, पर इनमें विद्यापीठें शामिल नहीं हैं.

45. बंकदारी.

46. बदलाव-हुंडियाँ, चेक, प्रामिसरी नोट और इसी तरह के दूसरे पट्टे.

47. बीमा.

48. शेयर बाजार और पेश बाजार.

49. पेटेंट, ईजादें और डिजाइन; कापी राइट; ब्योपार-छाप और सौदागरी-माल-छाप.

50. तोल और माप के मान क़ायम करना.

51. भारत से बाहर भेजे जाने वाले और एक रियासत से दूसरी रियासत में जाने वाले माल के गुन-मान क़ायम करना.

52. वह उद्योग जिन का यूनियन के दबान में रहना राजपंचायत ने क़ानून बना कर जनता के हित में समयोचित ठहरा दिया है.

53. तेल-छेत्रों और खनिज तेल के स्रोतों की क़ायदाबन्दी और उनका विकास; पेट्रोलियम और पेट्रोलियम से बनी चीजें; दूसरे वह तरल और वह चीजें जिन्हें राजपंचायत ने क़ानून बनाकर भयानक आग-पकड़ ठहरा दिया है.

54. उस हद तक खदानों की क़ायदाबन्दी और खनिजों का विकास जिस हद तक कि इस तरह की क़ायदाबन्दी और विकास को

यूनियन के दबान में रखना राजपंचायत ने क़ानून बना कर जनता के हित में समयोचित ठहरा दिया है.

55. खदानों और तेल-क्षेत्रों में मज़दूरी की क़ायदाबन्दी और सलामती.

56. उस हद तक अन्तर-रियासती नदियों और नदी-घाटियों की क़ायदाबन्दी और विकास जिस हद तक कि इस तरह की क़ायदाबन्दी और विकास को यूनियन के दबान में रखना राजपंचायत ने क़ानून बनाकर जनता के हित में समयोचित ठहरा दिया है.

57. भूभागी समन्दर से परे मछली पकड़ना और मछियारी.

58. यूनियन की एजेंसियों का नमक बनाना, मोहय्या करना और बांटना; दूसरी एजेंसियाँ जो नमक बनाएं, मोहय्या करें और बांटें उसकी क़ायदाबन्दी और उस पर दबान.

59. अफ़ीम की खेती, उसका बनाना और देश-बाहर निकासी के लिये उसकी बिकरी.

60. सिनेमा फ़िल्मों को दिखाने की मंज़ूरी.

61. यूनियन के कामगारों संबंधी उद्योगी झगड़े.

62. वह संस्थाएँ जो इस विधान के आरंभ के समय नेशनल लाइब्रेरी, इन्डियन म्यूज़ियम, इम्पीरियल वार म्यूज़ियम, विक्टोरिया मेमोरियल और इन्डियन वार मेमोरियल कहलाती थीं और ऐसी कोई और संस्था जिसमें कुल या कुछ रुपया हिन्द सरकार का लगा हो और जिसे राजपंचायत क़ानून बना कर क़ौमी महत्व की संस्था ठहरा दे.

63. वह संस्थाएं जो इस विधान के आरंभ के समय बनारस हिन्दू यूनिवर्सिटी, अलीगढ़ मुसलिम यूनिवर्सिटी और दिल्ली यूनिवर्सिटी कहलाती थीं और कोई और संस्था जिसे राजपंचायत क़ानून बनाकर क़ौमी महत्व की संस्था ठहरा दे.

64. साइंसी या तकनीकी तालीम के लिये वह संस्थाएं जिन में कुल या कुछ रुपया हिन्द सरकार का लगा हो और जिन्हें राजपंचायत क़ानून बना कर क़ौमी महत्व की संस्था ठहरा दे.

65. नीचे लिखे मामलों के लिये यूनियन की एजेंसियां और संस्थाएं:—

(ए) पेशाई, रोज़गारी या तकनीकी ट्रेनिंग, जिसमें पुलिस अफ़सरों की ट्रेनिंग शामिल है; या

(बी) खास पढ़ाइयों या खोज को बढ़ाना; या

(सी) जुर्म की जांच या पता लगाने में साइंसी या तकनीकी मदद.

66. ऊँची तालीम या खोज की संस्थाओं और साइंसी और तकनीकी संस्थाओं में स्तर तय करना और उनमें तालमेल.

67. प्राचीन और इतिहासी यादगारें और लेखे और पुरातत्त्वी स्थान और खंडहर जिन्हें राजपंचायत क़ानून बनाकर क़ौमी महत्व का ठहरा दे.

68. भारत की सरवे, भारत की भू-विद्या, बनस्पति-विद्या, जन्तु-विद्या और नर-विद्या संबंधी अलग अलग सरवे; खगोल-विद्या संबंधी संस्थाएं.

69. गिनावा.

70. यूनियन सरकारी नौकरियां; कुल-भारत नौकरियां; यूनियन सरकारी नौकरी कमीशन.

71. यूनियन पेनशनें, यानी वह पेनशनें जो भारत सरकार को देनी हैं या भारत के मूठकोश में से दी जानी हैं.

72. राजपंचायत के, रियासतों की क़ानून सभाओं के और राजपति और उप-राजपति के पदों के चुनाव; चुनाव कमीशन.

73. राजपंचायत के मेम्बरों की, रियासत सदन के मसनदी और उप-मसनदी की और लोक सदन के सभामुख और उप-सभामुख की तनखाहें और भत्ते.

74. राजपंचायत के हर सदन की और हर सदन के मेम्बरों और कमेटियों की शक्तियां, निजनियम और बरीयतें; राजपंचायत की कमेटियों या राजपंचायत के नियोजे कमीशनों के सामने गवाही देने या दस्तावेजें पेश करने के लिये लोगों की हाज़िरी लाजमी कराना.

75. राजपति और रियासतपतियों के वेतन, भत्ते, निजनियम

और छुट्टी के बारे में अधिकार; यूनियन के वज़ीरों की तनखाहें और भत्ते; दाब अफ़सर और सरपड़तालिया की तनखाहें, भत्ते और छुट्टी के बारे में अधिकार और नौकरी की दूसरी शर्तें.

76. यूनियन के और रियासतों के हिसाब किताब की पड़ताल.

77. आला अदालत की बनावट, संगठन, अमलदारी और शक्तियां (जिसमें उस अदालत की तौहीन शामिल है), और उस अदालत में जो फीसें ली जायं; वह लोग जो आला अदालत में वकालत करने के हक़दार हैं.

78. हाईकोर्टों के अफ़सरों और नौकरों के बारे में बंधानों को छोड़कर हाईकोर्टों की बनावट और संगठन; वह लोग जो हाईकोर्टों में वकालत करने के हक़दार हैं.

79. किसी ऐसी हाईकोर्ट की अमलदारी को जिसकी खास जगह किसी रियासत में है उस रियासत से बाहर किसी छेत्र तक बढ़ा देना, और उस रियासत से बाहर के किसी छेत्र से ऐसी किसी हाईकोर्ट की अमलदारी को अलग कर देना.

80. किसी रियासत के पुलिस बल के मेम्बरों की शक्तियों और अमलदारी को उस रियासत से बाहर के किसी छेत्र तक बढ़ा देना, पर इस तरह नहीं कि एक रियासत की पुलिस उस रियासत से बाहर के किसी छेत्र में, उस रियासत की सरकार की अनुमति बिना जिसके अन्दर वह छेत्र है, अपनी शक्तियों और अमलदारी से काम ले सके; किसी रियासत के पुलिस बल के मेम्बरों की शक्तियों और अमलदारी को उस रियासत से बाहर के रेल मार्ग छेत्रों तक बढ़ा देना.

81. एक रियासत से दूसरी रियासत में जा बसना; अन्तर-रियासती चालीसिया.

82. खेती-बाड़ी की आमदनी को छोड़ दूसरी आमदनी पर टैक्स.

83. बिदेसनी महसूल जिनमें निकासी महसूल शामिल हैं.

84. तम्बाकू पर और भारत में बने या पैदा हुए सिवाय नीचे लिखे मालों के, दूसरे माल पर निकासनी महसूल :—

(ए) लोगों में खपत के लिये अलकोहोली तरल;

(बी) अफ़ीम, गांजा और दूसरी पीनक वाली जड़ी-बूटियां और पीनक वाली चीज़ें,

पर दवा और सिंगार की वह तैयार की हुई चीजें इसमें शामिल हैं जिनमें अलकोहल या इस अन्तरी के उप-पैरा (बी) में आई हुई कोई चीज़ है.

85. एकतनी टैक्स.

86. खेती बाड़ी की ज़मीन को छोड़कर, अलग अलग आदमियों और कम्पनियों की लेनदारियों की कुल मालियत पर टैक्स; कम्पनियों की पूंजी पर टैक्स.

87. खेती बाड़ी की ज़मीन को छोड़कर दूसरी जायदाद के बारे में मिलकियत महसूल.

88. खेती बाड़ी की ज़मीन को छोड़ कर दूसरी जायदाद की विरासत के बारे में महसूल.

89. रेल मार्ग, समन्दर या हवा से जाने वाले माल या सवारियों पर हदवारी टैक्स; रेल मार्ग के किरायों और भाड़ों पर टैक्स.

90. शेयर बाज़ारों और पेश बाज़ारों के सौदों पर स्टाम्प महसूल को छोड़कर दूसरे टैक्स.

91. बदलाव हुंडियों, चेकों, प्रामिसरी नोटों, लदाई बिलटियों, साख-पत्रों, बीमा पालिसियों, शेयरों के तबादलों, क़रज़-पत्रों, एवज़ियों और रसीदों के बारे में स्टाम्प महसूल की दरें.

92. अख़बारों की बिकरी या ख़रीद पर और उनमें निकलने वाले ज़ाहिरात पर टैक्स.

93. इस तालिका के मामलों में से किसी के बारे में क़ानूनों के ख़िलाफ़ जुर्म.

94. इस तालिका के मामलों में से किसी के मतलब के लिये पूछताछ, सरवे और आंकड़े.

95. इस तालिका के मामलों में से किसी के बारे में आला-अदालत को छोड़ कर और सब अदालतों की अमलदारी और शक्तियां; समन्दरी विभाग की अमलदारी.

96. किसी अदालत में जो फ़ीसें ली जाती हैं उनको शामिल न

करते हुए, इस तालिका के मामलों में से किसी के बारे में फ़ीसें.

97. कोई दूसरा मामला, जो तालिका दो या तालिका तीन में नहीं गिनाया गया, जिसमें ऐसा टैक्स शामिल है जिसका ज़िकर उन तालिकाओं में से किसी में नहीं आया.

तालिका दो—रियासत तालिका

1. जन-व्यवस्था (लेकिन नागरी शक्ति की मदद के लिये यूनियन की समन्दरी, ज़मीनी या हवाई फ़ौजों या और किसी हथियारबंद फ़ौजों का इस्तेमाल इसमें शामिल नहीं है).

2. पुलिस, जिसमें रेल मार्ग और गांव पुलिस शामिल है.

3. न्याय-शासन; आला अदालत और हाईकोर्ट के सिवा सब अदालतों की बनावट और उनका संगठन; हाईकोर्ट के अफ़सर और नौकर; लगान और मालगुज़ारी की अदालतों का दस्तूर; आला अदालत के सिवा सब अदालतों में ली जाने वाली फ़ीसें.

4. जेलखानें, सुधार-घर, बोरस्टली संस्थाएँ और इसी तरह की दूसरी संस्थाएँ, और वह लोग जो उनमें रोक कर रखे जायं; जेलखानों और दूसरी संस्थाओं के इस्तेमाल के लिये दूसरी रियासतों के साथ प्रबन्ध.

5. मुक़ामी हकूमत, यानी नगर एकतनियों, नगर सुधार ट्रस्टों, ज़िला बोर्डों, खदान आबादी अधिकारियों, और मुक़ामी स्वराज या गांव शासन के मतलब के लिये दूसरे मुक़ामी अधिकारियों, की बनावट और उनकी शक्तियां.

6. जन-तन्दुरुस्ती और सफ़ाई; अस्पताल और दवाखाने.

7. तीर्थ यात्राएँ, भारत से बाहर जगहों की तीर्थ यात्राओं को छोड़ कर.

8. नशीले तरल, यानी नशीले तरलों का पैदा करना, बनाना, रखना, लाना ले जाना, खरीदना और बेचना.

9. अपाहिजों और काम न कर सकने वालों की मदद.

10. दफ़न और दफ़न-भूमियां; दाह और दाह-भूमियां.

11. तालीम जिसमें विद्यापीठ शामिल हैं पर तालिका एक की अन्तरी 63, 64, 65 और 66 और तालिका तीन की

अन्तरी 25 के बंधानों का ध्यान रखते हुए.

12. वह किताबघर, अजायबघर, और इस तरह की दूसरी संस्थाएँ जो रियासत के दबान में हों या रियासत के रुपए से चलती हों; प्राचीन और इतिहासी यादगारें और लेखे, उन्हें छोड़ कर जिन्हें राजपंचायत क़ानून बना कर क़ौमी महत्व का ठहरा दे.

13. आवा-जाई के साधन यानी सड़कें, पुल, उतराई घाट, और आवा-जाई के ऐसे दूसरे साधन जो तालिका एक में दर्ज नहीं हैं; नगर ट्राम मार्ग; रस्सा मार्ग; देश अन्दर के जल मार्ग और ऐसे जल मार्गों के बारे में तालिका एक और तालिका तीन के बंधानों का ध्यान रखते हुए उन पर का व्यापार; मशीन से चलने वाली गाड़ियों को छोड़ कर दूसरी गाड़ियां.

14. खेती बाड़ी, जिसमें खेती बाड़ी की तालीम और खोज, महामारी से रक्षा और पौदों की बीमारियों की रोकथाम शामिल है.

15. मवेशियों को बनाए रखना, बचाए रखना, और उनकी नसल सुधारना, और जानवरों की बीमारियों की रोकथाम; पशु-इलाज की ट्रेनिंग और उसका व्योहार.

16. कांजी हौज़ और मवेशियों के हद लांघने की रोकथाम.

17. पानी, यानी पानी पहुँचाना, सिंचाई और नहरें, पानी का निकास और बांध, पानी इकट्ठा करना और पन-शक्ति, तालिका एक की अन्तरी 56 के बंधानों का ध्यान रखते हुए.

18. ज़मीन, यानी ज़मीन में या ज़मीन पर अधिकार, भूमि-दारियां जिनमें ज़मीदार और किसान का संबंध शामिल है, और लगान जमा करना; खेती बाड़ी की ज़मीन का दाखिल-खारिज और दूसरों को दे डालना; ज़मीन को सुधारना और खेती बाड़ी के लिये उधारियां; बस्तियां बसाना.

19. जंगलात.

20. जंगली जानवरों और परिन्दों की रक्षा.

21. मछियारियां.

22. तालिका एक की अन्तरी 34 के बंधानों का ध्यान रखते हुए कोरट कचहरियां; क़रज़ा-दबी और कुर्क मिलकियतें.

23. यूनियन के दबान में खदानों की क़ायदाबन्दी और खनिजों के विकास की बाबत तालिका एक के बंधानों का ध्यान रखते हुए खदानों की क़ायदाबन्दी और खनिजों का विकास.

24. तालिका एक की अन्तरी 52 के बंधानों का ध्यान रखते हुए उद्योग.

25. गैस और गैस के कारखाने.

26. रियासत के अन्दर ब्योपार और तिजारत, तालिका तीन की अन्तरी 33 के बंधानों का ध्यान रखते हुए.

27. माल का पैदा करना, मोहय्या करना और बांटना, तालिका तीन की अन्तरी 33 के बंधानों का ध्यान रखते हुए.

28. मंडियां और मेले.

29. तोलने के बाट और माप, सिवाय उनके मान क़ायम करने के.

30. रुपया उधार देना और साहूकार; खेतिहरों की कर्ज़दारी को हल्का करना.

31. सराय और सराय रखने वाले.

32. तालिका एक में दर्ज एकतनियों को छोड़ कर एकतनियों और विद्यापीठों को एकतन करना, उनकी क़ायदाबन्दी, और उनको समेटना; ऐसी ब्योपारी, अदबी, साइंसी, धार्मिक और दूसरी सोसाइटियां और सभाएँ जो एकतन नहीं हैं; सहकारी समितियां.

33. थेटर और नाटक के खेल; तालिका एक की अन्तरी 60 के बंधानों का ध्यान रखते हुए सिनेमा; खेल, मनोरंजन और तमाशे.

34. शर्त बदना और जुआ खेलना.

35. कारखाने, ज़मीनें और इमारतें जो रियासत को हासिल हैं या जो रियासत के क़ब्ज़े में हैं.

36. तालिका तीन की अन्तरी 42 के बंधानों का ध्यान रखते हुए, जायदाद का हासिल कर लेना या मंगेनी ले लेना, सिवाय यूनियन के मतलबों के लिये.

37. राजपंचायत के बनाये किसी क़ानून के बंधानों का ध्यान रखते हुए रियासत की क़ानून सभा के चुनाव.

38. रियासत की क़ानून सभा के मेम्बरों की, आम सदन के

सभामुख और उप-सभामुख की, और अगर खास सदन हो तो उसके मसनदी और उप-मसनदी की तनखाहें और भत्ते.

39. आम सदन की, और उसके मेम्बरों और उसकी कमेटियों की, और अगर खास सदन है तो उस सदन की और उसके मेम्बरों और उसकी कमेटियों की, शक्तियां, निजनियम और बरीयतें; रियासत की क़ानून सभा की कमेटियों के सामने गवाही देने या दस्तावेजें पेश करने के लिये लोगों की हाजिरी लाजमी कराना.

40. रियासत के वजीरों की तनखाहें और भत्ते.

41. रियासत सरकारी नौकरियां; रियासत सरकारी नौकरी कमीशन.

42. रियासत पेनशनें, यानी वह पेनशनें जो रियासत को देनी हैं या रियासत के मूठकोश में से दी जानी हैं.

43. रियासत का सरकारी क़रजा.

44. गड़े और लावारसी खजाने.

45. जमीन की मालगुजारी, जिसमें मालगुजारी का तय करना और जमा करना, जमीन के लेखे रखना, मालगुजारी के मतलबों के लिये सरवे और अधिकारों के लेखे, और मालगुजारी दूसरों के नाम करना, सब शामिल हैं.

46. खेती बाड़ी की आमदनी पर टैक्स.

47. खेती बाड़ी की जमीन की विरासत के बारे में महसूल.

48. खेती बाड़ी की ज़मीन के बारे में मिलकियत महसूल.

49. ज़मीनों और इमारतों पर टैक्स.

50. उन सीमाओं के अन्दर रहते हुए जो राजपंचायत क़ानून बना कर खनिजों के विकास के संबंध में तय कर दे, खनिजों के अधिकारों पर टैक्स.

51. नीचे लिखे मालों पर जो उस रियासत में बने हों या पैदा हुए हों निकासनी महसूल, और उसी तरह के मालों पर जो भारत में कहीं और बने हों या पैदा हुए हों उसी दर से या कम दर से पासंगी महसूल :—

(ए) लोगों में खपत के लिये अलकोहोली तरल;

(बी) अफ़ीम, गांजा और दूसरी पीनक वाली जड़ी बूटियां और पीनक वाली चीज़ें;

पर दवा और सिंगार की वह तैयार की हुई चीज़ें इनमें शामिल नहीं होंगी जिनमें अलकोहल या इस अन्तरी के उप-पैरा (बी) में आई हुई कोई चीज़ है.

52. किसी मुकामी छेत्र में खपत, इस्तेमाल या बिकरी के लिये माल की आमद पर टैक्स.

53. बिजली की खपत या बिकरी पर टैक्स.

54. अखबारों को छोड़ कर दूसरे मालों की बिकरी या खरीद पर टैक्स.

55. अखबारों में निकलने वाले जाहिरात को छोड़ कर दूसरे जाहिरात पर टैक्स.

56. सड़कों से या देश-अन्दर के जलमार्गों से जाने वाले माल और सवारियों पर टैक्स.

57. ऐसी गाड़ियों पर टैक्स, चाहे वह मशीन से चलती हों या नहीं, जो सड़कों पर इस्तेमाल के क़ाबिल हों, जिनमें ट्राम-गाड़ियां शामिल हैं, पर तालिका तीन की अन्तरी 35 के बंधानों का ध्यान रखते हुए.

58. जानवरों और किश्तियों पर टैक्स.

59. टोल टैक्स.

60. पेशों, व्योपारों, रोजगारों और कामगारियों पर टैक्स.

61. आदमीवार टैक्स.

62. ऐश की चीज़ों पर टैक्स, जिनमें मनोरंजनों, तमाशों, शर्त बदने और जूए पर टैक्स शामिल हैं.

63. स्टाम्प महसूल की दरों के बारे में तालिका एक के बंधानों में जो दस्तावेज़ें बताई गई हैं उनको छोड़कर दूसरी दस्तावेज़ों केबारे में स्टाम्प महसूल की दरें.

64. इस तालिका के मामलों में से किसी के बारे में क़ानूनों के खिलाफ़ जुर्म.

65. इस तालिका के मामलों में से किसी के बारे में आला-

अदालत के सिवा सब अदालतों की अमलदारी और शक्तियां.

66. इस तालिका के मामलों में से किसी के बारे में फ़ीसें, लेकिन किसी अदालत में ली जाने वाली फ़ीसें इसमें शामिल नहीं हैं.

तालिका तीन—संगचारी तालिका

1. फ़ौजदारी क़ानून, जिस में वह सब मामले शामिल हैं जो इस विधान के आरंभ के समय ताज़ीरात हिन्द में शामिल हों, पर तालिका एक या तालिका दो में दर्ज मामलों में से किसी के बारे में क़ानूनों के खिलाफ़ जुर्म इसमें शामिल नहीं है और न नागरी शक्ति की मदद के लिये यूनियन की समन्दरी, ज़मीनी या हवाई फ़ौजों या दूसरी किसी हथियार-बन्द फ़ौजों का इस्तेमाल इसमें शामिल है.

2. फ़ौजदारी दस्तूर, जिसमें वह सब मामले शामिल हैं जो इस विधान के आरम्भ के समय ज़ाब्ता फ़ौजदारी में शामिल हों.

3. किसी रियासत की सुरक्षा से, जन-व्यवस्था को बनाए रखने से, या समाज के लिये ज़रूरी रसद और नौकरियों को बनाए रखने से संबंध रखने वाले कारनों से रोकथामी नज़रबन्दी; वह लोग जो इस तरह नज़रबंद रखे जायं.

4. क़ैदियों का, मुलज़िमों का और इस तालिका की अन्तरी 3 में दर्ज कारनों से रोकथामी नज़रबन्दी में रखे लोगों का एक रियासत से दूसरी रियासत को हटाया जाना.

5. ब्याह-शादी और तलाक़; दुधमुंहे बच्चे और नाबालिग़; गोद लेना; वसीयतें, बेवसीयती और विरासत; मिला-जुला परिवार और बटवारा; वह सब मामले जिनके बारे में इस विधान के आरंभ होने से ठीक पहले अदालती कारवाइयों के फ़रीक़ अपने अपने निजी क़ानून के अधीन थे.

6. खेती बाड़ी की ज़मीन को छोड़ कर दूसरी जायदाद का तबादला; तमस्सुकों और दस्तावेज़ों की रजिस्ट्री.

7. ठेके, जिसमें साझेदारी, एजेंसी, माल ढोने के ठेके, और ठेकों के दूसरे खास रूप शामिल हैं, पर जिनमें खेती बाड़ी की ज़मीन के बारे में ठेके शामिल नहीं हैं.

8. क़ानूनी कारवाई के क़ाबिल ग़लत काम.

9. नादार हो जाना और दिवाला.

10. ट्रस्ट और ट्रस्टी.

11. सर प्रबन्धक और सरकारी ट्रस्टी.

12. गवाही और हलफ़; क़ानूनों, सरकारी कामों और सरकारी लेखों, और अदालती कारवाइयों का माना जाना.

13. दीवानी दस्तूर, जिसमें वह सब मामले शामिल हैं जो इस विधान के आरंभ के समय ज़ाब्ता दीवानी में शामिल हों, मियाद-बन्दी और पंचनामा.

14. अदालत की तौहीन, पर जिसमें आला अदालत की तौहीन शामिल नहीं है.

15. आवारागरदी; ख़ानाबदोश और मौसमी क़बीले.

16. पागलपन और दिमाग़ी कमी, जिसमें वह जगहें शामिल हैं जहां पागलों और दिमाग़ी कमी वालों को लिया जाय या उनका इलाज किया जाय.

17. जानवरों पर बेरहमी की रोकथाम.

18. खाने की चीज़ों और दूसरे माल में मिलावट.

19. जड़ी बूटियां और ज़हर, अफ़ीम के बारे में तालिका एक की अन्तरी 59 के बंधानों का ध्यान रखते हुए.

20. आर्थिक और समाजी योजना.

21. तिजारती और उद्योगी इजारे, ब्योपारी गुट और ट्रस्ट.

22. ट्रेड यूनियनें; उद्योगी और मज़दूरी झगड़े.

23. समाजी सुरक्षा और समाजी बीमा; कामगारी और बेकामगारी.

24. मज़दूरों की भलाई, जिसमें काम की शर्तें, प्राविडेन्ट फ़न्ड, मालिकों की देनदारी, कामगारों की नुक़सान-भरपाई, निबल और बुढ़ापा पेनशनें और जापा रियायतें शामिल हैं.

25. मज़दूरों की रोज़गारी और तकनीकी ट्रेनिंग.

26. क़ानूनी, डाक्टरी और दूसरे पेशे.

27. हिन्द और पाकिस्तान डोमिनियनों के क़ायम होने के कारन अपनी पहली रहने की जगह से उखड़े हुए लोगों की मदद और उनका फिर-बसाव.

28. ख़ैरात और ख़ैराती संस्थाएँ, ख़ैराती और धार्मिक देन और धार्मिक संस्थाएँ.

29. उड़नी बीमारियों या छूत की बीमारियों या आदमियों, जानवरों या पौदों पर असर करने वाली महामारियों, के एक रियासत से दूसरी रियासत में फैलने की रोकथाम.

30. जीवन आंकड़े, जिसमें जनम और मौत की रजिस्ट्री शामिल है.

31. बन्दरगाह, उन बन्दरगाहों को छोड़ कर जिनको राज-पंचायत के बनाए क़ानून में या मौजूदा क़ानून में या उनके अधीन बड़े बन्दरगाह ठहरा दिया गया हो.

32 देश-अन्दर के जलमार्गों पर, जहां तक मशीन से चलने वाले जहाज़ों का सम्बन्ध है, जहाज़बानी और जहाज़रानी, ऐसे जलमार्गों पर मार्ग नियम, और क़ौमी जल मार्गों के बारे में तालिका एक के बंधानों का ध्यान रखते हुए, देश-अन्दर के जलमार्गों पर सवारियों और माल का लाना लेजाना.

33. जहां कुछ उद्योगों को यूनियन के दबान में रखना राज-पंचायत ने क़ानून बनाकर जनता के हित में समयोचित ठहरा दिया हो, वहां उन उद्योगों की पैदावार का ब्योपार और तिजारत, और उनका पैदा करना, मोहय्या करना और बांटना.

34. दाम कंट्रोल.

35. मशीनों से चलने वाली गाड़ियां, जिसमें वह सिद्धान्त शामिल हैं जिनके अनुसार ऐसी गाड़ियों पर टैक्स लगाये जायंगे.

36. फ़ैक्टरियां.

37. बायलर.

38. बिजली.

39. अख़बार, किताबें और छापेख़ाने.

40. पुरातत्त्वी स्थान और खंडहर, उनको छोड़ कर जिन्हें राज-पंचायत क़ानून बना कर क़ौमी महत्व का ठहरा दे.

41. उस जायदाद की रखवाली, प्रबन्ध और निपटारा (जिसमें खेती बाड़ी की ज़मीन शामिल है), जिसे क़ानून ने घर छुट-जायदाद ठहरा दिया हो.

42. वह सिद्धान्त जिन पर यूनियन के या किसी रियासत के मतलबों के लिये या किसी दूसरे सरकारी मतलब के लिये जो जायदाद हासिल कर ली जाय या मंगैनी ले ली जाय उसकी नुक़सान भरपाई तय की जानी है, और जिस रूप में और जिस ढंग से वह भरपाई दी जानी है.

43. किसी रियासत में टैक्सों और दूसरी सरकारी मांगों के बारे में, जिनमें ज़मीन की मालगुज़ारी की बक़ाया और ऐसी बक़ाया के रूप में जो रक़में वसूल करनी हैं वह शामिल हैं, उन दावों की वसूली जो उस रियासत के बाहर पैदा हुए हों.

44. अदालती स्टाम्पों से जो महसूल या फ़ीस जमा की जाय उनको छोड़ कर दूसरे स्टाम्प महसूल, पर इसमें स्टाम्प महसूल की दरें शामिल नहीं हैं.

45 तालिका दो या तालिका तीन में दर्ज मामलों में से किसी के मतलबों के लिये पूछताछ और आंकड़े.

46. इस तालिका के मामलों में से किसी के बारे में, आला अदालत के सिवा, सब अदालतों की अमलदारी और शक्तियां.

47. इस तालिका के मामलों में से किसी के बारे में फ़ीसें, लेकिन किसी अदालत में ली जाने वाली फ़ीसें इसमे शामिल नहीं हैं.

आठवीं पट्टी

[दफ़ा 344 (1) और 351]

भाशाएं

1. आसामी.
2. बंगला.
3. गुजराती.
4. हिन्दी.
5. कन्नड.
6. कश्मीरी.
7. मलयालम.
8. मराठी.
9. उड़िया.
10. पंजाबी.
11. संस्कृत.
12. तामिल.
13. तेलगू.
14. उर्दू.

भारत के विधान
की
शब्द-माला

शब्दमाला

हिन्दी से अंगरेज़ी

हिन्दी के कुछ शब्द जो इस अनुवाद में बरते गए हैं और उनके सामने मूल अंगरेज़ी के जवाबी शब्द

अ

अचल—Immoveable

अचानक मांग—Unexpected demand

अचानको—Emergency

अचानकी का ऐलान—Proclamation of emergency

अचानकी बन्धान—Emergency provision

अछूतपन—Untouchability

अजायबघर—Museum

अजोगता—Disqualification

अदब साहित्य—Literature

अदबी—Literary

अदल बदल—Modification

अदल बदल करना—To modify

अदा करना—To make payment, to repay

अदा करना, अपने को—To express oneself

अदायगी—Payment

अदालत—Court

अदालती कारवाई—Judicial proceeding

अदालती फ़ैसला—Adjudication

अदालती स्टाम्प-Judicial stamp

अधिक अदालत—Additional court

अधिक ख़र्च—Excess expenditure

अधिक ज़िला जज—Additional District Judge

अधिक देनगी—Excess grant

अधिक सेशन जज—Additional Sessions Judge

अधिकार—Right

अधिकारना—To authorise

अधिकारी—Authority

अधिकारी अदालत—Competent Court

अधिकारी क़ानून सभा—Competent Legislature

अन-ओटी रूई—Unginned cotton

अनकरी ज़रूरत—Undeserved want

अनधिकार—Inccmpetency

अनमिल फ़ैसला—Dissenting judgment

अनमिल राय—Dissenting Opinion

अनसूझे खर्च—Unforeseen expenditure

अनिश्चित रूप—Indefinite character

अनुकूलन—Adaptation

अनुपात—Ratio

अनुमति—Consent

अनुवाद—Translation

अन्तरक़ौमी—International

अन्तरव्योहार—Intercourse

अन्तररियासती—Inter-state

अन्तरात्मा—Conscience

अन्तरी—Entry

अपनाना—To adopt

अपमानलेख—Libel

अपमानवचन—Slander

अपवाद—Exception

अपात्र—Ineligible

अपाहज—Disabled

अपाहजी पेनशन—Disability pension

अपील—Appeal

अपील की बिना—Ground of appeal

अपीली अदालत—Court of appeal

अपीली अमलदारी—Appellate jurisdiction

अफ़सर—Office

अबरक—Mica

अमलदारी—Jurisdiction

अमला—Staff

अमली—Practicable, practical

अमली तजुरबा—Practical experience

अरज़ी पत्र—Representation

अर्थ—Interpretation

अर्थ व्यवस्था—Economic system

अलकोहल—Alcohol

अलकोहोली तरल—Alcoholic liquor

अलग देनगी—Exceptional grant

अलग रखना—Reservation

अलग रखी सीट—Reserved seat

अलावा—In addition to

असकत—Disability

असर—Effect

असरदार—Effective

असरदार ढंग से—Effectively

असल क़ीमत—Principal value

असल नौकरी—Actual service

असल वसूली—Net proceeds

आ

आंकड़ा—Figure

आंकड़े—Statistics

आंकना—To assess

आग-हथियार—Fire-arms
आज़ादी—Liberty, freedom
आजीवन कालापानी—Transportation for life
आदतन—Habitually
आदमीवार टैक्स—Capitation tax
आधार—Basis
आम—General, public
आम क़ानून—General law
आम चुनाव—General election
आम चुनाव चिट्ठा—General electoral roll
आम टैक्स—General tax
आमदनी टैक्स—Income tax
आम दस्तूर—Procedure in general
आम धारा एक्ट, 1897—General Clauses Act, 1897
आम नोटिस—Public notification
आम सदन—Legislative Assembly
आम हुकुम—General order
आमियत—Generality
आयाती—Import
आरज़ी—Temporary
आरज़ी बन्धान—Temporary provision
आरम्भ—Commencement
आर्थिक—Economic
आर्थिक सकत—Economic capacity
आर्थिक संगठन—Economic organisation
आर्थिक हित—Economic interest
आला अदालत—Supreme Court
आला कमान—Supreme command
आवाजाई—Communication
आवाजाई के साधन—Means of communication
आवारागरदी—Vagrancy
आवेदन पत्र—Memorial
आसाम जंगल क़ायदाबन्दी, 1891—Assam Forest Regulation, 1891

इ

इक़रारनामा—Engagement
इकहरा बदलता वोट—Single transferable vote
इकाई—Unit
इजलास—Session
इजारा—Monopoly
इनामी रक़म—Gratuity
इलाक़ा—Region
इलाक़ा कमिशनर—Regional Commissioner

इलाक़ा कोश—Regional fund

इलाक़ा भाशा—Regional language

इलाक़ा मंडल—Regional council

इस्तीफ़ा—Resignation

ई

ईजाद—Invention

उ

उठावा—Issue

उड़नी बीमारी—Infectious disease

उतराई घाट—Ferry

उद्योग—Industry

उद्योगी—Industrial

उद्योगी कारबार—Industrial undetraking

उद्योगी झगड़ा—Industrial dispute

उधार लेना—Borrowing

उधारी—Loan

उधारी लेना—To raise loan

उप-धारा—Sub-clause

उप-राजपति—Vice-President

उपराजप्रमुख—Uprajpramukh

उपाधि—Distinction

उम्मीदवार—Candidate

ए

एकतन करना—To incorporate

एकतन संस्था—Body corporate

एकतनी—Corporation

एकतनी कम्पनी—Incorporated company

एकतनी टैक्स—Corporation tax

एकता—Unity

एकरूपता—Uniformity

एक्ट—Act

एजेंट—Agent

एजेंसी—Agency

एटम शक्ति—Atomic energy

एवज़ी—Proxy

ऐ

ऐलान—Proclamation

ऐलान करना—To proclaim, to declare

ऐलान निकालना—To issue proclamation

ऐश—Luxury

ओ

ओटी रूई—Ginned cotton

ओहदा—Office

औ

औसत—Average

औसरी सूनी—Casual vacancy

क

कच्ची उमर—Tender age

क़बाइली क्षेत्र—Tribal area

क़बाइली मंडल—Tribal Council

क़बाइली समाज—Tribal community
क़बीला—Tribe
क़बीला सलाहकार मंडल—Tribes Advisory Council
कमीयत—Minority
कमीशन—Commission
कमेटी—Committee
कम्पनी—Company
करज़पत्र—Debenture
करज़ा—Debt
करज़ा खर्च—Debt charges
करज़ा चुकाई कोश—Sinking fund
करज़ा चुकाना, करज़ा भुगतान—Redemption of debt
करज़ादबी—Encumbered
कलचर—Culture
कलचरी—Cultural
कला—Art
क़सबा कमेटी—Town committee
काजकारी—Executive
काजकारी काम—Executive action, executive function
काजकारी शक्ति—Executive power
कानफ़रेंस—Conference
क़ानून—Law
क़ानून का ठोस सवाल—Substantial question of law
क़ानूनकारी—Legislative
क़ानूनकारी काम—Legislative function
क़ानूनकारी शक्ति—Legislative power
क़ानूनकारी संबंध—Legislative relation
क़ानून तोड़ना—Violation of law
क़ानून बनाना—To legislate, to enact
क़ानून शास्त्री—Jurist
क़ानूनसभा—Legislature
क़ानूनसंगत—Lawful
क़ानूनी कारवाई—Legal proceedings
क़ानूनी मामला—Legal matter
क़ानूनी सवाल—Question of law
क़ानूनी सिक्का—Legal tender
कापीराइट—Copyright
काम का संचालन—Conduct of business
कामगार—Employee, workman, worker
कामगारी—Employment
कामचलाऊ—Provisional
कामचलाऊ क़ानूनसभा—Provisional Legislature
कामचलाऊ राजपंचायत—Provisional Parliament
काम निभारना—To discharge function

क़ायदा, क़ायदाबन्दी—Regulation
क़ायदादारी—Discipline
क़ायमी हुकुम—Standing order
कारकर—Acting
कारकर सरजज—Acting Chief Justice
कारबार—Business
कारवाई रोक देना—Stay of proceedings
कालम—Column
कांजी हौज़—Cattle pound, pound
किताब घर—Library
की रू से—By virtue of
कुरकी—Attachment
कुल मालियत—Capital value
कुल वसूली—Whole proceeds
के इच्छाकाल तक—During the pleasure of
कोरट कचहरी—Court of Wards
कोरम—Quorum
क़ौम—Nation
क़ौमी जलमार्ग—National waterway
क़ौमी थलमार्ग—National highway
क़ौमी हित—National interest
क़ौंसिल समेत सम्राट—His Majesty in Council
क्लर्क—Clerk

ख

खगोलविद्या—Meteorology
खदान—Mine
खदान आबादी अधिकारी—Mining Settlement Authority
खनिज—Mineral
खनिज तेल—Mineral oil
खनिज साधन—Mineral resources
खनिजों का विकास—Mineral development
खपत—Consumption
ख़फ़ीफ़ा अदालत—Small Cause Court
खर्च—Expenditure, expense
खर्च की मद में डालना—To appropriate
खानाबदोश—Nomadic
खास चुनाव चिट्ठा—Special electoral roll
खास जानकारी—Special knowledge
खास टैक्स—Special tax
खास दस्तूर—Special procedure
खास निर्देश—Special directive
खास पढ़ाई—Special study
खास प्रतिनिधान—Special representation
खास बन्धान—Special provision

खास रियायत—Special concession

ख़ास रूप—Special form

खास सदन—Legislative Council

खास सरवचन—Special address

खिताब—Title

खित्ता—Tract

खुद-मालिक—Sovereign

खुला इजलास—Open court

खेतिहर—Agricultural worker

खेतीबाड़ी—Agriculture

खेतीबाड़ी की आमदनी—Agricultural income

खेती बाड़ी की ज़मीन—Agricultural land

खैरात—Charity

खैराती संस्था—Charitable institution

खोज—Research

खोज निकालना—Discovery

खंड—Chapter

खंडहर—Remains

ग

गम्भीरता के साथ—Solemnly

गवरनर—Governor

गवरनर जनरल—Governor General

गवरनरी सूबा—Governor's province

गहरी अचानकी—Grave emergency

गांव अदालत—Village court

गांव कमेटी—Village committee

गांव पुलिस—Village police

गांव पंचायत—Village panchayat

गांव मंडल—Village council

गांव शासन—Village administration

गारंटी—Guarantee

गिनावा—Census

गुन मान—Standard of quality

गुना—Multiple

ग़ैरक़ानूनी—Illegal

ग़ैर-हिन्दी-भाशी क्षेत्र—Non-Hindi speaking area

गैस—Gas

गोद लेना—Adoption

गोला बारूद—Ammunition

घ

घरछुट—Evacuee

घरछुट जायदाद—Evacuee property

घरेलू उद्योग—Cottage industry

घाटी—V alle

घायली पेनशन—Wound pension

च

चल—Moveable

चालीसिया—Quarantine

चाहनी—Desirable

चीफ़ कमिशनर—Chief Commissioner

चीफ़ कमिशनरी सूबा—Chief Commissioner's Province

चुनायत—Electorate

चुनाव—Election

चुनाव अदालत—Election tribunal

चुनाव अरज़ी–Election petition

चुनाव कमिशनर—Election Commissioner

चुनाव कमीशन—Election Commission

चुनाव का संचालन—Conduct of election

चुनाव चिट्ठा—Electoral roll

चुनाव मंडल–Electoral college

चुनाव हलक़ा—Constituency

चेक—Cheque

छ

छांटना—To select

छापाखाना—Printing press

छावनी—Cantonment

छावनी अधिकारी—Cantonment authority

छावनी क्षेत्र—Contonment area

छुट-क़ानून—Bye-law

छुट्टी—Leave, leave of absence

छूत की बीमारी—Contagious disease

क्षेत्र—Area

छोटा सरनामा—Short title

ज

जज—Judge

जड़ी बूटी—Drug

जनक पुरुश—Male progenitor

जन-तन्दुरुस्ती—Public health

जनता—Public

जनता की संस्था—Public institution

जनराज—Republic

जन-व्यवस्था—Public order

जन्तु विद्या—Zoology

जन्मस्थान—Place of birth

जबरन हासिल करना—Compulsory acquisition

जबरी मज़दूरी—Forced labour

जबरी सेवा—Compulsory service

ज़ब्ती—Forfeiture

ज़मानत—Security, bail

ज़मीन—Land

ज़मीन का बटवारा—Allotment of land

ज़मीनी फ़ौज—Military force

ज़रूरती जज—Ad hoc Judge

जलपान घर—Restaurant

जलमार्ग—Waterway

जवाबदेह—Answerable

जवाबदेही करना—To defend

जवाबी देसी रियासत—Corresponding Indian State

जवाबी रियासत—Corresponding State

जवाबी सूबा—Corresponding Province

जहाज़—Vessel, shipping

जहाज़बानी—Shipping

जहाज़ रानी—Navigation

जात—Caste

जानकारी और जांच का मरकज़ी महकमा—Central Bureau of Intelligence and Investigation

जापा—Maternity

जापा मदद—Maternity relief

जापा रियायत—Maternity benefit

जा बसना—Migration

ज़ाब्ता दीवानी—Code of Civil Procedure

ज़ाब्ता फ़ौजदारी—Code of Criminal Procedure

जायदाद—Property

जाहिरात—Advertisement

जिताऊ वोट—Casting vote

जिन्स—Sex

ज़िला—District

ज़िला अदालत—District Court

ज़िला कोश—District fund

ज़िला जज—District Judge

ज़िला बोर्ड—District Board

ज़िला मंडल—District Council

जीवन आंकड़े—Vital Statistics

जीवन स्तर—Standard of living

जुर्म लगाना—To accuse

जोखम का काम—Hazardous employment

जोग—Qualified

जोगता—Qualification

जोगाजोग—Contingency

जोगाजोग कोश—Contingency Fund

जंग खतम होना—Termination of war

जंग चलाना—Prosecution of war

ज्वार जल—Tidal waters

झ

झुकाव—Tendency

ट

टापू—Island

ट्रक—Fraction
टेलीफ़ोन—Telephone
टैक्स—Tax
टोल टैक्स—Tolls
ट्रस्ट—Trust
ट्रस्टी—Trustee
ट्रामगाड़ी—Tramcar
ट्राममार्ग—Tramway
ट्रेड यूनियन—Trade Union
ट्रेनिंग—Training

ठ

ठहराव—Resolution
ठहराव पेश करना—To move a resolution
ठेका—Contract

ड

डाक और तार—Posts and Telegraphs
डाकघर—Post Office
डाकघर बचत बंक—Post Office Savings Bank
डिगरी—Decree
डिजाइन—Design
डिप्टी कमिश्नर—Deputy Commissioner
डिवीज़न अदालत—Division Court
डोमिनियन क़ानूनसभा—Dominion Legislature

त

तकनीकी—Technical
तकनीकी तालीम—Technical education
तखमीना—Estimate
तनखाह—Salary
तनपालन तल—Level of nuitrition
तन्दुरुस्ती—Health
तफ़सील—Detail
तबदीलना—To transfer
तबादला—Transfer
तमस्सुक—Deed
तमाशा—Amusement
तरक्क़ी—Promotion
तरजीह—Preference
तरल—Liquid, liquor
तलाक़—Divorce
तसदीक़ करना—To ratify
ताज़ीरात हिन्द—Indian Penal Code
तातील—Vacation
तालमेल—Co-ordination
तालिका—List
तालीम—Education
तालीमी देनगियां—Educational grants
तालीमी संस्था—Educational institution

तिजारत—Commerce

तिजारती कारबार—Commercial undertaking

तिजारती बेड़ा—Mercantile marine

तिजारती माल—Commodity

तिलहन—Oilseeds

तीर्थयात्रा—Pilgrimage

तेलक्षेत्र—Oil field

तैनाती—Posting

तोल—Weight

तोलने के बाट—Weights

तौहीन—Contempt

थ

थल मार्ग—Highway

थेटर—Theatre

थोक कारबार—Wholesale business

द

दफ़्तर—Office

दफ़्तरी गज़ट—Official Gazette

दफ़्तरी भाशा—Official language

दफ़न—Burial

दफ़न भूमि—Burial ground

दफ़ा—Article

दबान—Control

दर—Rate

दवाखाना—Dispensary

दसखती सनद—Signed Certificate

दस्तावेज़—Document

दस्तूर—Procedure

दस्तूरी मामला—Matter of Procedure

दाखला—Admission

दाखिल खारिज—Transfer (of proprietory right in land)

दाब अफ़सर—Comptroller

दाब अफ़सर और सर पड़तालिया—Comptroller and Auditor General

दाम कंट्रोल—Price control

दावा—Claim

दावा करना—To claim

दाह—Cremation

दाह भूमि—Cremation ground

दिमाग़ की कमज़ोरी—Infirmity of mind

दिमागी कमी—Mental deficiency

दिवाला—Insolvency

दिवालिया—Insolvent

दीपघर—Lighthouse

दीप जहाज़—Lightship

दीवानी—Civil

दीवानी अदालत—Civil court

दीवानी अमलदारी—Civil jurisdiction

दीवानी कारवाई—Civil proceeding

दीवानी दस्तूर—Civil procedure

दीवानी नालिश—Civil suit

दीवानी पद्धत—Civil code

दुधारी ढोर—Milch cattle

दुबरसी चुनाव—Biennial election

दुसरकी स्कूल—Secondary school

देन—Endowment

देनगी—Grant

देनगी करना—To grant, to make a grant

देनगी की मांग—Demand for a grant

देनगी को पूरा करना—To meet a grant

देनदार—Liable

देनदारी—Liability

देनस्थान—Destination of grant

देसीकरन—Naturalisation

देसी रियासत—Indian State

दोशलेखा—Charge

दंड—Penalty

ध

धन—Wealth

धन का कीलना—Concentration of wealth

धन दौलती—Economic

धरती—Land

धर्म—Religion

धारा—Clause

धार्मिक—Religious

धार्मिक आज़ादी—Freedom of religion

धार्मिक देन—Religious endowment

धार्मिक फ़िरक़ा—Religious denomination

धार्मिक शिक्षा—Religious instruction

धार्मिक संस्था—Religious institution

धुनपसार—Broadcasting

धंधा—Occupation

न

नक़दी बिल—Money Bill

नक़ल—Copy

नक़शा—Table

नगर एकतनी—Municipal Corporation

नगर ट्रामभार्ग—Municipal tramway

नगर दीवानी अदालत—City Civil Court

नगर सुधार ट्रस्ट—Improvement Trust

नगरायत—Municipality
नगरायत क्षेत्र—Municipal area
नज़रबन्दी—Detention
नज़रसानी—Review
नदी-घाटी—River-valley
नरविद्या—Anthropology
नरेश—Prince
नशीला तरल—Intoxicating liquor
नशीला पान—Intoxicating drink
नसल—Descent, race, breed
नागर—Citizen
नागरता—Citizenship
नागरी जगह—Civil post
नागरी नौकरी—Civil service
नागरी शक्ति—Civil power
नागरी हैसियत से—In civil capacity
नाठीक दिमाग़—Unsound mind
नादार हो जाना—Bankruptcy
ना-निवास—Non-residence
नाबालिग़—Minor
नामज़द करना—To nominate
नामज़दगी—Nomination
नामी क़ानूनशास्त्री—Distinguished jurist
नायब रियासतपति—Lieutenant Governor
नायब सद्र—Deputy President
नालिश—Suit
नालिश करना—To sue
नादुरुस्त—Invalid
नादुरुस्त ठहराना—To invalidate
निकासनी महसूल—Excise duty
निकासी—Export
निकासी महसूल—Export duty
निगरानी—Superintendence
निजनियम—Privilege
निजी—Personal
निजी क़ानून—Personal law
निजी थैली—Privy purse
निजी हैसियत से—In personal capacity
निबल पेनशन—Invalidity pension
नियम—Rule
नियोजन—Appointment
नियोजना—To appoint
निर्देश करना, निर्देश देना—To direct
निर्देशक सिद्धान्त—Directive principle
निर्देशन—Direction
निवास—Domicile
निवेदनी—Address
निसबत—Proportion

P oportio-nal representation
नीति—Policy
नुक़सान भरपाई—Compensation
नतिक आवारगी—Moral abandonment
नोटिस—Notice
नौकरी—Service
नौकरी की शर्तें—Conditions of service
न्याय—Justice
न्यायकारी—Judiciary
न्याय शासन—Administration of justice
न्यायी—Just, judicial
न्यायी अधिकारी—Judicial authority
न्यायी काम—Judicial function
न्यायी जगह—Judicial post
न्यायी नौकरी—Judicial service
न्यायी पद—Judicial office
न्यूज़ प्रिंट—Newsprint

प

पक्की वापसी—Permanent return
पटसन—Jute
पट्टा—Instrument, lease
पट्टी—Schedule
पट्टीदर्ज कबीला—Scheduled tribe
पट्टीदर्ज क्षेत्र—Scheduled area
पट्टीदर्ज जाति—Scheduled caste
पड़ताल की रिपोर्ट—Audit report
पड़तालना—To audit
पड़ोसी रियासत—Neighbouring State
पत्तीपूंजी—Stock
पद—Office
पद का हलफ़—Oath of office
पदगाहन—Succession
पदगाही—Successor
पदनाते—Ex-officio
पद-मियाद—Term of office
पद सूना करना— To vacate office
पद संभालना—To enter upon office
पनशक्ति—Water power
परमिट—Permit
परवाना—Writ
परवाना अधिकारबताई—Quo Warranto
परवाना तनतल्बी—Habeas Corpus
परवाना मनाही—Prohibition
परवाना मिसलमंगाई—Certiorari
परवाना हुकुम—Mandamus
परसौंपनी—Extradition
परिनामी—Consequential

परिनामी बन्धान—Consequential provision

परिभाषा—Definition

परीक्षा—Examination

पशु-इलाज की ट्रेनिंग—Veterinary training

पशुपालन—Animal husbandry

पहली सुनवाई का अधिकार—Original jurisdiction

पात्र—Eligible

पात्रता—Eligibility

पानी का निकास—Drainage

पानी पहुँचाना—Water supply

पासपोर्ट—Passport

पासंगी महसूल—Countervailing duty

पिछड़ी हुई जमात—Backward class

पिछलगता असर—Retrospective effect

पीनकवाली—Narcotic

पीनकवाली चीजें—Narcotics

पुरातत्वी—Archaeological

पुलिस—Police

पुलिस बल—Police force

पूंजी—Capital

पूछताछ—Inquiry

पूरक—Supplemental, supplementary

पूरक खर्च—Supplementary expenditure

पूरक देनगी—Supplementary grant

पूरक बन्धान—Supplemental provision

पूरक शक्ति—Supplemental power

पूरब पंजाब रियासत यूनियन—East Punjab States Union

पेटेंट—Patent

पेट्रोलियम—Petroleum

पेनशन—Pension

पेशगी—Advance

पेशनगदी—Imprest

पेश बाज़ार—Futures market

पेशा—Profession

पेशाई—Professional

पैदावार—Product, production

पैमाना—Scale

पैरा—Paragraph

पंच—Arbitrator

पंचनामा—Arbitration

पंच फ़ैसला—Arbitration, award

पंचायती अदालत—Arbitral tribunal

प्रतिनिधान—Representation

प्रतिनिधि—Representative

प्रधान वज़ीर, भारत का—Prime Minister of India

प्रमान लिखत—Authoritative text

प्रमुख चुनाव कमिशनर—Chief Election Commissioner

प्रमुख जज—Chief Judge

प्रमुख प्रेसिडेंसी मैजिस्ट्रेट—Chief Presidency Magistrate

प्रसंग—Context

प्रसंगी—Incidental

प्रसंगी बन्धान—Incidental provision

प्रसंगी मामला—Incidental matter

प्रसंग से आया हुआ—Incidental

प्राइमरी तालीम—Primary education

प्राइमरी स्कूल—Primary school

प्राचीन—Ancient

प्रामिसरी नोट—Promissory note

प्राविडेंट फंड—Provident fund

प्रार्थना पत्र—Petition

प्रिवी कौंसिल—Privy Council

प्रिवी कौंसिल अमलदारी अन्त एक्ट, 1949—Abolition of Privy Council Jurisdiction Act, 1949.

प्लीडर—Pleader

फ

फ़रज़—Duty

फ़रज़ निभारना—To discharge duty

फ़रीक़—Party

फ़िरक़ा—Denomination

फ़िरक़ेवाराना—Denominational

फिरबसाव—Rehabilitation

फिराती रक़म—Recurring sum

फ़ीस—Fee

फुटकर—Miscellaneous

फ़ेल होना—To fail

फ़ैक्टरी—Factory

फैलाव—Extent

फ़ैसला—Decision, judgment

फ़ैसला देना—To deliver judgment

फ़ैसला सुनाना—To pronounce judgment

फ़ौजदारी—Criminal

फ़ौजदारी अमलदारी—Criminal jurisdiction

फ़ौजदारी क़ानून—Criminal law

फ़ौजदारी कारवाई—Criminal proceedings

फ़ौजदारी दस्तूर—Criminal procedure

फ़ौजदारी नालिश—Criminal suit

फ़ौजदारी मामला—Criminal matter

बिल का रखा जाना—
Introduction of a Bill

बिल की पहल करना—
To originate a Bill

बीमा—Insurance

बीमा पालिसी—Insurance policy

बेकामगारी, बेकारी—Unemployment

बेक़ायदगी—Irregularity

बेघरबारगी—Material abandonment

बेतार—Wireless

बेमेल—Inconsistent

बेवसीयती—Intestacy

बैठक—Sitting

बैठ बिठाव—Adjustment

बोरस्टली संस्था—Borstal institution

बोर्ड—Board

बंकदारी—Banking

व्यापार—Traffic

व्योपार—Trade

व्योपार छाप—Trade-mark

व्योपारी—Trader

व्योपारी एकतनी—Trading corporation

व्योरा—Description, statement, return

भ

भक्ति—Allegiance

भत्ता—Allowance

भयानक आगपकड़—
Dangerously inflammable

भरती—Recruitment

भरपाई—Relief

भरपाई भत्ता—Compensatory allowance

भलमंसी—Decency

भलाई—Well-being, welfare

भाईचारा—Fraternity

भाग—Part

भाग देना—To divide

भागफल—Quotient

भाड़ा, माल का—Freight

भारत—India

भारत का गज़ट—Gazette of India

भारत का मूठकोश—
Consolidated Fund of India

भारत का रिज़र्व बंक—Reserve Bank of India

भारत का विधान—Constitution of India

भारत की सरवे—Survey of India

भारत पड़ताल और हिसाब महकमा—
Indian Audit and Accounts Department

भारवाही ढोर—Draught cattle

भाशा—Language
भीतरी गड़बड़ी—Internal disturbance
भुगतान खर्चे—Redemption charges
भूभाग—Territory
भूभागपरे—Extra-territorial
भूभागपरे अमल—Extra-territorial operation
भूभागपरे असर—Extra-territorial effect
भूभागी—Territorial
भूभागी चुनाव हल्क़ा—Territorial constituency
भूभागी समंदर—Territorial waters
भूमिदारी—Land tenure
भूविद्या—Geology
भेदभाव—Discrimination
भंग करना—To dissolve
भंग होना, सदन का—Dissolution of the House

म

मकानी गुंजाइश—House accommodation
मछियारी—Fishery
मज़दूरी झगड़ा—Labour dispute
मतलब—Purpose
मद—Item
मद-बटवारा—Appropriation
मद-बटवारा बिल—Appropriation Bill
मनाही—Prohibition
मनोरंजन—Entertainment
मसनदी—Chairman
महसूल—Duty
महामारी—Pest
मांग—Demand
मातहत—Subordinate
मातहत अदालत—Subordinate court
माद्दी साधन—Material resources
मान—Standard
मानहानि—Defamation
माप—Measure
माफ़ी देना, माफ़ कर देना—To grant pardon
माल—Finance, goods
माल कमीशन—Finance Commission
माल की मिलकियत—Property in goods
मालगुज़ारी—Revenue
मालगुज़ारी खाते खर्चे—Expenditure on revenue account
मालामाल करना—Enrichment
मालियत—Value
माली—Financial

माली अचानकी—Financial emergency
माली अमलदारी—Revenue jurisdiction
माली एकतनी—Financial corporation
माली काम—Financial business
माली जिम्मेदारी—Financial obligation
माली टिकाव—Financial stability
माली बन्धान—Financial provision
माली बिल—Financial Bill
माली ब्योरा—Financial statement
माली मदद—Financial assistance
माली मामला—Financial matter
माली साल—Financial year
मार्ग—Way
मार्ग नियम—Rule of the road
मार्ग संकेत—Beacon
मियाद—Term
मियादबन्दी—Limitation
मिलकियत-Estate, ownership
मिलकियत महसूल—Estate duty
मिलन पट्टा—Instrument of Accession
मिलनी—Meeting
मिल मजदूर-Industrial worker
मिलाजुला कमीशन—Joint Commission
मिलाजुला परिवार—Joint family
मिलाजुला रियासत सरकारी नौकरी कमीशन—Joint State Public Service Commission
मिलावट—Adulteration
मिलीजुली कलचर—Composite culture
मिलीजुली बैठक—Joint sitting
मिलीजुली भरती—Joint recruitment
मिलीजुली मिलनी-Joint meeting
मुअत्तल करना—To suspend
मुआहिदा—Covenant
मुक़दमा—Cause, case
मुक़दमा उठा लेना—To withdraw a case
मुक़दमा निपटाना—To dispose of a case
मुक़ामी—Local
मुक़ामी अधिकारी—Local authority
मुक़ामी क्षेत्र—Local area
मुक़ामी टैक्स—Cess, local tax
मुक़ामी बोर्ड—Local Board
मुक़ामी मतलब—Local purpose
मुक़ामी सीमा—Local limit

मुक़ामी स्वराज—Local self-government

मुक़ामी हुकूमत—Local government

मुख़तार—Attorney

मुखिया—Headman

मुनाफ़ा—Profit

मुनासिब क़ानूनसभा—Appropriate Legislature

मुनासिब कारवाई—Appropriate proceedings

मुनासिब सूरतों में—In appropriate cases

मुफ्त और जबरी तालीम—Free and compulsory education

मुलतवी करना—To adjourn

मुहय्या करना—To supply

मूठकोश—Consolidated Fund

मूल अधिकार—Fundamental right

मेम्बर—Member

मेम्बरी—Membership

मेल बिठाना—To bring into accord

मेला—Fair

मेहनताना—Remuneration

मैजिस्ट्रेट—Magistrate

मोहर—Seal

मोहलत देना—To grant respite

मौसमी क़बीला—Migratory tribe

मंगैनी ले लेना—To requisition

मंडल—Council

मंडी—Market

मंत्रायत—Secretariat

मंत्रायती अमला—Secretarial staff

मंसूख़ करना—To revoke, to annul

य

यादगार—Monument

यादपत्र, याददी—Memorandum

युक्त खासी जैन्तिया पहाड़ी ज़िला—The United Khasi and Jaintia Hills District

यूनियन—Union

यूनियन तालिका—Union List

यूनियन सरकारी नौकरी कमीशन—Union Public Service Commission

योजना—Scheme, planning

र

रक़म जुटाना—To raise money

रक्षा—Protection

रखवाली—Custody

रखाया हुआ जंगल—Reserved forest

रचना—Composition

रचाना पचाना—To assimilate

रज़ामंदी—Approval

रजिस्टरी—Registration
रद्द—Void, repeal
रद्द करना—To repeal
रसद—Supply
रसीद—Receipt
रस्सा मार्ग—Ropeway
राज—The State (as defined in Part III)
राजकाजी—Political
राज़दारी—Secrecy
राज़दारी का हलफ़—Oath of secrecy
राजदूती—Diplomatic
राजपति—President
राजपंचायत—Parliament
राजप्रमुख—Rajpramukh
राजहुकुम—Ordinance
राज़ीनामा—Agreement
राय—Opinion
रायल्टी—Royalty
राहरीत पेशगी—Ways and means advance
रिपोर्ट—Report
रियायत—Concession
रियासत—State
रियासत का जोगाजोग कोश—Contingency Fund of the State
रियासत का मिलना—Accession of a State
रियासत का मूठकोश—Consolidated Fund of the State
रियासत तालिका—State List
रियासतपति—Governor
रियासत सदन—Council of States
रियासत सरकारी नौकरी कमीशन—State Public Service Commission
रियासतों का गुट—Group of States
रिहाइश—Residence
रिहाइश की जगह—Place of residence
रिहाइशी—Residential
रीतरिवाज—Custom
रुकावट—Restriction
रुतबा घटाया जाना—Reduction in rank
रुपया निकालना—Withdrawal of money
रूप—Form
रूप देना—To formulate
रूपबिगाड़—Disfigurement
रेलमार्ग—Railway
रेलमार्ग कंपनी—Railway company
रेलमार्ग क्षेत्र—Railway area
रेहन रखना—Mortgage
रोक—Bar

रोकथाम—Prevention
रोकथामी नज़रबन्दी—Preventive detention
रोज़गार—Calling, avocation
रोज़गारी—Vocational
रोज़गारी ट्रेनिंग—Vocational training
रोज़ी—Livelihood

ल

लगातार—Consecutive, in succession
लगान—Rent
लगाव—Adherence
लचर—Frivolous
लदाई बिल्टी—Bill of lading
लाइन—Line
लाइसेंस—License
लागू—Applicable
लागू होना—To apply
लाटरी—Lottery
लाभ—Profit
लाभबटावा—Dividend
लाम तोड़ना—Demobilisation
लावारसी, वारिस न रहना—Bona vacantia
लेखे—Records
लेनदारी—Asset
लोक महत्व-Public importance
लोकशाही—Democracy, democratic
लोक सदन—House of the People

व

वचन भरना—To affirm, affirmation
वज़ीर—Minister
वज़ीर मंडल—Council of Ministers
वज़ीरायती अधिकारी—Ministerial authority
वफ़ादार रहना—To bear faith
वफ़ादारी से—Faithfully
वसीयत—Will
वाक़याती सवाल—Question of fact
वारिस—Successor
विकास—Development
विचार करना—To consider
विचार के लिये रख देना—To reserve for consideration
विदेशी अमलदारी—Foreign jurisdiction
विदेशी उधारी—Foreign loan
विदेशी मामला—Foreign affair
विदेशी राज—Foreign State
विदेशी सिक्का बदलाव—Foreign exchange
विद्यापीठ—University
विधान—Constitution

विधान तोड़ना—Violation of the Constitution

विधान सभा—Constituent Assembly

विधानी मशीन—Constitutional machinery

विरासत—Succession, inheritence

विशेश कर—In particular

विशेश जोगता—Special qualification

विस्फोटक—Explosive

वीसा—Visa

वेतन—Emolument

वेतनी काम—Paid employment

वोट—Vote

वोटर—Voter

वंश—Descent

व्यवस्था—Order

व्यवस्था क़ायम करना—Restoration of order

व्यवस्था बनाए रखना—Maintenance of order

श

शक्ति—Power

शक्ति से काम लेना—Exercise of power

शक्ति सौंपना—To confer power

शपथ लेना—To swear

शब्दावली—Vocabulary

शर्त बदना—Betting

शर्त कि—Provided that

शांति—Peace

शामलाती—Common

शामलाती कुल-भारत नौकरियां—Common All-India services

शासक—Ruler

शासन—Administration

शासन की कुशलता—Efficiency of administration

शासन तल—Level of administration

शासन सम्बन्धी—Relating to administration

शासनी—Administrative

शासनी खर्च—Administrative expenses

शासनी क्षेत्र—Administrative area

शासनी शक्ति—Administrative power

शासनी सम्बन्ध—Administrative relation

शिकायत—Complaint

शेयर बाज़ार—Stock exchange

शेरिफ़—Sheriff

शैली—Style

शन—Exploitation

स

सकत—Ability

सज़ा—Punishment

सड़क—Road

सत्ता—Authority

सदन—House

सदन का बरखास्त होना—Prorogation of the House

सदन का भंग होना—Dissolution of the House

सदन को मुल्तवी करना—To adjourn the House

सद्र—President

सदाचार—Morality

सदारत करना—To preside

सनद—Sanad, certificate

सनद करना या देना—To certify

सन्धिनामा—Treaty

सन्धि बन्धन—Treaty obligation

सबडिवीज़नल अफ़सर—Sub-Divisional Officer

सबसे पहली अदालत—Court of first instance

सभा—Association

सभामुख—Speaker

समझाव—Explanation

समझौता—Agreement

समन्दरी—Marine, maritime

समन्दरी जहाज़बानी—Maritime shipping

समन्दरी जहाज़रानी—Maritime navigation

समन्दरी डकैती—Piracy

समन्दरी फ़ौज—Naval force

समन्दरी विभाग—Admiralty

समय समय पर—From time to time

समयोचित—Expedient

समर्थन करना—To support

समाज की भलाई—Social welfare

समाज सेवा—Social service

समाज सुधार—Social reform

समाजी—Social

समाजी अन्याय—Social injustice

समाजी बीमा—Social insurance

समाजी व्यवस्था—Social order

समेटना—To wind up

सम्मान—Dignity

सम्राट—Crown, His Majesty

सरकार—Government

सरकारी करज़ा—Public debt

सरकारी ज़ब्ती—Escheat

सरकारी ट्रस्टी—Official trustee

सरकारी नौकरी कमीशन—Public Service Commission

सरकारी मकान—Official residence

सरकारी हुंडी—Treasury Bill

सरजज—Chief Justice
सरदुरुस्त—Valid
सरदुरुस्त ठहराना—To validate
सरदुरुस्ती—Validity
सरनामा—Title
सरपड़तालिया—Auditor-General
सरप्रबन्धक—Administrator-General
सरबचन देना—To address
सरमुख—Head
सरमुखतार—Attorney-General
सरलेख—Preamble
सरवकील—Advocate General
सरवे—Survey
सरहदी खित्ता—Frontier tract
सलामती—Safety
सलाहकार मंडल—Advisory Council, Council of Advisors
सलाह देना—To advise
सहकारी आधार—Co-operative basis
सहकारी आन्दोलन—Co-operative movement
सहकारी समिति—Co-operative society
सहमती—Concurrence
सहायक—Ancillary, assistant
सहायक ज़िला जज—Assistant District Judge
सहायक बन्धान—Ancillary provision
सहायक सेशन जज—Assistant Sessions Judge
सहायता—Aid
सहायती देनगी—Grant-in-aid
सहीकरन—Authentication
सही करना—To authenticate
सही किया हुआ—Authenticated
साइंस—Science
साइंसी—Scientific
साइंसी तालीम—Scientific education
साइंसी रीत—Scientific line
साख—Credit
साख पत्र—Letter of credit
साझेदारी—Partnership
साधन—means, resources
सायल—Suitor
सारधारा—Concentrates
सालाना माली ब्योरा—Annual financial statement
साहूकार—Money lender
सिंगार—Toilet
सिंचाई—Irrigation
सिक्का गढ़न—Coinage
सिक्का चलन—Currency
सिद्धान्त—Principle
सिनेमा—Cinema, cinematograph
सिफ़ारिश—Recommendation

सीट—Seat

सीट को सूनी ठहराना—To declare a seat vacant

सीटें अलग रखना—To reserve seats

सीटों का बटवारा—Allocation of seats

सीधा चुनाव—Direct election

सीधे या नासीधे—Directly or indirectly

सीमा—Limit

सीमियाना—To limit

सुझाव—Proposal

सुधार—Amendment

सुधार करना—To amend, to make amendment

सुधारघर—Reformatory

सुधार पेश करना—To move an amendment

सुधार सुझाना—To suggest an amendment

सुनवाई—Hearing

सुनवाई का अधिकार—Right of audience

सुरक्षा—Security

सूचना—Information

सूद, सूद-ब्याज—Interest

सूनी—Vacancy

सूनी करना—To vacate

सूनी भरना—To fill a vacancy

सूबा—Province

सूबापरे—Extra-Provincial

सूबापरे अमलदारी एक्ट, 1947—Extra-Provincial Jurisdiction Act, 1947

सूबे का गवरनर—Governor of a Province

सूबों का गुट—Group of Provinces

सेवामुक्त—Retired

सेशन जज—Sessions Judge

सोसाइटी—Society

सौदागरी-माल छाप—Merchandise mark

संगचारी तालिका—Concurrent List

संगठन—Organisation

संगठित क़ौमें—Organised peoples

संगत—Relevant

संगी ज़िला जज—Joint District Judge

संघ अदालत—Federal Court

संचालन—Conduct

संदेसा—Message

संयुक्त क़ौमी संगठन—United Nations Organisation

संरक्षक—Guardian

संस्था—Body, institution

स्कूल—School

स्टाम्प महसूल—Stamp duty

स्टेट सेक्रेटरी—Secretary of State

स्तर—Standard

स्नातक – Graduate

स्वतंत्रता—Liberty

स्वराज—Self-government

स्वाधीन—Autonomous

स्वाधीन इलाक़ा—Autonomous region

स्वाधीन ज़िला—Autonomous district

ह

हक़दार-Entitled, Competent

हथियार—Arms

हथियारबन्द फ़ौज—Armed force

हदबन्दी—Delimitation

हद लांघना—Trespass

हदवारी टैक्स—Terminal tax

हदियाना—To limit

हलफ़—Oath

हवाई अड्डा—Aerodrome

हवाई जहाज़—Aeroplane

हवाई फ़ौज—Air force

हवा जहाज़—Aircraft

हवा जहाज़रानी—Air navigation

हवा व्यापार—Air traffic

हवा मार्ग—Airways

हवा विद्या की तालीम—Aeronautical education

हाईकोर्ट—High Court

हाज़िरी—Attendance

हाज़िरी तलब करना—To require attendance

हित—Interest

हिदायत—Instruction

हिन्द आज़ादी एक्ट, 1947—Indian Independence Act, 1947

हिन्द डोमिनियन—Dominion of India

हिन्द पुलिस नौकरी—Indian Police Service

हिन्द शासनी नौकरी—Indian Administrative Service

हिन्द सम्राट—Crown in India

हिन्द सरकार एक्ट, 1935—Government of India Act, 1935

हिन्दसे—Numerals

हिन्दी निकास—Indian origin

हिन्दुस्तानी हिन्दसे—Indian numerals

हिरासत—Custody

हिसाब—Account

हिसाब किताब—Accounts

हिस्सा—Share

हिस्सा लेना—To participate

हिस्सेवारी—Contributory

हुक्म—Order

हुकुमनामा—Process, warrant

शब्दमाला

अंगरेज़ी से हिन्दी

मूल अंगरेज़ी विधान के कुछ शब्द और उनके सामने जवाबी हिन्दी शब्द जो इस अनुवाद में बरते गए हैं

A

Abolish—अन्त करना, तोड़ देना
Abolition of Privy Council Jurisdiction Act, 1949—प्रिवी कौंसिल अमलदारी अन्त एक्ट, 1949
Abrogate—रद्द करना
Absence—नामौजूदगी
Absent—नामौजूद
Absent on leave—छुट्टी पर
Accession of a State—रियासत का मिलना
Account—हिसाब
Accounts—हिसाब किताब
Accused—मुलज़िम
Act—एक्ट, काम
Acting—कारकर
Acting Chief Justice—कारकर सरजज
Actual service—असल नौकरी
Adaptation—अनुकूलन
Additional—अधिक
Additional Chief Presidency Magistrate—अधिक प्रमुख प्रेसिडेंसी मैजिस्ट्रेट
Additional District Judge—अधिक ज़िला जज
Additional Sessions Judge—अधिक सेशन जज
Address—सरबचन, सरबचन देना, निवेदनी
Adherence—लगाव
Ad hoc—ज़रूरती
Ad hoc Judge—ज़रूरती जज
Adjourn—मुलतवी करना
Adjourn the House—सदन को मुलतवी करना
Adjudication—अदालती फ़ैसला
Adjustment—बैठबिठाव
Administer—प्रबन्ध करना, शासन करना
Administration—शासन
Administration of justice—न्याय शासन
Administrative—शासनी
Administrative area—शासनी क्षेत्र
Administrative expenses—शासनी खर्च

Administrative power—शासनी शक्ति
Administrator General—सरप्रबंधक
Admiralty—समन्दरी विभाग
Admission—दाखिला
Adoption—अपनाना, गोद लेना
Adult—बालिग़
Adulteration—मिलावट
Adult suffrage—बालिग़ वोट
Advance—पेशगी
Advertisement—जाहिरात
Advise—सलाह देना
Advisory Board—सलाहकार बोर्ड
Advisory Council—सलाहकार मंडल
Advocate—वक़ील
Advocate General—सरवकील
Aerodrome—हवाई अड्डा
Aeronautical education—हवा विद्या की तालीम
Affirm, affirmation—वचन भरना
Aforesaid—ऊपर कहा
Agency—एजेंसी
Agent—एजेंट
Aggression—हमला
Agreement—समझौता, राज़ीनामा
Agricultural income—खेतीबाड़ी की आमदनी
Agricultural land—खेतीबाड़ी की ज़मीन
Agricultural worker—खेतिहर
Agriculture—खेतीबाड़ी
Aid—सहायता, सहायता देना
Aircraft—हवा जहाज़
Air force—हवाई फ़ौज
Air navigation—हवा जहाज़रानी
Air traffic—हवा व्यापार
Airways—हवा मार्ग
Alcohol—अलकोहल
Alcoholic liquor—अलकोहोली तरल
Alien—विदेशी
Allegiance—भक्ति
All-India service—कुल-भारत नौकरी
Allocation of seats—सीटों का बटवारा
Allotment—बांटना, किसी के नाम कर देना
Allotment of land—ज़मीन का बांटा जाना
Allowance—भत्ता
Amend—सुधार करना
Amendment—सुधार

Ammunition—गोला बारूद
Amount—रक़म
Amusement—तमाशा
Ancient—प्राचीन
Ancillary—सहायक
Ancillary matter—सहायक मामला
Ancillary power—सहायक शक्ति
Ancillary provision—सहायक बन्धान
Anglo Indian—एंग्लो इंडियन
Animal husbandry—पशु-पालन
Annual admission—सालाना दाखला
Annual financial statement—सालाना माली ब्योरा
Annuity—सालाना किस्त
Annul—मंसूख करना
Answerable—जवाबदेह
Anthropology—नरविद्या
Appeal—अपील
Appellate jurisdiction—अपीली अमलदारी
Applicable—लागू
Application—दरखास्त, अरज़ी
Appoint—नियोजना
Appointment—नियोजन
Appropriate—मुनासिब, खर्च की मद में डालना
Appropriate Legislature—मुनासिब क़ानूनसभा
Appropriate proceedings—मुनासिब कारवाई
Appropriation—मद्-बटवारा
Appropriation Bill—मद्-बटवारा बिल
Approval—रज़ामन्दी
Arbitral tribunal—पंचायती अदालत
Arbitration—पंच फ़सला, पंचनामा
Arbitrator—पंच
Archaeological—पुरातत्वी
Area—क्षेत्र
Armed force—हथियार बन्द फ़ौज
Arms—हथियार
Arrears—बक़ाया
Arrest—गिरफ़्तारी
Art—कला
Article—दफ़ा
Assam Forest Regulation, 1891—आसाम जंगल क़ायदाबन्दी, 1891
Assent—मंज़ूरी
Assess—आंकना
Assess land for revenue purposes—मालगुज़ारी के मतलबों के लिए ज़मीन आंकना

A sessment of revenue—मालगुज़ारी तय करना
Asset—लेनदारी
Assign—नाम कर देना
Assimilate—रचाना पचाना
Assistant—सहायक
Assistant District Judge—सहायक ज़िला जज
Assistant Sessions Judge—सहायक सेशन जज
Association—सभा
Assurance—भरोसा
As the case may be—जैसी सूरत हो
Atomic energy—एटम शक्ति
Attachment—क़ुरक़ी
Attendance—हाज़िरी
Attorney—मुखतार
Attorney-General—सरमुखतार
Audit—पड़तालना
Auditor-General—सरपड़ता-लिया
Audit report—पड़ताल की रिपोर्ट
Authenticate—सही करना
Authenticated—सही किया हुआ
Authentication—सहीकरन
Authorise—अधिकार देना, अधिकारना
Authorised—अधिकारा हुआ
Authorised amount—अधिकारी हुई रक़म
Authorised expenditure—अधिकारा हुआ खर्च
Authoritative text—प्रमान लिखत
Authority—अधिकारी, अधिकारी संस्था, सत्ता
Autonomous—स्वाधीन
Autonomous district—स्वाधीन ज़िला
Autonomous region—स्वाधीन इलाक़ा
Average—औसत
Avocation—रोज़गार
Award—पंच फ़ैसला

B

Backward class—पिछड़ी हुई जमात
Bail—ज़मानत
Banking—बंकदारी
Bankruptcy—नादार हो जाना
Basis—आधार
Beacon—मार्ग संकेत
Bear allegiance—भक्त रहना
Bear faith—वफ़ादार रहना
Belief—विश्वास
Betting—शर्त बदना
Biennial election—दुबरसी चुनाव

Bill—बिल
Bill of exchange—बदलाव हुंडी
Bill of lading—लदाई बिल्टी
Board—बोर्ड
Body—संस्था
Body corporate—एकतन संस्था
Boiler—बायलर
Bona vacantia—वारिस न रहना, लावारिसी
Borrowing—उधार लेना
Borstal institution—बोर-स्टली संस्था
Botany—बनस्पति विद्या
Breed—नसल
Bring into accord—मेल बिठाना
Broadcasting—धुनपसार
Burial—दफ़न
Burial ground—दफ़न भूमि
Business—कारबार, काम
Bye-law—छुटक़ानून
By virtue of—की रू से

C

Calculation—हिसाब लगाना
Calling—रोज़गार
Call in question—सवाल उठाना
Cancel—रद्द करना
Candidate—उम्मीदवार
Canon—उसूल
Cantonment—छावनी
Capital—पूंजी
Capital value—कुल मालियत
Capitation tax—आदमीवार टक्स
Case—मुक़द्मा
Caste - जात
Casting vote—जिताऊ वोट
Casual vacancy—औसरी सूनी
Cattle pound—कांजी हौज़
Cause—मुकद्मा, कारन
Census - गिनावा
Central Bureau of Intelligence and Investigation—जानकारी और जांच का मंरकज़ी महकमा
Certificate—सनद
Certify, certification—सनद करना, सनद देना
Certiorari - परवाना मिसल मंगाई
Cess—मुक़ामी टैक्स
Chairman—मसनदी
Chapter—खंड
Charge—जुर्म, दोशलेखा
Charge on—खाते में डालना
Charitable and religious endowments—खैराती और धार्मिक देन

Charitable institution—खैराती संस्था

Charity—खैरात

Cheque—चेक

Chief—सरदार, प्रमुख

Chief Commissioner—चीफ़ कमिश्नर

Chief Election Commissioner—प्रमुख चुनाव कमिश्नर

Chief Judge—प्रमुख जज

Chief Justice—सरजज

Chief Minister (of a State)—बड़ा वज़ीर (रियासत का)

Chief Presidency Magistrate—प्रमुख प्रेसीडेन्सी मैजिस्ट्रेट

Cinema, cinematograph—सिनेमा

Circumstance—हालत, सूरत

Circumstances exist—सूरतें ऐसी हैं

Citizen—नागर

Citizenship—नागरता

City civil court—नगर दीवानी अदालत

Civil—नागरी, दीवानी

Civil code—दीवानी पद्धत

Civil court—दीवानी अदालत

Civil jurisdiction—दीवानी अमलदारी

Civil power—नागरी शक्ति

Civil procedure—दीवानी दस्तूर

Civil proceeding—दीवानी कारवाई

Civil service—नागरी नौकरी

Civil suit—दीवानी नालिश

Claim—दावा, दावा करना

Class—जमात

Clause—धारा

Clerk—क्लर्क

Code—पद्धत

Code of Civil Procedure—ज़ाब्ता दीवानी

Code of Criminal Procedure—ज़ाब्ता फ़ौजदारी

Code of procedure—ज़ाब्ता

Coinage—सिक्का गढ़न

Collect—जमा करना

Colonization—बस्ती बसाना

Column—कालम

Combine—गुट

Command—कमान

Commencement—आरम्भ

Commerce—तिजारत

Commercial undertaking—तिजारती कारबार

Commission—कमीशन

Committee—कमेटी

Commodity—तिजारती माल

Common all-India services शामलाती कुल-भारत नौकरियां

Common interest—मिला-जुला हित
Communication—आवाजाई, आपसी ब्योहार
Community—समाज
Commute a sentence—सज़ा का रूप बदल देना
Company—कम्पनी
Compensation—नुक़सान भरपाई
Compensatory allowance-भरपाई भत्ता
Competent—अधिकारी, हक़दार
Competent authority—हक़दार अधिकारी
Competent court—अधिकारी अदालत
Competent Legislature—अधिकारी क़ानूनसभा
Composite—मिलीजुली
Composite culture—मिली-जुली कलचर
Composition—रचना
Comptroller and Auditor General—दाब अफ़सर और सरपड़तालिया
Compulsory acquisition—जबरन हासिल करना
Compulsory service—जबरी सेवा
Compute—गिनना
Concentrates—सारचारा
Concentration of wealth—धन का कीलना
Concession—रियायत
Concurrence—सहमती
Concurrent List—समचारी तालिका
Condition—हालत, शर्त
Conditions of service—नौकरी की शर्तें
Conduct—चलन, संचालन
Conduct of business—काम का संचालन
Confer—सौंपना
Conference—कानफ़रेन्स
Conscience—अन्तरात्मा
Consecutive—लगातार
Consent—अनुमति
Consequential—परिनामी
Consequential provision—परिनामी बन्धान
Conserve—बनाए रखना
Consolidated Fund—मूलकोश
Constituency—चुनाव हल्क़ा
Constituent Assembly—विधान सभा
Constitution—विधान, बनावट
Constitutional—विधानी
Constitutional machinery—विधानी मशीन

Constitution of India—भारत का विधान
Construct—बनाना
Consular—वनिजदूती
Consumption—खपत
Contagious disease—छूत की बीमारी
Contempt—तौहीन
Context—प्रसंग
Contingency—जोगाजोग
Contingency Fund—जोगा-जोग कोश
Contract—ठीका
Contributory—हिस्सेवारी
Control—दबान, कंट्रोल
Convention—माना हुआ रिवाज
Convict—दोशी ठहराना
Co-operative—सहकारी
Co-operative movement—सहकारी आन्दोलन
Co-operative society—सह-कारी समिति
Co-ordination—ताल्मेल
Copy—नक़ल
Copyright—कापीराइट
Corporation—एकतनी
Corporation tax—एकतनी टैक्स
Corresponding—जवाबी
Corrupt practice—घूसखोरी
Cottage industry—घरेलू उद्योग
Council—मंडल
Council of Advisors—सलाहकार मंडल
Council of Ministers—वज़ीर मंडल
Council of States—रियासत सदन
Countervailing duty—पासंगी महसूल
Court—अदालत
Court immediately below—ठीक निचली अदालत
Court Martial—फ़ौजी अदालत
Court of appeal—अपीली अदालत
Court of first instance—सबसे पहली अदालत
Court of record—नज़ीरी अदालत
Court of wards—कोरट कचहरी
Covenant—मुआहिदा
Credit—साख
Cremation—दाह
Cremation ground—दाहभूमि
Crime—जुर्म
Criminal—फ़ौजदारी
Criminal court—फ़ौजदारी अदालत

Criminal jurisdiction—फ़ौजदारी अमलदारी
Criminal law—फ़ौजदारी क़ानून
Criminal procedure—फ़ौजदारी दस्तूर
Criminal proceedings—फ़ौजदारी कारवाई
Crown in India—हिन्द सम्राट
Cruelty—बेरहमी
Cultural—कलचरी
Culture—कलचर
Currency—सिक्का चलन
Current—चालू
Current service—चालू सेवा
Custody—हिरासत, रखवाली
Custom—रीतरिवाज
Customs, custom duty—बिदेसनी महसूल

D

Debenture—क़रज़पत्र
Debt—क़रज़ा
Debt charges—क़रज़ा खर्च
Decency—भलमंसी
Decision—फ़ैसला
Declare—एलान करना, ठहरा देना, ज़ाहिर करना
Declare law—क़ानून ठहराना
Decree—डिगरी
Deed—तमस्सुक
Defamation—मानहानि
Defence—बचाव
Defence force—बचाव फ़ौज
Defence service—बचाव नौकरी
Defend—जवाबदेही करना, बचाव करना
Definition—परिभाषा
Delimitation—हदबन्दी
Deliver judgment—फ़ैसला देना
Demand—मांग
Demand for grant—देनगी की मांग
Demobilisation—लाम तोड़ना
Democracy, democratic—लोकशाही
Denomination—फ़िरक़ा
Denominational — फ़िरक़ेवाराना
Deputy Commissioner—डिपटी कमिशनर
Deputy President—नायब सदर
Descent—वंश, नसल
Design—डिज़ाइन
Designate—नामज़द करना
Desirable—चहोती, चाहनी
Destination of grant—देन स्थान

Destruction—बरबादी
Detail—तफ़सील
Detention—नज़रबन्दी
Development—विकास
Devote oneself to—तन मन से लगना
Difference—फ़रक़
Difficulty—कठिनाई
Dignity—मान, सम्मान
Diplomatic—राजदूती
Direct—निर्देश देना
Direct election—सीधा चुनाव
Direction—निर्देश, निर्देशन
Directive—निर्देश
Directive principle—निर्देशक सिद्धान्त
Directly or indirectly—सीधे या नासीधे
Disability—अपाहजी, असकत
Disability pension—अपाहजी पेनशन
Disabled—अपाहज
Disablement—अंग भंग होना
Disapprove—नापसन्द करना
Discharge ones duty—अपना फ़रज़ निभारना
Discharge ones function—अपना काम निभारना
Discipline—क़ायदादारी
Discovery—खोज निकालना
Discrimination—भेदभाव

Discussion—बहस
Disfigurement—रूप बिगाड़
Dismiss—बरखास्त करना
Dispensary—दवाखाना
Dispose of—निबटाना
Disqualification—अजोगता
Disqualify—अजोग ठहराना
Dissenting judgment—अनमिल फ़ैसला
Dissenting opinion—अनमिल राय
Dissolution of a House—सदन का भंग होना
Dissolve—भंग करना
Distinction—उपाधि
Distinguished jurist—नामी क़ानूनशास्त्री
Distribution—बटवारा, बांटना
District—ज़िला
District Board—ज़िला बोड
District Council—ज़िला मंडल
District Court—ज़िला अदालत
District Judge—ज़िला जज
Disturbance—गड़बड़ी
Divide—भाग देना
Dividend—लाभ बटावा
Division Court—डिविज़न अदालत
Divorce—तलाक़
Document—दस्तावेज़, कागज़ पत्तर

Domicile—निवास
Domiciled—निवासी
Dominion Legislature—डोमिनियन क़ानूनसभा
Dominion of India—हिन्द डोमिनियन
Draught cattle—भारवाही ढोर
Drug—जड़ी बूटी
Duly—क़ायदे से
Duration—मुद्दत
During the pleasure of—के इच्छाकाल तक
Duty—महसूल, फ़रज़

E

East Punjab States Union—पूरब पंजाब रियासत यूनियन
Economic—आर्थिक, धनदौलती
Economic capacity—आर्थिक सकत
Economic interest—आर्थिक हित
Economic organisation—आर्थिक संगठन
Economic system—अर्थव्यवस्था
Education—तालीम
Educational grants—तालीमी देनगियां
Educational institution—तालीमी संस्था
Effect—असर
Effective—असरदार
Effectively—असरदार ढंग से
Efficiency of administration—शासन की कुशलता
Election—चुनाव
Election Commission—चुनाव कमीशन
Election Commissioner—चुनाव कमिशनर
Election petition—चुनाव अर्ज़ी
Election tribunal—चुनाव अदालत
Electoral college—चुनाव मंडल
Electoral roll—चुनाव चिट्ठा
Electorate—चुनायत
Electricity—बिजली
Element—अंग
Eligibility—पात्रता
Eligible—पात्र
Embankment—बांध
Emergency—अचानकी
Emergency provision—अचानकी बन्धोन
Emigration—बाहर जा बसना
Emolument—वेतन
Employ—काम पर लगाना
Employee—कामगार
Employment—कामगारी
Empower—शक्ति देना

Encourage—बढ़ावा देना
Encumbered—करज़ादबी
Endowment—देन
Enforcement of attendance—हाज़िरी लाज़िमी करना
Engagement—इक़रारनामा
Enrichment—मालामाल करना
Enter appeal—अपील दाखिल करना
Entertain appeal-अपील लेना
Entertainment—मनोरंजन
Enter upon office—पद संभालना
Entitled—हक़दार
Entrust—सौंपना
Entry—दाखला, अन्तरी, आमद
Enumerate—गिनाना
Equality—बराबरी
Escheat—सरकारी ज़ब्ती
Establish—क़ायम करना
Estate—मिलकियत
Estate duty—मिलकियत महसूल
Estimate—तखमीना
Evacuee—घरछुट
Evacuee property—घरछुट जायदाद
Evidence—गवाही
Examination—परीक्षा
Exception—अपवाद
Excess expenditure—अधिक खर्च
Excess grant—अधिक देनगी
Excess Profits Tax—बढ़ती नफ़ा टैक्स
Excise duty—निकासनी महसूल
Executive—काजकारी
Executive function—काजकारी काम
Executive power—काजकारी शक्ति
Exemption—बरी होना
Exercise jurisdiction—अमलदारी से काम लेना
Exercise power—शक्ति से काम लेना
Existing law—मौजूदा क़ानून
Ex-officio—पदनाते
Expedient—समयोचित
Expenditure, expense-खर्च
Expenditure on revenue account—मालगुज़ारी खाते खर्च
Expire—बीतना
Explanation—समझाव
Exploitation—शोशन
Explosive—विस्फोटक
Export—निकासी
Export duty—निकासी महसूल
Expulsion—निकाला जाना
Extent—फैलाव, हद
Extract minerals—खनिजों को निकालना
Extradition—परसौंपनी

Extra-Provincial—सूबापरे

Extra-Provincial Jurisdiction Act, 1947—सूबापरे अमलदारी एक्ट, 1947

Extra-territorial—भूभागपरे

Extra-territorial effect—भूभागपरे असर

Extra-territorial operation—भूभागपरे अमल

F

Facility—सुविधा

Factory—फ़ैक्टरी

Fail—फ़ेल होना

Faith—विश्वास, वफ़ादारी

Faithful—वफ़ादार

Faithfully—वफ़ादारी से

Fare—किराया (सवारी का)

Favour—तरफ़दारी

Federal Court—संघ अदालत

Fee—फ़ीस

Ferry—उतराई घाट

Figure—आंकड़ा

Fill a vacancy—सूनी भरना

Film—फ़िल्म

Final order—आखिरी हुकुम

Finance—माल, रुपया लगाना

Finance Commission—माल कमीशन

Financial—माली

Financial assistance—माली मदद

Financial Bill—माली बिल

Financial corporation—माली एकतनी

Financial emergency—माली अचानकी

Financial obligation—माली ज़िम्मेदारी

Financial propriety—उचित माली व्योहार

Financial provision—माली बन्धान

Financial stability—माली टिकाव

Financial statement—माली ब्यौरा

Financial year—माली साल

Fire-arms—आग हथियार

Fishery—मछियारी

Fishing—मछली पकड़ना

Forced labour—जबरी मज़दूरी

Force of law—क़ानून का असर

Foregoing—ऊपरलिखे

Foreign affairs—विदेशी मामले

Foreign exchange—विदेशी सिक्का बदलाव

Foreign jurisdiction—विदेशी अमलदारी

Foreign loan—विदेशी उधारी

Foreign State—विदेशी राज

Forest—जंगल
Forfeiture—ज़ब्ती
Form—रूप
Formulate—रूप देना
Fraction—टूक
Fraternity—भाईचारा
Free and compulsory education—मुफ्त और जबरी तालीम
Freedom—आज़ादी
Freedom of religion—धार्मिक आज़ादी
Freight—भाड़ा (माल का)
Frivolous—लचर
From time to time—समय समय पर
Frontier—सरहद, सीमा
Frontier tract—सरहदी खित्ता
Function—काम
Fundamental right—मूल अधिकार
Futures market—पेश-बाज़ार

G

Gas—गैस
Gas works—गैस का कारखाना
Gazette of India—भारत का गज़ट
General Clauses Act, 1897—आम धारा एक्ट, 1897
General election—आम चुनाव
General electoral roll—आम चुनाव चिट्ठा
Generality—आमियत
Generally—आम तौर पर
General public—आम जनता
Genius—आत्मा
Geology—भूविद्या
Ginned cotton—ओटी रूई
Give effect to—अमल में लाना
Goods—माल
Governing body—प्रबन्ध कमेटी
Government—सरकार, हकूमत
Government of India Act, 1935—हिन्द सरकार एक्ट, 1935
Government of India (Scheduled Castes) Order, 1936—हिन्द सरकार (पट्टी-दर्ज जातें) हुकुम, 1936
Governor—रियासतपति, गवरनर
Governor General—गवरनर जनरल
Governor's Province—गवरनरी सूबा
Graduate—स्नातक
Grant—देनगी
Grant in-aid—सहायती देनगी
Grant pardon—माफ़ी देना, माफ़ कर देना
Grant reprieve—सज़ा मुलतवी कर देना
Grant respite—मुहलत देना

Gratuity—इनामी रक़म
Grave emergency—गहरी अचानकी
Grazing—ढोर चराना
Ground—भूमि, बिना
Ground of appeal—अपील की बिना
Group—गिरोह, गुट
Group of Provinces—सूबों का गुट
Group of States—रियासतों का गुट
Guarantee—गारंटी
Guardian—रक्षक

H

Habeas Corpus—परवाना तनतलबी
Habitually—आदतन
Hazardous employment—जोखम का काम
Head—सरमुख
Headman—मुखिया
Health—तन्दुरुस्ती
Hearing—सुनवाई
High Court—हाईकोर्ट
Higher education—ऊँची तालीम
Highsea—बीच समन्दर
Highway—थल मार्ग
His Majesty—सम्राट
His Majesty in Council—कौंसिल समेत सम्राट
Historical—इतिहासी
Honourable relation—सम्मानी रिश्ता
Hospital—अस्पताल
House (of a Legislature)—सदन
House accommodation—मकानी गुंजाइश
House of the People—लोक सदन

I

Illegal—ग़ैरकानूनी
Illwill—बैर
Immediately before—ठीक पहले
Immoveable—अचल
Immunity—बरीयत
Impeach—दोश लगाना
Implement a treaty—सन्धिनामे पर अमल कराना
Import—आयासी
Impose duty—फ़रज़ लगाना
Impose fine—जुरमाना करना
Impose restriction—रुकावट लगाना
Impose tax—टैक्स लगाना
Imprest—पेशनगदी
Imprisonment—क़ैद

Improvement trust—नगर सुधार ट्रस्ट
In addition to—अलावा
In appropriate cases—मुनासिब सूरतों में
Incapacity—नाक़ाबिलियत
Incidental—प्रसंगी
Incidental matter—प्रसंगी मामला
Incidental provision—प्रसंगी बंधान
In civil capacity—नागरी हैसियत से
Income—आमदनी
Income tax—आमदनी टैक्स
Incompetency—अनधिकार
Inconsistency—अनमेल होना
Inconsistent—बेमेल
Incorporate—एकतन करना
Incorporated company—एकतनी कंपनी
Incur obligation—ज़िम्मेदारी लेना
Indefinite character—अनिश्चित रूप
Indemnify—बरीयत देना
India—भारत, हिन्द
Indian Audit and Accounts Department—भारत पड़ताल और हिसाब महकमा
Indian Hemp—गांजा
Indian Independence Act 1947—हिन्द आज़ादी एक्ट, 1947
Indian numerals—हिन्दुस्तानी हिन्दसे
Indian origin—हिन्दी निकास
Indian Penal Code—ताज़ीरात हिन्द
Indian State—देसी रियासत
Industrial dispute—उद्योगी झगड़ा
Industrial undertaking—उद्योगी कारबार
Industrial worker—मिल मज़दूर
Ineligible—अपात्र
Infant—दुधमुँहा बच्चा
Infectious disease—उड़नी बीमारी
Infirmity of mind—दिमाग़ की कमज़ोरी
Inflammable—आगपकड़
In force, in operation—अमल में
Inheritance—विरासत
In his discretion—अपनी समझ से
Initiate—शुरुआत करना
Injury—आघात
Inland—देश-अन्दर

Inn—सराय
In part—कुछ हद तक
In particular circumstances—खास हालतों में
In personal capacity—निजी हैसियत से
In pursuance of—की तामील में
Inquiry—पूछताछ
Insolvency—दिवाला
Insolvent—दिवालिया
Institute proceedings—कारवाई शुरू करना
Institution—संस्था
Instruction—हिदायत
Instrument—पट्टा
Instrument of Accession—मिलन पट्टा
In succession—लगातार
In such cases—ऐसी सूरतों में
Insurance—बीमा
Insurance policy—बीमा पालिसी
Intercourse—अन्तरव्योहार
Interest—सूद, सूद-ब्याज, हित, दिलचस्पी
Interfere—दखल देना
International—अन्तरक़ौमी
Interpretation—अर्थ
Inter se—आपस में
Inter-State—अन्तर-रियासती
Inter-State Council—अन्तर-रियासती मंडल
Intestacy—बेवसीयती
Intoxicating drink—नशीलापान
Intoxicating liquor—नशीला तरल
Introduction of a Bill—बिल का रखा जाना
Invalid—नादुरुस्त
Invalidate—नादुरुस्त ठहराना
Invalidity pension—निबल पेनशन
Invention—ईजाद
Investigate—जांच करना
Investigation—जांच
Irregularity—बेक़ायदगी
Irrigation—सिंचाई
Island—द्वीप
Issue—उठाना, जारी करना, निकालना
Issue a Proclamation—ऐलान निकालना
Issue a Treasury Bill—सरकारी हुंडी जारी करना
Item—मद

J

Joint Commission—मिला-जुला कमीशन
Joint District Judge—संगी ज़िला जज
Joint family—मिलाजुला परिवार

Joint recruitment—मिली-जुली भरती
Joint sitting—मिलीजुली बैठक
Joint State Public Service Commission—मिलाजुला रियासत सरकारी नौकरी कमीशन
Judge—जज
Judgment—फ़ैसला, विवेक
Judicial—न्यायी, अदालती
Judicial authority—न्यायी अधिकारी
Judicial proceeding—अदालती कारवाई
Judicial stamp—अदालती स्टाम्प
Judiciary—न्यायकारी
Jurisdiction—अमलदारी
Jurist—क़ानूनशास्त्री
Just—न्यायी
Justice—इन्साफ़, न्याय
Jute—पटसन

L

Labour dispute—मज़दूरी झगड़ा
Landlord—ज़मींदार
Land tenure—भूमिदारी
Language—भाशा
Lapse—गिर जाना, हक़ खतम हो जाना
Law—क़ानून
Lawful—क़ानूनसंगत
Lease—पट्टा
Leave, leave of absence—छुट्टी
Legal—क़ानूनी
Legal profession—क़ानूनी पेशा
Legal right—क़ानूनी अधिकार
Legal tender—क़ानूनी सिक्का
Legislate—क़ानून बनाना
Legislative—क़ानूनकारी
Legislative Assembly—आम सदन
Legislative Council—खास सदन
Legislative function—क़ानूनकारी काम
Legislative power—क़ानूनकारी शक्ति
Legislative relation—क़ानूनकारी संबंध
Legislature—क़ानूनसभा
Leisure—फ़ुरसत
Lend—उधार देना
Letter of credit—साख पत्र
Level of administration—शासन तल
Level of nuitrition—तनपालन तल
Levy duty—महसूल लगाना
Liability—देनदारी
Liable—देनदार

Libel—अपमान लेख
Liberty—आज़ादी, स्वतंत्रता
Library—किताबघर
License—लाइसेंस
Lieutenant-Governor—नायब रियासतपति
Lighthouse—दीपघर
Lightship—दीपजहाज़
Limit—हदियाना, सीमियाना, सीमा
Limitation—मियादबन्दी, सीमा
Line—लाइन
Liquid, liquor—तरल
List—तालिका
Literary—अदबी
Literature—अदब साहित्य
Livelihood—रोज़ी
Loan—उधारी
Local—मुक़ामी
Local authority—मुक़ामी अधिकारी
Local Board—मुक़ामी बोर्ड
Local government—मुक़ामी हकूमत
Local self-government—मुक़ामी स्वराज
Loss—घाटा
Lottery—लाटरी
Lunacy—पागलपन
Luxury—ऐश

M

Magistrate—मैजिस्ट्रेट
Maintain—रखना, बनाए रखना
Maintain account—हिसाब रखना
Maintain order—व्यवस्था बनाए रखना
Maintain record—लेखा रखना
Major port—बड़ा बन्दरगाह
Majority—बहुतियत
Make a loan—उधारी देना
Make order—हुकुम देना
Make payment—अदा करना
Make representation—अरज़ी पत्र देना
Male progenitor—जनक पुरुश
Mandamus—परवाना हुकुम
Manner—ढंग
Manufacture—बनाना
Manufactured goods—बना माल
Marine, maritime—समन्दरी
Maritime navigation—समन्दरी जहाज़रानी
Maritime shipping—समन्दरी जहाज़बानी
Market—मंडी
Martial law—फ़ौजी क़ानून
Material abandonment—बेघरबारगी

Material resources—माद्दी साधन
Maternity benefit—जापा रियायत
Maternity relief—जापा मदद
Matter—मामला
Matter of procedure—दस्तूरी मामला
Meaning—मानी
Means—साधन
Means of communication आवाजाई के साधन
Measure—माप, तरकीब
Mechanically propelled—मशीनों से चलने वाले
Medical profession—डाक्टरी पेशा
Medicinal preparations—दवाई का सामान
Meet a grant—देनगी को पूरा करना
Meet an expenditure—खर्च को पूरा करना
Meeting—मिलनी
Member—मेम्बर
Membership—मेम्बरी
Memorandum—यादो, यादपत्र
Memorial—आवेदनपत्र
Mental deficiency-दिमागी कमी
Mercantile marine—तिजारती बेड़ा
Merchandise mark—सौदागरी माल छाप
Merit—क़ाबलियत
Message—संदेसा
Meteorology—खगोल विद्या
Mica—अबरक
Migratory tribe—मौसमी क़बीला
Milch cattle—दुधारी ढोर
Military—फ़ौजी
Military force—ज़मीनी फ़ौज
Military importance—फ़ौजी महत्व
Mine—खदान
Mineral—खनिज
Mineral development—खनिज विकास
Mineral oil—खनिज तेल
Mineral resources—खनिज साधन
Mining settlement authority—खदान आबादी अधिकारी
Minister—वज़ीर
Ministerial authority—वज़ीरायती अधिकारी
Ministry—वज़ीरायत
Minor—नाबालिग
Minority—कमीयत
Misbehaviour—बदव्योहार
Miscellaneous—फुटकर

Misconduct—बुरा चलन
Modification—अदल बदल
Modify—अदल बदल करना
Money Bill—नक़दी बिल
Money lender—साहूकार
Monopoly—इजारा
Monument—यादगार
Moral abandonment—नैतिक आवारगी
Morality—सदाचार
Mortgage—रेहन रखना
Moveable—चल
Move an amendment—सुधार पेश करना
Move a resolution—ठहराव पेश करना
Multiple—गुना
Municipal area—नगरायत क्षेत्र
Municipal corporation—नगर एकतनी
Municipality—नगरायत
Municipal tramway—नगर ट्राम मार्ग
Museum—अजायबघर

N

Narcotic—पीनक वाली
Narcotics—पीनक वाली चीज़ें
Nation—क़ौम
National highway—क़ौमी थल मार्ग
National importance—क़ौमी महत्त्व
National interest—क़ौमी हित
National life—क़ौमी जीवन
National waterway—क़ौमी जल मार्ग
Naturalisation—देसीकरन
Naval force—समन्दरी फ़ौज
Navigation—जहाज़रानी
Neighbouring State—पड़ोसी रियासत
Net proceeds—असल वसूली
Newsprint—न्यूज़प्रिन्ट
Nomadic—खानाबदोश
Nominate—नामज़द करना
Nomination—नामज़दगी
Non-distilled—बिनाखिंची
Non-Hindi speaking area—ग़ैर हिन्दीभाषी क्षेत्र
Non-tribals—ग़ैर क़बाइली लोग
Notice—नोटिस
Notice in writing—लिखा नोटिस
Notwithstanding—के रहते
Number—गिनती, तादाद
Numerals—हिन्दसे

O

Oath—हलफ़
Oath of office—पद का हलफ़

Oath of secrecy—राज़दारी का हलफ़

Obligation—ज़िम्मेदारी

Occupation—कब्ज़ा, धन्धा

Occurrence of vacancy—सूनी होना

Office—पद, ओहदा, दफ़तर

Officer—अफ़सर

Official Gazette—दफ़्तरी गज़ट

Official language—दफ़तरी भाशा

Official residence—सरकारी मकान

Official trustee—सरकारी ट्रस्टी

Oil field—तेल छेत्र

Oilseeds—तिलहन

Ommission—छोड़ना

On the ground—इस बिना पर

Open court—खुला इजलास

Operation—अमल, चलाना

Opinion—राय

Opportunity—मौक़ा

Order—हुकुम, व्यवस्था

Order of acquittal—बेगुनाही का हुकुम

Ordinance—राजहुकुम

Ordinarily—आम तौर पर

Organisation—संगठन

Organised peoples—संगठित क़ौमें

Original jurisdiction—पहली सुनवाई का अधिकार

Originate a Bill—बिल को पहल करना

Overthrow—उलट देना

P

Paid employment-वेतनी काम

Paragraph—पैरा

Parity—बराबरी

Parliament—राजपंचायत

Part—भाग

Participate—हिस्सा लेना, भाग लेना

Partition—बटवारा

Partnership—साझेदारी

Party—फ़रीक़

Pass—पास करना, पास होना

Passenger—सवारी

Passport—पासपोर्ट

Patent—पेटेन्ट

Payment—अदायगी

Peace—शांति, सुलह

Penalty—दंड

Pending—पेश, चालू

Pension—पेनशन

People—लोग

Percentage—फ़ी सैकड़ा

Perform duty—फ़रज़ अदा करना, फ़रज़ पूरा करना

Period—अरसा
Permanent return—पक्की वापसी
Per mensem—माहवार
Permission—इजाज़त
Permit—इजाज़त देना, परमिट
Personal—निजी
Personal law—निजी क़ानून
Personally—निजी तौर पर
Personal right—निजी अधिकार
Pest—महामारी
Petition—प्रार्थना पत्र
Petroleum—पेट्रोलियम
Pilgrimage—तीर्थ यात्रा
Piracy—समन्दरी डकैती
Place of birth—जन्मस्थान
Planning—योजना
Plead—वकालत करना
Pleader—प्लीडर
Police—पुलिस
Police force—पुलिस बल
Policy—नीति
Political—राजकाजी
Population—आबादी
Port—बन्दरगाह
Possession—कब्ज़ा
Posting—तैनाती
Post Office Savings Bank—डाकघर बचत बंक
Posts and Telegraphs—डाक और तार
Pound—कांजी हौज़
Power—शक्ति
Practicable, practical—अमली
Practical experience—अमली तजुरबा
Preamble—सरलेख
Prefer a charge—दोशलेखा पेश करना
Preference—तरजीह
Preside—सदारत करना
President—राजपति, सदर
Prevention—रोकथाम
Preventive detention—रोकथामी नज़रबन्दी
Previous sanction—पहले से मंजूरी
Previous service—पहले की नौकरी
Price control—दाम कंट्रोल
Primary education—प्राइमरी तालीम
Primary school—प्राइमरी स्कूल
Prime Minister (of India)—प्रधान वज़ीर (भारत का)
Prince—नरेश
Principal seat—खास जगह
Principal value—असल क़ीमत
Principle—सिद्धान्त
Printing press—छापाखाना

Prison—जेलखाना
Prisoner—क़ैदी
Privilege—निजनियम
Privy Council—प्रिवी कौंसिल
Privy purse—निजी थैली
Procedure—दस्तूर
Procedure in general—आम दस्तूर
Proceeding—कारवाई
Proceeds—वसूली
Process—हुकुमनामा
Proclamation—ऐलान
Proclamation of emergency—अचानकी का ऐलान
Product—पैदावार
Profession—पेशा
Professional—पेशाई
Prohibition—परवाना मनाही, मनाही
Promissory note-प्रामिसरी नोट
Promotion—तरक्की
Promulgate—जारी करना
Pronounce judgment-फ़ैसला सुनाना
Proof—सबूत
Propagate—प्रचार करना
Property—जायदाद
Property in goods—माल की मिलकियत
Proportion—निसबत, हिस्सा
Proportional representation—निसबती प्रतिनिधान
Proposal—सुझाव
Prorogation of the House—सदन का बरखास्त होना
Prorogue—बरखास्त करना
Prosecution of war—जंग चलाना
Prospect for minerals—खनिजों की खोज
Protection—रक्षा
Prove—साबित करना
Provide—प्रबन्ध करना, बताना, बन्धान करना
Provided that—शर्त कि
Provident fund—प्राविडेंट फंड
Province—सूबा
Provision—इन्तज़ाम, प्रबन्ध, बंधान
Provisional—कामचलाऊ
Provisional Legislature—कामचलाऊ क़ानूनसभा
Provisional Parliament—कामचलाऊ राजपंचायत
Proviso—शर्त
Proxy—एवज़ी
Public—जनता, सरकारी, आम
Public debt—सरकारी करज़ा
Public health—जन-तन्दुरुस्ती

Public importance—लोक महत्व
Public institution—जनसंस्था, जनता की संस्था
Public interest—जनहित, जनता का हित
Public notification—आम नोटिस
Public order—जन-व्यवस्था
Public Service Commission—सरकारी नौकरी कमीशन
Publish—निकालना
Punishment—सज़ा
Purchase—खरीद
Purpose—मतलब

Q

Qualification—जोगता
Qualified—जोग
Quarantine—चालीसिया
Question—सवाल
Question of fact—वाक़याती सवाल
Question of law—क़ानूनी सवाल
Quorum—कोरम
Quotient—भागफल
Quo Warranto—परवाना अधिकार-बताई

R

Race—नसल
Railway—रेलमार्ग
Railway Company—रेलमार्ग कंपनी
Raise a loan—उधारी लेना
Raise money—रक़म जुटाना
Rajpramukh—राजप्रमुख
Rank—रुतबा
Rate—दर
Ratify—तसदीक करना
Ratio—अनुपात
Readjust—घटत बढ़त करना
Reasonable—उचित
Receipt—रसीद, आमदनी
Recess—छुट्टी के दिन
Recognise—मान लेना
Recognised institution—मानी हुई संस्था
Recommendation—सिफारिश
Reconsideration—फिर से विचार
Records—लेखे
Recurring sum—फिराती रक़म
Recruitment—भरती
Redemption charges—भुगतान खर्च
Redemption of debt—क़रज़ा चुकाना, क़रज़ा भुगतान
Reformatory—सुधारघर
Region—इलाक़ा
Regional Commissioner—इलाक़ा कमिशनर

Regional Council—इलाक़ा मंडल
Regional fund—इलाक़ा कोश
Register—रजिस्टर करना
Registration—रजिस्टरी
Regulate—क़ायदाबन्दी करना
Regulation—क़ायदा, क़ायदाबन्दी
Rehabilitation—फिरबसाव
Reimburse a person for his expenses—किसी के खर्च को पूरा करना
Relevant—संगत
Relief—मदद, भरपाई
Religion—धर्म
Religious—धार्मिक
Religious denomination—धार्मिक फ़िरक़ा
Religious endowment—धार्मिक देन
Religious institution—धार्मिक संस्था
Religious instruction—धार्मिक शिक्षा
Remainder—बाक़ी
Remains—खंडहर
Remedy—उपाय
Remission of tax—टैक्स में छूट देना
Remit a sentence—सज़ा को कम कर देना
Remuneration—मेहनताना
Rent—लगान, किराया
Repeal—रद्द, रद्द करना
Report—रिपोर्ट
Representation—प्रतिनिधान, अरज़ी पत्र
Representative—प्रतिनिधि
Republic—जनराज
Repugnant—खिलाफ़
Require attendance—हाज़िरी तलब करना
Requisition—मंगैनी ले लेना
Research—खोज
Reservation—अलग रखना
Reserve Bank of India—भारत का रिज़र्व बंक
Reserved forest—रखाया हुआ जंगल
Reserved seat—अलग रखी सीट
Reserve for consideration—विचार के लिए रख देना
Reserve seats—सीटें अलग रखना
Reside—बसना, रहना
Residence—रिहाइश
Resident—बासी, बसने वाले, रहने वाले
Residential—रिहाइशी
Residuary power—बची शक्ति

Resign—इस्तीफ़ा देना
Resolution—ठहराव
Responsible—ज़िम्मेदार
Restaurant—जलपान घर
Restriction—रुकावट
Retail business—फुटकर कारबार
Retired—सेवामुक्त
Retrospective effect—पिछलगता असर
Return—ब्यौरा
Revenue—मालगुज़ारी
Revenue jurisdiction—माली अमलदारी
Review—नज़रसानी
Revoke—मंसूख करना
Right—अधिकार
Right of audience—सुनवाई का अधिकार
River valley—नदी घाटी
Road—सड़क
Ropeway—रस्सा मार्ग
Royalty—रायल्टी
Rule—नियम
Rule of the road—मार्ग नियम
Ruler—शासक

S

Safeguard—बचावनी
Safety—सलामती
Salary—तनखाह
Sale—बिक्री
Sanad—सनद
Sanction—मंज़ूरी
Sanitation—सफ़ाई
Save—सिवाय
Saving—बचावा
Scale—पैमाना
Scarcity of goods—माल की कमी
Schedule—पट्टी
Scheduled—पट्टीदर्ज
Scheduled caste—पट्टीदर्ज जाति
Scheduled tribe—पट्टीदर्ज क़बीला
Scheme—योजना
School—स्कूल
Science—साइंस
Scientific—साइंसी
Scientific education—साइंसी तालीम
Scientific line—साइंसी रीति
Script—लिखावट
Seal—मोहर
Seaman—मल्लाह
Seat—जगह
Secondary school—दूसरकी स्कूल
Secrecy—राज़दारी
Secretarial staff—मंत्रायती अमला

Secretariat—मंत्रायत
Secretary of State—स्टेट सेक्रेटरी
Secret ballot—बन्द परची
Section—टुकड़ी
Security—सुरक्षा, ज़मानत, हुंडी
Select—छांटना
Self-government—स्वराज
Sentence—सज़ा का हुकुम
Service—सेवा, नौकरी
Service of debt—करज़ा जारी रखना
Session—इजलास
Session of Legislature—क़ानूनसभा का इजलास
Sessions Judge—सेशन जज
Settle—बस जाना
Sex—जिन्स
Share—हिस्सा
Sheriff—शेरीफ़
Shifting cultivation—बदलती जुताई
Shipping—जहाज़, जहाज़बानी
Short title—छोटा सरनामा
Signed certificate—दसखती सनद
Single judge—अकेला जज
Single transferable vote—इकहरा बदलता वोट
Sinking fund-करज़ा चुकाई कोश
Site—स्थान
Sitting—बैठक
Situation—हालत
Slander—अपमान वचन
Small Cause Court—खफ़ीफ़ा अदालत
Social—समाजी
Social injustice-समाजी अन्याय
Social insurance—समाजी बीमा
Socially—समाजी निगाह से
Social order—समाजी व्यवस्था
Social reform—समाज सुधार
Social service—समाज सेवा
Social welfare—समाज की भलाई
Society—सोसाइटी
Solemnly—गंभीरता के साथ
Sovereign—खुदमालिक
Speaker—सभामुख
Special—खास, विशेष
Special address-खास सरबचन
Special directive—खास निर्देश
Special electoral roll—खास चुनाव चिट्ठा
Special knowledge—खास जानकारी
Special procedure—खास दस्तूर
Special provision—खास बन्धान

Special qualification—खास जोगता
Special representation—खास प्रतिनिधान
Spoliation—लूट खसोट
Staff—अमला
Stamp duty—स्टाम्प महसूल
Standard—दर्जा, स्तर, मान
Standard of living-जीवनस्तर
Standard of quality-गुनमान
Standing order—क़ायमी हुकुम
State—रियासत
State List—रियासत तालिका
Statement—ब्यौरा
State Public Service Commission—रियासत सरकारी नौकरी कमीशन
Statistics—आंकड़े
Status—दर्जा
Stay of proceedings—कारवाई रोक देना
Steel—फ़ौलाद
Stock—पत्तीपूंजी, नसल (मवेशियों की)
Stock exchange—शेयर बाज़ार
Style—शैली
Sub-clause—उपधारा
Sub-Divisional Officer—सबडिवीज़नल अफ़सर
Subordinate—मातहत, अधीन
Subordinate court—मातहत अदालत
Substantial question of law—क़ानून का ठोस सवाल
Succession—पदगाहन, विरासत
Successor—पदगाही, वारिस
Sue—नालिश करना
Suit—नालिश
Suitor—सायल
Superintendence—निगरानी
Supplemental power—पूरक शक्ति
Supplemental, supplementary—पूरक
Supplementary expenditure—पूरक खर्च
Supplementary grant—पूरक देनगी
Supply—मुहय्या करना, रसद
Support—समर्थन करना
Supreme Command—आला कमान
Supreme Court—आला अदालत
Surcharge—अधिक टैक्स
Survey—सरवे
Suspend—मुअत्तल करना, रोक देना
Suspend a meeting—मिलनी को रोक देना
Suspend a sentence—सज़ा के हुकुम को रोक देना

Swear—शपथ लेना

T

Table —नक़शा

Take step—क़दम उठाना

Tax—टैक्स

Tax on income—आमदनी पर टैक्स

Technical—तकनीकी

Technical education—तकनीकी तालीम

Telephone—टेलीफ़ोन

Temporary—आरज़ी

Tenant—किसान

Tendency—झुकाव

Tender age—कच्ची उमर

Term—शर्त, बंधन, मियाद

Terminal tax—हदवारी टैक्स

Terminate—खतम करना

Term of office—पद-मियाद

Territorial—भूभागी

Territorial constituency—भूभागी चुनाव हलक़ा

Territorial waters—भूभागी जल, भूभागी समन्दर

Territory—भूभाग

The State (as defined in Part III)—राज

Things of value—क़ीमती चीज़ें

Thought—विचार

Through—मारफ़त

Tidal waters—ज्वार जल

Title—खिताब, सरनामा

Toilet—सिंगार

Toilet preparation—सिंगार सामान

Tolls—टोल टैक्स

Town—क़सबा

Town Committee—क़सबा कमेटी

Tract—खित्ता

Trade—व्योपार

Trademark—व्योपार छाप

Trader—व्योपारी

Trade Union—ट्रेड यूनियन

Trading corporation—व्योपारी एकतनी

Traffic—व्यापार

Training—ट्रेनिंग

Tramcar—ट्रामगाड़ी

Tramway—ट्राममार्ग

Transaction—सौदा

Transfer—बदली करना, तबादला, तबदीलना, दाखिल खारिज

Transitional—बिचवत्ती

Transitional provision—बिचवत्ती बंधान

Translation—अनुवाद

Transport—लाना ले जाना

Transporation for life—आजीवन कालापानी

Treasure trove—गड़ा लावारिसी खज़ाना

Treasury Bill—सरकारी हुंडी

Treaty—संधिनामा

Treaty obligations—संधि बंधन

Trespass—हद लांघना

Trial—जांच

Tribal—क़बाइली

Tribal Council—क़बाइली मंडल

Tribals—क़बाइली लोग

Tribe—क़बीला

Tribes Advisory Council क़बीला सलाहकार मंडल

Tribunal—पंच अदालत, पंचायती अदालत

Trust—ट्रस्ट, भरोसा

Trustee—ट्रस्टी

U

Undermine—जड़ खोखली करना

Undertaking—कारबार

Undeserved want—अनकरी ज़रूरत

Unemployment—बेकारी, बेकामगारी

Unexpected demand—अचानक मांग

Unforeseen expenditure—अनसूझा खर्च

Unginned cotton—अनओटी रूई, कपास

Uniformity—एकरूपता

Union—यूनियन

Union List—यूनियन तालिका

Union Public Service Commission—यूनियन सरकारी नौकरी कमीशन

Unit—इकाई

United Khasi and Jaintia Hills District—युक्त खासी जैन्तिया पहाड़ी ज़िला

United Nations Organisation—संयुक्त क़ौम संगठन

Unity—एकता

University—विद्यापीठ

Unsound mind—नाठीक दिमाग़

Unsoundness of mind—दिमाग़ ठीक न होना

Untouchability—अछूतपन

Uprajpramukh—उपराजप्रमुख

Usage—रिवाज

Use—इस्तेमाल

V

Vacancy—सूनी

Vacate—सूना करना

Vacation—तातील

Vagrancy—आवारागरदी

Validate—सरदुरुस्त ठहराना

Validity—सरदुरुस्ती

Valley—घाटी

Vehicle—गाड़ी

Vessel – जहाज़

Veterinary—पशु-इलाज

Vice-President—उपराजपति

Village administration—गांव शासन

Village committee—गांव कमेटी

Village council—गांव मंडल

Village court—गांव अदालत

Violation of Constitution—विधान तोड़ना

Violation of law—क़ानून तोड़ना

Visa—वीसा

Vital statistics—जीवन आंकड़े

Vocabulary—शब्दावली

Vocation—रोज़गार

Void—रद्द

Voluntarily—अपनी मरज़ी से, अपनी इच्छा से

Vote—वोट, वोट देना

Voter—वोटर

W

War—जंग

Warrant—हुकुमनामा

Water power—पनशक्ति

Waterway—जलमार्ग

Ways and means advance—राहरीत पेशगी

Weaker section—निबल टुकड़ी

Weight—तोल

Weights—तोलने के बाट

Welfare—भलाई, ख़ुशहाली

Wholesale business—थोक कारबार

Will—वसीयत

Wind up—समेटना

Wireless—बेतार

Withdraw a case—मुक़द्दमा उठा लेना

Withdrawal of money—रुपया निकालना

Worker—कामगार

Workmen's compensation—कामगारों की नुक़सान भरपाई

Works—कारख़ाना, इमारत

Worship—पूजाबंदगी

Wound pension—घायली पेनशन

Writ—परवाना

Writing under ones hand—दसखती लिखत

Z

Zoology—जन्तुविद्या